ा माला, खंड 5, अंक 17

गुरुवार, 16 मार्च, 2000
26 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 50
Date 11/9/2001

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]

अंक 17, गुरुवार, 16 मार्च, 2000/26 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301–304 और 306	2–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 305 और 307 से 320	30–55
अतारांकित प्रश्न संख्या 3228 से 3428	55–271
सभा पटल पर रखे गए पत्र	271–279
राज्य सभा से संदेश	280
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	280–281
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	281–282
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन से आठवां प्रतिवेदन	282–283
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
11 मार्च, 2000 को कर्नाटक के कोलार जिले में जातीय हिंसा की घटना	284–285
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	284
नियम 377 के अधीन मामले	315–320
(एक) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता	
श्री विजय गोयल	315
(दो) मुम्बई के उपनगरीय यात्रियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	315
(तीन) जयपुर में पेयजल की विकट समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	316

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(चार)	मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित "पशुपति मंदिर" को एक पर्यटक स्थल घोषित करने और इसके विकास के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	316
(पांच)	वायनाड जिले में सुल्तान बथेरी वन्य जीवन प्रभाग में और इसके आस-पास पट्टे की वन भूमि पर रह रहे किसानों के पुनर्वास के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
	श्री के. मुरलीधरन	317
(छह)	आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी के कुडप्पा केन्द्र में 10 किलोवाट का एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	317
(सात)	विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों, विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम कर रहे केरलवासियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी	318
(आठ)	तमिलनाडु में तिरुचेन्दूर में टिकट आरक्षण कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की आवश्यकता	
	डा. ए.डी.के. जयशीलन	319
(नौ)	प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाऊ शंकर महाले	319
(दस)	बिहार में दानापुर मंडल में सिरारी रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	320
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक		
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन		321–323
	श्री बालासाहिब विखे पाटील	321
मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक		323–333, 336–342
विचार करने के लिए प्रस्ताव		323
	डा. मुरली मनोहर जोशी	323, 336
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	324
	प्रो. ए.के. प्रेमाजम	327
	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	328
	श्री वनलाल जावमा	329
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	331
	श्री राजो सिंह	333, 336
खण्ड 2 से 47 और 1		341
पारित करने के लिए प्रस्ताव		342

विषय	कालम
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
प्रधान मंत्री की मारीशस यात्रा	334-335
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	334
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा	343, 362
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	343-361
श्री मदन लाल खुराना	343
डा. नीतिश सेनगुप्ता	360
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहले से तीसरे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	362
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन	
पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड गठित करना	363
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य	363
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	368
श्री रमेश चेन्नितला	370
श्री हन्नान मोल्लाह	373
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	376
प्रो. रासा सिंह रावत	381
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	386
श्री रामदास आठवले	394
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा	395
श्री के.पी. सिंह देव	398
श्री छत्रपाल सिंह	402

लोक सभा

गुरुवार, 16 मार्च, 2000/26 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे पूर्व दो साथियों सर्व श्री प्रद्युम्न बाल और शक्ति कुमार सरकार के दुखद निधन की सूचना देनी है।

1977 से 1979 तक श्री प्रद्युम्न बाल छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने उड़ीसा के जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से पत्रकार और लेखक, श्री बाल एक उड़िया साप्ताहिक 'प्रगतिवादी' के सम्पादक थे। वे अनेक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य भी थे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्री बाल ने, बाढ़, सूखा और चक्रवात इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता और पुनर्निर्माण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया।

श्री प्रद्युम्न बाल का निधन 21 दिसम्बर, 1999 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। वे 65 वर्ष के थे।

श्री शक्ति कुमार सरकार 1971 से 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जॉयनगर का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व 1962 से 1967 तक श्री सरकार पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने लोक लेखा समिति सहित विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी ख्याति पायी।

व्यवसाय से कृषक और मत्स्य पालक श्री सरकार ने पश्चिम बंगाल के किसान आन्दोलन में भी भाग लिया।

श्री सरकार एक विद्वान थे उन्होंने पश्चिम बंगाल की भूमि समस्याओं और भूमि सुधारों के बारे में पुस्तकें लिखी और स्थानीय समाचार-पत्रों में लेख भी लिखे।

एक योग्य सांसद के रूप में श्री सरकार ने सभा में दलित वर्गों के कल्याण और विकास से संबंधित विषयों को उठाने का कोई भी अवसर नहीं गंवाया।

श्री शक्ति कुमार सरकार का निधन कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में 7 जनवरी, 2000 को हुआ। वह 70 वर्ष के थे।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा भी मेरे साथ शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करेगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सैकेंडरी निगरानी राडारों की स्थापना

***301. श्री[+] चन्द्रकांत खैरे :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैकेंडरी निगरानी-राडार-प्रणाली से युक्त विमानपत्तन कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी बिमानपत्तनों पर सैकेंडरी-निगरानी-राडार स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नै, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद, गुवाहाटी और अहमदाबाद पर हवाई अड्डों को मोनोपल्स गौण निगरानी रडारों (एम.एस.एस.आर.) से सज्जित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र में नागपुर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उड़ीसा में बेहरामपुर और कर्नाटक में मंगलौर हवाई अड्डों पर 81 करोड़ रुपए की लागत से मोनोपल्स गौण निगरानी रडार संस्थापन का कार्य चल रहा है और परियोजना के मार्च, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन मोनोपल्स गौण निगरानी रडारों के संस्थापन के साथ सम्पूर्ण भारत के सभी विमान मार्ग रडार निगरानी के आधीन हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में आठ हवाई अड्डों में निगरानी राडार लगाए गए हैं। इनको लगाने में कितना खर्चा हुआ है और जिस उद्देश्य के लिए इनकी जरूरत थी, क्या ये उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुए हैं? इन आठों राडारों की क्षमता सही है या नहीं, क्योंकि देश में कई जगह विमान दुर्घटनाएं और विमान अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। कई जगह आतंकवादियों ने भी, जैसा कि आपने बताया है, पुरलिया कांड भी हुआ था। ऐसे देश के अंदर कई विमान आते हैं जो अपनी सीमा में घुसते हैं और आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं जो भी आठ निगरानी राडार आठ हवाई अड्डों पर लगाये गये, वे सभी सफल क्यों नहीं हुए? ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण भी वहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारी वर्ग को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं और उस विशेष प्रशिक्षण की पद्धति क्या है तथा रडारों का सही प्रयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, इसमें उन्होंने पहले पुरलिया का भी जिक्र किया है और यह भी कहा है कि कई तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन सारी बातों पर जो सवाल पूछा है कि कहां-कहां पर मोनोपोल्स सैकेंडरी सरवीलैंस राडार सिस्टम लग चुका है। उन घटनाओं से देश की रक्षा करने के लिए और उन्हें टालने के लिए यह जो सिस्टम है, वह बहुत परफैक्ट सिस्टम है और अभी यह दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर लग चुका है और आगे पूरे देश में यानि कोई हिस्सा देश का नहीं बचेगा जिससे कि ऐसी घटनाएं फिर से हों जैसी पुरलिया या दादरी के पास दो एयरक्राफ्टस के टकरा जाने से हो गई थी। इसके लिए कुछ जगह हमारे पास बची हुई है, इसलिए पूरे देश को मुकम्मल सुरक्षा के अन्तर्गत लाने के लिए नागपुर, वाराणसी, उड़ीसा के बहरामपुर तथा कर्नाटक के बंगलौर में इस सैकेंडरी राडार सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके करने के बाद हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इस सिस्टम की विशेषता यह है कि पहले जो सिस्टम था, उसमें सिर्फ साइन, सिर्फ डॉट आता था। इसमें जहाज कहां है, किस ऊंचाई पर है यदि उसके अंदर यदि ट्रांसपोंडर होगा और वह बंद होगा तो उनकी जानकारी भी हमें नीचे मिल जाएगी। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इन घटनाओं से सावधानी बरतने के लिए देश भर के सारे एयरपोर्ट्स मार्च 2001 तक पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएंगे। नागपुर में तो अभी अप्रैल में सैकेंडरी राडार सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वह पूरी तरह से काम करने लगेगा। बाकी मार्च अगले साल तक यह सारा सिस्टम लग जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है कि कर्मचारी की गलती है। जो सिस्टम पहले हमारा था, उसमें सिर्फ डॉट आता था। लेकिन इस नये सिस्टम में यदि कहीं जहाज किसी माउन्टेन से टकरा गया है या जहाज एक दूसरे के करीब आ गया है, तो ए.टी.सी. के चैम्बर में ही हमें पता लग जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सिस्टम आने के बाद देश में एविएशन के चलते जो असुरक्षा पैसेंजरों को या दूसरे लोगों को हो जाती है, वह नहीं हो पाएगी। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे पूरा देश चिंता मुक्त हो जाएगा तथा पुरलिया जैसी घटना भी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। पुरलिया की जो घटना हुई थी, उसमें मैप दिया गया था और ए.टी.सी. की परमिशन लेकर हुई थी लेकिन यह सिस्टम नहीं होने के कारण वह घटना हुई थी। अब वह घटना नहीं दोहरायी जा सकेगी।

श्री चन्द्रकान्त खैरे : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि नागपुर, महाराष्ट्र में इस प्रणाली को चालू करने का कार्य शुरू किया है। पुरुलिया और दूसरी जगहों पर राडार सिस्टम पावरफुल नहीं है, इसलिए चारों हवाईअड्डों पर रडार सिस्टम लगा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पुणे, महाराष्ट्र, में डिफैंस का एयरपोर्ट कहलाया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकान्त खैरे : महोदय, मंत्री महोदय ने नागपुर, वाराणसी, उड़ीसा और कर्नाटक के बारे में बताया है। इन चारों जगहों पर क्या क्षमता थी और पूरे देश में कार्यवाही होगी, यह मेरी चिन्ता है।

श्री शरद यादव : महोदय, मैंने पहले ही कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में यह सिस्टम इन्स्टाल हो चुका है और जो देश में बचा हुआ हिस्सा है, उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि किस एयरपोर्ट पर लगाया जाए। उसकी वायबिलिटी और प्लेस देखा जाता है, ताकि देश के हर हिस्से को जोड़ने का काम हो सके। वह नहीं हो सकता है, पुणे और नागपुर में लगाया जाए। बाकी देश के बचे हुए हिस्से, बार्डर एरियाज डिफैंस के पास है और उनके पास परफैक्ट सिस्टम है। इसलिए आपकी जो चिन्ता है, देश की चिन्ता है, उसको किसी कीमत पर दूर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, देश के पूरे हिस्से में लगाना है, किस हिस्से में लगाना है या किस में नहीं लगाना है, यह सवाल नहीं उठता है।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन : सबसे पहले मैं सत्र के अंतिम दिन मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा अनुपूरक प्रश्न कुछ हद तक मुख्य प्रश्न से हटकर है। यह केरल में कासरगोड़े विमानपत्तन के निर्माण के बारे में है। केरल सरकार ने सभी संरचनात्मक सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण इत्यादि को लगभग पूरा कर लिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको मुख्य प्रश्न से अलग किसी विषय पर नहीं आना चाहिए। यह उचित नहीं है।

श्री टी. गोविन्दन : महोदय, सरकार नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं। मैंने पहले ही मंत्री महोदय को सूचित कर दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह उचित नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि तिरूवनन्तपुरम में भी मोनो पल्स सेकेण्डरी सर्वेलन्स राडार (एम.एस.एस.आर.) सुविधा स्थापित की जाएगी। तिरूवनन्तपुरम में एक बार यह सुविधा स्थापित होने के बाद इसका लाभ कोचीन को भी मिलेगा। नेदुमबस्सेरी देश का पहला विमानपत्तन है जिसे व्यापक जनसमर्थन से बनाया गया है यह सर्वोत्तम और आधुनिक विमानपत्तनों में से एक है और यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को, विशेष रूप से तिरूवनन्तपुरम के एम.एस.एस.आर. सुविधा से जुड़ जाने के पश्चात्, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब, इस सुविधा के कारण यहां से न्यूयार्क और अन्य खाड़ी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। केरल सरकार इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के लिए कई बार अनुरोध कर चुकी है। माननीय मंत्री महोदय इस बात से भलीभांति अवगत है कि केरल की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग लोग रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों और अन्य देशों में रह रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में हमेशा ही कुछ न कुछ समस्या उठ खड़ी होती है। अनुपूरक प्रश्न पूछने के बजाए सदस्य भाषण देना शुरू कर देते हैं।

श्री ए.सी. जोस : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय नेदुमबस्सेरी को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करेंगे?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह इस सवाल से नहीं उठता है। केरल में दो इन्टरनेशनल एयरपोर्ट हैं और जिस एयरपोर्ट की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। उसकी वायबिलिटी को भी देखना है और वह हमारे इक्टिव कन्सीड्रेशन में है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह अच्छी सुविधा एयरपोर्ट्स को दी जा रही है। मेरा मंत्री जी से सवाल है, हिन्दुस्तान में नेशनल एयरपोर्ट एथारिटी के तहत जो भी एयरपोर्ट्स आते हैं, उन सब पर क्या इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा है? अगर राडार के साथ-साथ इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग की सुविधा न हो तो भी इसका फायदा नहीं होगा। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा देश के उन हिस्सों में उठाया जा सकता है, जहां मौसम ज्यादा खराब रहता हो, जैसे उत्तर-पूर्वी राज्य, नार्थ-ईस्ट एरियाज है, अगरतला, इम्फाल, मोहनबाड़ी, डिब्रुगढ़, इन हवाई अड्डों पर एम.एस.एस.आर. सिस्टम की सुविधा है, इसके साथ-साथ इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग की सुविधा भी है या नहीं। अगर आपको याद हो तो इम्फाल में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका यही कारण था कि वहां राडार नहीं था और उसमें करीब डेढ़-दो सौ यात्री मारे गए थे। अब मुझे पता लगा है कि वहां राडार की सुविधा तो है लेकिन इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा अभी भी नहीं है। क्या इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम और एम.एस.एस.आर. की उत्तर-पूर्वी राज्यों में, नार्थ-ईस्ट में सुविधा दी गई है।

श्री शरद यादव : माननीय पायलट साहब जी ने जो कहा है वह वाजिब बात है और निश्चित तौर पर यह जो सिस्टम इकाई की सुरक्षा का है, स्काई की सुरक्षा और जमीन की सुरक्षा के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। नार्थ-ईस्ट, जम्मू-काश्मीर के जो इलाके हैं, जब मौसम खराब रहता है तो बहुत दिक्कत पड़ती है। फ्यूल और खर्च बहुत बढ़ता है। इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम केट-1 और केट-2 इंस्टाल हो गया है। पोल्यूशन के कारण दिल्ली में स्टे हो गया था, वह वेकेट हो गया है और अब तेजी से काम चल रहा है। जब अगला सत्र आएगा, तो उसमें दिल्ली एयरपोर्ट पर और

बाकी एयरपोर्टों पर, जहां दिक्कतें आई हैं, तब तक हमारी कोशिश होगी कि उन पर ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाए।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह संकेत दिया है कि बरहामपुर उड़ीसा को भी एम.एस.एस.आर. प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। बरहामपुर हवाई पट्टी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह विमानपत्तन प्रचलन में नहीं है। इसका सामरिक दृष्टि से यह विमानपत्तन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बरहामपुर विमानपत्तन को अप्रचलित विमानपत्तन को प्रचालन में लाने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिए कि बरहामपुर, जो एम.एस.एस.आर. सिस्टम है उसमें सबसे बेहतरीन जगह निकली है और उसे वहां जो ऑपरेशनल बनाने का सवाल है तो वही नहीं, बल्कि देश के बहुत से एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं हैं। मैं मानता हूं कि इसकी बहुत जरूरत है, हम निश्चित तौर पर लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं कि देश में जो सिविल एविएशन सर्विस है, उसका एक एक्सपेंशन बड़े पैमाने पर हो और उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। बहरामपुर भी एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी समुद्रतट पर विशाखापत्तनम नौसेना का अत्यधिक महत्वपूर्ण अड्डा है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह पूर्वी समुद्रतटीय नौसैनिक अड्डे का मुख्यालय है। यह देश के सुदूर पूर्व और दक्षिण-पूर्व क्षेत्रों के समीप है। इसकी सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या इस हवाई अड्डे को विमानों को रात्रि में उतरने लायक बनाने और वहां एम.एस.एस.आर. प्रणाली लगाने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, एम.एस.एस.आर. का तो यह हो नहीं सकता, यह तो देश भर की जो जरूरत है, जहां लगाने से पूरी तरह से देश कवर हो जाता है। एम.एस.एस.आर. तो देश की जरूरत के अनुसार लगता है, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस जगह का नाम लिया है, मैं मानता हूं, उनसे सहमत हूं। इस पर अलग से चर्चा होगी तो मैं जवाब दूंगा। मैंने निश्चित तौर पर कहा है कि यह बहुत भारी समस्या है, इसे देखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ और विमानपत्तनों को एम.एस.एस.आर. प्रणाली के अंतर्गत लाने से पूरा देश इस प्रणाली की सुविधा से लाभान्वित हो जाएगा। परन्तु आप जानते हैं कि एक सुदूर सीमा पर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है। यह भी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को एम.एस.एस.आर. प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्या आप पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन पर एम.एस.एस.आर. प्रणाली लगाने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही, अंडमान-निकोबार भी इसमें कवर हो जाता है।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अमृतसर विमानपत्तन अत्यंत संवेदनशील विमानपत्तन है। इस विमानपत्तन से कई बार विमान अपहरण की घटनाएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या एम.एस.एस.आर. प्रणाली को अमृतसर विमानपत्तन पर स्थापित किया जाएगा? क्या इस विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है तो राडार एम.एस.एस.आर. में अमृतसर तो पहले से ही कवर है। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का जहां तक सवाल है तो कैबिनेट में मामला जाएगा और यह जल्दी ही घोषित हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान : तो क्या मैं इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मानूं कि अमृतसर विमानपत्तन को भी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया जाएगा?

श्री शरद यादव : मैं आपसे अलग से बात करूंगा।

राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की बैठक

*302. श्री[+] जी.एस. बसवराज :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उन पर क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या खाद्य तथा अन्य वस्तुओं की चोरी और विपणन के संबंध में म्यामांर तथा चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ कोई चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कौन से निर्णय लिए गए और इस संबंध में कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार को असम सरकार से गुवाहाटी में 17 और 18 जनवरी, 2000 को हुई उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों और खाद्य और नागरिक आपूर्ति सचिवों की बैठक में अपनाए गए संकल्प की एक प्रति 29 जनवरी, 2000 को प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय सरकार को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। बैठक में अपनाए गए संकल्प का अवलोकन करने से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समस्याओं के बारे में इस बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

इस बैठक में जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था और जो संकल्प अपनाए गए थे वे भण्डारण सुविधाओं का विकास, सड़क, रेलवे और जल मार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक जिन्सों के व्यापार, खाद्यान्नों/पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उठाईगिरि और चोर-बाजारी, आवश्यक जिन्सों की वसूली और उठान, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की तस्करी और पड़ौसी देशों (भूटान, बंगलादेश, म्यानमार और चीन) के साथ खाद्यान्न और अन्य आवश्यक जिन्सों का सीमा पार व्यापार करने से संबंधित थे।

अपनाए गए संकल्प के अधिकांश भाग स्वयं राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करने से संबंधित हैं। सरकार ने 3.2.2000 को एजवाल में उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ विचार-विमर्श का एक दौर पहले ही कर लिया जिसमें उक्त बैठक से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। अब दूसरी बैठक आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है जिसमें उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि संकल्पों पर विचार-विमर्श किया जा सके और जहां कहीं आवश्यक हो उचित कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की तस्करी, काला बाजारी इत्यादि के संबंध में उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ एक बैठक हुई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन सब बातों की जानकारी मिलने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, नार्थ-ईस्ट के इन प्रदेशों की मीटिंग हुई थी और केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य मंत्री वहां गये थे। बहुत से विषय तो ऐसे हैं जो प्रदेश की सरकारों को स्वयं करने होते हैं, हमारी उनमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो मामले हमारे थे उन पर मीटिंग में सरकार की तरफ से बातचीत हो गयी है और जो मामले रह गये हैं उनके लिए 11 अप्रैल को एक और मीटिंग हो रही है, जिसमें उन प्रदेशों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके बाकी मामलों को भी निपटाने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को पड़ोसी राज्यों में तस्करी और गलत इस्तेमाल में अन्य राज्य भी संलिप्त है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि इस महीने की 7 तारीख को तमिलनाडु विधान सभा में शंकर या लक्ष्मी ट्रेडर्स के जाली ट्रेड नाम के अंतर्गत चावल के लगभग 54 भरे हुए ट्रकों की तमिलनाडु से बेंगलूर में तस्करी किए जाने के संबंध में भारी शोर-शराबा हुआ था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्री शान्ता कुमार : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाना केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार प्रक्योर करती है, स्टोर करती है और उसके बाद प्रदेशों को देती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की होती है। प्रदेश के अंदर अगर किसी प्रकार से इन वस्तुओं का डायवर्शन होता है या चोरी होती है तो उसको रोकना प्रदेश सरकार का काम होता है। हम पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार जो इस बारे में सर्वे करवाया गया है उससे पता चलता है कि 35 प्रतिशत डायवर्शन और चोरी होती है। लेकिन उस चोरी को रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों से मिल कर और लगातार बातचीत करके कुछ नए नियम बनाने की कोशिश की है। हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन जो कुछ हो रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज : आपने संबंधित राज्य सरकारों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है? भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी इस प्रकार के गलत कार्यों में संलिप्त हैं।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, यदि वहां इस किस्म की कोई घटना घटी है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। यदि हमारी उसमें कुछ जिम्मेदारी है और हमें प्रदेश सरकार कहेगी तो केन्द्र सरकार ने पहले भी एक्शन लिया है और आगे भी लेगी।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज : खाद्यान्नों को एकत्रित करने के नाम पर लाखों टन खाद्यान्न की जमाखोरी की जा रही है और चावल की तस्करी की जा रही है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई राज्य सरकार मार्ग निर्देशों का पालन नहीं करती है तो केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर सकती है और उन्हें मार्ग-निर्देशों का पालन करने के लिए कह सकती है।

श्री जी.एस. बसवराज : क्या इस प्रकार के गलत कामों को रोकने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है? वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, एक तो यह सवाल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है। मैंने उसके सम्बन्ध में जानकारी दे दी है। बाकी मेरा यह कहना है कि प्रदेशों में अगर डाइवर्शन होता है तो यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वे पूछ रहे हैं कि यदि राज्य सरकारें मार्ग-निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होती है?

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एस. बसवराज : महोदय, भारतीय खाद्य निगम के तमिलनाडु स्थित गोदामों से करोड़ों रुपये मूल्य का चावल बेंगलोर प्रतिदिन पहुंच रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, एफ.सी.आई. गोडाउन से अगर किसी किस्म की गड़बड़ होती है तो, उसे चैक करने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत सरकार के पास ऐसे कई मामले आए हैं, हमने उन पर एक्शन लिया है। अगर ऐसी कोई घटना एफ.सी.आई. में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वह हमारे ध्यान में लाइए। पूरी कार्यवाही होगी। दोषियों को सजा दी जाएगी।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी देश भूटान, बंगलादेश, म्यानमार और चीन के साथ लगने वाले बार्डर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाली चीजों की तस्करी बड़ी तेजी से हो रही है। इस तस्करी को रोकने के सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं? इस तस्करी को बंद करने की आवश्यकता है। इसे बंद करने की सरकार की क्या योजना है?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो शिकायतें वहां से आती हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार को जो कुछ करना है, वह उचित कार्रवाई करती है। इस बारे में एक बैठक हो चुकी है। एक और बैठक 11 अप्रैल की तय है। जो-जो विषय भारत सरकार से संबंधित हैं उन पर चर्चा होगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से संबंधित सभी मामले जो इस किस्म के हैं और जिन्हें करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, वह हम करेंगे लेकिन उन प्रदेशों की जो जिम्मेदारी है, वह उन्हें निभानी होगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : अध्यक्ष महोदय, अभी सवाल आ रहा है कि केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? संविधान के अनुसार मंत्री जी का कहना ठीक है कि केन्द्र और राज्यों की कुछ जिम्मेदारियां हैं लेकिन नई स्कीम के अनुसार केन्द्र बहुत बड़ी मात्रा में बी.पी.एल. के अंतर्गत अधिक सब्सिडाइज्ड कर रहा है। इसमें 35 परसैंट लीकेज हो जाता है और वह गलत जगह चला जाता है। अगर आप 5000 करोड़ रुपया सबसिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एक तिहाई सबसिडी गलत हाथों में जा रही है। क्या केन्द्र राज्यों से मिल कर ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा? केन्द्र के पास जो अधिकार अभी नहीं हैं, वह उन्हें ले। प्रदेश की सहमति से लीकेज का जो पांच हजार करोड़ रुपया सबसिडी में एक तिहाई बाहर जा रहा है, उसे रोकने की ठोस व्यवस्था करे। वह केन्द्र और प्रदेश की जिम्मेदारियों को फुटबाल बना कर दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश न करें।

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह विषय सचमुच महत्वपूर्ण और चिन्ताजनक है। पांच हजार नहीं लगभग आठ-नौ हजार करोड़ रुपए की सबसिडी देकर जो राशन दिया जाता है उसमें 35 परसैंट की चोरी होना और डाइवर्शन होना बहुत चिन्ताजनक है। इसमें कुछ नियम बनाकर प्रदेश सरकारों से सलाह करके हमने तय किया है। उसमें डाइवर्सन इसलिये होता है क्योंकि गांव तक सारा सामान पहुंचता नहीं और यदि पहुंचता भी है तो उसकी सूचना लोगों को नहीं मिलती है। हमने इसमें 2-3 बातें तय की हैं। इसमें प्रदेश की सरकारों ने सहयोग देने का वचन दिया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जिले के अधिकारी जब एलोकेशन करेंगे तो उसकी सूचना की चिट्ठी पंचायत को भेजेंगे और पंचायत के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर यह कहा जायेगा कि इस गांव की राशन दुकान पर इतना सामान आया है। हमने एक बात और महत्वपूर्ण तय की है कि दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिस पर यह लिखा होगा कि इस महीने इस दुकान पर इतने राशन कार्ड आये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। आप बाधा क्यों डाल रहे है? यह सब क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, हमने एक महत्वपूर्ण बात यह तय की है कि यदि गांव का गरीब आदमी दुकान पर आता है और उसे कहा जाता है कि इस महीने की चीनी नहीं आई है, वह दो-तीन चक्कर लगाकर चला जाता है और सारा सामान काले बाजार में बेच दिया जाता है तो इसलिये हमने कहा है कि जिलाधिकारी एक चिट्ठी पंचायत को भेजेगा और एक राशन की दुकान पर जायेगी। इससे राशन दुकान को बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य होगा। इस नोटिस बोर्ड पर लिखा होगा कि इस महीने इस राशन की दुकान पर इतना सामान आया है। हमने राज्य सरकारों से सहयोग देने के लिये प्रार्थना की है। हमने राशन दुकान से यह कहा है कि यदि वे नोटिस बोर्ड पर नहीं लगायेंगे तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन्हें सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। यदि गांव के लोगों को यह पता लग जाये कि हमने राशन की दुकान पर इतना सामान भेजा हो तो चोरी संभव नहीं होगी।

अध्यक्ष जी, श्री राजेश पायलट ने पिछली बार पी.डी.एस. के बारे में एक बात कही थी जिस पर मैंने कहा कि सदन में खुली बहस चाहता हूं। आपके सुझाव आयें। यह महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस विषय पर बहस करा दीजिये। हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके सुझाव आयेंगे तो इस सिस्टम को ठीक करने में आप लोगों की मदद मिल सकती है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): यह लगभग 45 मिनटों का प्रश्न है। हम भूतपूर्व सैनिकों के बारे में पिछली बार की तरह अपने विचार रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगले सत्र में, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जा सकती है।

विमानपत्तन सुरक्षा बल का सृजन

*303. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमानपत्तनों के लिए विमानपत्तन सुरक्षा बल के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) विमानन सुरक्षा बल के गठन सहित अन्य संबंधित मुद्दों और इन पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1999 में सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) की अध्यक्षता में एक अन्तर-विभागीय कृतक बल का गठन किया गया है। कृतक बल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस दौरान, इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी-814 के अपहरण की घटना के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि चरणबद्ध तरीके से सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की नियुक्ति की जाये। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पटना, जयपुर, गुवाहाटी, बडोदरा, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, रांची और राजकोट पर पहले ही सुरक्षा ड्यूटियों को अपने हाथ में ले लिया है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 1984 में एक विमान अपहरण की घटना हुई थी जिसके लिये एक जांच एजेंसी ने तय किया था कि इस पर विचार-विमर्श करके किसी अन्य समिति का गठन किया जायेगा। तदनुसार 1985 में श्री मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस समिति की क्या-क्या सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया गया है या नहीं, यदि विचार क़रके क्रियान्वित किया गया तो उसके क्या कारण थे? क्या यह सही है कि केवल टास्क फोर्स गठित करने मे काम चल जायेगा या टास्क फोर्स गठित करने के बाद विमानों व विमानपत्तनों की अलग से सुरक्षा बल व्यवस्था करेंगे या सी.आई.एस.एफ. को जो काम दिया गया है, उससे आपका काम चल जायेगा? इस कार्य में कुल कितना खर्च होगा, इस बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें।

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, यह हकीकत है कि एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिस पर गौर होता रहा। 1993 में फिर जब विमान अपहरण हुआ तो सैक्रेटरी की एक कमेटी बनी थी जिसने यह फैसला किया कि एविएशन फोर्स बननी चाहिये। इस कार्य के लिये उस समय 351 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया था। हमने यह प्रोपोज़ल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी है जिसने यह कहा कि इसमें प्लानिंग कमीशन की एप्रूवल चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने लगातार तीन वर्ष 1995, 1996 और 1997 में इस मामले पर बहस की है। अल्टीमेटली 1997 में ज्यादा खर्च आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि 112 करोड़ रेकरिंग खर्च था, 351 करोड़ नॉन रेकरिंग खर्च था, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। स्वाभाविक है कि उसके रिजेक्शन के बाद डिपार्टमेंट इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सका, परन्तु जैसे ही यह हाइजैकिंग वाली घटना हुई, तो फिर से जो सेक्रेटरीज़ कमेटी थी, इसने तुरन्त फैसला लिया 7 जनवरी को कि जो सी.आई.एस.एफ. एक्सिस्टिंग फोर्स है, इस फोर्स को ही तैनात कर दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस समय हमने लगभग पटना, जयपुर, गोहाटी, वड़ोदरा, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, राँची और राजकोट एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. को तैनात कर दिया है। इसके बहुत पाज़िटिव रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने सिक्यूरिटी मीज़र्स लिये हैं, उसमें विशेष रूप से सी.आई.एस.एफ. को इंडक्ट करना है। इसी के साथ-साथ दूसरी बात हमने की है कि 3 पॉइंट चैकिंग शुरू की है। ऐण्ट्री पर चैकिंग है, प्रैमिसिज़ पर चैकिंग है। बाकायदा सिविल क्लाथ्स में फोर्स को रखा है और कहीं-कहीं स्निफ़र डॉग्ज़ भी रखे हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमने लैडर पॉइंट चैकिंग शुरू की है। हमारी धारणा है कि उपचार से परहेज ज्यादा अच्छा है। कोई भी गलत आदमी जहाज़ में न जा सके, इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है और अगर कहीं वह चला भी जाए तो उसके अंदर भी स्काई मार्शल्स को बैठाया है जो उसमें पूरे वक्त रहते हैं। वे इन सब चीजों का जवाब दे सकेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जो सिक्यूरिटी की व्यवस्था इस समय की है वह अच्छी तरह से है और लोगों में कॉनफिडेन्स पैदा कर रही है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि विमानपत्तनों और विमानों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर पहले तो 15 वर्ष लग गए और अभी टास्क फोर्स बनायी है, वह भी नवंबर में गठित हुई, और उसने भी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी है, फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है। उसकी प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया कि 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च इस पर आएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 400 करोड़ रुपये के बारे में प्लानिंग कमीशन ने अभी कोई ध्यान नहीं दिया या विचार कर रहे हैं? दूसरा, लगभग 25,000 ऐसे लोग रखेंगे जो ऐक्स-सर्विसमैन होंगे या संबंधित लोग होंगे। इन 25,000 लोगों की व्यवस्था के बारे में और 400 करोड़ रुपये के बारे में क्या कोई विचार हुआ है ताकि लोग अपने को सुरक्षित मान सकें, अन्यथा आये दिन विमान अपहरणों की घटनाओं को हम रोक नहीं सकते जब तक कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान नहीं दिया जाएगा।

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिन्ता सारे सदन की चिन्ता है और इस सदन की चिन्ता को देखते हुए हमारा प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स डिपार्टमेंट हमें तुरन्त पैसा देगा और हम इस तरह की फोर्स बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैंने जानना चाहा है कि 25,000 लोगों को रखने के बारे में आपने कौन सी व्यवस्था की है?

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, आप बैठ जाइए। श्री शिवराज पाटील।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से एवियेशन सिक्यूरिटी फोर्स बनाने के लिए जिम्मेदारी सेक्रेटरीज के हेड को दी गई है। जमीन पर सिक्यूरिटी प्रोवाइड करना एक बात है, समुद्र में सिक्यूरिटी प्रोवाइड करना दूसरी बात है और आकाश में सिक्यूरिटी प्रोवाइड करना उससे भी मुश्किल बात है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो आकाश में या जमीन पर सिविल एवियेशन के लिए सिक्यूरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल काम हो सकता है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि उनके मन में इसके बारे में क्या कल्पनाएं हैं? आपने कमेटी तो अपॉइंट की है, उसकी तरफ से डीटेल्स भी आएंगी मगर आप क्या करना चाहते हैं? पोलिटिकल लैवल पर आपका डिसीजन क्या है? टैक्निकल लैवल पर डीटेल्स में जाकर वह बताएंगे कि क्या करना है मगर पोलिटिकल लैवल पर आपका इस संबंध में क्या निर्णय है? आप क्या करना चाहते हैं और कितने दिन में करना चाहते हैं? क्या एक विमान का अपहरण हो गया, इसलिए यह कमेटी बनाई और फिर उस बात को भूल गए, ऐसी बात तो नहीं होने वाली है? इस बात को अंत तक आप ले जाने वाले हैं या नहीं? आप इस बारे में क्या करने वाले हैं अगर मंत्री महोदय बताएं तो अच्छा होगा।

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, सिविल एविएशन सैक्टर दिन-प्रतिदिन एक बहुत महत्वपूर्ण सैक्टर बनता चला जा रहा है। हमने एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की बात कही है, प्राइवेटाइज करने की बात कही है। स्वाभाविक है कि जो टास्क फोर्स बनाने की बात उसमें से निकली थी, उस समय हमने यह कहा था कि हम अपने एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना चाहता हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। उसमें से यह निकली थी कि स्वाभाविक है कि प्राइवेटाइज करने से उनकी सिक्युरिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जायेगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए यह सारा क्रम चालू किया है और मैं यकीन से कह सकता हूं हमारे लिए सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव।

श्री शिवराज वी. पाटील : एक विभाग के दो मंत्री जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सप्लीमेंट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : उनमें वैचारिक मतभेद हैं।

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): कोई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन नहीं है। माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इस नाते उन्होंने पोलिटीकल सवाल पूछा है। इसमें एयरपोर्ट्स पर कई तरह की 20 एजेन्सीज हैं। हमारे स्टेट मिनिस्टर जो अभी बता रहे थे वह एक वाजिब बात बता रहे थे और निश्चित तौर पर जो सिक्युरिटी है, इस मामले में बहुत कठिन है और इस कठिनाई से निपटने के लिए संजीदा तरीके से पोलिटीकल लैवल पर यानी दूसरे मंत्रालय से भी और अपने मंत्रालय में भी हर तरह की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना फिर से न होने पाये। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत का समाधान करने के लिए इसमें बहुत लोगों का सहयोग चाहिए। देश की जनता के लैवल पर जो लोग हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं, उनकी शिक्षा का भी मामला है, क्रू की ट्रेनिंग का भी मामला है और जो अन्य एयरपोर्टस पर लोग रहते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का भी मामला है। श्री शिवराज जी ने जो मामला उठाया है, वह निश्चित तौर पर पोलिटीकल लैवल पर जो कमेटियां और सारी चीजें हैं, वे बहुत तेजी से और गति से काम कर सकें, ऐसा दोनों तरह का फैसला किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है।

मैं समझती हूं कि विमानन सुरक्षा बल जिसकी आप बात कर रहे हैं, यह केवल जमीन के लिए ही नहीं है अपितु इसकी उपस्थिति विमान के भीतर भी होगी। यदि ऐसी बात है, तो क्या आप समझते हैं कि सशस्त्र व्यक्तियों का विमान के भीतर होना उचित होगा? विमान अपहरण की स्थिति में, प्राथमिकता विमान में शांति बनाए रखने की होती है। दुर्घटनावश होने वाली फायरिंग से भी विमान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, हाल ही के विमान अपहरण के पश्चात्, विमान के पायलटों और कप्तानों ने यह कहा है कि के विमान के भीतर सशस्त्र सुरक्षा बल के सदस्य नहीं चाहते हैं। क्या विमानन सुरक्षा बल के सदस्यों को विमान के भीतर भी तैनात किया जाएगा। यही मेरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, स्काई मार्शल्स जो हमने हवाई जहाजों में रखे हैं, सचमुच में उनका काम तभी शुरू होगा, जब हमारा एयरक्राफ्ट जमीन पर होगा। जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात में थी कि पायलट एयरक्राफ्ट में सुप्रीम होता है, तो अभी हमने डिक्लेयर कर दिया है कि पायलट हमेशा सुप्रीम रहेगा और एयर मार्शल्स का काम तभी प्रारंभ होगा, जब एयरक्राफ्ट जमीन पर आयेगा और तभी वह अपनी ड्यूटी परफार्म कर सकेगा।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न करना चाहती हूं, उस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला सवाल यह है कि अगर हवाई जहाजों की सुरक्षा की दृष्टि से स्काई मार्शल्स रखने ही थे तो उसके लिए इतना हल्ला करने की क्या जरूरत थी, वे बड़े गोपनीय तरीके से भी रखे जा सकते थे, क्या कारण है कि उसके लिए इतना एडवरटाइजमैंट किया गया कि हम सुरक्षा के लिए उसमें कुछ लोगों को रखेंगे। उन्हें तो अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की वेशभूषा में भी रखा जा सकता था। इस बारे में सबको बताकर क्या आतंकवादियों को भयभीत करने की चेष्टा की गई या क्या किया गया है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में पर्यटन मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी कि जो विदेशी पर्यटक हवाई जहाजों से आते हैं या उनका प्रयोग करते हैं, उनके साथ में ठीक तरीके से बर्ताव हो। उनको वहां पर साफ-सफाई मिले क्योंकि हवाई अड्डा भारत का सबसे पहला चेहरा होता है और उस चेहरे को देखकर ही भारत की बाकी चीजों के बारे में विदेशी अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह जो बैठक हुई, उस पर पर्यटन मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है?

प्रो. चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा डैमोक्रेटिक देश है। इसमें प्रैस का एक अपना महत्व है और प्रैस वाले बिलकुल अन्दर की बातों को कैसे निकाल लेते हैं, यह वे ही जानें। हम कहां किसको कैसे रख रहे हैं, यह उन्होंने मालूम किया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो दूसरी बात पूछी है कि जो बैठक हुई उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे पास उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम उस पर गौर करेंगे और प्रधान मंत्री की इच्छा के अनुसार हमने तय कर लिया है कि देश के पांच एयरपोर्ट्स को वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स के मुकाबले की सभी सुविधाओं से युक्त बनाने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

पंजाब मेल में आग

*304. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब मेल के कुछ डिब्बों में 19 फरवरी, 2000 को भुसावल रेलवे स्टेशन के समीप आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(घ) पीड़ितों को सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्राथमिक जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(छ) सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां। 19 फरवरी, 2000 को 2137 डाउन पंजाब मेल में उस समय आग लग गई थी जब यह गाड़ी मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के भुसावल-खंडवा सैक्शन पर दुसखेड़ा और सावदा स्टेशनों के बीच चल रही थी। आग लगने की इस घटना में 18 यात्रियों की जानें गईं, इसके अलावा, एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था और 14 यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं।

(घ) 16 मृत यात्रियों (जिनकी पहचान हो गई थी) के निकट संबंधियों तथा घायल यात्रियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। मृत यात्रियों के निकट संबंधियों तथा जख्मी यात्रियों को मुआवजे का भुगतान रेलवे दावा अधिकरण में दावे दायर किए जाने तथा अधिकरण द्वारा दी जाने वाली डिक्री के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी हां। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच करने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य परिमंडल द्वारा सांविधिक छानबीन 20 फरवरी, 2000 को आरंभ कर दी गई थी। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य परिमंडल के अनंतिम निष्कर्षों के अनुसार यह आग किसी चलती हुई वस्तु के ज्वलनशील सामग्री पर गिर जाने से लगी थी, जिससे पहले धुआं निकला और बाद में आग लग गई जिसके परिणामस्वरूप इस गाड़ी के छह सवारी डिब्बे जलकर नष्ट हो गए। इस घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही लग सकेगा।

(छ) संरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(1) रेल उपयोगकर्त्ताओं की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलवे और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर और अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए, रेल मंत्री की राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ हुई बैठक के परिणामस्वरूप, अब एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है।

(2) दिसम्बर, 1999 में, एक नए "यात्री संरक्षा नेटवर्क" की शुरूआत की गई है।

(3) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(4) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(5) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है। रेलवे बोर्ड ने परीक्षण के आधार पर मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली की एक पायलट परियोजना अनुमोदित की है।

(6) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकी-टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं।

(7) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(8) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(9) उपर्युक्त के अलावा 2 स्वनोदित पराश्रव्य परीक्षण कारों की खरीद की जा रही है।

(10) कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक और अपग्रेड किया जा रहा है।

(11) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(12) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोधक तथा सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरं के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(13) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(14) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(15) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों का आवधिक संरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है।

(16) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बनाई गई हैं जिनमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग किया जाता है।

(17) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(18) गाड़ी परिचालन के संबद्ध कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर नजर रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए भेज जाता है।

(19) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी, 2000 की रात्रि में पंजाब मेल में भीषण आग लगी और उसके कारण सरकार के अनुसार 18 लोग जल कर मरे और कई लोग घायल हुए। यह 18 लोगों के मरने का आंकड़ा सरकार का है, लेकिन जो उन बोगियों में थे, उनका कहना है कि यह आंकड़ा काफी ज्यादा था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रेल सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसका लाभ देश के गरीब से लेकर अमीर और खासतौर पर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलाने में रेलवे ने विगत 50 सालों में क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जो भी नए-नए मंत्री आते हैं वे नई-नई ट्रेनों की घोषणाएं करते हैं और जब ट्रेनें घोषित की जाती हैं तो उनको चलाने की जल्दबाजी की जाती है और आप लोगों ने गुड्स ट्रेनें भी बहुत चलाई हैं, परन्तु पिछले चार-पांच साल में नई-नई रेलें चलाने की घोषणाएं हुईं, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी रेलों की पटरियों एवं रख-रखाव के अन्य साधनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है और उस क्षेत्र में बिलकुल धन खर्च नहीं किया गया है। इसलिए जनता के हित में यह होगा कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए और विशेषकर सेंट्रल रेलवे में मुम्बई से नागपुर के बीच में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल में पांच बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया, हमने दो दिन पहले रेल बजट पर विस्तार से चर्चा की है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वह सैबोटाज का मामला हो सकता है क्योंकि जो लोग उस दिन रेल में सफर कर रहे थे उनमें से दो आदमी उनसे मिले हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ उन बोगियों में था। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में लांग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और इस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवेलप करने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना की जांच वे रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर से करा रहे हैं, तो यह जांच उनसे न करा कर वे हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या सी.बी.आई. से कराएंगे?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, 18 लोगों की संख्या जो रेलवे की तरफ से बताई गई है, यदि उसके बारे में माननीय सदस्य के मन में कोई आशंका है, तो मैं पुन: कहना चाहूंगा कि उस घटना में 18 लोग ही मरे हैं। उसके अलावा अभी तक हमारे पास या रेल विभाग के पास इस बारे में कोई और सूचना नहीं है कि उससे ज्यादा लोग मरे हैं।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने नई रेलगाड़ियों को चलाने की पूछी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो नई रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं, उनके बारे में पहले से तय किया जाता है और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है और कैसे और कहां-कहां क्या-क्या व्यवस्था करनी है और उसके अनुसार पूरी व्यवस्था करने के बाद ही नई रेलगाड़ी चलाई जाती है।

तीसरी बात जो आपने कही है कि उस घटना की जांच रेलवे सेफ्टी कमिश्नर से न करा कर हाईकोर्ट के जज या सी.बी.आई. से कराई जाए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि अभी जो सक्षम व्यक्ति हैं वे रेलवे सेफ्टी कमिश्नर हैं और वे इसकी जांच कर रहे हैं। इनकी इंटरिम रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट आनी है। उसके बाद भी यदि सदस्यों या सदन को लगेगा कि किसी बड़े पदाधिकारी, जज या सी.बी.आई. से कराएं तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री नरेश पुगलिया : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के विषय में कुछ नहीं कहा है कि पिछले तीन-चार साल में रेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने क्या योजना बनाई है और कितना खर्चा किया है? मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में भी उत्तर दें। इसके साथ-साथ जिन लोगों की जानें गयी हैं, उनको चार लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए मंत्री जी ने स्पॉट पर डिक्लेयर किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालो में कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं और जितनी जानें गई हैं, उनको आपने कितना मुआवजा दिया है? क्या चार लाख रुपये की राशि को दस लाख रुपये तक बढ़ाने के बारे में आपकी कोई योजना है तथा सभी पैसेंजर्स ट्रेन को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय का कोई इरादा है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मृत्यु के उपरांत हम उनके परिवार वालों को 15 हजार रुपये दे चुके हैं तथा हमारे ट्रिब्यूनल का फैसला होने के बाद हम उनको चार लाख रुपये देंगे। इसके लिए रेलवे कटिबद्ध है। आपने यह पूछा है कि गत तीन वर्षों में कितने एक्सीडैंट हुए तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका अलग से जवाब होता तो हम वह जवाब दे सकते थे। मैं इनको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां रेल के किलोमीटर के अनुपात में दुर्घटनायें सबसे कम होती हैं यानी नीचे

की तरफ से हमारे देश का नम्बर दूसरा है। किलोमीटर की जो एवरेज निकाली जाती है कि किलोमीटर के हिसाब से इस देश में कितनी रेल लाइनें हैं और उसके अनुपात में कितनी दुर्घटनायें घटी हैं, तो हमसे ऊपर एक ही देश है और हम दूसरे नम्बर पर हैं।

श्री नरेश पुगलिया : आपने मुआवजा बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : रेल विभाग के पास ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम चार लाख रुपये को 10 लाख रुपये कर सकें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने विभाग की ओर से इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंजाब मेल में उस समय आग लगी थी जब यह गाड़ी मध्य रेलवे के भुसावल खंडवा सैक्शन पर दुसखेड़ा और सावदा स्टेशनों के बीच चल रही थी और चलते में यह आग लगी। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आपने गार्ड और ड्राइवर को वाकी-टाकी देने की जो बात कही है, यह बात आपने उत्तर में दी है। दिसम्बर 1999 से इसे देने की आपने व्यवस्था की है जबकि यह दुर्घटना वर्ष 2000 में हुई है। क्या उस ट्रेन में वाकी-टाकी सेट थे?

दूसरा, क्या यह बात सही है और जांच में इस तथ्य का खुलासा हुआ कि ट्रेन में जब पहले डिब्बे में आग लगी तो आग लगने के बाद वेक्यूम ब्रेक होती है, चेन खींची जाती है। लोगों ने वह चेन खींची।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी, मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें अन्तरिम रिपोर्ट मिल चुकी है। उन्हें अन्तिम रिपोर्ट मिलने ही वाली है और तभी वे इस बात का जवाब दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जो जांच आई है, उसके बारे में ही मैं प्रश्न कर रहा हूं और तथ्यात्मक प्रश्न कर रहा हूं। वेक्यूम ब्रेक ने काम नहीं किया जिसके कारण गाड़ी चलने के साथ-साथ वह आग फैलती गयी और छह डिब्बे नष्ट हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात के भी तथ्य सामने आये हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): जो फॉयर एक्सीडैंट हुआ, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब ट्रेन में आग लगी तभी ड्राइवर ने ट्रेन स्टॉप कर दी। शुक्र है कि इससे आम जनता की जिंदगी बच गयी। अगर वह गाड़ी चलती रहती तो उससे बहुत सारे आदमियों की जानें खतरे में पड़ सकती थी लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को स्टाप कर दिया। जिन 18 लोगों की जानें गयी हैं, उसके लिए हमें खेद है लेकिन जो बातें पैसेंजर से आई हैं, उसके हिसाब से हम सेफ्टी कमेटी को रिव्यू कर रहे हैं। हमारे पास पैसेंजर्स ने आकर कहा, हमारी टीम गई थी।

[अनुवाद]

मैंने अपने रेलवे बोर्ड के सदस्यों को वहां भेजा और मंत्री महोदय भी वहां पर थे। यात्रियों की शिकायत थी कि वहां पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ था। मैं यह कहना चाहूंगी कि हम प्रतिदिन 12,000 रेलगाड़ियां चलाते हैं जोकि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। परंतु महोदय आप यह बात समझेंगे कि प्रतिदिन रेलों के माध्यम से 12 लाख लोग आते-जाते हैं इसीलिए विमानों की उड़ानों में जो करना सम्भव है वह ट्रेनों में करना सम्भव नहीं है क्योंकि कई लोग रेल से यात्रा करने के लिए सामान के साथ आते हैं।

मेरे एक मित्र ने कहा है कि किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखी जाती है। महोदय सुरक्षा हमारे हाथों में नहीं है। यही समस्या है। मैं यह बात कई बार स्वीकार कर चुकी हूं और इस संबंध में निर्णय करने की सभा से अपील करती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन पांच महीनों के दौरान हमने देश भर के महानिदेशकों, मुख्य सचिवों और गृहमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी और हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक कार्य बल का गठन भी करेंगे।

वे यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन सौंप देंगे। इस बीच मैंने देश भर के रेलवे महाप्रबन्धकों की दो बैठकें आयोजित की थी। मैंने डिवीजनल रेल प्रबंधकों की बैठक भी बुलायी थी। हम ये बैठकें केवल इसलिए आयोजित कर रहे हैं ताकि समाज के निचले से निचले वर्ग में भी पता लगना चाहिए कि हम लोगों पर भी निगरानी रख रहे हैं। हम निचले स्तर पर चालक, गार्ड और अन्य संबंधित कर्मचारियों पर निगरानी रख रहे हैं। उनके पास वॉकी-टॉकी भी है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर चौकन्ना था और ट्रेन को रोका गया, इसी कारण कई लोगों की जान बचाई जा सकी। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : ममता जी, मैं रेल सुरक्षा प्रणाली में आपके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं भी अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : वॉकी-टॉकी गार्ड और ड्राईवर दोनों के पास था। जहां तक चेन पुलिंग का सवाल है, ड्राईवर के पास एक मीटर लगा होता है जिससे यह पता लगता है कि गाड़ी कितनी देर में रुकी। जैसे ही चेन पुलिंग हुई, गाड़ी एक मिनट में रुक गई। इसलिए जो बात अखबारों में छपी, जिसके आधार पर आपने सवाल पूछा है कि चेन पुल काम नहीं कर रहा था, वह गलत है।

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, मुझे एक और प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम दूसरे स्थान पर है इसलिए आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया बात को समझिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, हमारी रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज में से एक है। वह नीचे से नम्बर दो पर है या ऊपर से नम्बर दो पर है, यह मंत्री जी जानते हैं। लेकिन इस देश में ऐक्सीडैंट्स बहुत होते हैं। जितने ऐक्सीडैंट्स होते हैं, उनमें छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्टेशन सुपरिन्टैन्डैंट से ऊपर कितने अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आज तक रेल ऐक्सीडैंट के बाद मंत्रालय ने कार्यवाही की है? साथ ही यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या इस सिलसिले में आज तक किसी ब्यूरोक्रैट को भी सस्पैंड किया गया है?

कुमारी ममता बनर्जी : जो प्रश्न आपने उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जो इन्सीडैंट हुआ, उसकी इन्वैस्टीगेशन चल रही है। यदि कोई हायर ऑफिशियल भी गलती करता है, इसमें ऊंचे-नीचे की कोई बात नहीं है तो हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाज]

जांच रिपोर्ट आने दीजिए। दोषी कोई भी हो हम उसे नहीं छोड़ेंगे।

श्री राशिद अलवी : क्या अभी तक किसी को निलंबित किया गया है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही जरूर करेंगे।

[अनुवाद]

घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति

***306. श्री अजय सिंह चौटाला :**
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु राज्यों को विशेषकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में बहुत ही घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इसके कितने मिलावटी नमूने राज्यवार लिए गए हैं; और

(ग) राज्यों को अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन सुरक्षित खाद्यान्नों से संबंधित स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित किया गया है। इन मानकों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण मानक है। भारत सरकार ने नीतिगत मामले के रूप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न जारी करने हेतु खाद्य अपमिश्रण मानकों के अलावा और भी कई अपवर्तन वाली उच्च विनिर्दिष्टियां निर्धारित की हैं। खाद्यान्न जारी करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे खाद्यान्न जारी न करें जो उचित औसत किस्म के मानकों के अनुरूप न हो। खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों का उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध है।

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि ऐसे खाद्यान्न स्वीकार न करें जो उचित औसत किस्म के मानकों के अनुरूप

न हो क्योंकि उचित औसत किस्म के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों से कहीं अधिक ऊंचे हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए खाद्यान्नों का कोई भी नमूना अपमिश्रित नहीं पाया गया था।

(ग) सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य सरकारों अथवा उनकी प्राधिकृत एजेंसियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप और कीट-जन्तु बाधा से मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न जारी किए जाते हैं।

2. राज्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों को इस बात के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं कि वे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों का निरीक्षण करें। सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने से पूर्व उनका निरीक्षण करने के लिए कम से कम निरीक्षक स्तर का अधिकारी तैनात करें।

3. उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं और मुहरबंद किए जाते हैं।

4. खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 के लिए चावल और रबी विपणन मौसम 2000-2001 के लिए गेहूं की विनिर्दिष्टियों को उपभोक्ताओं के हित में कड़ा किया गया है। उड़ीसा, जहां नवम्बर, 1999 के दौरान महाचक्रवात आया था, को छोड़कर 1999-2000 के दौरान चावल की विनिर्दिष्टियों में और कोई ढील नहीं दी गई है।

5. निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता वाले धान की ही वसूली सुनिश्चित करने के लिए अक्तूबर-नवम्बर, 1999 के दौरान चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों में धान की वसूली के दौरान गहन अभियान चलाया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय सिंह चौटाला, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अजय सिंह चौटाला : महोदय, मेरा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री शांता कुमार : तब कोई उत्तर नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यह देखा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। लेकिन मैं खासकर हरियाणा और पंजाब का जिक्र करूंगा जहां और प्रदेशों की बजाए थोड़ी ज्यादा समृद्धि है। जब नियम बनाए गए, उनमें समानता नहीं की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अलग-अलग प्रदेशों का जो अलग-अलग स्टेटस है, क्या वे उसके हिसाब से उसमें बदलाव लाना चाहते हैं ताकि सही मायने में जिनके लिए वे नियम बनाए गए हैं, उनको उनका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आपको रिप्लाई चाहिए या नहीं चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, गरीबी की रेखा प्लानिंग कमीशन के द्वारा तय की हुई है, एक ग्रुप बना था, उसके द्वारा तय की हुई है। उसकी प्रतिशतता तय हो गई है, उस परसेंटेज के मुताबिक प्रदेशों के अन्दर गरीबों का चयन करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। वह चयन कैसे करना चाहिए, उसका क्या नोर्म होना चाहिए, यह प्रदेश तय करते हैं। परसेंटेज हमारी ओर से तय है और उस परसेंटेज के मुताबिक गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को राशन हम दे देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सबरीमाला और इरूमेली तीर्थस्थलों का विकास

***305. श्री पी.सी. थामस** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के सबरीमाला और इरूमेली महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के दर्शनार्थ प्रतिवर्ष कितने तीर्थयात्री आ रहे हैं;

(ग) क्या तीर्थयात्रियों के लिए सफाई, पेयजल आदि की पर्याप्त सुविधाएं हैं;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 1999-2000 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) राष्ट्रीय तीर्थस्थल के रूप में घोषित करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(च) क्या इन तीर्थस्थलों को राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) राज्य सरकार ने सबरीमाला तथा इरूमेली की महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के रूप में पहचान की है। प्रत्येक वर्ष सीजन के दौरान प्रतिदिन एक लाख से अधिक तीर्थयात्री इन स्थानों के दर्शन करते हैं।

(ग) और (घ) तीर्थ केन्द्रों में अवसंरचना का विकास, इन स्थानों पर आने वाले यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने, उनका अनुरक्षण तथा रख-रखाव मुख्यतया सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1998-99 में सबरीमाला में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु 104.89 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत गई।

(ङ) से (छ) तीर्थ पर्यटन के विकास हेतु समिति ने मई 1992 में, प्रथम चरण में, पर्यटन विकास हेतु 19 केन्द्रों तथा 2 परिपथों की पहचान की। बाद में राज्य सरकारों के परामर्श से सूची में कई और केन्द्र जोड़ दिए गए। सबरीमाला पहचान किए गए तीर्थ केन्द्रों की सूची में सम्मिलित है। राज्य सरकार ने अब इरूमेली को भी सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की है।

उपभोक्ता न्यायालयों को सुदृढ़ बनाना

*307. **श्री साहिब सिंह :**
श्री कृष्णमराजू :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता न्यायालयों के आधारढांचे को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों में सहायता हेतु 1995-99 के दौरान एकबारगी अनुदान स्कीम के तहत 61.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता तथा उनके द्वारा किए गए उसके उपयोग के बारे में विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य-वार रिलीज किया गया एकबारगी अनुदान तथा उसका उपयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-99 के दौरान रिलीज किया गया अनुदान लाख रु. में	उपयोग किया गया अनुदान लाख रु. में	उपयोग की रिपोर्टिंग अवधि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	270	95.12	सितम्बर 99
अरूणाचल प्रदेश	170	122.50	सितम्बर 99

1	2	3	4
असम	280	24.00	सितम्बर 99
बिहार	440	200.48	मार्च 98
गोवा	70	57.45	सितम्बर 99
गुजरात	250	128.67	दिसम्बर 99
हरियाणा	210	54.23	दिसम्बर 99
हिमाचल प्रदेश	170	75.00	सितम्बर 99
जम्मू और कश्मीर	70	16.70	मार्च 98
कर्नाटक	250	20.70	सितम्बर 99
केरल	190	94.77	दिसम्बर 99
मध्य प्रदेश	500	46.66	सितम्बर 99
महाराष्ट्र	360	346.00	दिसम्बर 99
मणिपुर	130	92.48	मार्च 2000
मेघालय	120	23.10	दिसम्बर 98
मिजोरम	80	54.49	सितम्बर 99
नागालैंड	120	120.00	मार्च 98
उड़ीसा	180	131.00	सितम्बर 99
पंजाब	180	151.30	मार्च 98
राजस्थान	350	325.60	सितम्बर 99
सिक्किम	98	57.14	मार्च 98
तमिलनाडु	270	57.89	मार्च 99
त्रिपुरा	80	7.00	सितम्बर 99
उत्तर प्रदेश	680	508.68	सितम्बर 98
पश्चिम बंगाल	220	55.00	सितम्बर 99
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	70	30.97	मार्च 2000
चंडीगढ़	60	19.78	दिसम्बर 98
दादरा व नगर हवेली	60	6.14	दिसम्बर 99
दमण व दीव	70	11.21	सितम्बर 99

1	2	3	4
दिल्ली	70	69.66	दिसम्बर 99
लक्षद्वीप	60	1.66	दिसम्बर 99
पांडिचेरी	60	55.45	दिसम्बर 99
कुल	6180	3060.83	

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकान

***308. श्री तूफानी सरोज :**
श्री पी.डी. एलानगोवन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी में कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(घ) क्या सरकार इन मकानों के निर्माण की गति से संतुष्ट हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) राज्यों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा आवास योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी भी राज्यों का दौरा करते हैं तथा क्षेत्र में कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं। समय-समय पर पर होने वाली जि.ग्रा.वि.ए. की बैठकों में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शायी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी जिलों में इसी अवधि के दौरान निर्मित आवासों की संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(घ) से (ङ) सामान्यत: प्रगति संतोषजनक रही है फिर भी इस प्रगति में तीव्रता लाने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए, जैसा कि अपेक्षित होता है, समय पर कार्रवाई शुरू की जाती है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या (1996-97 से 1998-99 तक)

राज्य	निर्मित मकान
1	2
आंध्र प्रदेश	211726
अरूणाचल प्रदेश	1789
असम	51854
बिहार	361832
गोवा	1460
गुजरात	76740
हरियाणा	20701
हिमाचल प्रदेश	8090
जम्मू व कश्मीर	21769
कर्नाटक	126394
केरल	45488
मध्य प्रदेश	291821
महाराष्ट्र	173485
मणिपुर	2936

1	2
मेघालय	1696
मिजोरम	1190
नागालैंड	7914
उड़ीसा	155306
पंजाब	8775
राजस्थान	114495
सिक्किम	1893
तमिलनाडु	187996
त्रिपुरा	5883
उत्तर प्रदेश	415610
पश्चिम बंगाल	114899
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	90
दादर एवं नगर हवेली	156
दमन व दीव	130
लक्षद्वीप	255
पांडिचेरी	617
कुल	2412990

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 1996-97 से 1998-99 तक) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी में निर्मित मकानों की संख्या

जिला का नाम	निर्मित मकान
गाजीपुर	8160
जौनपुर	8157
वाराणसी	5196
कुल	21513

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

***309. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां आरंभ किए जाने का विचार है; और

(घ) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत असम में इस योजना के आरम्भ से कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं तथा इसमें कितनी धनराशि अन्तर्लिप्त है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) एस.जी.एस.वाई. समूहगत गतिविधियों पर बल देती है जिसका उद्देश्य प्रत्येक खण्ड के लिए वहां उपलब्ध संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक दक्षता तथा बाजारों की उपलब्धता पर आधारित 4-5 प्रमुख गतिविधियों का चयन करना होता है। संख्या तथा वित्त पोषण दोनों द्वारा न्यूनतम 75 प्रतिशत ब्लाक में पहचान की गई प्रमुख गतिविधियों के लिए है तथा अधिकतम 25 प्रतिशत उन गतिविधियों के लिए है जो लाभार्थियों द्वारा चुनी जाएं।

(घ) असम में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं में मशरूम की खेती, सूअर पालन, दुधारू पशु, फार्म यन्त्रीकरण, कोशकीटपालन तथा बुनाई शामिल है। 1999-2000 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में असम सरकार को 1776.55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

1. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की कार्य क्षमता पर आधारित अनेक लघु उद्योगों की स्थापना करना है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में क्षमताएं मौजूद हैं और अगर उनको उचित सहायता दी जाये तो वे मूल्यवान उत्पादों/सेवाओं के सफल उत्पादक बन सकते हैं।

2. सहायता प्राप्त परिवार (जिन्हें अब स्व-रोजगारी के नाम से जाना जायेगा) या तो कोई अकेला व्यक्ति अथवा कोई समूह (स्व-सहायता समूह) हो सकता है। सामूहिक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है।

3. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

4. इस उद्देश्य के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना लघु उद्योगों का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्व-रोजगार के सभी पहलू शामिल है। जैसे—ग्रामीण गरीबों के स्व-सहायता समूहों का गठन तथा उनकी क्षमता का विकास, सामूहिक क्रियाकलापों की योजना, ढांचा निर्माण, तकनीकी ऋण तथा विपणन।

5. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों की स्थापना में समूहगत दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक खंड के लिए वहां उपलब्ध संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक दक्षता तथा बाजारों की उपलब्धता पर आधारित 4-5 प्रमुख गतिविधियों की पहचान की गई है। इन प्रमुख गतिविधियों का खंड-स्तर पर चयन पंचायत समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा किया जाता है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना की सहायता का बड़ा हिस्सा सक्रियता समूहों के लिए होगा।

6. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए एक परियोजना दृष्टिकोण अपनाती है। पहचान की गई प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी। इन परियोजना रिपोर्टों को बनाने में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का निकट का सम्बन्ध रहता है ताकि ऋणों की मंजूरी तथा वित्तीय प्रबंध की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने में विलम्ब को रोका जा सके।

7. गतिविधियों की सामूहिकता के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा की जाती है तथा इसमें वर्तमान अन्तरालों की पहचान की जाती है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत निवेश में विवेचित अन्तरालों को इसके अधीन प्रत्येक जिले के कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन का 20 प्रतिशत, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति में 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के द्वारा भरा जाता है। रख-रखाव जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना आधारभूत संरचना निधि" के रूप में होता है तथा इसका उपयोग अन्य स्रोतों से अतिरिक्त वित्त पोषण के सृजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

8. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक खंड में 30 प्रतिशत गरीबों को एक सक्षम कार्यक्रम के माध्यम से कवर करने का प्रयास है। प्रमुख गतिविधियों के आयोजन में यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि कार्यक्रम की गुणवत्ता पर बिना कोई प्रतिकूल असर डाले अधिक से अधिक पंचायतों को कवर किया जाए।

9. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु सामूहिक सोच है इसके तहत गरीब लोगों का एक स्व-सहायता समूह का गठन तथा उनकी क्षमता का निर्माण किया जाता है। सभी स्व-सहायता समूहों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयास किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट महिला समूहों का निर्माण जारी रहेगा। खंड स्तर पर समूहों के कम से कम आधे समूह विशिष्ट महिला समूह हैं। सामूहिक गतिविधियों को महत्व दिया जाता है तथा उत्तरोत्तर अधिकांश वित्त स्व-सहायता समूहों के लिए होगा।

10. ग्राम सभा जनगणना में चिह्नित किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रमाणित करती है। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परिवार विशेष की पहचान एक सहभागी प्रक्रिया द्वारा की जाती है।

11. स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना एक ऋण-सह-सबसिडी कार्यक्रम है। तथापि ऋण इसके तहत निर्णायक अवयव है जबकि सबसिडी एक लघु तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है। तदनुसार, एस.जी.एस.वाई. में बैंकों की वृहत्तर भागीदारी होती है। वे परियोजनाओं की योजना तथा तैयारी, सक्रियता समूह की पहचान, आधारभूत संरचना की योजना तथा क्षमता निर्माण तथा स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों का चयन, व्यक्तिगत स्व-रोजगारी का चयन, ऋण पूर्व तथा ऋण देने के बाद की गतिविधियों तथा ऋण वसूली की मॉनिटरिंग में निकटता से सम्मिलित होते हैं।

12. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना एक बारगी ऋण के बजाए अनेक चरणों में ऋण को बढ़ावा देती है। स्व-रोजगारी की ऋण जरूरतों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। वास्तव में उन्हें अपने क्रेडिट इनटेक को बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाती है तथा प्रोत्साहित किया जाता है।

13. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से दक्षता विकास पर जोर दिया जाता है। उन लोगों को जिनको कि ऋण स्वीकृत किये जाते हैं, उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की संरचना, उसकी अवधि तथा प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पहचान की गई गतिविधियों की जरूरतों को पूरा

करने के अनुकूल बनाया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियो को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के आवंटन का 10 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए निर्धारित करने की अनुमति होती है। इसे "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना प्रशिक्षण निधि" शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है।

14. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना द्वारा पहचान की गई सामूहिक गतिविधि के लिए तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित किया जाता है। तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा स्थानीय संसाधनों को शामिल करना होता है जिसमें स्थानीय तथा गैर-स्थानीय बाजारों के लिए प्राधिकृत तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त स्थानीय सामग्री को संसाधित करना सम्मिलित है।

15. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना की ओर से स्वर्ण जयन्ती स्व-रोजगार योजना के स्व-रोजगारियों द्वारा उत्पादित सामानों के विपणन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें बाजार सूचना, बाजारों का विकास, परामर्श सेवाएं तथा निर्यात सहित सामानों के विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्था सम्मिलित होती है।

16. स्वर्ण जयन्ती स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत सबसिडी परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तथा समान दर पर होती है बशर्ते यह 7500 रुपये से ज्यादा न हो। तथापि, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में यह क्रमश: 50 प्रतिशत तथा अधिकतम सीमा 10,000/- रु. से ज्यादा न होती हो। स्व-रोजगारी समूह (स्व-सहायता समूहों) के लिए सबसिडी योजना का 50 प्रतिशत होती है, बशर्ते कि यह सीमा 1.25 लाख रुपये से ज्यादा न हो। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सबसिडी की कोई आर्थिक सीमा नहीं होती है। सबसिडी अन्त में दी जाती है।

17. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत ग्रामीण गरीबों में से बहुत कमजोर समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। तदनुसार स्व-रोजगारियों में से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग लोग होते हैं।

18. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगारी योजना का कार्यान्वयन पंचायत समितियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किया जाता है। योजना की प्रक्रिया, कार्यान्वयन, निगरानी की प्रक्रिया में जिले के बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों तथा तकनीकी संस्थाएं शामिल होती हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को इसके अनुरूप पुनर्जीवित तथा सुदृढ़ किया जा रहा है।

19. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निधियों का 15 प्रतिशत उन परियोजनाओं के लिए अलग रखा जाता है जिनका दूरगामी महत्व है तथा जो अन्य विभागों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ शुरू की जाने वाली रणनीति के संभव विकल्प के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसमें अलग-अलग जिलों अथवा सारे जिलों में उठाए जाने वाले कदम सम्मिलित किए जाते हैं।

20. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंश 75:25 के अनुपात में होता है।

21. राज्यों के लिए निर्धारित केन्द्रीय आवंटन का वितरण राज्यों में गरीबी की गंभीरता को देखते हुए किया जाता है। तथापि, अतिरिक्त पैरामीटरों, जैसे समाहित करने की क्षमता अथवा विशेष जरूरत पर वर्ष के दौरान विचार किया जायेगा।

ग्राम पंचायतें

*310. **श्री सुशील कुमार शिन्दे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम पंचायतों के विकास में प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर, गांवों में ढांचागत विकास में प्रतिस्पर्धा भरने के लिए कोई योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में कौन से मानदण्ड और मानक निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) हालांकि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए वस्तुपरक मानदण्डों की सूचना दी थी लेकिन ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई हैं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने एक प्रणाली स्थापित की है जिसमें पंचायती राज संस्थानों का उनके निष्पादन के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है और उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।

आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर

*311. **श्री आर.एल. भाटिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में आतंकवादी सेना के मुख्यालय पर ही हमला करके सीधे सेना के साथ मुकाबला कर रहे हैं;

(ख) क्या अमरीकी आधिकारिक श्रोतों ने कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों में बिन लादेन के शामिल होने की पुष्टि की है;

(ग) क्या आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थापित हैं;

(घ) क्या आतंकवादियों के ऐसे शिविरों पर हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुमति देता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की बल-प्रयोग द्वारा ऐसे शिविरों को हटाने की या कम-से-कम संबंधित सरकार को उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु चेतावनी देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) आतंकवादियों ने छः घटनाओं में राष्ट्रीय राइफल्स और सेना की कतिपय स्थापनाओं पर सीधा आक्रमण किया है। इन आक्रमों में कुल 17 आतंकवादी शामिल थे। वे सभी मारे गए।

अमरीकी प्राधिकारियों को ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान आधारित आतंकवादी गुटों के बीच संपर्कों की जानकारी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक ने 2 फरवरी, 2000 को वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसी समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस बात की पुष्टि की कि ओसामा बिन लादेन जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए उग्रवादी गुटों को वास्तविक रूप में सहायता कर रहा है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन आतंकवादी गुटों के प्रशिक्षण शिविर पाकिस्तान के अतिरिक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अफगानिस्तान में भी स्थापित किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून वैध तरीके से आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सरकार सीमा-पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका को समुचित तथा प्रभावी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाती रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, आतंकवाद को पाकिस्तानी सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने और इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को स्वीकार करता है। सरकार ने देश की सुरक्षा तथा प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के अपने दृढ़ संकल्प से भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत करा दिया है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के पायलट

*312. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया की नौकरी छोड़कर कितने पायलटों ने विदेशी विमान कम्पनियों में नौकरी कर ली है;

(ख) इन पायलटों ने अपनी-अपनी एयरलाइन्स से नौकरी छोड़ने के क्या कारण बताए हैं;

(ग) उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया में प्रशिक्षित पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जबकि वर्ष 1999 के दौरान किसी पायलट ने एअर इंडिया नहीं छोड़ा है, इस अवधि के दौरान केवल छः पायलटों ने विभिन्न कारणों से जिसमें व्यक्तिगत कारण भी शामिल हैं, इंडियन एयरलाइंस से त्यागपत्र दे दिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा अनुसूची में अपनी सेवाएं प्रचालित करने के लिए एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास पर्याप्त पायलट हैं।

इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण

*313. **श्री रघुनाथ झा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इंडियन एयरलाइंस की 51 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश करने का निर्णय लिया है जिसमें से 26 प्रतिशत उस उपयोगी भागीदार को दिया जायेगा जिसे निदेशक-मण्डल के पर्यवेक्षण के अधीन प्रबन्धन में पूरी स्वतंत्रता की अनुमति होगी। शेष 25 प्रतिशत इक्विटी कर्मचारियों, वित्तीय संस्थानों और जनता को दी जाएगी।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स विनिवेश से विमान सेवाओं, दक्षता और वित्तीय निष्पादन में सुधार और सरकार को बेहतर वित्तीय लाभ प्राप्त होने की आशा व्यक्त की गयी है।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

***314. श्री बृजलाल खाबरी :**
स्वामी चिन्मयानन्द :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) मंत्रालय को आरक्षण से संबंधित कदाचार को रोकने के संबंध में क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर वर्ष 2000-2001 के दौरान कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो जोन-वार/स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) वर्तमान नीति के अनुसार कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उन स्टेशनों पर मुहैया कराई जाती हैं जहां आरक्षण से संबंधित प्रतिदिन कम से कम 200 आरक्षणों का कार्यभार होता है।

(ख) मानव चालित प्रणाली में बिना बारी के आबंटन और आरक्षण लिपिकों, जिन पर पूरी प्रणाली निर्भर करती है, द्वारा शायिकाओं की उपलब्धता की स्थिति में छेड़छाड़ करने जैसे कदाचार पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता लाकर नियंत्रण कर लिया गया है। कंप्यूटरीकरण के बावजूद दलालों और असामाजिक तत्वों द्वारा रेल यात्री टिकटों की चोर-बाजारी के कुछ मामले नोटिस में आए हैं। आरक्षण कार्यालय में और उसके आस-पास दलालों और असामाजिक-तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (रे.सु.ब.)/राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों (रा.रे.पु.) की मदद से वाणिज्य और सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। उपर्युक्त गतिविधियों में संलग्न पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है। कदाचार की संभावनाओं में और कमी लाने के लिए अधिकाधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए प्राप्त अनुरोधों में से, फिलहाल, क्षेत्रवार निम्नलिखित 80 स्थानों को निर्माण कार्यक्रम 2000-2001 में शामिल किया गया है:-

मध्य रेलवे

1. नेवी नगर कोलाबा
2. भायखला
3. बेल्लापुर
4. दौंड
5. कोपरगांव
6. गुना
7. विदिशा
8. ललितपुर
9. पिपरिया
10. यावतमल

पूर्व रेलवे

1. बोंगांव
2. दक्षिणेश्वर
3. नवद्वीप धाम
4. रूसा रोड सीबीओ हजारिया
5. एम जी रोड सीबीओ
6. डाल्टनगंज

7. पश्चिम बंगाल विधान सभा
8. दम-दम हवाई अड्डा
9. चोपन
10. सिंगरौली
11. हजारीबाग

उत्तर रेलवे

1. हमीरपुर
2. जोशीमठ
3. शामली
4. मोहाली
5. नजीबाबाद
6. दसुआ
7. करनाल
8. कुरूक्षेत्र
9. मेरठ छावनी
10. उत्तर प्रदेश विधानसभा
11. हरदोई
12. फतेहपुर
13. भदोई
14. जालोर
15. राजपुरा
16. गोपीनाथ बाजार
17. सेना भवन

पूर्वोत्तर रेलवे

1. गोमतीनगर
2. लखीमपुर
3. खलीलाबाद
4. सीतामढ़ी
5. बेल्थरा रोड
6. बलरामपुर
7. कासगंज

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. रायगंज
2. कूच बिहार
3. न्यू अलीपुरद्वार

दक्षिण रेलवे

1. जयनगर (बेंगलूरू सैटेलाइट)
2. तिरुनगर (मदुरै सैटेलाइट)
3. तिरुपनिथरा (एर्णाकुलम सैटेलाइट)
4. कायमकुलम
5. चेंगलपेट
6. अम्बूर
7. कोविलपत्ती
8. चलाकुडी
9. कुनूर
10. पलानी

दक्षिण मध्य रेलवे

1. पर्ली
2. नांदयाल
3. बीजापुर
4. टाडेपल्लीगुडम
5. गोदावरी स्टेशन
6. तांदूर
7. सतारा

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. राजनंदगांव
2. चास बोकारो
3. टिटलागढ़
4. हीराकुंड
5. श्रीकाकुलम
6. रायगडा
7. पारादीप
8. भिलाई टाउनशिप
9. उलुबेरिया
10. कोन्टै
11. पलासा

पश्चिम रेलवे

1. सिरोही रोड
2. रानी
3. मन्दसौर
4. बैरागढ़

[अनुवाद]

निवेश संवर्द्धन योजना

***315. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश संवर्द्धन योजना के निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत किस-किस क्षेत्र का विकास किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख) वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना केन्द्र तथा राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्राम समुदायों की बंजरभूमि और किसानों आदि की निजी बंजरभूमि को विकसित करने हेतु प्रयोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू की गई थी। योजना के तहत सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है। लाभार्थियों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्त्तकों के अंशदान की परिकल्पना भी की गई है।

योजना के कार्य निष्पादन की 1996-98 के दौरान समीक्षा करने के पश्चात् इसकी पुनर्संरचना की गई थी। संशोधित योजना को अगस्त, 1998 में लागू किया गया था और इसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को प्रमुखता देते हुए अधिक व्यापक आधार वाली योजना बनाया गया था।

आर्थिक सहायता और प्रवर्त्तकों के अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 1996-98 की अवधि को छोड़कर वर्ष 1994-95 से लेकर वर्ष 1998-99 तक की अवधि के दौरान अभी तक 231 हैक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य आरम्भ किया गया है।

विवरण

वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता तथा प्रवर्त्तकों के अंशदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

*(क) आर्थिक सहायता का ब्यौरा**

(1) सामान्य श्रेणी (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(2) छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 30 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।

(3)	(क) सीमांत किसान (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किये जाने वाले कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
	(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	वही, जैसा कि उपरोक्त क(3)(क) में दिया गया है।

(ख) प्रवर्तकों के अंशदान का ब्यौरा

(1)	सामान्य श्रेणी (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत
(2)	छोटे किसान (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत
(3)	(क) सीमांत किसान (अलग-अलग/समूह में)	शून्य तथापि, स्व-रोजगार देने और भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए परियोजना कार्यान्वित करते समय इसमें परिवार के लोगों के श्रम को शामिल किया जाना चाहिए।
	(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	वही, जैसा कि उपरोक्त ख(3)(क) में दिया गया है।

*आर्थिक सहायता के प्रयोजन के लिए फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों के लिए परियोजना की औसत लागत को 20,000 रु. प्रति हैक्टेयर तक सीमित किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार

***316. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्रीमती कांति सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन की रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जनवरी-फरवरी, 2000 में आयोजित किए गए जोनल सम्मेलनों ने भी इस बारे में राज्य सरकारों की राय मांगी थी;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने क्या विचार व्यक्त किए थे; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) चूंकि भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट बनाने के संबंध में कोई अध्ययन शुरू नहीं किया है इसलिए सरकार को न तो कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न ही किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने की आशा है।

(ख) से (ङ) भाग (क) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बन्द पड़े विमानपत्तनों का विकास

***317. श्री रामशकल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू विमानपत्तनों के नाम क्या हैं और इस समय उनमें से कितने विमानपत्तन चालू स्थिति में नहीं हैं;

(ख) क्या उक्त बन्द पड़े विमानपत्तनों के विकास की ओर उचित ध्यान दिया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इन विमानपत्तनों के विकास के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) प्रचालनात्मक और गैर-प्रचालनात्मक अंतर्देशीय हवाई अड्डों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

प्रचालनात्मक हवाई अड्डे:

अगरतला, अगाति, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भावनगर, भोपाल, भुवनेश्वर कालीकट, कोयम्बटूर, डिब्रुगढ़, दीमापुर, देहरादून, गगल (कांगड़ा), गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जयपुर, जबलपुर, कुल्लू, कांगड़ा (गगल), केशोद, लखनऊ, मदुरई, मंगलौर, नागपुर, पटना, पोरबन्दर, जयपुर, राजकोट, रांची, शिमला, त्रिची, तिरूपति, बडोदरा, वाराणसी, बेहाला, बेलगांव, कूचबिहार, जुहु, सफदरजंग, गया, हुबली, कांडला, कानपुर, कोटा, लुधियाना, उत्तरी लखीमपुर, आगरा, पांडिचेरी, सलेम, शिलांग, तूतीकोरीन, बलौर, विजयवाड़ा, राजामुन्दरी-सिविल एन्कलैव-आगरा, बागडोगरा, बंगलौर, पन्त नगर, भुज, चंडीगढ़, गोवा, ग्वालियर, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, जोरहाट, लेह, पोर्ट ब्लेयर, पूणे, सिल्चर, श्रीनगर, तेजपुर, तेजु, विशाखापट्टनम और जैरो।

गैर-प्रचालनात्मक हवाई अड्डे:

एजवाल (तूरीयल), अकोला, बेलघाट, बेलूरघाट, बिलासपुर, चकुलिया, कुडापाह, दीशा (पालनपुर), दोनाकोन्डा, हसन, हडाप्सर, झांसी, झारसुगुड़ा, जोगबनी, कैलाशहर, कमालपुर, खंडावा, खोवाई, कोल्हापुर, ललितपुर, माल्दा, मुजफ्फरपुर, मैसूर, नादिरगुल, पन्ना, पासीघाट, रजौल, रूपसी, सतना, शैला, शोलापुर, वारंगल-सिविल एन्क्लेव, कोचीन दापारिजो, गोरखपुर, कानपुर (चकेरी), नाल (बीकानेर) और इलाहाबाद।

(ख) से (घ) हवाई अड्डों पर सुविधाओं का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जो अनुसूचित एयरलाइनों की मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे ही एयरलाइनें विमान सेवाओं के प्रचालन की इच्छा जाहिर करेंगी हवाई अड्डों को प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा। राज्य सरकारों से भी इन हवाई अड्डों को विकास के लिए और इन्हें प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया गया है। कोल्हापुर और शोलापुर हवाई अड्डों को विकास के लिए राज्य सरकारों को पट्टे पर दे दिया है।

[अनुवाद]

तीर्थ स्थल विकास बोर्ड

***318. श्री जी.जे. जावीया :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई योजना के अंतर्गत हाल में एक तीर्थ स्थल विकास बोर्ड, एक पृथक पर्यटन विकास निधि और एक भारत पर्यटन भवन की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बोर्ड तीर्थस्थलों के विकास में सहायता प्रदान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई है और विकास के लिए चुने गए स्थानों का स्थानवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (घ) यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन के संवर्धन के लिए दिल्ली में तीर्थस्थल विकास बोर्ड, पर्यटन विकास निधि और भारत पर्यटन भवन की स्थापना की जाए और इस संबंध में अपेक्षित क्रियाविधि औपचारिकताओं संबंधी कार्रवाई आरम्भ है।

नागर-विमानन संबंधी यूरोपीय कमीशन के साथ सहयोग

***319. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागर विमानन क्षेत्र संबंधी यूरोपीय कमीशन के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसमें कितनी धनराशि अन्तर्लिप्त है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम में कार्यशालाओं, संगोष्ठियां और विमानन सुरक्षा, एयरलाइन प्रबन्ध विमान यातायात प्रबन्ध, हवाई अड्डा क्रियाकलाप विमानचालक/अनुदेशक प्रशिक्षण, एयरलाइन उद्योग इत्यादि में उत्पाद समर्थन और अनुरक्षण जैसे नागर विमानन के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। यूरोपीय मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत 32 मिलियन ईसीयू आंकी गई है।

सैनिकों के लिए हाई आल्टीट्यूड एलाउंस में संशोधन

***320. श्री के.पी. सिंह देव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक निश्चित ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए "हाई आल्टीट्यूड एलाउंस" 1962 के दौरान प्रदान किया गया था;

(ख) क्या इसे भत्ते का हर दूसरे वर्ष संशोधन अनिवार्य किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तब से अब तक इस विशेष भत्ते को कितनी बार संशोधित किया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, सन् 1962 से इस भत्ते की दरों में 1968, 1970, 1973, 1993, 1997 और 1999 में छह बार संशोधन किया गया है।

मंत्री का दुबई दौरा

3228. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमान अपहरण के समय नागर विमानन मंत्री जी के दुबई दौरे पर कितनी राशि खर्च की गई और मंत्री जी के इस दौरे से विमान अपहरण के संकट को हल करने में क्या उपलब्ध हासिल हुई; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान के कितने बंदी यात्री आतंकवादियों द्वारा मारे गये?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा दुबई तक राहत उड़ान प्रचालित करने और यू.ए.ई. में रहा किए गए अपहृत यात्रियों को वापस लाने की लागत 42.00 लाख रुपये है। मंत्री के दुबई दौरे का उद्देश्य अपहर्ताओं द्वारा रिहा किए गए व्यक्तियों को शीघ्र प्रत्यावर्तन था।

(ख) अपहृत इंडियन एयरलाइंस विमान में आतंकवादियों द्वारा एक बंधक यात्री को जान से मार दिया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निविदाएं दिया जाना

3229. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्षवार कितनी निविदा दी गई;

(ख) क्या अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य को निर्धारित समय तक पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने वर्ष 1997 में 55, 1998 में 63 और 1999 में 86 निविदाएं दी हैं।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर अधिकांश परियोजनाएं अनुसूची के अनुसार चल रही हैं। किन्तु कुछ मामले में अबाधित भूमि की अनुपलब्धता, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में आवश्यक सामग्रियों की अनुपलब्धता, परियोजना/कार्य में आशोधन संसाधनों को धीरे-धीरे जुटाए जाने और लेह, कारगिल इत्यादि में असामान्य मौसम स्थितियों के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

[अनुवाद]

पर्यटन उद्योग का विकास

3230. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 फरवरी, 2000 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" की एक रिपोर्ट के अनुसार "विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद्" ने भारत के लिए ऐसा प्रथम प्रयास शुरू किया है जिसमें भारत के शीर्षस्थ यात्रा और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को एक साथ लाने की बात की गई है ताकि उद्योग के विकास को तेज किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत का पर्यटन उद्योग इससे किस सीमा तक लाभान्वित होगा?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन मंत्रालय को विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद से कोई विशेष पत्र/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास

3231. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी कार्य योजनाओं को सम्मिलित किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) जम्मू और कश्मीर में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत की गई धनराशि	प्रदान की गई धनराशि
आठवीं योजना			
1992-93	8	116.75	68.57
1993-94	13	199.86	121.38
1994-95	13	188.23	102.25
1995-96	4	99.09	51.60
1996-97	6	88.47	39.65
नवीं योजना			
1997-98	10	293.35	156.75
1998-99	6	192.85	84.50

जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन को फिर से प्रारम्भ करने और विकास करने के लिए अप्रैल, 1997 में एक विशेष कृतिक बल की भी स्थापना की गई थी और उनकी सिफारिशें जम्मू और कश्मीर राज्य और संबंधित मंत्रालयों को भेज दी गई हैं।

वर्ष 1999-2000 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 909.59 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 28 परियोजनाएं/योजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं।

[अनुवाद]

तलित स्टेशन हेतु भूमि का अधिग्रहण

3232. श्री भिखिलालचन्द सर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को पूर्व रेलवे के बर्द्धमान माल शेड में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण उर्वरकों, सीमेंट, मैंगनीज अयस्क, नमक, खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई और अन्य निकासी कार्यों में होने वाली कठिनाइयों के संबंध में मिल स्वामियों, प्रमुख निकासी एजेंटों तथा अग्रसारण एजेंटों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार अपना एक गैर-सरकारी साईडिंग बनाने का है जो तलित स्टेशन से निकटस्थ है;

(ग) क्या राज्य सरकार 75 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण किए जाने हेतु उन्हें सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कालाबाजारी करने के जुर्म में पकड़े गए व्यक्ति

3233. श्री रामानन्द सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 तथा आज तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिलावट और कालाबाजारी करने के जुर्म में राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों की उड़ानों में सुरक्षा

3234. श्री अमरराय प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानों और यात्रियों को अपहरण से बचाने हेतु निजी विमान कंपनियों की सभी उड़ानों में सुरक्षा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन (शिकागो) 1944 पर अभिसमय के अनुबंध-17 तथा अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन सुरक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों और संस्तुति प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का निजी एयरलाइनों के संबंध में भी कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के माध्यम से सुरक्षा प्रबन्धों की नियमित निगरानी की जाती है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा कॉकपिट कर्मीदल/केबिन कर्मीदल के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और निजी एयरलाइनों के स्टाफ को भी इस प्रकार का प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा सेना के सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को पहचान-पत्र

3235. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री सेना के सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को पहचान-पत्र जारी करने के बारे में 28 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेना के सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त उत्तर के संदर्भ में इसके लिए क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्षा सेना के सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारी इन पहचान-पत्रों के आधार पर सी.ए.ओ. के कार्यालय, ए-ब्लाक हटमेंटस में नौसेना मुख्यालय के सिविलियन कार्यालय और जे-ब्लाक स्थित वायुसेवा के मुख्यालय में आसानी से प्रवेश कर सकें, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली में रक्षा सेना के सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को सी.एस.डी. कैंटीन की सुविधाओ का लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) 28 जुलाई, 1997 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के बाद स्टाफ एसोसिएशन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर सशस्त्र सेना के मुख्यालयों के सेवानिवृत्त सिविलियन कर्मचारियों को पहचान-पत्र देने का निर्णय लिया गया था ताकि वे पुनर्निबोधन सहित किसी भी अन्य कार्यकलाप के लिए अपनी पहचान प्रकट कर सकें। ये पहचान पत्र 1 अक्तूबर, 1999 से लागू किए गए हैं। ये पहचान-पत्र उन पहचान पत्रों से एकदम भिन्न हैं जो सेवारत सैन्य कार्मिकों तथा सेवारत सिविलियन कर्मचारियों को मुहैया किए गए हैं। ये पहचान-पत्र रक्षा मंत्रालय अथवा किसी सैन्य मुख्यालय तथा रक्षा संबंधी अन्य स्थापनाओं में प्रवेश के लिए कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

(घ) मौजूदा नीति के अनुसार सेवानिवृत्त रक्षा सिविलियन कर्मचारी कैंटीन स्टोर विभाग की कैंटीन सुविधाएं लेने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में आग

3236. प्रो. डम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 फरवरी, 2000 को पूर्णिया स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इस आग से कुल कितने जान-माल की क्षति हुई;

(घ) क्या आग बुझाने के लिए कोई अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 25.2.2000 को दक्षिण पूर्व रेल के आद्रा मंडल के पुरूलिया स्टेशन पर 2802 पुरूषोत्तम एक्सप्रेस के अगले एसएलआर में आग लगी थी।

(ख) यह दुर्घटना नंगे उदीप्त बल्बों और कुछ पैकेटों में प्लास्टिक के सामानों के निरन्तर संपर्क के कारण हुई थी।

(ग) कोई भी व्यक्ति हताहत अथवा चोटिल नहीं हुआ था। रेलवे सम्पत्ति को अनुमानत: 2.02 लाख रुपये की हानि हुई।

(घ) जी नहीं। गाड़ी के गार्ड के पास अग्निशामक उपलब्ध था।

(ङ) और (च) इस दुर्घटना की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई है और दोषी व्यक्तियों को विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

"पैलेस ऑन व्हील" के रुकने के स्थान

3237. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, "पैलेस ऑन व्हील" रेलगाड़ी के रुकने के स्थानों को बढ़ाने, विशेषकर उसे कोटा में रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कारगिल-पीड़ितों के लिए नि:शुल्क राशन

3238. श्री राजनारायण पासी : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कारगिल और जम्मू प्रशासन से कारगिल युद्ध से प्रभावित परिवारों को मई, 2000 तक नि:शुल्क राशन प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के उन किसानों, जिन्हें चीनी मिलों से अभी तक भुगतान नहीं हुआ है को नि:शुल्क राशन प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या ऐसे कृषकों, जो भुखमरी के कगार पर हैं के जीवन-यापन का स्तर ऊपर उठाने और उनके उद्धार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाई जा रही प्रभावी योजना/प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर सरकार को अक्तूबर, 1999 में 9 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति प्रति माह के स्केल पर निशुल्क राशन और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में 6 माह के लिए और लेह और कारगिल के विस्थापित व्यक्तियों, जोकि सीमापार से गोलाबारी के कारण पीड़ित थे, के संबंध में मई, 2000 तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 लीटर मिट्टी के तेल की मंजूरी दी है। निशुल्क खाद्यान्नों सहित राहत पैकेज की लागत राज्य सरकार द्वारा 35 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। इसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और

कश्मीर सरकार को 24.80 करोड़ रुपये पहले ही अग्रिम में रिलीज किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 15.2.2000 तक घौसी स्थित चीनी मिल द्वारा बांसगांव संसदीय क्षेत्र के किसानों से 1.61 लाख क्विंटल गन्ने की मात्रा प्राप्त की गई थी जिसकी लागत 134.76 लाख रुपये थी। इसमें से 44.18 लाख रुपये किसानों को अदा कर दिए गए हैं और चीनी मिल शेष राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई कर रही है।

(च) संघ सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करती है। राज्य सरकारों को समय-समय पर संसाधन बाधाओं की शर्त के अध्यधीन आपदा राहत बाढ़, सूखे, चक्रवात आदि के लिए मांग पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन भी किया जाता है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया में जी.एस.ए. के पदों पर नियुक्ति

3239. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया द्वारा विदेशों में जी.एस.ए. की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जी.एस.ए. के पदों पर की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष में कुछ जी.एस.ए. की नियुक्ति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नियुक्तियों में क्या मानदण्ड अपनाये गये?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) विदेशों में जी.एस.ए. नियुक्त करने के लिए एअर इंडिया द्वारा अपनाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं- (1) मार्किट की आवश्यकता अथवा स्थानीय सीमा-शुल्क (2) बिक्री संभाव्यता और राज्यक्षेत्र का आकार तथा प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई विपणन पद्धति (3) संस्तुति पार्टी की वित्तीय स्थिति (संस्तुत पार्टी से बैंक गारंटी ली जानी अत्यावश्यक है जो किसी विहित बिक्री अवधि में किए गए व्यवसाय के अनुरूप होनी चाहिए (4) संस्तुत पार्टी के पास प्रशिक्षित स्टाफ, उपयुक्त कार्यालय-स्थान इत्यादि की उपलब्धता (5) प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य तथा अन्य विपणन अपेक्षाओं यथा मूल्य वितरण और किए जाने वाले बिक्री संवर्धन क्रियाकलापों के संबंध में संस्तुत पार्टी से कार्य-निष्पादन गारंटी प्राप्त करने की साद्यता (6) जी.एस.ए. के प्रत्येक आवेदक को एक वृहत् प्रश्नावली भरनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न संबंधी सूचना शामिल होगी (1) व्यवसायिक अस्तित्व का प्रकार कि वह साझेदारी में है अथवा एकाधिकार में है, इत्यादि (2) कंपनी की वित्तीय स्थिति, (3) कंपनी के साझेदारों/निदेशकों के ब्यौरे, और (4) कंपनी के कार्यालय परिसरों इत्यादि के ब्यौरे।

तब, प्रस्ताव के जांच हेतु स्थाई जी.एस.ए. समिति जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहते हैं जो मुख्यालय में वाणिज्यिक तथा वित्तीय विभागों के द्वारा अग्रेषित किया जाता है। पूर्णत: भरी गई प्रश्नोत्तरी की गहन संवीक्षा के पश्चात् तथा कार्य-स्थल निरीक्षण के पश्चात् जी.एस.ए. समिति प्रस्ताव को वाणिज्यिक निदेशक के माध्यम से प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के लिए भेजती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया द्वारा दो जी.एस.ए. नियुक्त किए गए थे।

(1) इन्डोनेशिया के राज्यक्षेत्र में यात्रियों के परिवहन के लिए मैसर्स पी.टी. बूमी डिरगानुसा इन्टरनैशनल, (2) कुवैत के राज्यक्षेत्र के लिए यात्री और कार्गो के परिवहन के लिए मैसर्स हाउस ऑफ ट्रैवल।

(ग) चालू वर्ष में कोई जी.एस.ए. नियुक्त नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन में आने वाली समस्याएं

3240. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक बैठक के दौरान दक्षिणी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) जी, हां। पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुशल बनाने और पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए इसे संपुष्ट करने संबंधी बहस में राज्य सरकारों को शामिल कर मतैक्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने पहल की है। भारत सरकार ने खाद्यान्न प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण संबंधी परामर्शदात्री परिषद के तत्वावधान में दक्षिणी राज्यों के साथ एक बैठक बुलाई। यह परिषद उच्च स्तरीय निकाय है जिसमें राज्यों के जनप्रतिनिधि और वर्तमान में बंगलौर स्थित केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारी शामिल हैं।

बैठक में संबोधित मुद्दे गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों के आवंटन, केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के विपथन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने, प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुस्पष्ट बनाने आदि के लिए नागरिक अधिकार प्राप्त अपनाने से संबंधित है। परामर्शदात्री परिषद की आंचलिक बैठकों, जिनमें राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी होती है, ने खाद्यान्न प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल मुद्दों के व्यापक ''स्पैक्ट्रम'' संबंधी विचार अपनाने का अवसर दिया है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि करने के मतैक्य की दृष्टि में, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2000-2001 के लिए संसद में प्रस्तुत किए गए बजट में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के खाद्यान्नों के आवंटन को 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह करने की घोषणा की है।

मद्रास हवाई अड्डे में एस्कलेटर

3241. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में मद्रास हवाई अड्डे में एक यात्री का बैग एस्कलेटर में फंस कर इसके अन्दर चला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एस्कलेटर उसी कंपनी द्वारा लगाया गया था/ रख-रखाव किया जा रहा था जिसने आई.जी.आई. हवाई अड्डे में एस्कलेटर लगाया था जहां हाल ही में एक लड़की मौत हो गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा हवाई अड्डों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) यात्री द्वारा अनुचित प्रयोग के कारण घटना घटी। सुरक्षा तकनीक स्वत: ही चालू हो गई और एस्कलेटर फेल हो गया। कोई घायल नहीं हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए उन उपकरणों के प्रयोग के संबंध में अनुदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिए गए हैं;

(2) विमानपत्तन पर सभी एजेंसियों के स्टाफ को उपकरणों के प्रयोग करने और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की स्थिति से निपटने के बारे में परिचय प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

अमेरिका द्वारा बमबारी करने वाले सुपर सोनिक विमान को विकसित किया जाना

3242. डा. संजय पासवान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 जनवरी, 2000 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अमेरिका 3500 से 7000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले और राडार से बचने में सक्षम सुपर सोनिक बम-वर्षक विमान विकसित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) इस संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर लगाए गए क्लोज्ड सर्किट कैमरों को ढका जाना

3243. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मुम्बई विमानपत्तन पर लगाए गए क्लोज्ड सर्किट कैमरों पर च्यूंगम की परतें लगी हुई पायी गई और दिल्ली विमानपत्तन पर लगे कैमरों पर भी चिपचिपा पदार्थ और बेसवाल कैप चिपके हुए पाए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्लोज्ड सार्कट टेलीविजन कैमरा के संबध में मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों से इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कच्छल दीप में सहस्राब्दि के प्रथम सूर्य किरण के अवसर पर पर्यटकों को आकर्षित करना

3244. डा. मन्दा जगन्नाथ :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री के. येरननायडू :
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छल द्वीप को नई सहस्राब्दि के सूर्य के स्वागत के लिए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) पर्यटकों से कितनी आय हुई;

(घ) क्या भारत कच्छल द्वीप पर नई सहस्राब्दि की प्रथम सूर्य किरण के अवसर पर पर्यटकों को आकर्षित करने में असफल रहा; और

(ङ) यदि हां, तो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में असफल रहने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) निकोबार द्वीप समूह में स्थित कच्छल द्वीप एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और उसे पारिस्थितिकी रूप से भी संवेदनशील समझा गया है। सहस्राब्दि सूर्योदय से सम्बद्ध प्रचार करने के लिए दिनांक 29-12-99 से 3-1-2000 तक 6 दिनों के लिए विनियमित आगन्तुकों हेतु विशेष अनुमति प्राप्त की गई थी। विभिन्न प्रबन्धों पर 25 लाख रुपयों की राशि खर्च की गई। यह एक सीमित प्रचार पहल थी और विनिर्दिष्ट बाधाओं की वजह से पर्यटकों से आय होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। सरकार ने अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में प्रतिबन्धित क्षेत्र, कच्छल द्वीप को आगन्तुकों के लिए दिनांक 29 दिसम्बर, 1999 से 3 जनवरी, 2000 तक केवल 6 दिनों की अवधि के लिए खोला था, ताकि उन्हें नई सहस्राब्दि के प्रथम सूर्योदय को देखने का अवसर मिल सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी निवेश

3245. डा. वी. सरोजा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश के प्रस्तावों की मंजूरी देने हेतु एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड तथा एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका कार्यकरण क्या है;

(ग) पर्यटन क्षेत्र में अब तक कितना विदेशी निवेश हुआ है;

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अब तक कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है; और

(ङ) पर्यटन क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने विदेशी और निजी निवेश के लिए पर्यटन को "उच्च प्राथमिकता" वाला उद्योग अभिनिर्धारित किया है। तदनुसार, विदेशी निवेश के प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदित करने के लिए उद्योग मंत्रालय में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड तथा

परियोजना अनुमोदन बोर्ड स्थापित किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी एवं अप्रवासी भारतीय निवेश स्वत: अनुमोदन योजना के तहत आते हैं।

दिनांक 1.8.91 से 31.11.99 तक नीति पश्च अवधि के दौरान होटल और पर्यटन क्षेत्र में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग इस प्रकार हैं:-

अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि
तकनीकी	वित्तीय	योग	(राशि मिलियन रुपयों में)
131	257	388	42504.73

श्रेणी-3 के लैंडिंग उपकरण का अधिष्ठापन

3246. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कौन से हवाई अड्डे हैं जहां पिछली दो सर्दियों में कुहरे के कारण हवाई-यातायात प्रभावित हुआ;

(ख) इस प्रकार के व्यवधानों से एलाइंस एयर और एअर इंडिया सहित इंडियन एयरलाइन्स को कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार का इन हवाई अड्डों पर कम दृष्टव्यता में भी हवाई जहाजों की उड़ान भरने/उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लैंडिंग-प्रणाली के अंतर्गत श्रेणी-3 उपकरण अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां यह उपकरण लगाया जाना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली तथा लखनऊ, जम्मू और अमृतसर के घरेलू विमानपत्तन विगत दो शरद ऋतु के दौरान भारी कोहरे से प्रभावित हुआ जिसके फलस्वरूप उड़ानों में व्यवधान हुआ।

(ख) एअर इंडिया को वर्ष 1998-99 में 530 लाख रुपए और वर्ष 1999-2000 में 130 लाख रुपए का घाटा हुआ और एलायंस एयर सहित इंडियन एयरलाइन्स को वर्ष 1998-99 में 6.47 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1999-2000 में 2.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर पहले ही श्रेणी-3 उपकरण अवतरण संस्थापित कर चुका है। इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर रन-वे सेन्टर-लाइन प्रकाश के संस्थापन होने से इस सिस्टम को नवम्बर, 2000 में प्रचालन योग्य घोषित कर दिया जाएगा। लखनऊ, जम्मू, अमृतसर में वर्ष 2001 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का श्रेणी-2 उपकरण अवतरण प्रणाली संस्थापित करने की योजना है।

बंगलौर हवाई अड्डे पर 'एयर कार्गो काम्प्लेक्स'

3247. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर हवाई अड्डे पर दूसरा 'एयर कार्गो काम्प्लेक्स' स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। बंगलौर विमानपत्तन पर विमान कार्गो परिसर की स्थापना की गई है और इसका प्रबन्ध मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (एम.एस.आई.एल.) द्वारा किया जाता है जो कर्नाटक राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

पोलैंड द्वारा लड़ाकू विमानों के भारतीय विमान चालकों को प्रशिक्षण

3248. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1996 में पोलैंड सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1980 से 1996 तक प्रतिवर्ष दुर्घटना की दर क्या रिकार्ड की गई है और 1996 से 1999 तक वर्षवार इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या वायु सेना ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कोई शिकायत दर्ज की है जिसके कारण कई युवा विमान चालकों का बेशकीमती जीवन नष्ट हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशिक्षण से संबंधित हताहतों के 1980 से 1999 तक वर्षवार ब्यौरे के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, भारतीय वायुसेना ने एक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान की आवश्यकता दर्शाई है।

(घ) वायुसेना में उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों को शामिल किए जाने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने विभिन्न उपलब्ध उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों का तकनीकी मूल्यांकन किया है और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युनाइटेड किंगडम के हॉक और फ्रांस के अल्फा जेट को सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। विक्रेताओं के साथ जनवरी-फरवरी, 2000 में विचार-विमर्श किया गया। इस बात को अंतिम रूप नहीं दिया गया है कि उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान कहां से लिया जाएगा।

विवरण

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या
1980	04	05
1981	01	01
1982	03	03
1983	01	02
1984	02	02
1985	01	01
1986	04	06
1987	02	03
1988	–	–
1989	03	04
1990	01	01
1991	02	03
1992	–	–
1993	01	01
1994	01	01
1995	05	06
1996	01	01
1997	–	–
1998	02	02
1999	02	02

कोचीन हवाई अड्डे पर अन्तरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल

3249. श्री के. करुणाकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोचीन हवाई अड्डे (केरल) में अन्तरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) नेदुम्बसेरी में कोचीन विमानपत्तन कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का है जो केरल राज्य सरकार की एक कम्पनी है। सियाल ने पहले चरण में, 4500 वर्गमीटर के एक कार्गो परिसर का विकास किया है।

सैन्य सेवा के दौरान अशक्तता संबंधी संकल्पना की समीक्षा

3250. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बल कर्मी अच्छा स्वास्थ्य नहीं होने पर सेवा से बाहर किए जा रहे हैं;

(ख) क्या एतत्संबंधी नियम और विनियम 1947 के पूर्व के हैं;

(ग) यदि हां, तो नियमों को पुनरीक्षित और अद्यतन नहीं बनाए जाने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सेवा सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित सैनिक की अशक्तता प्रतिशत को सी.डी.ए. (पेंशन) कार्यालय, इलाहाबाद यथेच्छा से कम कर सकता है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(च) सेवा के दौरान अशक्तता संबंधी पूरी संकल्पना की पुन: जांच करने तथा पेंशन के प्रयोजनार्थ इसे नहीं माने जाने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) केवल निम्न मेडिकल श्रेणी वाले ऐसे सशस्त्र सेना कार्मिकों, जिनकी मेडिकल श्रेणी उन्हें सशस्त्र सेना में कार्य के लिए अनुपयुक्त बना देती है तथा जिनके बारे में सक्षम चिकित्सा बोर्ड इस तरह की सिफारिश करता है, को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर समय-समय पर इनके नियमों और विनियमों में संशोधन किया जाता है।

(घ) और (ङ) नियमों के अनुसार, चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष अंतिम नहीं है और सी.डी.ए. (पेंशन) के साथ संबद्ध चिकित्सा सलाहकार (पेंशन) द्वारा इनकी पुनरीक्षा/इनमें संशोधन किए जा सकते हैं।

(च) सरकार इस मामले की पुन: जांच कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम का निष्पादन

3251. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियों के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान और आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रशासनिक लागत में कटौती करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) चालू खरीफ मौसम के दौरान खरीद के लिए कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए तथा रबी मौसम के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है और अगले तीन वर्षों के लिए राज्यवार बनाए गए विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सरकार भारतीय खाद्य निगम के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की वसूली और भंडारण, निर्माण कार्यक्रम, जो सरकार की वार्षिक कार्य योजना का घटक है, के लिए निर्धारित लक्ष्य और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) हालांकि अनाज की वसूली मौसमी होती है, तथापि भंडारण लागत कम करने के लिए 75 प्रतिशत की औसत दक्षता उपयोगिता हासिल करना;

(2) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में हानियों को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करना;

(3) स्टाक की रख-रखाव लागत कम करने के लिए खुले बाजार में स्टाक रिलीज करना;

(4) पुराना स्टाक जारी करना, श्रेणी "ग" और "घ" के स्टाक का निपटान करना और मार्गस्थ एवं भंडारण हानियों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए खाद्यान्नों के संचलन के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना;

(5) बोरियों की मशीन से सिलाई करना तथा भंडारण एवं मार्गस्थ हानि को कम करने के लिए 50 किलोग्राम की बोरियों में खाद्यान्नों की हैंडलिंग।

राजसहायता की राशि कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वसूली प्रचालन विकेन्द्रीकृत करने के उपाय किए गए हैं। इस योजना के अधीन राज्य के भीतर ही स्टाक की वसूली की जाती है और इसे जारी किया जाता है जिससे हैंडलिंग और ढुलाई के संबंध में बचत होती है।

(घ) चूंकि गेहूं/धान की वसूली स्वैच्छिक पेशकश के तहत किसानों से मूल्य समर्थन योजना के अधीन की जाती है इसलिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ङ) 1.2.2000 की स्थिति की अनुसार 19.40 मिलियन टन के कुल स्टाक के प्रति देश में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 24.88 मिलियन टन की भंडारण क्षमता है। अपनी और किराये की भंडारण क्षमता, ढका हुआ कवर किया गया क्षेत्र तथा प्लिंथ और उसमें रखे स्टाक के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-II में दिया गया है।

चालू 9वीं पंचवर्षीय योजना के अगले तीन वर्षों के दौरान निधियों की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन 3.43 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है। वार्षिक योजना 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान प्रस्तावित राज्यवार गोदामों का निर्माण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वित्तीय : करोड़ रुपए में
भौतिक : लाख टन में

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	खाद्यान्नों की वसूली	भंडारण निर्माण कार्यक्रम	न्यूनतम स्टाक स्तर	खाद्यान्नों की वसूली	भंडारण निर्माण कार्यक्रम	न्यूनतम स्टाक स्तर
1996-97						
वित्तीय	–	17.86	–	–	18.53	–
भौतिक	143.00	0.33	2(महीने)	200.15	0.22	2(महीने)
1997-98						
वित्तीय	–	18.96	–	–	19.94	–
भौतिक	180.00	0.81	2(महीने)	240.40	0.71	2(महीने)
1998-99						
वित्तीय	–	20.00	–	–	17.86	–
भौतिक	215.00	0.43	2(महीने)	242.64	0.41	2(महीने)
1999-2000*						
वित्तीय	–	20.00	–	–	12.00(अन.)	–
भौतिक	254.00	1.15	2(महीने)	263.05	0.55	2(महीने)

(*) लक्ष्य पूरे वित्तीय वर्ष के लिए है और उपलब्धियां दिसम्बर, 1999 तक के लिए हैं।

विवरण-II

31.1.2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, रखा हुआ स्टाक और इसकी प्रतिशत उपयोगिता

स्थिति : 31.1.2000 के अनुसार
(आंकड़े हजार टन में)

निम्न तारीख को स्थिति	ढकी हुई			कैप (खुली)			सकल जोड़
	अपनी	किराए की	जोड़	अपनी	किराए की	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 31.01.2000 की स्थिति							
1. क्षमता	12575.41	7477.35	20052.76	2016.65	2807.36	4824.01	24876.77
2. रखा हुआ स्टाक	9585.08	6516.46	16101.54	1138.56	2160.33	3298.89	19400.43
3. उपयोगिता	76%	87%	80%	56%	77%	68%	78%

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 31.12.1999 को स्थिति							
1. क्षमता	12575.41	7233.81	19809.22	2005.85	2885.04	4890.89	24700.11
2. रखा हुआ स्टाक	9421.82	6259.37	15681.19	1235.28	2254.59	3489.87	19171.06
3. उपयोगिता	75%	87%	79%	62%	78%	71%	78%
3. 31.01.1999 की स्थिति							
1. क्षमता	12503.46	6752.99	19256.45	1586.78	2777.93	4364.71	23621.16
2. रखा हुआ स्टाक	7929.21	5184.64	12813.85	754.00	2275.28	3029.28	15843.13
3. उपयोगिता	61%	77%	67%	48%	82%	69%	67%

31.1.2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्यवार भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की/डकी हुई और कैप), स्टाक स्थिति और इसकी प्रतिशत उपयोगिता बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		डकी हुई					जोड़ (किराए की) (4 से 7)	जोड़ (डकी हुई) (3+8)	कैप (खुला)			सकल जोड़ (9+12)
					निम्न से किराए पर ली गई								
			भा.खा.नि. की अपनी	राज्य सरकार	के.भं.नि.	रा.भं.नि.	निजी पार्टियां			अपनी	किराए की	जोड़	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूर्वी जोन													
1.	बिहार	क्षमता	432.57	10.34	18.00	18.03	88.81	135.18	567.75	_	_	_	567.75
		स्टाक	228.34	7.86	12.37	13.57	38.02	71.82	300.16	-	-	-	300.16
		उपयोगिता	53%	76%	69%	75%	43%	53%	53%	_	_	_	53%
2.	उड़ीसा	क्षमता	267.58	_	42.92	128.77	15.00	186.69	454.27	_	_	_	454.27
		स्टाक	200.75	_	35.67	104.88	17.86	158.41	359.16	_	_	_	359.16
		उपयोगिता	75%	—	83%	81%	119%	85%	79%	—	—	—	79%
पश्चिम बंगाल राज्य													
3.	पश्चिम बंगाल	क्षमता	343.43	99.44	14.32	3.70	70.78	188.24	531.67	_	_	_	531.67
		स्टाक	158.04	25.85	6.42	1.60	37.18	71.05	229.09	—	—	—	229.09
		उपयोगिता	46%	26%	45%	43%	53%	38%	43%	—	—	—	43%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बे.एम.	क्षमता	518.62	67.00	–	–	40.00	107.00	625.62	–	–	–	625.62
	(पी.ओ.),	स्टाक	243.70	3.16	–	–	2.20	5.36	249.06	–	–	–	249.06
	कलकत्ता	उपयोगिता	47%	05%	–	–	05%	05%	40%	–	–	–	40%
	पश्चिम	क्षमता	862.05	166.44	14.32	3.70	110.78	295.24	1157.29	–	–	–	1157.29
बंगाल राज्य का जोड़		स्टाक	401.74	29.01	6.42	1.60	39.38	76.41	478.15	–	–	–	478.15
		उपयोगिता	47%	17%	45%	43%	36%	26%	41%	–	–	–	41%
5.	सिक्किम	क्षमता	7.30	–	–	–	8.95	8.95	16.25	–	–	–	16.25
		स्टाक	4.59	–	–	–	6.76	6.76	11.35	–	–	–	11.35
		उपयोगिता	63%	–	–	–	76%	76%	70%	–	–	–	70%
	पूर्वी जोन का जोड़	क्षमता	1569.50	176.78	75.24	150.50	223.54	626.06	2195.56	–	–	–	2195.56
	जोड़	स्टाक	835.42	36.87	54.46	120.05	102.02	313.40	1148.82	–	–	–	1148.82
		उपयोगिता	53%	21%	72%	80%	46%	50%	52%	–	–	–	52%
2. उत्तर-पूर्वी जोन													
असम क्षेत्र													
6.	असम	क्षमता	199.30	3.87	12.52	11.65	73.50	101.54	300.84	–	–	–	300.84
		स्टाक	118.35	1.09	6.32	10.23	50.27	67.91	186.26	–	–	–	186.26
		उपयोगिता	59%	28%	50%	88%	68%	67%	62%	–	–	–	62%
7.	अरुणाचल प्रदेश	क्षमता	17.50	–	–	–	–	–	17.50	–	–	–	17.50
		स्टाक	10.22	–	–	–	–	–	10.22	–	–	–	10.22
		उपयोगिता	58%	–	–	–	–	–	58%	–	–	–	58%
असम क्षेत्र का जोड़		क्षमता	216.80	3.87	12.52	11.65	73.50	101.54	318.34	–	–	–	318.34
		स्टाक	128.57	1.09	6.32	10.23	50.27	67.91	196.48	–	–	–	196.48
		उपयोगिता	59%	28%	50%	88%	68%	67%	62%	–	–	–	62%
उत्तर-पूर्वी जोन (सिलांग)													
8.	मेघालय	क्षमता	10.00	–	–	6.80	–	6.80	16.80	–	–	–	16.80
		स्टाक	6.26	–	–	4.05	–	4.05	10.31	–	–	–	10.31
		उपयोगिता	63%	–	–	60%	–	60%	61%	–	–	–	61%
9.	मणिपुर	क्षमता	17.75	1.00	–	–	–	1.00	18.75	–	–	–	18.75
		स्टाक	11.31	0.91	–	–	–	0.91	12.22	–	–	–	12.22
		उपयोगिता	64%	91%	–	–	–	91%	65%	–	–	–	65%
10.	मिजोरम	क्षमता	17.59	1.00	–	–	3.79	4.79	22.38	–	–	–	22.38
		स्टाक	5.04	0.74	–	–	0.08	0.82	5.86	–	–	–	5.86
		उपयोगिता	29%	74%	–	–	02%	17%	26%	–	–	–	26%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	नगालैंड	क्षमता	7.72	_	10.13	_	3.20	13.33	21.05	_	_	_	21.05
		स्टाक	0.71	_	6.02	_	0.59	6.61	7.32	_	_	_	7.32
		उपयोगिता	09%	_	59%	_	18%	50%	35%	_	_	_	35%
12.	त्रिपुरा	क्षमता	16.67	4.80	10.92	_	1.67	17.39	34.06	_	_	_	34.06
		स्टाक	10.11	2.25	8.12	_	1.90	12.27	22.38	_	_	_	22.38
		उपयोगिता	61%	47%	74%	_	114%	71%	66%	_	_	_	66%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का जोड़		क्षमता	69.73	6.80	21.05	6.80	8.66	43.31	113.04	_	_	_	113.04
		स्टाक	33.43	3.90	14.14	4.05	2.57	24.66	58.09	_	_	_	58.09
		उपयोगिता	48%	57%	67%	60%	30%	57%	51%	_	_	_	51%
उत्तर-पूर्वी जोन का जोड़		क्षमता	286.53	10.67	33.57	18.45	82.16	144.85	431.38	_	_	_	431.38
		स्टाक	162.00	4.99	20.46	14.28	52.84	92.57	254.57	_	_	_	254.57
		उपयोगिता	57%	47%	61%	77%	64%	64%	59%	_	_	_	59%
3.	उत्तरी जोन												
13.	दिल्ली	क्षमता	336.37	_	5.00	_	_	5.00	341.37	21.40	_	21.40	362.77
		स्टाक	228.03	_	2.77	_	_	2.77	230.80	5.13	_	5.13	235.93
		उपयोगिता	68%	_	55%	_	_	55%	68%	24%	_	24%	65%
14.	हरियाणा	क्षमता	763.66	27.28	44.02	57.50	241.86	370.66	1134.32	265.03	24.07	289.10	1423.42
		स्टाक	469.91	25.78	44.02	57.50	237.59	364.89	834.80	60.64	22.32	82.96	917.76
		उपयोगिता	62%	95%	100%	100%	98%	98%	74%	23%	93%	29%	64%
15.	हिमाचल प्रदेश	क्षमता	10.84	9.38	5.37	_	0.87	15.62	26.46	_	_	_	26.46
		स्टाक	8.28	5.46	2.79	_	0.49	8.74	17.02	_	_	_	17.02
		उपयोगिता	76%	58%	52%	_	56%	56%	64%	_	_	_	64%
16.	जम्मू और कश्मीर	क्षमता	77.34	15.00	_	_	8.60	23.60	100.94	_	_	_	100.94
		स्टाक	85.34	22.87	_	_	8.70	31.51	116.85	_	_	_	116.85
		उपयोगिता	110%	152%	_	_	101%	134%	116%	_	_	_	116%
पंजाब क्षेत्र													
17.	पंजाब	क्षमता	2133.63	328.29	342.93	747.74	1454.32	2872.79	5006.42	459.51	2059.86	2519.37	7525.79
		स्टाक	2083.57	330.71	337.56	729.79	1375.80	2773.86	4857.43	177.61	1523.59	1701.20	6558.63
		उपयोगिता	98%	101%	99%	98%	95%	97%	97%	39%	74%	68%	87%
18.	चंडीगढ़	क्षमता	39.94	3.50	17.70	9.94	_	31.14	71.08	6.30	28.75	35.05	106.13
		स्टाक	46.94	2.00	16.33	9.94	_	28.27	75.21	2.02	9.44	11.46	86.67
		उपयोगिता	118%	57%	92%	100%	_	91%	106%	32%	33%	33%	82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब क्षेत्र का जोड़	क्षमता	2173.57	331.79	360.23	757.68	1454.23	2903.93	5077.50	465.81	2066.61	2554.42	7631.92
	स्टाक	2130.51	332.71	353.89	739.73	1375.80	2802.13	4932.54	179.63	1533.09	1712.66	6645.30
	उपयोगिता	98%	100%	98%	98%	95%	96%	97%	39%	73%	67%	87%
19. राजस्थान	क्षमता	707.03	_	15.24	51.69	156.85	223.78	930.81	154.05	92.08	246.13	1176.94
	स्टाक	565.65	_	15.24	53.63	144.01	212.88	778.53	103.21	88.02	191.23	969.76
	उपयोगिता	80%	_	100%	104%	92%	95%	84%	67%	96%	78%	82%
20. उत्तर प्रदेश	क्षमता	1525.71	_	222.34	205.69	188.97	617.00	2142.71	330.12	75.28	405.40	2548.11
	स्टाक	1114.00	_	218.00	205.69	138.26	561.95	1675.95	138.34	60.41	198.75	1874.70
	उपयोगिता	73%	_	98%	100%	73%	91%	78%	42%	80%	49%	74%
उत्तरी जोन का जोड़	क्षमता	5594.52	383.45	652.20	1072.56	2051.38	4159.59	9754.11	1236.41	2280.04	3516.45	13270.56
	स्टाक	4801.72	386.82	636.71	1056.55	1904.85	3984.93	8586.65	486.95	1708.78	2190.73	10777.38
	उपयोगिता	82%	101%	98%	98%	93%	96%	88%	39%	75%	62%	81%
4. दक्षिणी जोन												
आंध्र प्रदेश राज्य												
21. आंध्र प्रदेश	क्षमता	1140.09	_	483.70	361.10	50.70	895.50	2035.59	239.80	120.00	359.80	2395.39
	स्टाक	845.29	_	421.80	254.40	28.90	705.10	1550.39	227.50	110.00	337.50	1887.89
	उपयोगिता	74%	_	87%	70%	57%	79%	76%	95%	92%	94%	79%
22. वे.एस. (पी.सी.) विज्ञान	क्षमता	41.56	_	_	_	_	_	41.56	_	_	_	41.56
	स्टाक	28.01	_	_	_	_	_	28.01	_	_	_	28.01
	उपयोगिता	67%	_	_	_	_	_	67%	_	_	_	67%
आंध्र प्रदेश का जोड़	क्षमता	1181.65	_	483.70	361.10	50.70	895.50	2077.15	239.80	120.00	359.80	2436.95
	स्टाक	873.30	_	421.80	254.40	28.90	705.10	1578.40	227.50	110.00	337.50	1915.90
	उपयोगिता	74%	_	87%	70%	57%	79%	76%	95%	92%	94%	79%
23. केरल	क्षमता	535.44	_	7.00	_	6.35	13.35	548.79	11.35	_	11.35	560.14
	स्टाक	468.44	_	6.80	_	6.38	13.18	481.62	11.35	_	11.35	492.97
	उपयोगिता	87%	_	97%	_	100%	99%	88%	100%	_	100%	88%
24. कर्नाटक	क्षमता	276.37	_	96.90	119.40	17.45	233.75	510.12	119.93	4.35	124.28	634.40
	स्टाक	254.96	_	77.76	93.05	11.92	182.73	437.69	98.49	4.43	102.92	540.61
	उपयोगिता	92%	_	80%	78%	68%	78%	86%	82%	102%	83%	85%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु क्षेत्र													
25. तमिलनाडु		क्षमता	547.28	–	199.50	100.00	–	299.50	846.78	53.85	–	53.85	900.63
		स्टाक	439.70	–	176.81	85.05	–	261.86	701.56	40.22	–	40.22	741.78
		उपयोगिता	80%	–	89%	85%	–	87%	83%	75%	–	75%	82%
26. पी.एम. (पी.ओ.) चेन्नई		क्षमता	40.00	–	–	–	–	–	40.00	–	–	–	40.00
		स्टाक	5.11	–	–	–	–	–	5.11	–	–	–	5.11
		उपयोगिता	12%	–	–	–	–	–	12%	–	–	–	12%
27. पांडिचेरी		क्षमता	41.20	–	–	–	–	–	41.20	–	37.33	37.33	78.53
		स्टाक	23.66	–	–	–	–	–	23.66	–	37.33	37.33	60.99
		उपयोगिता	57%	–	–	–	–	–	57%	–	100%	100%	78%
तमिलनाडु क्षेत्र का जोड़		क्षमता	628.48	–	199.50	100.00	–	299.50	927.98	53.85	37.33	91.18	1019.16
		स्टाक	468.47	–	176.81	85.05	–	261.86	730.33	40.22	37.33	77.55	807.88
		उपयोगिता	75%	–	89%	85%	–	87%	79%	75%	100%	85%	79%
दक्षिणी जोन का जोड़		क्षमता	2621.94	–	87.10	580.50	74.50	1442.10	4064.04	424.93	161.68	586.61	4650.65
		स्टाक	2065.17	–	83.17	432.50	47.20	1162.87	3228.04	377.56	151.76	529.32	3757.36
		उपयोगिता	79%	–	87%	74%	63%	81%	79%	89%	94%	90%	81%
5. पश्चिमी जोन													
गुजरात राज्य													
28. गुजरात		क्षमता	336.43	12.11	51.66	–	209.38	273.15	609.58	129.58	160.50	290.08	899.66
		स्टाक	237.30	6.93	52.77	–	188.38	248.08	485.38	130.77	150.79	281.56	766.94
		उपयोगिता	71%	57%	102%	–	90%	91%	80%	101%	94%	97%	85%
29. कांडला पत्तन		क्षमता	143.86	–	–	–	–	–	143.86	48.54	–	48.54	192.40
		स्टाक	118.94	–	–	–	–	–	118.94	48.54	–	48.54	167.48
		उपयोगिता	83%	–	–	–	–	–	83%	100%	–	100%	87%
गुजरात राज्य का जोड़		क्षमता	480.29	12.11	51.66	–	209.38	273.15	753.44	178.12	160.50	338.62	1092.06
		स्टाक	356.24	6.93	52.77	–	188.38	248.08	604.32	179.31	150.79	330.10	934.42
		उपयोगिता	74%	57%	102%	–	90%	91%	80%	101%	94%	97%	86%
महाराष्ट्र क्षेत्र													
30. महाराष्ट्र		क्षमता	1177.11	75.89	46.50	79.18	107.50	309.07	1486.18	88.33	57.64	145.97	1632.15
		स्टाक	873.11	62.98	67.47	65.29	85.47	281.21	1154.32	51.96	58.55	110.51	1264.83
		उपयोगिता	74%	83%	145%	82%	79%	91%	78%	59%	102%	76%	78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31. गोवा	क्षमता	15.00	–	–	–	–	–	15.00	–	–	–	15.00
	स्टाक	12.26	–	–	–	–	–	12.26	–	–	–	12.26
	उपयोगिता	82%	–	–	–	–	–	82%	–	–	–	82%
महाराष्ट्र का जोड़	क्षमता	192.11	75.89	46.90	79.18	107.50	309.07	1501.18	88.33	57.84	145.97	1647.15
	स्टाक	885.37	62.98	67.47	65.29	85.47	281.21	1166.58	51.96	58.55	110.51	1277.09
	उपयोगिता	74%	83%	145%	82%	79%	91%	78%	59%	102%	76%	78%
32. मध्य प्रदेश	क्षमता	830.52	86.22	156.78	196.83	80.70	522.53	1353.05	88.86	147.50	236.36	1589.41
	स्टाक	679.16	77.58	145.79	149.30	60.73	443.40	1112.56	42.78	95.45	138.23	1250.79
	उपयोगिता	82%	88%	93%	76%	75%	83%	82%	48%	65%	58%	79%
पश्चिमी जोन का जोड़	क्षमता	2502.92	176.22	254.94	276.01	397.58	1104.75	3807.67	355.31	385.64	720.95	4328.62
	स्टाक	1920.77	147.49	266.03	214.59	334.58	982.69	2883.46	274.05	304.79	578.84	3462.30
	उपयोगिता	77%	84%	104%	78%	84%	87%	80%	77%	83%	80%	80%
सकल जोड़	क्षमता	12575.41	747.12	1803.05	2098.02	2829.16	7477.35	20052.76	2016.16	2807.36	4824.04	24876.77
(अखिल भारत)	स्टाक	9585.08	576.17	1660.83	1837.97	2441.49	6516.46	16101.54	1138.56	2160.33	3298.89	19400.4
	उपयोगिता	76%	77%	92%	88%	86%	87%	80%	56%	77%	68%	78%

नोट : 1. (*) 31.12.1999 की स्थिति
2. स्टाक के आंकड़े क्षेत्रीय कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित हैं।

विवरण-III

1999-2000 से 2001-2002 तक भंडारण क्षमता के वर्षवार अनुमान

राज्य	केन्द्र	क्षमता (हजार टन में)	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
डिट-पुट कार्य					
उत्तरी जोन					
जम्मू और कश्मीर	बारामूला	1.67	1.67	–	–
उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ	2.50	2.50	–	–
उत्तर प्रदेश	पडरौना	2.50	2.50	–	–
पंजाब	राजपुरा	15.00	15.00	–	–
पंजाब	टांडा उर्मर	18.36	18.36	–	–
हरियाणा	तौरौरी	10.00	10.00	–	–
		50.03	50.03	–	–

1	2	3	4	5	6
दक्षिणी जोन					
केरल	पैय्यानूर	30.00	10.00	20.00	–
आंध्र प्रदेश	नैल्लोर	30.00	10.00	20.00	–
		60.00	20.00	40.00	–
पूर्वी जोन					
उड़ीसा	परलेकमुंडी	10.00	10.00	–	–
पश्चिमी जोन					
गुजरात	राजकोट	20.00	10.00	10.00	–
उत्तर-पूर्वी जोन					
नागालैंड	दीमापुर	10.00	10.00	–	–
नागालैंड	जोवई	3.75	–	3.75	–
नागालैंड	लौंगतल्लई	3.34	3.34	–	–
मणिपुर	जीरीबाम	2.50	–	2.50	–
त्रिपुरा	अगरतला	5.00	5.00	–	–
		24.59	18.34	6.25	–
नए केन्द्र					
उत्तरी जोन					
उत्तर प्रदेश	सिंगली	5.00	5.00	–	–
उत्तर प्रदेश	नालूपन्नी	2.50	–	–	2.50
जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	5.00	–	–	5.00
जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	2.50	–	–	2.50
जम्मू और कश्मीर	बड़गांव	2.50	–	–	2.50
जम्मू और कश्मीर	किस्तवाड़	2.50	–	2.50	–
जम्मू और कश्मीर	कारगिल	5.00	–	–	5.00
हिमाचल प्रदेश	केलौंग	2.50	–	–	2.50
संघ राज्य क्षेत्र/दिल्ली	नरेला	50.00	–	25.00	25.00
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.67	–	1.67	–
		79.17	5.00	29.17	45.00

1	2	3	4	5	6
दक्षिणी जोन					
कर्नाटक	बीजापुर	10.00	–	10.00	–
कर्नाटक	बेलगांव	20.00	10.00	10.00	–
कर्नाटक	रायचूर	15.00	–	15.00	–
कर्नाटक	हसन	10.00	10.00	–	–
कर्नाटक	तुंकुर	15.00	–	–	15.00
आंध्र प्रदेश	अमलापुरम	10.00	10.00	–	–
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	10.00	–	10.00	–
		90.00	30.00	45.00	15.00
उत्तर-पूर्वी जोन					
मेघालय	शिलांग	5.00	–	–	5.00
नागालैंड	कोहिमा	5.00	–	–	5.00
		10.00	–	–	10.00
सकल जोड़		343.79	143.37	130.42	70.00

पाम ऑयल विकास कार्यक्रम

3252. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान पाम ऑयल डेवलपमेंट कार्यक्रम (पी.ओ.डी.पी.) आरम्भ किया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान धनराशि के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले कुछ राज्य लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और इन राज्यों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आठवीं योजना के दौरान तेल पाम विकास कार्यक्रम के माध्यम से तेल पाम के अन्तर्गत 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लक्ष्य के प्रति 33,337 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। आठवीं योजना के दौरान तेल पाम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवंटित राज्यवार केन्द्रीय भाग तेल पाम के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। तेल पाम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के संबंध में विभिन्न तेल पाम उत्पादक राज्यों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) राजामुद्री (आन्ध्र प्रदेश), तारका (कर्नाटक) और ढोजुपुजहा (केरल) प्रत्येक में एक बीज बाग स्थापित किया गया है ताकि क्षेत्र विस्तार के लिए आवश्यक तेल पाम के बीजों का स्वदेश में उत्पादन हो सके। इलुरू (आन्ध्र प्रदेश) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक और बीज बाग स्थापित किया जा रहा है।

(2) तेल पाम के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चार प्रदर्शन प्रसंस्करण यूनिटें गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में प्रत्येक में एक यूनिट स्थापित की जा रही है।

(3) नौवीं योजना के दौरान किसानों को रोपण सामग्री और खेती में निवेश के लिए आर्थिक सहायता बढाई गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों को डीजल पम्पसेट लगाने और बंजर भूमि को तेल पाम के अन्तर्गत लाने के लिए आर्थिक सहायता आरंभ की गई है।

(4) तेल पाम के उत्पादन और प्रसंस्करण को नियंत्रित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के मुख्य तेल पाम उत्पादक राज्यों में तेल पाम अधिनियम लागू किया गया है।

(5) तेल पाम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल किसानों और कर्मचारियों के लिए तेल पाम राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, पेदावेगी, आन्ध्र प्रदेश में प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय भाग का राज्य-वार आवंटन, तेल पाम के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	आवंटित केन्द्रीय भाग (लाख रुपये में)	क्षेत्र विस्तार के लिए लक्ष्य (हैक्टेयर में)	क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत उपलब्धियां (हैक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,082.08	47,000	18,888
2.	कर्नाटक	2,291.26	18,000	6,431
3.	तमिलनाडु	865.47	8,000	6,105
4.	गुजरात	432.43	3,100	300
5.	उड़ीसा	57.91	1,700	893
6.	गोवा	106.40	1,000	624
7.	त्रिपुरा	104.04	500	86
8.	असम	64.81	400	10
9.	पश्चिम बंगाल	0.00	300	0
10.	केरल	17.43	0	0
	जोड़	9,021.83	80,000	33,337

घटिया सफाई व्यवस्था के कारण मौतें

3253. श्री रामसागर रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हंगर स्टिल बिगेस्ट किलर: स्टेज रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं तथा देश में खराब सफाई व्यवस्था के कारण हुई मृत्यु का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

''पनधारा'' विकास परियोजना

3254. श्री दिनशा पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कुछ राज्यों में पनधारा विकास परियोजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषरूप से गुजरात के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक की सहायता से और परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

3255. श्री राजेश वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने के कारण उर्वरक भूमि धीरे-धीरे बंजर भूमि बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों, भूमि संसाधनों के कम उपयोग, उपयुक्त मृदा और जल प्रबंधन के न होने से भूमि की उर्वरता का ह्रास होने, प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी कारणों आदि से भूमि कटाव और भूमि अवक्रमण होता है जिसके परिणामस्वरूप भूमि बंजर होने के साथ-साथ अवक्रमित होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं, जिनमें भूमि का अवक्रमण रोककर ऐसी समस्याग्रस्त भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने तथा ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग योग्य बनाने संबंधी कार्य शामिल हैं, को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय

   (1) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम।

   (2) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण।

   (3) निवेश संवर्धन योजना।

   (4) सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम।

   (5) मरूभूमि विकास कार्यक्रम।

2. कृषि मंत्रालय

   (1) नदी घाटी परियोजनाओं के तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण।

   (2) क्षारीय भूमि का सुधार।

   (3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना।

   (4) पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं।

3. जल संसाधन मंत्रालय

   (1) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जलाक्रांत क्षेत्रों का विकास।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

   (1) समेकित वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना।

   (2) क्षेत्रोन्मुखी जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजनाएं।

   (3) वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान योजना।

[अनुवाद]

नागपुर हवाई अड्डे का उन्नयन

3256. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माल के आयात-निर्यात तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात को ठीक ढंग से चलाने हेतु नागपुर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ा कर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिये जाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) 2.00 करोड़ रुपए की लागत से अन्तरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय कार्गो तथा कूरियर बैगों की हैंडलिंग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवम्बर, 1997 में नागपुर विमानपत्तन पर एक समेकित कार्गो और कूरियर टर्मिनल पहले ही चालू कर दिया गया है।

वालटेयर मंडल का विलय

3257. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के वालटेयर मंडल का भुवनेश्वर स्थित मुख्यालय वाले किसी अन्य मंडल के साथ विलय के प्रस्ताव का विरोध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विशाखापत्तनम का एक पृथक मंडल के रूप में निर्माण अथवा इसका दक्षिण मध्य रेलवे के साथ विलय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। इस समय वाल्तेरू मण्डल दक्षिण-पूर्व रेल का भाग है न कि दक्षिण-मध्य रेल का।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं

3258. श्री प्रभात सामंतराय :
श्री अनन्त नायक :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी कुल लागत कितनी है तथा वर्ष 2000-2001 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा अब तक उन पर परियोजना-वार कितना व्यय किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें समय से पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उड़ीसा में नई परियोजनाओं हेतु कराए गए/कराये जा रहे सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उन सर्वेक्षण रिपोर्टों पर क्या कदम उठाया गया है जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं;

(च) वर्ष 1998-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास की योजनाएं

3259. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास की कुछ योजनाएं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) पंजाब सरकार ने 3.82 करोड़ रुपये के खर्च से राज्य में नव निर्वाचित सरपंचों, पंचों, सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर 15.1.1999 को विचार किया गया तथा राज्य सरकार को एक संशोधित प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

वस्तुओं को द्वार-से-द्वार तक पहुंचाने की सेवा

3260. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल सड़क ट्रेपर के माध्यम से वस्तुओं को द्वार-से-द्वार तक पहुंचाने की सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन पर आने वाले खर्च का भी अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) रेलपथों के साथ सड़कों पर संचलन के योग्य रोड रेलर्स सेवा को शुरू करने के लिए मार्च, 1996 में एक निजी कंपनी से रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। रोल रेलर्स की खरीद के लिए सभी निवेश और योजना के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी। यह एक पूर्णतया नयी प्रकार की प्रक्रिया है जिसे अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए परीक्षण के दौर से गुजरना होगा।

[अनुवाद]

रक्षा सेवाओं में सिविल अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग

3261. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 63.144 में यह सिफारिश की थी कि अनुभाग अधिकारी के 20 पद और अवर सचिव के 10 पद सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के सदस्यों द्वारा भरे जाने चाहिए ताकि सेवा मुख्यालयों में इन अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई विशेषज्ञता को उपयोग में लाया जा सके।

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा अधिकारियों के अनुभव का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ये सिफारिशें निम्नलिखित कारणों से लागू नहीं की गई हैं:- रक्षा मंत्रालय सहित केन्द्रीय सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के पद केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के सचिवालय में अवर सचिवों के पद केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के प्रावधानों के अनुसार भरे जाते हैं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी पैरा 63.144 में विशेष रूप से सिफारिश की है कि सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों की भर्ती रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तीनों रक्षा सेवा मुख्यालयों तथा अंतर-सेवा संगठनों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के लिए की जा रही है तथा इस समय इन संगठनों में इन अधिकारियों की सेवाओं का सदुपयोग किया जा रहा है।

पक्षियों के टकराने की घटनाएं

3262. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान पक्षियों के टकराने से हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षतिग्रस्त विमानों की मरम्मत पर खर्च हुई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इन वर्षों के दौरान पक्षी टकराव की घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1997	150
1998	136
1999	121

(ख) क्षतिग्रस्त विमानों की मरम्मत पर विभिन्न एयरलाइनों द्वारा किये गये खर्च के ब्यौरे (रुपये में) नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस	सहारा इंडिया	जेट एयरवेज
1997	6.44 लाख	3.60 करोड़	18.08 लाख	4.00 करोड़
1998	8.24 करोड़	3.16 करोड़	3.53 करोड़	11.00 करोड़
1999	3.34 लाख	3.24 करोड़	96.52 लाख	4.4 करोड़

(ग) विमान क्षेत्रों के चारों ओर का सर्वेक्षण किया गया और पक्षी आकर्षण के स्त्रोत की जांच करने के लिए विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पक्षियों को पता लगाने और विमानक्षेत्रों के अन्दर पक्षी आकर्षण के स्त्रोत से हटाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

प्रभावित किसानों को मुआवजा

3263. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन किसानों का ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि सरकार द्वारा उड़ीसा में दैतारी-बानसपानी परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई है;

(ख) प्रभावित किसानों को किस दर से मुआवजा दिया गया; और

(ग) भूमि अधिग्रहण का काम कब तक पूरा हो जाएगा तथा परियोजना पर काम तब शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड में खाद्य तेल की चोरी

3264. डा. बलिराम : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड, मुम्बई से ठेकेदारों द्वारा तेल की चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए और इनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में ठेकेदारों और मालवाहकों के साथ कर्मचारियों की सांठ-गांठ पाई गई; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई में तेल की उठाईगिरी से संबंधित ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंदौर और भोपाल के लिए एयर सेवा

3265. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदौर से भोपाल तक एयर बस सेवा प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में ऐसे कौन-कौन से प्रमुख मैदानी क्षेत्र हैं जहां के लिए एयर बस सेवा उपलब्ध है;

(ङ) क्या एयर बस सेवा प्रदान करने की कोई कार्य योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक अवरोधों के कारण इन्दौर से भोपाल तक इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एयरबस सेवा का प्रावधान नहीं हो सकता है।

(घ) घरेलू नेटवर्क पर स्टेशनों जहां इंडियन एयरलाइन्स एयरबस सेवा प्रदान करती है की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) इस समय घरेलू नेटवर्क पर किसी नए स्टेशन तक एयरबस सेवा प्रचालित करने की इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है।

विवरण

घरेलू नेटवर्क में उन स्टेशनों की सूची जहां इंडियन एयरलाइन्स एयरबस सेवाएं प्रदान करती है

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. औरंगाबाद
4. बागडोगरा
5. बैंगलोर
6. भावनगर
7. भुवनेश्वर
8. कलकत्ता
9. चैन्नई
10. कोचीन
11. कालीकट
12. कोयम्बटूर
13. दिल्ली
14. डिब्रूगढ़
15. गोवा
16. गुवाहाटी
17. हैदराबाद
18. इम्फाल
19. जम्मू
20. लखनऊ
21. मदुरै
22. मुम्बई
23. पटना
24. पूना
25. रायपुर
26. रांची
27. श्रीनगर
28. तिरूपति
29. त्रिवेन्द्रम
30. वडोदरा
31. वाराणसी।

[अनुवाद]

विमान भाड़ों में वृद्धि

3266. श्रीमती रानी नरह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विमान भाड़ों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) इससे भारत आने वाले पर्यटक किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स के अंतर्देशीय विमान किराये निम्न प्रकार से बढ़ाए गए हैं:-

1997

पूर्वोत्तर क्षेत्र	–	10.5%
शेष भारत:		
1. 700 किलोमीटर तक सैक्टर	–	14.0 प्रतिशत
2. 700 किलोमीटर से ऊपर सैक्टर	–	10.5 प्रतिशत

1998

श्रेणी-2 मार्ग : (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह में स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग:		– शून्य
शेष भारत	–	11.2 प्रतिशत

1999

केवल अमरीकी डालर किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

श्रेणी-2 मार्गों पर कोई वृद्धि नहीं की गई है।

जहां तक भारत के लिए/से होकर किराये में वृद्धि करने का संबंध है, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटन आगमन में मार्जिन/वृद्धि हुई है।

विवरण

भारत से किराया वृद्धि

क्षेत्र	1997-98	
	% वृद्धि	प्रभावी तारीख
1	2	3
यूरोप	शून्य	लागू नहीं
अफ्रीका	5%	15/4/97
मध्य पूर्व	5%	1/4/97
दक्षिण पूर्व एशिया	5%	15/4/97
द.प. पैसिफिक	5%	15/4/97
जापान और कोरिया	5%	15/4/97
यूएसए/कनाडा	5%	1/4/97
मध्य अमेरिका	एफ/जे. 2%	1/4/97
दक्षिणी अमेरिका	एफ/जे. 2%	1/4/97

भारत से किराया वृद्धि

क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
	% वृद्धि	प्रभावी तारीख	% वृद्धि	प्रभावी तारीख
यूरोप	शून्य	लागू नहीं	5%	1/12/99
अफ्रीका	5%	7/5/98	शून्य	लागू नहीं
मध्य पूर्व	शून्य	लागू नहीं	5%	1/6/99
द.प. एशिया	शून्य	लागू नहीं	5%	16/9/99
द.प. पैसिफिक	शून्य	लागू नहीं	5%	16/9/99
जापान और कोरिया	शून्य	लागू नहीं	5%	16/9/99
यूएसए/कनाडा	शून्य	लागू नहीं	10.25%	16/9/99 वीआईएएटी
मध्य अमेरिका	शून्य	लागू नहीं	10.25%	16/9/99 वीआईएएटी
दक्षिणी अमेरिका	शून्य	लागू नहीं	सामान्य 10.25% विशेष 5%	16/9/99 वीआईएएटी

भारत के लिए किराया वृद्धि

क्षेत्र	1997-98 % वृद्धि	प्रभावी तारीख
1	2	3
यूरोप	शून्य	लागू नहीं
अफ्रीका	बेट 5%-7%	15/4/97

1	2	3
मध्य पूर्व	शून्य	लागू नहीं
दक्षिण पूर्व एशिया	बेट 5%-7%	15/4/97
द.प. पैसिफिक	4% आस्ट्रेलिया से	15/4/97
जापान और कोरिया	शून्य	लागू नहीं
यूएसए/कनाडा	बेट 4%-5%	1/4/97
मध्य अमेरिका	एफ/जे.2%	1/4/97
दक्षिणी अमेरिका	एफ/जे.2%	1/4/97

भारत के लिए किराया वृद्धि

क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
	% वृद्धि	प्रभावी तारीख	% वृद्धि	प्रभावी तारीख
यूरोप	शून्य	लागू नहीं	बेट 2%-19%	16/6/99
			बेट 2%-10%	1/12/99
अफ्रीका	बेट 3%-5%	7/5/98	शून्य	लागू नहीं
मध्य पूर्व	शून्य	लागू नहीं	5%	1/6/99
द.प. एशिया	शून्य	लागू नहीं	5%	16/9/99
द.प. पैसिफिक	शून्य	लागू नहीं	ऑस्ट्रे.5% पपुआ न्यू जीनिया-11%	16/9/99
जापान और कोरिया	शून्य	लागू नहीं	कोरिया-10% एन और एसपीसी 5%	16/9/99
यूएसए/कनाडा	शून्य	लागू नहीं	एनआरएमएल 10.25% एसपीसी 8%	16/9/99 वीआईएएटी
मध्य अमेरिका	शून्य	लागू नहीं	बेट 4%-7%	16/9/99 वीआईएएटी
दक्षिणी अमेरिका	शून्य	लागू नहीं	एफ/जे-4%	16/9/99 वीआईएएटी

[हिन्दी]

क्यूल-साहिबगंज रेलमार्ग का दोहरीकरण

3267. श्री सुबोध राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यूल-साहिबगंज रेलमार्ग के दोहरीकरण की घोषणा किस तारीख को की गई थी;

(ख) उक्त कार्य को कहां तक पूरा किया गया है साथ ही इसके लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) क्यूल-जमालपुर-भागलपुर खंड के कजरा-जमालपुर और रतनपुर-सुल्तानगंज-भागलपुर उपखंडों पर कहीं-कहीं दोहरीकरण वर्ष 1980-81 के बजट में शामिल किया गया था और यह पूरा हो गया है। जब कभी यातायात की आवश्यकता होगी क्यूल-साहेबगंज खंड के शेष भाग का दोहरीकरण शुरू किया जाएगा।

(ख) जैसा कि पैरा (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि कहीं-कहीं दोहरीकरण 33.46 करोड़ रु. की लागत पर 1993-94 में पूरा हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागपुर विमानपत्तन का निजीकरण

3268. श्री सुबोध मोहिते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर विमानपत्तन का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नागपुर विमानपत्तन पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो केन्द्र (हब) बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागपुर विमानपत्तन पर अन्तरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय कार्गो और कूरियर बैगों की हैंडलिंग के लिए 2.00 करोड़ रुपए की लागत से नवम्बर, 1997 में एक समेकित कार्गो और कूरियर टर्मिनल का निर्माण करके, इसे चालू कर दिया है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

3269. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में विन्ड जेनरेटर और बैटरी चार्जिंग प्रणाली स्थापित की गई है और यह संतोषप्रद कार्य करती हुई पर्याप्त विद्युत उत्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विन्ड जेनरेटर और बैटरी चार्जिंग प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार्यता की पड़ताल करने के लिए 21 राज्यों में नेशनल विन्ड सर्वे प्रोग्राम शुरू किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस बीच किन-किन राज्यों में विन्ड जेनरेटर और बैटरी चार्जिंग प्रणाली स्थापित कर बिजली पैदा की जा रही है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में विन्ड जेनरेटर और बैटरी चार्जिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए सम्पर्क किया है;

(च) क्या पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर जिले में एक ऐसी परियोजना चालू हो गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु में अब तक 758 मेगावाट की समग्र क्षमता के पवन विद्युत जनरेटरों तथा 9 कि.वा. क्षमता की बैटरी चार्जिंग प्रणालियों की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) और (घ) जी हां। 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में पवन विद्युत जनरेटरों और पवन बैटरी चार्जिंग प्रणालियों की स्थापना की गई है।

(ङ) से (छ) जैसलमेर, राजस्थान में दो मेगावाट क्षमता की एक प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजना पहले से ही बिजली उत्पादित कर रही है तथा इसे राज्य ग्रिड को उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, इस राज्य में 4 कि.वा. क्षमता की दो पवन बैटरी चार्जिंग प्रणालियों की भी स्थापना की गई है। इस राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में 2.25 मेगावाट क्षमता की एक अन्य प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए हाल ही में अनुमोदन किया गया है।

गेहूं का सड़ना

3270. श्री वसुदेव आचार्य : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष और पहले के वर्षों की उपज की कितनी मात्रा गेहूं के कुल भंडार में शामिल है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं सड़ने की गंभीर समस्या है और इसका निपटान करने के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और पूर्ववर्ती खाद्य मंत्रालय के बीच असहमति की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़े गेहूं को वहां से हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क)

(आंकड़े लाख टन में)

(1)	31.1.2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गेहूं के स्टाक की कुल मात्रा	– 75.43
(2)	पिछले वर्ष की फसल के गेहूं की मात्रा	– 56.13
(3)	पूर्व के वर्षों की फसलों के गेहूं की मात्रा	– 19.30

(ख) से (घ) जी, नहीं। क्षतिग्रस्त गेहूं के स्टाक का निपटान करने के बारे में कोई असहमति नहीं है, जिसका निपटान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है।

आई.टी.डी.सी. के होटलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं

3271. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के निकट स्थित आई.टी.डी.सी. के होटल अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी करने में विफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम उन्हीं व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करता है, जो उनके होटलों में ठहरते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्काई मार्शलों के लिए त्वरित पाठ्यक्रम

3272. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्काई मार्शलों के लिए विमानन सुरक्षा का त्वरित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विमानों के अपहरण को रोकने के लिए और यात्री सुरक्षा के लिए विमान निगरानी हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के समन्वित प्रयास से, एक कम्पैक्ट कैप्सूल ट्रैनिंग कोर्स का प्रबंध किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपहरण स्थिति में प्रतिक्रिया, प्रचालनों को आयोजित करना, यदि आवश्यकता हुई, तो सफलतापूर्वक प्रचालन करने के लिए अवस्थिति पर व्यवहारिक हैंड और विमान में सुरक्षा उपाय सम्मिलित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अरूणाचल प्रदेश में नई रेलवे लाइन

3273. श्री जारबोम गामलिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अगले वर्ष के दौरान अरूणाचल प्रदेश में नई रेलवे लाइन बिछाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 2000-01 के रेलवे बजट में अरूणाचल प्रदेश में कोई नई रेलवे लाइन परियोजना शामिल नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाल्ट स्टेशनों का निर्माण

3274. श्री रूपचन्द पाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बर्दवान-हावड़ा कोड लाइन पर शिबाई चंदी और बेलगुडी के बीच धनियारखली में तथा बैदयावाली और भद्रेश्वर के बीच खुरिगाची में हाल्ट स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झूठे रेल-दावे

3275. श्री अरूण कुमार :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झूठे रेल-दावों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) इनमें कितनी धनराशि का दावा किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में झूठे दावे पेश करने को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) केवल तर्कसंगत दावों के निपटान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में पर्याप्त उपायों की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई झूठा दावा पकड़ में आता है तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 149 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाती है जिसमें दावाकर्त्ता के विरुद्ध एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अथवा जुर्माना अथवा दोनों की व्यवस्था है। इसके अलावा, ऐसी प्रक्रियाओं में लिप्त दावा एजेंटों को काली सूची में डालकर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. के पास जमानत जमा

3276. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 23 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3608 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार, दिल्ली और एन.सी.सी.एफ. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त ब्याज मुक्त जमानत जमा का उपयोग अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस जमानत जमा का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सुपर बजार और एन.सी.सी.एफ. द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से कुल कितनी राशि प्राप्त की गई और आज की स्थिति के अनुसार इनके पास कितनी राशि लंबित है; और

(ङ) इस प्रकार प्राप्त जमानत जमा का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवाद प्रसाद): (क) से (ङ) सुपर बाजार दिल्ली और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ स्वायत्तशासी सहकारी संगठन है जिनके कारोबार और दिन-प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए अपने निदेशक मण्डल हैं। दोनों संगठनों ने सूचित किया है कि वे आपूर्तिकर्ताओं को प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए उनसे एकबारगी पंजीकरण शुल्क के रूप में 10,000 रु. की प्रतिभूति राशि जमा करवाते हैं। इस ''प्रतिभूति जमा'' राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं को घटिया और सड़े-गले माल को समय रहते बदलने, जब कभी आवश्यकता पड़े उन्हें माल की भराई करने आदि जैसी ठेके संबंधी प्रतिबद्धताओं

से बांधकर रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार ने यह भी सूचना दी है कि कम्पनी कार्य विभाग के तहत जांच और पंजीकरण महानिदेशालय और एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को इस विषय में शिकायत मिली है और कम्पनी कार्य विभाग ने इस संबंध में इन संगठनों से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण मांगे हैं।

दुकानों का आवंटन

3277. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल प्राधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकानों, फलों की दुकानों, मेडिकल स्टोरों और पी.सी.ओ./एस.टी.डी. बूथों का आवंटन करने के लिए किन श्रेणियों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि रेल अधिकारियों की मिली-भगत से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए आवंटित दुकानों पर कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का कब्जा है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने ऐसे मामलों का सत्यापन करने के लिए कोई प्रक्रिया तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) स्टेशनों पर मेडीकल भंडारों सहित खानपान/बेडिंग स्टालों का आवंटन प्रेस अधिसूचना के माध्यम से प्रतिष्ठित तथा अनुभव प्राप्त व्यावसायियों से आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। खान-पान नीति में अ.जा./अ.ज.जा. कोटियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

बहरहाल, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की कोटियों सहित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं तथा बेरोजगार युवकों को पी.सी.ओ./एस.टी.डी. बूथों के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कम्पनियों को अन्तरराष्ट्रीय यातायात अधिकार

3278. श्री दानवे रावसाहब पाटील :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों को उनके निजीकरण के बाद अन्तरराष्ट्रीय यातायात अधिकार देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विमान कंपनियों को अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) तैयार की जा रही नागर विमानन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इन मुद्दों को ध्यान में रखा जायेगा। इसे अंतिम रूप दिये जाने से पहले नीति के प्रारूप को विचारों/टिप्पणियों के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

जयपुर स्थित जोनल कार्यालय का कार्यकरण

3279. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर में पश्चिमोत्तर रेलवे के मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध करवाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ और उक्त भवन के निर्माण तथा अन्य संबंधित संसाधनों के लिए केन्द्र सरकार ने आगे क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उन मंडलों का ब्यौरा क्या है जो कि पश्चिमोत्तर रेलवे में शामिल किए गए हैं;

(घ) क्या पश्चिमोत्तर रेलवे पूर्णतया प्रचालन की स्थिति में है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब से परिचालन की स्थिति में होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेलों में नए जोन के मुख्यालय की स्थापना करने के लिए गेटोर जगतपुरा में 6.36 करोड़ की लागत पर 69 बीघा भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार से कहा है। राज्य सरकार अभी भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही है। भूमि अधिग्रहण के लिए अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहीत कर लेने के बाद इमारत का निर्माण और अवसंरचना से संबंधित अन्य कार्य शुरू किये जाएंगे।

(ग) से (ङ) स्थायी समिति और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विशिष्ट टिप्पणियों के दृष्टिगत भारतीय रेल पर नए जोनों और मंडलों की स्थापना के मामलों की फिलहाल समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

रेल मार्ग पुनः शुरू करना

3280. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की "गंगा जल और तीन बीघा गलियारा" मामले पर भारत और बंगलादेश के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के संदर्भ में एक लंबे समय से बंद हल्दीबारी (पश्चिम बंगाल) से चिलाहाटी (बंगलादेश) होते हुए बंगलादेश मार्ग पर पूर्वोत्तर सीमान्त रेल को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का आयात मूल्य

3281. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान गेहूं का आयात मूल्य क्या था और इस अवधि में घरेलू बाजार में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूं की कीमत क्या थी; और

(ख) अधिक मूल्य पर गेहूं आयात के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आयातित गेहूं और गेहूं की वसूली के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: -

वर्ष	देश	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य प्रति टन (अमेरिकी डालर में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
1996-97	आस्ट्रेलिया	13.90	148.00 (जहाज तक निष्प्रभार)	380.00
			156.00 (जहाज तक निष्प्रभार)	
	कनाडा	2.66	152.50 (जहाज तक निष्प्रभार)	
	अर्जेंटीना	0.95	173.00 (लागत और भाड़ा)	
1997-98	आस्ट्रेलिया	2.43	153.40 (जहाज तक निष्प्रभार)	415.00*
		7.75	152.65 (जहाज तक निष्प्रभार)	
1998-99	आस्ट्रेलिया	14.15	142.50 (जहाज तक निष्प्रभार)	455.00*

*बोनस रहित

(ख) सरकार निर्धारित न्यूनतम बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मांग, खुले बाजार मूल्यों आदि की निरंतर समीक्षा करती है और समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी खाते पर खाद्यान्नों के आयात करने का निर्णय लिया गया था।

राजस्थान में आमान-परिवर्तन

3282. डा. गिरिजा व्यास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक राजस्थान में उन मीटरगेज रेललाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ब्राडगेज में परिवर्तित किया गया, और इस कार्य पर कुल खर्च कितना हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार से आमान-परिवर्तन के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(घ) चालू आमान-परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं की लागत और अब तक किए गए व्यय और उनकी लागत संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान राजस्थान में अब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित की गई लाइन जोधपुर-मारवाड है। इस परियोजना पर खर्च की गई राशि 110.14 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) से (ग) भिलड़ी-समदड़ी, अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर, लूनी-बाडमेर-मुनाबाव, आगरा फोर्ट-बांदीकुई, रेवाड़ी-सादुलपुर, श्रीगंगानगर-सरूपसर, रेवाड़ी-रिंगस-फुलेरा तथा देगाना-रतनगढ़-चुरू-रेवाड़ी मीटर लाइन खंडों के आमान परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर यथोचित रूप से विचार किया गया है और भिलड़ी-समदड़ी, अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर, लूनी-बाडमेर-मुनाबाव, आगरा फोर्ट-बांदीकुई, रेवाड़ी-सादुलपुर, श्रीगंगानगर-सरूपसर खंडों के आमान परिवर्तन का कार्य स्वीकृत किया गया है।

रेवाड़ी-रिंगस-फुलेरा तथा देगाना-रतनगढ़-चुरू-रेवाड़ी मीटर लाइन खंडों के आमान परिवर्तन के लिए भी सर्वेक्षण शुरू किये गये हैं।

(घ) चालू परियोजनाओं का ब्यौरा, उनकी लागत तथा उन पर हुए खर्च सहित, निम्नानुसार हैं:-

परियोजना	लंबाई (कि.मी.) में	लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2000 तक हुआ खर्च (करोड़ रु. में)
1. भिलड़ी-समदड़ी-जोधपुर	123	185.00	4.35
2. अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	300	445.38	9.97
3. लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव	300	240	36.41
4. आगरा-फोर्ट बांदीकुई	152	169.03	4.52
5. श्रीगंगानगर-सरूपसर	116	68.72	0.001
6. रेवाड़ी-सादुलपुर	141	197.76	0.001
7. पिपाड़ रोड-बिलारा	42	45.66	0.85

[हिन्दी]

यात्रियों और प्रेषकों द्वारा दावा

3283. श्री सुखदेव पासवान :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य यात्रियों और प्रेषकों ने 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मुआवजा हेतु दावे प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि हेतु दावा किया गया है;

(ग) इन दावों के भुगतान के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई थी;

(घ) क्या इन मामलों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (सितम्बर, 99 तक) में दावा की गई राशि इस प्रकार है:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	दावे की राशि
1997-98	73104.42
1998-99	77022.02
1999-2000 (सितम्बर, 1999 तक)	34632.19

(ग) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (सितम्बर 99 तक) में भुगतान की गई राशि इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	भुगतान की राशि
1997-98	2758.96
1998-99	2587.48
1999-2000 (सितम्बर, 1999 तक)	1511.69

(घ) दावाकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद दावा मामलों के निपटान के लिए अधिकतम छः माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

3284. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के आधुनिकीकरण के रास्ते में कोई मस्जिद आड़े आ रही है जिसकी वजह से हम विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रयि विमानपत्तन का दर्जा नहीं दिया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मस्जिद को कहीं और ले जाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) जी, नहीं। कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमानपत्तन एक पूर्णरूपेण अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन है। गौण स्टैंड-बाई धावनपथ की मध्य रेखा के साथ 680 मीटर की दूरी पर वहां एक मस्जिद मौजूद है। तथापि, प्रचालनात्मक क्षेत्र से बाहर धार्मिक स्थल की पुनः अवस्थिति के लिए मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

हवाई-यातायात नियंत्रक

3285. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हवाई-यातायात नियंत्रकों को रनवे दृष्टि-परास (विजुअल रेंज) संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक अतिरिक्त रेडियो-आवृत्ति को सक्रिय करने सहित कई उपाय तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल के कुहरा वाले मौसम के दौरान इसका प्रयोग कितना सफल रहा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 16.2.99 से इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर श्रेणी-2 उपकरण अवतरण प्रणाली आरंभ कर दी है। श्रेणी-3 प्रकाश प्रणाली के संस्थापन के लिए कार्य प्रगति पर है और इसके नवम्बर, 2000 तक चालू हो जाने की आशा है। इस समय, इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर धावनपथ दृश्य रेंज के माप के लिए तीन स्कोपोग्राफ उपकरण संस्थापित किये गये है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एक नये उपकरण को संस्थापित कर रही है जिसने न्यून दृश्यता में सही सूचना देने के लिए छोटे रूप में (आर.वी.आर.) की सूचना देती है। इस समय उपकरण का प्रयोग अति उच्च आवृत्ति रेडियो लिंक पर किया जा रहा है।

(ग) श्रेणी-2 प्रचालन के लिए सुसज्जित उपकरण विमान और प्रशिक्षित पायलटों ने कोहरे वाले सीजन के दौरान अवतरण किया जिसमें श्रेणी-2 सुविधाओं का प्रयोग किया गया, अर्थात् दृश्यता की न्यूनतम 350 मीटर तक रेंज थी।

[हिन्दी]

पर्यटन संवर्धन बोर्ड

3286. श्री रामजीलाल सुमन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन संवर्धन बोर्ड की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, इसकी रचना और कार्यकरण क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गेहूं का अतिरिक्त भंडार

3287. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त भंडार मानकों को पूरा करने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अतिरिक्त भंडार मानकों से गेहूं और चावल जैसी मुख्य आवश्यक वस्तुएं कितनी कम रहीं;

(घ) क्या सरकार इन आवश्यक वस्तुओं का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) 1999-2000 (1.2.2000 तक) के दौरान केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का स्टाक अभिस्तावित खाद्यान्नों के बफर मानदंडों की तुलना में निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	बफर मानदंड			केन्द्रीय पूल में स्टाक		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1.1.99	84.00	84.00	168.00	116.83	126.96	243.79
1.4.99	118.00	40.00	158.00	117.39	99.21	216.60
1.7.99	100.00	143.00	243.00	107.35	216.35	323.70
1.10.99	65.00	116.00	181.00	88.18	205.32	322.45
1.1.2000	84.00	84.00	168.00	141.81	171.70	313.51
1.2.2000	–	–	–	154.95	158.36	313.31

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकारी खाते पर गेहूं अथवा चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्नपूर्णा योजना

3288. श्री किरीट सोमैया :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पददलितों की सहायता हेतु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई अन्नपूर्णा योजना स्थपित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त योजना के तहत लोगों की पहचान के लिए क्या मानदंड अपनाये गये?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्नपूर्णा योजना अप्रैल, 2000 से शुरू की जायेगी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य उन वृद्ध बेसहारा लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र हैं लेकिन वर्तमान में उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जायेगा। योजना से लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या अभी अधिक नहीं है, यह राज्य में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल पेंशन लेने वालों का 20 प्रतिशत है। वर्ष 2000-2001 के दौरान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

(घ) योजना के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले प्रस्तावित वृद्ध बेसहारा लोगों की अनुमानित संख्या 13.762 लाख है। वास्तव में कवर किये जाने वाले योजना के लिए अन्तिम रूप से उपलब्ध निधियों पर निर्भर करेगा। अन्नपूर्णा के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लागू पात्रता मानदण्ड अन्नपूर्णा योजना पर भी लागू होते हैं। तदनुसार, आवेदक, स्त्री या पुरुष दोनों की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वह इस अर्थ में बेसहारा हो कि आमदनी के अपने स्रोत या परिवार के सदस्यों से वित्तीय सहायता या अन्य स्रोतों से भरण-पोषण का कोई नियमित साधन न हो अथवा बहुत कम हो। इसके अतिरिक्त, आवेदक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन नहीं ले रहा हो तथा उसके बच्चे उसी गांव में नहीं रहते हों।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के अन्तर्गत संख्यात्मक अधिकतम सीमा	अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत संख्यात्मक अधिकतम सीमा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	466000	93200
2.	अरूणाचल प्रदेश	9200	1840
3.	असम	133200	26640
4.	बिहार	1107700	221540
5.	गोवा	4500	900
6.	गुजरात	221600	44320
7.	हरियाणा	86300	17260
8.	हिमाचल प्रदेश	38100	7620
9.	जम्मू व कश्मीर	51100	10220
10.	कर्नाटक	340200	68040
11.	केरल	224900	44980
12.	मध्य प्रदेश	599000	119800
13.	महाराष्ट्र	669800	133960
14.	मणिपुर	16600	3320
15.	मेघालय	17900	3580
16.	मिजोरम	5000	1000
17.	नागालैंड	13000	2600
18.	उड़ीसा	324000	64800
19.	पंजाब	62300	12460
20.	राजस्थान	237500	47500
21.	सिक्किम	4800	960
22.	तमिलनाडु	430300	86060
23.	त्रिपुरा	28700	5740
24.	उत्तर प्रदेश	1255200	251040
25.	पश्चिम बंगाल	478400	95680
26.	अंडमान निकोबार	2800	560
27.	चण्डीगढ़	2200	440
28.	दादर व नगर हवेली	1900	380

1	2	3	4
29.	दमन व दीव	400	80
30.	दिल्ली	40200	8040
31.	लक्षद्वीप	300	60
32.	पांडिचेरी	7900	1580
	कुल	6881000	1376200

[हिन्दी]

बोफोर्स तोपों का विनिर्माण

3289. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में 155 एम.एम. बोफोर्स तोपें बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है;

(ग) क्या बोफोर्स तोप बनाने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी अपना ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन तोपों का उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) मैसर्स ए.बी. बोफोर्स, स्वीडन के साथ 410 अदद 155 मि.मी. एफ.एच. 77 बी. तोप प्रणाली तथा उसके सहायक हिस्से-पुर्जों और गोला बारूद की खरीद के लिए दिनांक 24.3.86 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, तोप प्रणालियों का भारत में लाइसेंस के तहत विनिर्माण करने के लिए उक्त कंपनी के साथ उसी तारीख को एक लाइसेंस करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

आपूर्ति संविदा के अंतर्गत उक्त तोप प्रणालियां प्राप्त हो गई थी तथा उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया था। किंतु इससे पहले कि देश में ही उत्पादन शुरू किया जाता, विभिन्न व्यक्तियों के अवैध भुगतान किए जाने के बारे में कतिपय आरोप सामने आए। इस संबंध में, 31 जनवरी, 1990 को यह निर्णय लिया गया था कि जब तक बोफोर्स कंपनी धनराशि लेने वाले व्यक्तियों के नाम व पूरा ब्यौरा नहीं बताती और भुगतान की गई राशि वापस नहीं करती तब तक लाइसेंस के तहत उत्पादन किए जाने से संबंधित करार लागू करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जून, 1999 में, मैसर्स ए.बी. बोफोर्स पर लगाए गए प्रतिबंध की इसके प्रभाव व बदली हुई परिस्थिति के आलोक में पुन: जांच की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि इस समय चल रहे जांच कार्यों, की जाने वाली कार्रवाइयों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के और गैर कानूनी रूप से दी गई धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के संबंध में सरकार के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए मैसर्स बोफोर्स पर लगे प्रतिबंध को उत्तराधिकारी कंपनी, राजकीय नियंत्रणाधीन स्वीडन की सेल्सियस पर जारी रखा जाना नहीं है। सरकार ने मैसर्स सेल्सियस द्वारा 155 मि.मी. 45 कैलिबर तोप की वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन परीक्षण के लिए की गई पेशकश के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

परीक्षण के दौरान तोपों के स्वीकार हो जाने के बाद तथा संसाधन उपलब्ध होने पर ही देश में किसी भी प्रकार के 155 मि.मी. तोपों के विनिर्माण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

तामलुक-दीघा रेल मार्ग का कार्य शुरू करना

3290. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तामलुक-दीघा रेल मार्ग का कार्य शुरू किए जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कार्य के वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

जमालपुर में तकनीकी संस्थान

3291. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत जमालपुर स्थित तकनीकी संस्थान बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वर्षों से जमालपुर स्थित तकनीकी संस्थान और कार्यशाला के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नांदेड़ मंडल का अन्तरण

3292. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नांदेड़ मंडल को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में अन्तरित करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो नांदेड़ मंडल के अन्तरण में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक अन्तरित कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) इस समय मामला समीक्षाधीन है। फिलहाल मंडल के स्थानानंतरण की समय अवधि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

जांच रिपोर्ट

3293. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में 9.12.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1599 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जानी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जांच पड़ताल के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल पोर्टर के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। अत: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अभिलेखागारों का विकास

3294. श्री पी.आर. खुंटे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में अभिलेखागारों का विकास करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सार्वजनिक अभिलेखों/पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण के लिए अभिलेखीय भंडारों, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की एक स्कीम प्रचालित कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से राज्य अभिलेखागार के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रस्ताव में मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार में भंडारित रिकार्डों के संदर्भ माध्यम के कम्प्यूटरीकरण के लिए 8.35 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायत मांगी गयी है। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान स्कीम के लिए आवंटित निधियां खर्च हो गयी हैं। अत: प्रस्ताव को जुलाई-अगस्त, 2000 में वर्ष 2000-2001 के लिए आयोजित अनुदान समिति की प्रथम बैठक के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सड़क-उपरिपुल का निर्माण

3295. श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री राजो सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अधूरे निर्माण कार्य वाले सड़क-उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है साथ ही इन पर कितना व्यय किया गया और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) इन सड़क-उपरिपुलों का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक बिहार सरकार द्वारा सड़क-उपरिपुलों के निर्माण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ)

वर्ष	प्रस्ताव	केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपाय
1997-98	(1) मीठापुर	1997-98 में स्वीकृत
	(2) दीदारगंज	-यथोक्त-
1998-99	(1) टाटानगर	इस कार्य को 1999-2000 में स्वीकृत किया गया है।
	(2) भागलपुर	1999-2000 में स्वीकृत
	(3) मानसी-चुकती	1998-99 में स्वीकृत
	(4) खड़खड़ी-कनुडीह	1999-2000 में स्वीकृत
1999-2000	(1) चिरयांतदा	अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

विवरण

(क) और (ख) खर्च संबंधी आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। कार्य का पूरा होना, राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा करने पर निर्भर करता है। स्वीकृत कार्य और उनकी मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ऊपरी/निचले सड़क पुल का नाम	1999-2000 के दौरान आवंटित निधियां (लाख रु. में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	आरा के निकट ऊपरी सड़क पुल	10.0	रेलवे के हिस्से वाला कार्य 1988 में पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा कार्य शुरू किया जाना है। रेलवे द्वारा कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।
2.	मोतीहारी से ऊपरी सड़क पुल	-	रेलवे के हिस्से वाला कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा कार्य शुरू किया जाना है। रेलवे द्वारा कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।
3.	फतुआ के निकट ऊपरी सड़क पुल	60.00	रेलवे द्वारा पुल के हिस्से का कार्य शुरू किया गया है। पहुंच मार्गों के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपी जानी है। अत: कार्य का पूरा होना, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है।

1	2	3	4
4.	दीदारगंज के निकट ऊपरी सड़क पुल	82.5	रेलवे द्वारा पुल के हिस्से का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। पहुंच मार्गों के लिए निविदाओं पर रेलवे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के लिए अभी भूमि का वास्तविक अधिग्रहण नहीं किया गया है। इस कार्य का पूरा होना रेलों को शीघ्र भूमि सौंपने पर निर्भर करता है।
5.	सहरसा-पंचगछिया पर ऊपरी सड़क पुल	0.05	अभी लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है।
6.	तालगड़िया-तुलकैध रेलवे लिंक पर चास और इस्पातनगर के बीच ऊपरी सड़क पुल	20.00	समपार को स्थानांतरित करने से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा रेलवे के निक्षेप कार्य के रूप में शुरू किया जाना है।
7.	मीठापुर के निकट ऊपरी सड़क पुल	50.00	कार्य योजना स्तर पर है। कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
8.	चुकती में महेशखूट और मानसी के बीच ऊपरी सड़क पुल	0.10	कार्य योजना स्तर पर है। कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
9.	टाटानगर में ऊपरी सड़क पुल	10.00	कार्य योजना स्तर पर है। कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
10.	भागलपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल संख्या-153	0.01	कार्य योजना स्तर पर है। कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
11.	चक्रधरपुर में ऊपरी सड़क पुल	4.00	राज्य सरकार द्वारा अभी पहुंच मार्गों से संबंधित अनुमान प्रस्तुत किए जाने है। लक्ष्य तिथि निर्धारित की जानी है और यह राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है।
12.	खड़खड़ी-कनुडीह में ऊपरी सड़क पुल	1.00	कार्य योजना स्तर पर है। कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा कार्य शुरू करने पर निर्भर करता है। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
13.	किशनगंज में ऊपरी सड़क पुल	कुछ नहीं	समूचा कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा तथा उनकी स्वयं की लागत पर किया जा रहा है।

लिच्छवी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन

3296. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली से गाजीपुर, बलिया तथा छपरा के रास्ते जाने वाली "लिच्छवी एक्सप्रेस संख्या 5205/5206" के मार्ग में परिवर्तन किए जाने से मऊ, बलिया और देवरिया जिले के लोगों में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) गाजीपुर तथा बलिया के रास्ते 5205/5206 लिच्छवी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ऑप्टिक फाइबर केबल के लिये अनुबंध

3297. श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रेलमार्गों पर ऑप्टिक फाइबर केबल लगाने के लिए "इरकान" और "राइट्स" कंपनियों को अनुबंध दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों कंपनियों ने रेलवे की मंजूरी लिये बिना मिलीभगत करके अन्य दो कम्पनियों के साथ साझा उद्यम स्थापित कर लिया; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कुछ रेलवे मार्गों पर आप्टीकल फाइबर केबल बिछाने के लिए इरकॉन और राइट्स को कोई ठेका नहीं दिया गया था। बहरहाल, दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई और मुम्बई-पुणे-चेन्नै मार्गों पर आप्टीकल फाइबर केबल का संस्थापन करने के लिए क्रमश: इरकॉन और राइट्स के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। पेशेवर रूप से व्यवस्थित समवेत निकाय के माध्यम से देश भर में व्यापक उपयोग के लिए भारतीय रेलवे के नव घोषित कार्यक्रम के दृष्टिगत अब इन समझौतों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पेयजल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं

3298. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले से पेयजल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहचान किए गए प्रायोगिक जिलों में से महबूबनगर एक था। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाना है। बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रायोगिक जिलों की सूची को संशोधित किया था जिसमें महबूब नगर शामिल नहीं था। फलस्वरूप, महबूब नगर के संदर्भ में पूर्व में रखे गए ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

तथापि, महबूब नगर से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कोई भी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम के लिए उड़ान

3299. श्री भर्तृहरि महताब : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम की उड़ानें सामान्यतया विलम्बित होती हैं जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप भुवनेश्वर-दिल्ली की उड़ानों में भी विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली-भुवनेश्वर और भुवनेश्वर-दिल्ली की उड़ानों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक पिछले तीन महीनों के दौरान, एलाइंस एयर द्वारा प्रचालित की जा रही दिल्ली-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम और वापसी उड़ानों में मुख्य रूप से खराब मौसम और परिणामी देरियों के कारण, औसतन प्रति माह 18 दिन विलम्ब हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) 26 मार्च, 2000 से एलाइंस एयर द्वारा एक संशोधित प्रचालन पैटर्न आरंभ किया जा रहा है जिससे इस सैक्टर पर परिणामी देरियों के प्रभाव को कम किये जाने की आशा है।

[हिन्दी]

भोपाल हवाई अड्डे को पट्टे पर देना

3300. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1995 में यश एयर लिमिटेड से भोपाल हवाई अड्डे पर "हैंगर" के निर्माण और विमान चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु वहां जमीन पट्टे पर देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, हां। उड़ान विमानन अकादमी की स्थापना करने के लिए भोपाल विमानपत्तन पर भूमि के आवंटन हेतु मैसर्स यश एअर के अनुरोध की अन्य उड़ान अकादमियों से प्राप्त अनुरोध के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नीतिगत मामले के रूप में जांच की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिद्धांत रूप में मैसर्स यश एअर को भोपाल विमानपत्तन पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

शोलापुर में स्टेडियम का निर्माण

3301. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शोलापुर स्थित रेलवे संस्थान परिसर में स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) खेल परिसर के विकास का कार्य 45 लाख रु. की लागत पर अनुमोदित कर दिया गया है। इस कार्य में मानक स्तर के एथैलेटिक ट्रेक, टर्फ पिच वाले क्रिकेट का मैदान, फुटबाल मैदान, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, हैंड बाल/खो-खो कोर्ट और एक छोटे पेवेलियन की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गयी है।

आरेखण और अनुमान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जायेगा।

माल-डिब्बों की आपूर्ति

3302. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक असम से देश के दूसरे भागों में कोयले की ढुलाई के लिए निर्धारित कुल कितने मालडिब्बों का उपयोग किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे वर्षवार कितना राजस्व इकट्ठा किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) असम से कोयला ढोने के लिए मालडिब्बों को पहले से अलग रखने की कोई प्रणाली नहीं है। विभिन्न स्टेशनों/साइडिंगों में कोयले की लदान की मांग प्राप्त होने पर लदान के लिए मालडिब्बों के सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जो असम क्षेत्र को भी सेवित करता है, कोयले के लदान के लिए मालडिब्बों की मांग को पूरा करता है। पिछले तीन सालों के दौरान पूर्वोत्तर सीमा पर कोयलों के लदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	चौपहिया/प्रतिदिन
1997-98	120
1998-99	234
1999-2000 (दिसम्बर 1999 तक)	161

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कोयला लदान से प्राप्त मालभाड़ा क्षेत्र के रूप में एकत्रित कुल राजस्व के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

1997-98	117.76
1998-99	236.77
1999-2000 (दिसंबर, 1999 तक)	119.58

दामोदर नदी पर सड़क-सह रेल पुल

3303. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में माजिया विद्युत केन्द्र को रानीगंज से जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर एक सड़क-सह-रेल पुल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पुल सड़क-यातायात के लिए नहीं खोला गया है और केवल मालगाड़ियां ही इस पर चलती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की दुर्लावपुर और रानीगंज के बीच सवारी-गाड़ी सेवाएं शुरू करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां, इस पुल पर मालगाड़ियां चल रही हैं। सड़क यातायात का संबंध राज्य सरकार और दामोदर घाटी निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) रेलवे पुल दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व वाला प्राइवेट साइडिंग का भाग है और यह साइडिंग केवल माल यातायात के लिए है।

(घ) जी नहीं, यह प्राइवेट साइडिंग विशुद्ध रूप से केवल माल यातायात को डोने के लिए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय विनियमन क्षेत्र

3304. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तटीय विनियमन क्षेत्र द्वारा बनाये गये निदेश क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र के कुछ भाग में रियायत देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में वे क्रियाकलाप सूचीबद्ध हैं जिनका विनियमन तथा प्रतिबंधन किया जाना है। साथ ही इस अधिसूचना में तटीय विनियमन क्षेत्र को सी.आर.जेड.-I, II, III और IV में श्रेणीबद्ध किया गया है और इन श्रेणियों में विकास के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों, केरल सरकार सहित, की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र सम्बन्धी अधिसूचना में संशोधन के लिए दिनांक 5 अगस्त, 1999 को एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार को घाटा

3305. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से सुपर बाजार घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे को पूरा करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसको 1996-97 से आगे

हानि होती रही है। सुपर बाजार को वर्ष-वार हानियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	कुल हानियां
1996-97	67.65
1997-98	321.33
1998-99	706.80

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी बिक्री और लाभकारिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) आवश्यक वस्तुओं की बिक्री मूल्यों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है।

(2) सुपर बाजार में मालसूची नियंत्रण प्रणाली को समुचित रूप से सुप्रवाही बनाकर बिक्री के लिए मदों की उपलब्धता में वृद्धि की गई है।

(3) सुपर बाजार में प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पर्यटन परियोजनाएं

3306. श्री जी.एस. बसवराज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में "वे साइड" सुविधाओं हेतु और मुलूयलमाडावा में नई पर्यटक गृह (टूरिस्ट काटेज) के निर्माण हेतु स्वीकृत पहली किश्त देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) मुलूयलमाडावा में नए पर्यटक गृहों के निर्माण हेतु प्राथमिकता दी गई है और 44.66 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है और राज्य सरकार के परामर्श से बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की व्यवस्था के 50.00 लाख रुपए हेतु प्राथमिकता दी गई है।

एन.सी.ई. परियोजनाओं का क्रियान्वयन

3307. श्री एन.डी.एन.आर. वाडियार : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पुन:प्रयोज्य स्रोतों से विद्युत के उत्पादन हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में कौन-कौन सी विशिष्ट सौर, पवन, बायोमास तथा लघु जल परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में नवीं योजनावधि के दौरान सौर, पवन, बायोमास/सहउत्पादन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर प्रकाशवोल्टीय आदि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय द्वारा राज्यवार योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं।

(ख) कर्नाटक राज्य में नवीं योजनावधि के दौरान स्थापनाधीन और पिछले तीन वर्षों में स्थापित सौर, पवन, बायोमास और लघु पन बिजली परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कर्नाटक राज्य में नवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयनाधीन और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित सौर, पवन, बायोमास और लघु पन बिजली परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	योजनाएं/परियोजनाएं	नवीं योजनावधि के दौरान परियोजनाएं	
		स्थापित क्षमता	स्थापनाधीन
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	30 कि.वा.	शून्य
2.	पवन विद्युत	21.78 मे.वा.	202.54 मे.वा.
3.	बायोमास गैसीफायर	13.70 मे.वा.	57.5 मे.वा.
4.	बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन	53.2 मे.वा.	19.03 मे.वा.
5.	लघु पन बिजली	76 मे.वा.	541 मे.वा.

मे.वा. - मेगावाट
कि.वा. - किलोवाट

चीनी की खरीद पर प्रतिबंध

3308. श्री निखिलानन्द सर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति हेतु इसकी बिहार और उत्तर प्रदेश से खरीद किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को महाराष्ट्र से चीनी की खरीद करने की सलाह दी है जिससे इसकी आपूर्ति परिवहन शुल्क के कारण महंगी दर पर होगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र का लेवी चीनी कोटा निर्धारित होता है तथा सामान्यतया इसका आबंटन राज्य/संघ शासित क्षेत्र में स्थित मिलों के द्वारा ही किया जाता है। तथापि, कमी, यदि कोई हो, तो उसे अधिशेष राज्य (राज्यों) की चीनी मिलों से आबंटन के द्वारा पूरा किया जाता है। तदनुसार, लेवी चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, 1999 से पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष में आबंटन पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र की चीनी मिलों से किया गया है।

सारे देश में अक्तूबर 1972 से उपभोक्ताओं को लेवी चीनी की आपूर्ति एकसमान खुदरा मूल्य पर की जाती हैं। एकसमान मूल्य पर चीनी की सुपुदर्गी में किए गए आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति लेवी चीनी के थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को देय मार्जिन के रूप में की जाती है, जिसमें पूंजी पर ब्याज, बैंक कमीशन, परिवहन खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि जैसे तत्व शामिल हैं।

शोलापुर में पुरातत्वीय संग्रहालय

3309. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा शोलापुर में एक पुरातत्वीय संग्रहालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संग्रहालय की स्थापना हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आर.डी.एस.ओ., लखनऊ

3310. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.डी.एस.ओ. लखनऊ ने पंजाब मेल में आग लगने के कारणों का पता लगाने हेतु एक दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या आर.डी.एस.ओ., लखनऊ ने यात्री गाड़ियों में आपातकालीन स्टापेज उपकरण लगाने के निर्णय में कोई सुधार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान आर.डी.एस.ओ., लखनऊ द्वारा कितना धन खर्च किया गया;

(ङ) क्या किसी बाहरी एजेन्सी को आर.डी.एस.ओ. की महत्वपूर्ण अनुसंधान संबंधी आपत्तियों पर विचार करने हेतु कहा जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यात्री सवारी डिब्बों के आपातकालीन ब्रेक उपस्कर की कार्य प्रणाली को संतोषजनक पाया गया था। अत: प्रणाली के अभिकल्प में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) जी नहीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान अ.अ.मा.सं., लखनऊ द्वारा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा

(आंकड़े हजार में)

वर्ष	राजस्व अ.अ.मा.सं. के द्वारा खर्च की गई राशि	"रेल अनुसंधान" योजना शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर खर्च	जोड़
1996-97	3,78,667	24,983	4,03,650
1997-98	4,74,985	51,583	5,26,568
1998-99	5,51,690	82,022	6,33,712

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाना

3311. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय अपने उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का रिकार्ड रखता है जो पुनः सरकारी सेवा में आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या कितनी रही;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को एक साथ दो पेंशन प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) आज तक उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में सरकारी सेवा में अर्थात् केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकार, राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अर्द्ध सैनिक बलों आदि में 18152 भूतपूर्व सैनिक पुनर्नियोजित किए गए हैं।

(ग) और (घ) पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी लाभ समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत नियंत्रत होते हैं। इन नियमों में सेवानिवृत्ति के बाद सिविल पद पर सेवा करने से उपार्जित पेंशन के अतिरिक्त सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए पेंशन तथा पेंशन संबंधी लाभ बरकरार रखने की व्यवस्था है। दो पेंशन का औचित्य यह है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई दो सेवाएं भिन्न-भिन्न किस्म की होती हैं और संबंधित व्यक्ति को पेंशन संबंधी उन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता जो उसके द्वारा की गई दो भिन्न-भिन्न सेवाओं के कारण उपार्जित होती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय

3312. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एन.ए.ए.आई.) और भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई.ए.ए.आई.) के विलय के परिणामस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इनका किस तारीख को विलय किया गया था;

(ग) क्या अभी तक पूर्ण विलय नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एन.ए.ए.आई. और आई.ए.ए.आई. के भिन्न-भिन्न दो संवर्ग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम से विभिन्न हवाई अड्डों पर अभी भी कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पूर्ण विलय के कब तक हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। इसका गठन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 की सं. 55) के अधीन 1 अप्रैल, 1995 को किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य तेलों के आयात संबंधी स्थिति की समीक्षा

3313. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों के आयात संबंधी स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू तेलशोधन और विलायक निकालने वाली इकाइयों ने आयात शुल्कों में लगातार कमी के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि इसके विशेषत: मलेशिया से खाद्य तेलों को खपाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप काफी स्थानीय इकाइयां रुग्ण हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और हमारी आवश्यकताओं और विश्व बाजार की प्रवृत्ति के संदर्भ में तेल उद्योग के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (नवम्बर, 1999 से जनवरी, 2000 तक) के दौरान क्रमश: 12.83 लाख टन, 18.33 लाख टन, 35.06 लाख टन और 9.72 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया है।

1996-97 के केन्द्रीय बजट में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 22 प्रतिशत था। तत्पश्चात् 3 प्रतिशत का अधि शुल्क लगाकार आयात शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था। ऊंचे घरेलू मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया था। 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में आयात शुल्क बढ़ाकर 16.5 प्रतिशत कर दिया गया था। आयात को कम करने के उद्देश्य से 30.12.1999 से परिष्कृत तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त भी निर्धारित की गई है। वास्तविक उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य द्वारा आयात किए गए कच्चे तेलों पर 38.5 प्रतिशत शुल्क की उच्चतम दर लागू है। इसके अतिरिक्त, 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कार्रवाई का ब्यौरा पहले ही सूचित कर दिया गया है। आशा है कि इस संबंध में किए गए उपायों से तेल उद्योग को जीवनक्षम बनाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ दिलाने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों के पुनर्निर्माण के लिए राशि

3314. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 के दौरान ऐतिहासिक स्मारकों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी राशि आबंटित करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए धनराशि आबंटित करता है। यह ऐतिहासिक स्मारकों के पुनर्निर्माण के लिए कोई आबंटन नहीं करता।

वर्ष 2000-2001 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव तथा संरक्षण हेतु अन्तरिम आवंटन 29.48 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

विशाल संग्रहालयों का निर्माण

3315. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशाल संग्राहलयों के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) सरकार ने भारत दर्शन, विज्ञान या सांस्कृतिक पार्कों जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रगति को प्रदर्शित कर भारतीय गणराज्य की 50वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। इन पार्कों में भारतीय संस्कृति प्रदर्शित की जायेगी और इसमें आधुनिक काल तक राष्ट्र की प्रगति शामिल होगी। संकल्पना तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गांवों का सर्वेक्षण

3316. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के उन गांवों के नाम क्या हैं जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण किया गया हैं;

(ख) क्या औरंगाबाद क्षेत्र में आने वाले गांवों का भी सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में इन गांवों का सर्वेक्षण किया

गया है। जिला यवतमाल में पाहुर और पिम्पप खूंटा; जिला धुले में वेतवाड; जिला अमरावती में टेलीगांव देशासर, घुइखेड, डाभा और वारद; जिला नागपुर में कामठी, पार्डी और काम्प्टी और मुम्बई जिला मुम्बई।

(ख) और (ग) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैनिक तैयारी करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब

3317. श्री नरेश पुगलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेनाध्यक्ष जनरल वी.पी. मलिक ने 15 फरवरी, 2000 को पूर्वोत्तर राजस्थान में थल सेना और वायु सेना के संयुक्त रेगिस्तान अभ्यास देखते हुए कहा है कि प्रकियात्मक विलम्ब देश की सैनिक तैयारी में बाधा डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने हेतु सेना प्रमुख द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(ग) प्रक्रियात्मक विलम्ब में कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) इस संदर्भ में सेनाध्यक्ष की ओर से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) सरकार ने वर्ष 1992 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया बनाई और निर्धारित की थी। यह प्रक्रिया व्यापक है और इसमें यह सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल हैं कि शस्त्र/शस्त्र प्रणाली का चयन करते समय निर्णायक और निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है तथा किन्हीं असंगत कारकों ने निर्णय को प्रभावित नहीं किया है। कीमत का लाभ उठाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी निविदाओं के माध्यम से तथा सेनाओं द्वारा परीक्षणों और मूल्यांकन की प्रणाली के माध्यम से विनिर्दिष्ट अनुमोदित और परिपुष्ट गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उपस्करों की अधिप्राप्ति करने के लिए इस प्रणाली को तैयार किया गया है। देश की रक्षा तैयारियों की आवश्यकताओं के प्रति सरकार पूर्णत: सजग है और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तथा निर्णय लेने में कम से कम समय लगाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।

"नेवल रीफिट प्रोग्राम" में विलंब

3318. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश 'नेवल रीफिट प्रोग्राम' में विलंब हुआ है, जैसाकि 22 फरवरी, 2000 के 'ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन प्रोग्रामों का ब्यौरा क्या है और लड़ाई की स्थिति में हमारी नौसेना की तैयारी को ये किस सीमा तक प्रभावित करते हैं; और

(घ) उपर्युक्त 'नेवल रीफिट प्रोग्राम' में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सरकार ने चंडीगढ़ से प्रकाशित ट्रिब्यून, समाचार-पत्र में 22 फरवरी, 2000 को छपे 'नेवल रीफिट प्रोग्राम डीलेड" नामक लेख देखा है। स्पष्ट: यह लख 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई नौसेना गोदी, मुम्बई की समीक्षा पर आधारित है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कई मामलों में योजनाबद्ध मरम्मत में हुए विलंब, विभिन्न किस्मों की मरम्मत के लिए निर्धारित समय से अधिक समय लगने, अधिक समय लगने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय, गोदी में आधारभूत सुविधाओं के तदर्थ आधार पर सृजन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई संबंधी टिप्पणी तैयार करने के लिए नौसेना मुख्यालय के परामर्श से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपर्युक्त के बावजूद नौसैनिक बेड़े को किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए सदैव अधिकतम तैयारी की स्थिति में रखा जाता है। सभी स्तरों पर सतत् निगरानी रखी जाती है और न्यूनतम बल स्तर बनाए रखने के लिए मध्यावधि पर उसमें सुधार भी किया जाता है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन का निर्माण

3319. श्री तूफानी सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुगलसराय-दिल्ली मार्ग पर रेल यातायात की काफी भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार गाजीपुर में तड़ीघाट के निकट गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण करके बरास्ता गाजीपुर-औडिहार-जौनपुर मार्ग से नई रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। बहरहाल रेलें दिल्ली-मुगलसराय मार्ग पर यातायात की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम है और लाइन क्षमता के निर्माण हेतु योजना बनाना विशेषकर महत्वपूर्ण मार्गों पर एक सतत् और आवश्यकता पर आधारित कार्य है। एक मार्ग के विभिन्न खण्डों और उप खण्डों पर आवश्यकता के आधार पर योजना बनाई जाती है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

दिल्ली-मुगलसराय मार्ग पर लाइन क्षमता के निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं:-

1. कानपुर-पनकी तीसरी लाइन (चरण 1)
2. गाजियाबाद-मुरादाबाद आंशिक दोहरीकरण
3. मुगलसराय-जाफराबाद का विद्युतीकरण (कार्य प्रगति पर है)
4. उटरेरिटया-जाफराबाद आंशिक दोहरीकरण
5. नई दिल्ली-तिलक ब्रिज पांचवी और छठी लाइन
6. अलीगढ़-गाजियाबाद स्वचल सिगनलिंग
7. मुगलसराय-गाजियाबाद-13 ब्लाक हट
8. मुगलसराय-गाजियाबाद-11 अतिरिक्त लूप
9. दिल्ली-मुगलसराय-यूनीवर्सल रेडियो दूरसंचार

उपर्युक्तत के अलावा कानपुर-कासगंज-मथुरा के आमान परिवर्तन से पूर्व से उत्तर/पश्चिम भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग खुल जाएगा जिससे दिल्ली-मुगलसराय मार्ग के भाग पर भीड़भाड़ में कमी हो जाएगी।

मुगलसराय-मुरादाबाद-सहारनपुर-अम्बाला को दोहरीकरण और विद्युतीकरण जो चरणों में शुरू किया गया है, से दिल्ली-मुगलसराय मार्ग पर यातायात का आवागमन भी सुविधाजनक होगा।

(ग) और (घ) जी नहीं। मौजूदा यातायात प्रवाह इस लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं बनती। बहरहाल औडिहार-जौनपुर मीटर लाइन खंड के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

पनडुब्बियों पर सामरिक आयुध प्रणाली की तैनाती

3320. श्री आर.एल. भाटिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षों पहले पनडुब्बियों पर तैनात करने के लिए विकसित की गई सामरिक आयुध प्रणाली और कम्पोजिट सोनार प्रणाली को पनडुब्बियों पर तैनात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशिष्टताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वेला श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए सामरिक शस्त्र नियंत्रण प्रणाली सहित एक संयुक्त सोनार प्रणाली (पंचेन्द्रिय) का विकास कर लिया है। इस प्रणाली से पनडुब्बियों की संसूचन क्षमता में वृद्धि होगी और नौसेना द्वारा इसके सफलतापूर्वक समुद्री मूल्यांकन कर लिए जाने के पश्चात् इस समय यह प्रणाली एक पनडुब्बी पर लगाकर संक्रियारत है।

केन्द्रीय खाद्यान्न विश्लेषण प्रयोगशालाओं की संख्या

3321. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितनी केन्द्रीय खाद्यान्न विश्लेषण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या ये खाद्यान्नों की विश्लेषण रिपोर्ट देने में काफी समय लेती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन प्रयोगशालाओं में कर्मचरियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नौवीं योजनावधि के दौरान ऐसी और अधिक प्रयोगशालाएं खोलने के लिए क्या प्रस्ताव हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) कृषि भवन, नई दिल्ली में केवल एक केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला है जो उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत

3322. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस के विमानों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में ग्राह्य रियायत का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): इंडियन एयरलाइंस वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य इकॉनामी श्रेणी सैक्टर के किराये घटक पर 50 प्रतिशत की रियायत देती है। इस प्रकार की रियायत केवल भारतीय रुपये किराये स्तर पर ही लागू होती है जिसमें भारतीय विमान यात्रा कर और यात्री सेवा शुल्क पूरे रूप से लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रक्षा कैंटीनों में घरेलू वस्तुओं की कमी

3323. डा. बलिराम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में स्थित मंत्रालय के विभिन्न सी.एस.डी. कैंटीनों में घरेलू वस्तुओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कैंटीनों द्वारा घटिया माल सप्लाई करने वाली कंपनियों की सामग्री को बहुधा रक्षा कार्मिकों को बेचा जाता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कंपनियों के ब्रांडों को रक्षा कार्मिकों को उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) दिल्ली स्थित मंत्रालय की सी.एस.डी. कैंटीनों में घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। संपूर्ण देश में स्थित यूनिट चालित कैंटीनों में सी.एस.डी. के बेस डिपो और एरिया डिपुओं के माध्यम से कारगर संवितरण नेटवर्क के जरिए उत्पादों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सी.एस.डी. में सामान लेने का आधार 'सैनिकों को, जहां भी वे अवस्थित हैं, उच्च गुणता का सामान यथासंभव बाजार की प्रचलित दरों से सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना है।' इस प्रयोजन के लिए मदों को लेने की एक स्थापित प्रक्रिया है जिसमें सिविल मार्किट में उत्पाद का मूल्यांकन और विक्रेता की छवि, गुणता परख तथा उपभोक्ता स्थायित्व के लिए विक्रय पश्चात् सेवा की उपलब्धता शामिल है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सी.एस.डी. में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा बनाए गए उच्च गुणता वाले उत्पाद ही लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कम बिकने वाली/न बिकने वाली मदों को शामिल करके और उन्हें हटाकर मालसूची को सतत अद्यतन बनाना नियमित प्रक्रिया है ताकि उपभोक्ता की पसंद और रुचि का ख्याल रखा जा सके। उपर्युक्त को देखते हुए सी.एस.डी. कैंटीनों में घटिया सामान बेचने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेलम में न रूकने वाली मालगाड़ी को रोकना

3324. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 29 जनवरी, 2000 को सेलम जंक्शन पर रूकने वाली मालगाड़ी को राज्य पुलिस ने रोक लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य पुलिस को कथित मालगाड़ी द्वारा सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की बोरियों के गैर कानूनी ढंग से पारवहन की कुछ सूचना प्राप्त हुई थी और इसलिए गाड़ी को रोका गया था।

(ग) पुलिस केवल अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही थी।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमानों के लिए कलपुर्जे

3325. डा. संजय पासवान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेल्जियम की सरकार ने भारत को हल्के लड़ाकू विमान के इंजन के महत्वपूर्ण कल-पुर्जों का निर्यात करने से इंकार कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेल्जियम द्वारा इन पुर्जों की सप्लाई न करने की स्थिति में उनके बदले में किन पुर्जों को उपयोग में लाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। एक बेल्जियम फर्म के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद बेल्जियम सरकार ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित किए जा रहे कावेरी इंजन के एक यांत्रिक पुर्जों के लिए निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किया है।

(ख) हम समझते हैं कि बेल्जियम सरकार के निर्यात नियंत्रण विनियम ही इसके कारण हैं।

(ग) महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नीति भंडारण तथा विभिन्न स्रोतों से अधिप्राप्ति की है। इस मामले में, आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों का पता लगा लिया गया है।

[अनुवाद]

हाजीपुर में क्षेत्रीय रेल मुख्यालय का कार्यकरण

3326. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है और इसीलिए काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसे पूरी तरह विकसित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त कार्यालय के लिए संस्वीकृत पदों को अभी तक नहीं भरा गया है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक सभी रिक्त पदों को भरे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) भारतीय रेलों पर नए जोनों और मंडलों के गठन का मामला स्थायी समिति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विशिष्ट टिप्पणी के दृष्टिगत इस समय समीक्षाधीन है।

कोंकण रेलवे कारपोरेशन को ऋण सेवा सहायता

3327. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन को दी जा रही ऋण-सेवा सहायता में पूंजी न लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से ऋण-इक्विटी अनुपात में कहां तक बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्तुओं का गायब हो जाना

3328. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान तथा आज तक रेलवे द्वारा बुक की गई ऐसी वस्तुओं का राज्य-वार और जोन-वार ब्यौरा क्या है जो गायब हो गई;

(ख) इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के गायब हो जाने के कारण दावों के विरुद्ध राज्य-वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) दावा मुआवजे के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (सितम्बर, 1999 तक) के लिए क्षति, चोरी तथा उठाईगिरि के कारण दावों की संख्या और भुगतान की राशि का जोन-वार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

रेलवे	अवधि	क्षति और चोरी के कारण भुगतान किया गया दावा		उठाईगिरि के कारण भुगतान किया गया दावा	
		मामलों की संख्या	भुगतान की गई राशि	मामलों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6
मध्य	1997-98	3533	152.08	1979	29.61
	1998-99	3838	210.22	3054	51.13
	1999-2000	1816	89.62	1166	27.23
पूर्व	1997-98	2310	203.72	4652	47.79
	1998-99	1995	181.81	12157	131.61
	1999-2000	1023	105.76	5557	79.82
उत्तर	1997-98	4717	329.57	4872	242.50
	1998-99	3489	244.74	2982	179.95
	1999-2000	1528	51.55	1042	208.68
पूर्वोत्तर	1997-98	4694	83.00	203	8.60
	1998-99	2549	51.89	311	9.73
	1999-2000	1344	25.74	320	3.09
पूर्वोत्तर सीमा	1997-98	1134	39.84	4053	260.79
	1998-99	632	18.72	4016	236.42
	1999-2000	391	19.10	2640	158.11
दक्षिण	1997-98	729	82.88	269	9.47
	1998-99	1184	109.39	134	5.95
	1999-2000	604	97.29	39	1.43
दक्षिण मध्य	1997-98	612	32.23	292	14.10
	1998-99	609	55.59	199	7.58
	1999-2000	344	42.84	129	8.83

1	2	3	4	5	6
द.पू. रेलवे	1997-98	4993	135.50	3883	120.54
	1998-99	4072	101.43	2655	97.41
	1999-2000	2189	55.49	1520	87.05
पश्चिम	1997-98	2491	124.73	507	45.84
	1998-99	2416	118.19	467	14.62
	1999-2000	1207	55.38	279	15.33
जोड़	1997-98	25213	1183.55	20710	779.24
	1998-99	20784	1091.98	25975	734.40
	1999-2000	10446	542.77	12692	589.57

बुक किए गए सामान के गुम होने के मूल कारण सही तरीके से सामान का बंधा न होना, मार्किंग का न होना, लेबल का न होना, मार्ग पर आपराधिक छेड़छाड़, कर्मचारियों द्वारा लापरवाही, सामानों की गंतव्य से आगे ढुलाई आदि हैं।

सामान के गुम होने की रोकथाम करने के लिए रेलों ने निम्नलिखित निवारक उपाय किये हैं:-

(1) भेद्य खंडों पर मूल्यवान परेषणों की ढुलाई कर रही गाड़ियों के लिए जहां तक संभव हो, गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

(2) यार्डों तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन गश्त।

(3) लदे हुए मालडिब्बों तथा उनकी सील को स्थिति जांचने के लिए अंतर्बदल बिन्दुओं पर संयुक्त जांच।

(4) अपराधियों तथा चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए रे.सु.ब., रा.रे.पु. तथा स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय कायम करना।

(5) चोरी और उठाईगीरी के स्थानों तथा कारणों का पता लगाने के लिए यातायात की निर्दिष्ट योजनाओं का विशेष अध्ययन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(6) पैकेजों पर सही निशान, पता और लेबल लगाना ताकि वे सही जगह पर पहुंच सकें।

(7) पण्यों के लदान के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त मालडिब्बों का चयन।

(8) ट्रंक मार्गों पर व्यापक, युक्तिसंगत लदान कार्यक्रम की शुरूआत।

(9) चीनी, अन्न, दाल तथा तिलहन आदि से भरे मालडिब्बों के फ्लैप डोर की सुरक्षा के लिए निभार की व्यवस्था पर जोर।

(10) मौजूदा अनुदेशों के अनुरूप मूल्यवान सामान की ढुलाई कर रहे मालडिब्बों पर रिपत लगाना तथा तालाबंद करना ताकि मालडिब्बों की तोड़फोड़ की रोकथाम हो सके।

[अनुवाद]

अलगाववाद विरोधी कार्यों के लिए सेना की तैनाती

3329. श्री समर चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अलगाववाद विरोधी कार्यों से निपटने के लिए राज्य-वार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में रक्षा कार्मिकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार के अलगाववाद संबंधी हिंसा के विरुद्ध किसी राज्य में सेना की तैनाती किए जाने का महत्व समाप्त हो चुका है तथा सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) त्रिपुरा के अशांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा कार्मिकों को वापिस हटाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) त्रिपुरा में हाल ही में अलगाववाद संबंधी हिंसा में हुई वृद्धि में प्रभावी हस्तक्षेप हेतु सेना की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में प्रति-विद्रोही कार्रवाइयों के लिए तैनात की गई सैन्य यूनिटों की सही संख्या बताना जनहित में नहीं है, तथापि कानून के संगत प्रावधानों के तहत सेना की समुचित रूप से सहायता ली जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) त्रिपुरा की सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर करने के लिए सेना के संक्रियात्मक नियंत्रण में वहां अन्य पुलिस बलों के अतिरिक्त कुछ अर्ध सैनिक बल भी तैनात किए गए हैं।

युद्ध में हुई शारीरिक क्षति संबंधी पेंशन

3330. **श्री राम मोहन गाइडे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री आर.एस. पाटील :
श्री शिवाजी माने :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'महावीर चक्र नामिनी फेल्स टु गेट वार इन्ज्युरी पेंशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार मुआवजे और पेंशन हेतु कितने मामले सरकार के पास लंबित पड़े हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय शांति सेना के ऐसे पीड़ित जवानों की शिकायतों का समाधान अब तक नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सरकार ने समाचार-पत्र में यह रिपोर्ट देखी है। कैप्टन एच.एस. वर्क को सेना में अल्पकाल्पिक कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में भर्ती किया गया था। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना संक्रिया में तैनाती के दौरान यह 16.12.88 को कार्रवाई में घायल हो गए थे। निशक्तता के बावजूद उन्हें सेवा में बनाए रखा गया था और बाद में उन्हें मार्च, 1993 में सेवामुक्त किया गया था। उनकी निशक्तता सेवामुक्त करने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा 20% आंकी गई थी। उन्हें, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों को नियमानुसार देय, सेवांत लाभ/निशक्तता अंश का भुगतान किया गया था। वह अंतिम आहरित परिलब्धियों के 60% की दर से युद्धमें घायल हुए सैनिकों को देय पेंशन के हकदार नहीं हैं।

2. युद्ध में घायल होने पर मिलने वाले मुआवजे को सामान्य निशक्तता के मामलों में मिलने वाली पेंशन से दुगुनी दर पर दिए जाने के संबंध में 29.2.2000 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश 1.1.1986 से प्रभावी हैं और इनका लाभ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन कार्मिकों को भी मिलेगा जो भारतीय शांति सेना की संक्रिया में घायल हुए थे। यह लाभ पूर्व-कैप्टन वर्क को पहले ही दिया जा चुका है।

3. श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की संक्रिया में तैनात युद्ध में घायल सेना कार्मिकों का क्षतिपूर्ति और पेंशन संबंधी कोई भी मामला सरकार के पास लंबित नहीं है।

जी.आर.पी. कार्मिकों को मुआवजा

3331. **डा. वी. सरोजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं अथवा रेलवे में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के दौरान मारे गए या घायल हुए राजकीय रेलवे पुलिस कार्मिकों को रेलवे द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) राजकीय रेल पुलिस राज्य सरकारों के पुलिस संगठन का अभिन्न अंग है। अत: ऐसे मामलों में राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी संबंधित राज्य सरकारों के नियमों द्वारा शासित होते हैं।

रेलवे की भूमि पर कृषि

3332. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे ने अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मुम्बई रेल पथ के साथ लगी भूमि सब्जियां उगाने के लिए प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए सारे देश में ऐसी योजना क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। मुंबई में लगभग 140.05 हेक्टेयर रेलवे भूमि में खेती की जा रही है।

(ग) और (घ) जी हां। यह पाया गया है कि मुंबई क्षेत्र में रेल कर्मचारियों को खेती के लिए दी गई रेलवे भूमि अधिकांशत: अतिक्रमणों से मुक्त है और यह रेलपथ के साथ-साथ हरियाली बनाए रखने में ही सहायक है। अत: केवल पहचाने गए शहरी क्षेत्रों में ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर खेती के लिए रेलवे भूमि को देने की नीति को विस्तारित करने का विनिश्चय किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव रेल लाइन पर रेलवे फाटक को पुन: खोलना

3333. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजादी मिलने से पहले लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव रेल लाइन पर कई रेलवे फाटक थे;

(ख) क्या पिछले 50 वर्षों के दौरान पशुओं को पार कराने वाले और बिना चौकीदार वाले कई रेलवे फाटक बन्द कर दिए गए हैं जबकि आबादी और लाइनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम राजस्थान के इस पिछड़े रेगिस्तानी इलाके में 30 किलोमीटर की दूरी तक कोई रेलवे फाटक नहीं है जिसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए 300 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के दौरान इन रेल फाटकों को पुन: खोलने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1983 के दौरान कि.मी. 737/2-3 पर केवल एक "घ" श्रेणी के पशुओं को पार कराने वाला समपार सं. डी-291 बंद किया गया था। इस मार्ग पर 30 कि.मी. का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां समपार मौजूद नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता मेट्रो रेल सेवा में रैकों की कमी

3334. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता मेट्रो रेल सेवा में रैकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) थोड़ी अवधि के लिए कलकत्ता मैट्रो में रेकों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, कलकत्ता मैट्रो परियोजना के विस्तार के मद्देनजर अतिरिक्त रेकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है।

कारगिल में तैनात कुलियों को बकाया धनराशि का भुगतान

3335. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के कारगिल युद्ध के दौरान सेना के कितने कुली तैनात किये गये;

(ख) क्या इन कुलियों को अब तक बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिना किसी विलम्ब के उनको बकाया धनराशि का भुगतान किया जाएगा और उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ कुलियों ने सेना की सहायता करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि दी गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सरकार ने जून, 1999 में कारगिल क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति के संबंध में तैनाती के लिए तदर्थ सैन्यकरण योजना यूनिटों के लिए मंजूरी दी थी। इन यूनिटों में कुलियों की तैनाती भी शामिल थी। कुल छह कुली कंपनियों में छह महीने के लिए पूर्णत: संविदागत आधार पर कुल 2677 कुली भर्ती किए गए थे। इस क्षेत्र में स्थानीय सेना स्थापनाओं द्वारा यह भर्ती की गई थी।

सभी छह कुली कंपनियों को समाप्त कर दिया गया है। सभी कुलियों को उनकी तैनाती की अवधि के लिए उनको देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। किंतु जो कुली कार्य छोड़कर भाग गए थे उनकी देय राशि खजाने में जमा कर दी गयी है।

सेना मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कारगिल संघर्ष में निम्न सात कुली मारे गए थे:-

(1) श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री बनारसी दास, गांव रेमबल, डाकघर गढ़ी, तहसील व जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर।

(2) श्री दलेर सिंह पुत्र श्री सुरामसिंह, गांव कोलाहा, तहसील व जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर।

(3) श्री पद्मुमन सिंह पुत्र श्री दंतेर सिंह, गाँव कोलाहा; तहसील व जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर।

(4) श्री मदन सिंह पुत्र श्री ध्रुब सिंह, गांव कोलाहा, तहसील व जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर।

(5) श्री श्याम सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, गांव माही, डाकघर तंधोल, तहसील रामनगर जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर।

(6) श्री खांगड़ा बहादुर भदारी पुत्र श्री चबि लाल, ग्राम-बिरन्दादर नगर, नगरपालिका, जोन भेरी, डाकघर-सुरखपुर (नेपाल)।

(7) श्री तेसरिंग फुनचेक पुत्र श्री इसे नामग्याल, ग्राम-चुचोल डाकघर एवं जिला-लेह (जम्मू-कश्मीर)।

मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपये का मुआवजा 31 मार्च, 2000 से पहले अदा कर दिया जाएगा।

एअर इंडिया द्वारा भुगतान की गयी विधिक फीस

3336. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान एअर इंडिया द्वारा निजी विधिक कम्पनियों को विधिक फीस के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या एअर इंडिया का कोई अपना विधिक विभाग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का किस प्रकार विधिक फीस के रूप में होने वाले खर्चे को कम करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एअर इंडिया ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान निजी कानूनी कम्पनियों को विधि शुल्क के रूप में 22,89,80,854.42 रुपए की राशि अदा की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विधि शुल्क के रूप में व्यय में कटौती करने के लिए, एअर इंडिया ने न्यायिक फर्मों का एक पैनल बनाया है जिन्होंने वाजिब विधि शुल्क की पेशकश की है। न्यायिक लागत में कटौती के विचार में, जहां कहीं संभव है, अदालत के बाहर समझौतों को भी लागू किया जाता है।

विशेष सुरक्षा बल

3337. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेल सम्पत्तियों की सुरक्षा और रेलगाड़ियों में होने वाली मौजूदा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा बल गठित करने हेतु किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी वित्तीय लागत अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सुरक्षा प्रबन्धों पर रेल विभाग द्वारा वर्ष-वार कितना व्यय किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ रेलों पर संरक्षा प्रबंधनों की नियमित समीक्षा की जाती है। विभिन्न स्तरों पर राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही में रेल यात्रियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 15.1.2000 को मंत्रालय के कार्यालय में मुख्य सचिवों और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ङ) रेलों द्वारा गत तीन वर्षों में उठाया गया खर्च निम्न था:-

(1) रेल संरक्षा बल		(2) राजकीय रेल पुलिस	
1995-96	302.49 करोड़ रु.	1996-97	78.97 करोड़ रु.
1997-98	393.81 करोड रु.	1997-98	96.97 करोड़ रु.
1998-99	493.28 करोड़ रु.	1998-99	109.37 करोड़ रु.

चालू वर्ष के लिए क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

कारगिल में हवाई पट्टी और नियंत्रण टावर का निर्माण

3338. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए लड़ाकू विमानों के लिए हवाई पट्टी और एक नियंत्रण टावर बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, लद्दाख क्षेत्र के विकास के एक भाग के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल उड़ानों के संचालन के लिए कारगिल एयर फील्ड का विकास कर रहा है। इस परियोजना को अक्तूबर, 2000 तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया एजेन्टों को कमीशन

3339. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया इसके विभिन्न उड़ानों के लिये टिकट बुक करने हेतु अपने एजेन्टों को कमीशन का भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे कुछ घोटाला हुआ है और उड़ानों के लिये सीटों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त मामले में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने और एअर इंडिया द्वारा चलाये जा रहे काउंटरों के माध्यम से टिकट बुक कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया आयटा का एक सदस्य है और उनके नियमों के अनुसार, सभी सदस्य एयरलाइनें उन यात्रा अभिकर्ताओं को कमीशन अदा करने की पात्र है जो उनके द्वारा किए जा रहे कारोबार के लिए आयटा के भी सदस्य हैं। पिछले तीन वर्षों से एअर इंडिया द्वारा अदा की गई बुकिंग एजेंसी कमीशन की राशि निम्न प्रकार है:-

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1996-97	324.70
1997-98	353.84
1998-99	366.09

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एजेंसी प्रणाली को खत्म करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 40% चीनी की बिक्री

3340. श्री दानवे राजसाहेब पाटील : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की 40% की बिक्री आरक्षित मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या 20,000 टन और चीनी को भी स्वविवेक पर जारी किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वविवेकाधिकार के अंतर्गत कितनी मात्रा में चीनी जारी की गई और उसमें वर्ष-वार कितनी लागत अंतर्ग्रस्त थी;

(घ) क्या उन्होंने चीनी जारी करने के इस स्वविवेकाधिकार कोटे को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) दिनांक 1.1.2000 से, चीनी मिलों के चीनी उत्पादन का 30% लेवी के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फैक्ट्री-बाह्य लेवी चीनी मूल्य पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए प्राप्त किया जा रहा है। 1.1.2000 से पहले चीनी उत्पादन का 40% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित फैक्ट्री-बाह्य लेवी चीनी मूल्य पर बिक्री के लिए प्राप्त किया जाता था।

(ख) चीनी मिलों के चीनी के खुली बिक्री हिस्से में से 20,000 टन चीनी निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार चीनी मिलों को अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रतिमाह रिलीज के लिए निर्धारित की जाती थी। खुली बिक्री चीनी का मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा समय-समय पर बदलता रहता है। अत: पिछले 2 वर्षों के दौरान अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे के मूल्य को दर्शाना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) दिनांक 1.1.2000 से सरकार ने चीनी मिलों को आनुपातिक चीनी के आबंटन के अलावा खुली बिक्री चीनी के रिलीज को समाप्त कर दिया है। तथापि, जिन चीनी मिलों को बैंकों से कार्यकारी पूंजी नहीं मिल रही है, उनके लिए निर्धारित-मार्गनिर्देशों के अधीन, खुली बिक्री चीनी के उनके सापेक्षिक कुल वार्षिक आनुपातिक पात्रता के अन्तर्गत अग्रिम खुली बिक्री कोटे के रिलीज पर विचार किया जा रहा है।

उपभोक्ता सूचना केन्द्र

3341. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य स्तर पर उपभोक्ता सूचना केन्द्र चलाने के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन केन्द्रों का स्थापना खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो देश में राज्य-वार कितने केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। विभिन्न राज्यों में प्रतिष्ठित उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता सूचना केन्द्र खोलने के पात्र हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्कीम का व्यापक प्रचार करें।

(ग) से (ङ) जी हां। जिन सुविख्यात उपभोक्ता संगठनों का काम करने का अच्छा रिकार्ड है उनको उपभोक्ता सूचना केन्द्र खोलने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दी जाती है। ये उपभोक्ता सूचना केन्द्र पुस्तकालय, संसाधन केन्द्र, मार्गदर्शन केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।

(च) उपभोक्ता कल्याण कोष संबंधी स्थायी समिति ने शुरूआत के तौर पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। राज्यवार निधि आवंटित करने की कोई स्कीम नहीं है।

कर्नाटक में उपनगरीय रेल सुविधाएं

3342. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक में उपनगरीय रेल सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) फिलहाल कर्नाटक में कोई उपनगरीय गाड़ी सेवा नहीं हैं। बहरहाल, बेंगलूर में एक आधुनिक अंत: मॉडल परिवहन प्रणाली के विकास हेतु शहरी विकास मंत्रालय के अनुरोध पर मैसर्स राइट्स द्वारा दैनिक रेल प्रणाली के विकास के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया है। इस परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के तौर तरीके की तब से जांच शुरू कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्र की सफाई और ग्रामीण विकास परियोजनाएं

3343. श्री कृष्णमराजू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और विकास से संबंधित लंबित परियोजनाओं पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत और लागू की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी राशि का आबंटन किया गया; और

(च) अब तक परियोजना-वार कितनी प्रगति की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कुर्ला और थाणे के बीच नई रेल लाइन बिछाना

3344. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे द्वारा कुर्ला और थाणे के बीच दो नई रेल लाइनों को बिछाने का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्य को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग

3345. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल अब भी रेल की पटरियों के लिये लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये पटरियां लाभकारी हैं और "कांक्रीट स्लीपरों" की तुलना में टिकाऊ हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय रेल द्वारा ''कांक्रीट स्लीपरों'' के प्रयोग को प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक लकड़ी के स्लीपरों की खरीद पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारतीय रेल लकड़ी के स्लीपरों के उपयोग में उत्तरोत्तर कमी कर रही है और इनका उपयोग केवल गार्डर पुलों, विशेष ले आउट और संरक्षा की दृष्टि से आपातकाल के दौरान किया जाता है। भविष्य में लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग बंद करने के लिए इन स्थलों के लिए वैकल्पिक किस्म के स्लीपरों का विकास और उपयोग शुरू कर दिया गया है। मई, 1999 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेल पर लकड़ी के स्लीपरों के प्रापण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था जिसे फरवरी, 2000 में एक आदेश द्वारा रेलों के पास उपलब्ध लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करके आशोधित कर दिया गया है।

(ख) कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करना लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में अधिक टिकाऊ और किफायती है।

(ग) भारतीय रेलों पर कंक्रीट के स्लीपरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग केवल मौजूदा लकड़ी के स्लीपरों के रेलपथ के कैजुअल नवीकरण और गर्डर पुलों और विशेष ले आउट जहां अन्य विकल्पों का अभी विकास किया जा रहा है, के लिए किया जा रहा है।

(घ)

1997-98	21.30 करोड़ रुपए
1998-99	45.44 करोड़ रुपए
1999-2000	7.00 करोड़ रुपए

स्क्रैप को हटाने हेतु ठेके

3346. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल कर्मशालाओं के स्क्रैप को गैर-सरकारी लोगों द्वारा संबंधित रेल से उन्हें ठेका दिए जाने पर हटाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न रेल कर्मशालाओं में ऐसे व्यक्तियों को दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पुरानी रेल सामग्रियों जैसे अप्रयुक्त काष्ठ के पटरे, रेल पटरियों और माल डिब्बों इत्यादि की नीलामी/बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेल कारखानों से स्क्रैप सामग्री मुख्यत: नामित विभागीय स्क्रैप निपटान डिपुओं को भेज दी जाती है सिवाय दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली और गुंटुपल्ली आदि कुछ कारखानों को छोड़कर जहां निजी ठेकेदारों द्वारा कारखानों से स्क्रैप उठाकर स्क्रैप डिपुओं को भेजी जाती है। स्क्रैप सामग्री का निपटान या तो नीलामी करके या निविदा बिक्री के माध्यम से कर दिया जाता है।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे ने निम्नलिखित ठेकेदारों को ठेके प्रदान किए हैं:-

1. मै. के. बापनास्वामी, बावाजीपेट, विजयवाडा को गुंटापल्ली कारखाने में स्ट्रिपिंग कारखाने से स्क्रैप उठाकर सड़क परिवहन द्वारा स्क्रैप डिपुओं को भेजने के लिए।
2. मै. पी. पिचैह, रेलवे ठेकेदार, हुबली को हुबली कारखाने में आयरन फाउंड्री से फाउंड्री स्कल उठाकर उसे सड़क द्वारा स्क्रैप डिपुओं को भेजने के लिए।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्क्रैप रेल सामग्री तथा स्क्रैप पटरियों, रेलपथ, अन्य लौह सामग्री, अलौह सामग्री, विविध स्क्रैप और चल स्टाक के निपटान से अर्जित राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1997-98	876
1998-99	765
1999-2000 (फरवरी 2000 तक)	720

[हिन्दी]

जमालपुर कारखाने का विकास

3347. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जमालपुर में रेल कारखाने के विकास हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) बड़ी लाइन (ब.ला.) के मालडिब्बों की 900 चौपहिया इकाइयों की आवधिक ओवरहालिंग (पी.ओ.एच.) के लिए मौजूदा कार्य कलापों के अलावा पूर्वी क्षेत्र में कारखानों की यौक्तिकीकरण योजना के अनुसार जमालपुर कारखाना का विकास किया जाना है। इस योजना के एक भाग के रूप में ब.ला. के मालडिब्बों की 400 इकाइयों के लिए पी.ओ.एच. सुविधाओं का विकास करने के लिए 1998-99 में 15.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक कार्य स्वीकृत किया गया है।

140 टन डीजल क्रेनों के आवधिक ओवर हालिंग तथा विनिर्माण के लिए जमालपुर कारखाने का विकास एक नोडल कारखाने के रूप में किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कलकत्ता हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबन्ध

3348. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था हवाई जहाजों के अपहरण की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कलकत्ता अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित सभी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारत में विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबन्ध अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन (शिकागो) 1944 के अभिसमय के अनुबंध 17 तथा अन्तरराष्ट्रीय विमानन संगठन सुरक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों और सिफारिश की गई प्रक्रिया के अनुसार किये जाते हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में हुई अपहरण की घटना के पश्चात् विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) पहले चरण में सभी चालू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) कार्मिकों की तैनाती। सी.आई.एस.एफ. ने पहले ही पटना, जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्टब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच-पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(3) फोटो पहचान-पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 31.3.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

(4) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(5) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(6) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीने प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(7) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

सफाई और पेयजल परियोजनाएं

3349. श्री जारबोम गामलिन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास विभिन्न राज्यों विशेषकर अरूणाचल प्रदेश की कितनी सफाई और पेयजल परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के संबंध में क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त 40 प्रस्तावों में से 6 परियोजनाएं फरवरी, 2000 से स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है। पूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त हुई 37 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं स्वीकृति के लिए फरवरी, 2000 से लंबित पड़ी हैं। अरूणाचल प्रदेश की कोई भी परियोजना सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित नहीं पड़ी है।

(ख) जल आपूर्ति के संबंध में परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें अपेक्षित विवरणों को शामिल करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को वापिस भेज दिया गया है जो प्रस्तुत परियोजनाओं में शामिल नहीं थे तथा पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में चार लंबित परियोजनाओं पर राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा जो शीघ्र ही बुलाई जाने वाली है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए तथा सभी मायनों में पूर्ण प्रस्तावों पर राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति समय-समय पर विचार करती है।

रक्षा कार्मिक की विधवाओं को पेंशन

3350. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रक्षा कार्मिक की विधवाओं को बढ़ी हुई पेंशन और पेंशन की बकाया धनराशि की शेष धनराशि जारी की है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई किये जाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एक इंजन वाला विमान

3351. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक इंजन वाले विमान के एअर टैक्सी के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और राजपुताना विमानन और अहमदाबाद विमानन अकादमी आदि जैसी कुछ निजी कम्पनियां किन नियमों के तहत ऐसे विमानों को किराये पर देती हैं और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इनसे कितना टैक्स अथवा जुर्माना प्राप्त किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) विषय से संबंधित संगत अनुदेशों में हवाई टैक्सी सेवाओं के प्रयोजन के लिए बहु-इंजिन फिक्सड़ विंग विमान और एकल अथवा बहु-इंजिन हेलीकाप्टरों के प्रयोग का प्रावधान है। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ फ्लाइंग क्लबों इत्यादि को गैर-अनुसूचित प्रचालनों के लिए एकल-इंजिन विमान के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

(ख) उल्लिखित कुछ विशिष्ट कम्पनियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

क्षतिग्रस्त पैराशूटों के कारण वायुयान दुर्घटनाएं

3352. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नासिक जिले के ओजहर में सियार भारतीय वायु सेना के मिग विमानों से जुड़े पैराशूट जालों के हिस्सों को काटकर पैराशूटों की भारी क्षति पहंचाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(ग) क्या मिग विमानों से जुड़े पैराशूट में अप्रकट क्षति के कारण उतरते समय पैराशूट द्वारा आवश्यक गतिह्रास न होने के कारण विमान दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त पैराशूट के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मूंगफली और सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि

3353. श्री जी.एस. बसवराज : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में मूंगफली और सरसों के तेल के थोक मूल्य में काफी वृद्धि हो जाने से उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का मूल्य कितना बढ़ा है; और

(ग) सरकार ने इन वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्रीय बजट के पश्चात् मूंगफली और सरसों के तेलों के थोक मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जैसाकि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है:

(आंकड़े रुपये/क्विंटल में)

वर्ष 2000	मूंगफली का तेल	सरसों का तेल
जनवरी-पहला सप्ताह	3808	3210
जनवरी-दूसरा सप्ताह	3794	3220
जनवरी-तीसरा सप्ताह	3713	3075
जनवरी-चौथा सप्ताह	3743	2863
फरवरी-पहला सप्ताह	3675	2813
फरवरी-दूसरा सप्ताह	3650	2788
फरवरी-तीसरा सप्ताह	3655	2800
फरवरी-चौथा सप्ताह	3713	2775
मार्च-पहला सप्ताह	3672	2715

(ग) तथापि, सरकार ने इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) 30.11.1999 से रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) कच्चे तेल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक प्रयोक्ता शर्त की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने वाले आयातकर्त्ताओं को 38.5 प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमा शुल्क अदा करना होगा।

(3) वास्तविक प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य द्वारा रिफाइंड तेल के आयात और कच्चे तेल के आयात पर 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया है।

(4) मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड गठित किया गया है। यह बोर्ड खाद्य तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों को साप्ताहिक आधार पर मानीटर करता है और उपयुक्त शोधक कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

3354. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सौर हैन्ड पम्पों और लैम्पों की अधिक कीमत होने के कारण इन पर वित्तीय सहायता दिए जाने के बावजूद भी लोग इनका लाभ नहीं उठा सके; और

(ग) यदि हां, तो सौर हैन्ड पम्पों और लैम्पों की कीमत घटाने और इन पर अतिरिक्त राजसहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक इनकी उपलब्धता आसान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) सरकार और तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय पद्धतियों का उपयोग करते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सौर

ऊर्जा के दोहन हेतु योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं राज्य नोडल एजेंसियों और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत के कार्यक्रम विश्व में अपने प्रकार के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार सौर ताप जल प्रणालियों के लिए लगभग 4.80 लाख वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र, 4.81 लाख से भी अधिक बॉक्स आकार के सौर कुकरों, 2.58 लाख सौर लालटेनों, 1.06 लाख सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों, 38,157 सड़क रोशनी प्रणालियों, 3,131 सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी पंपो), विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए 885 कि.वा. पावर क्षमता के प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों और 1.04 मे.वा. पावर क्षमता की ग्रिड इंटरएक्विट प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हुई है। सौर ऊर्जा युक्तियों को आसानी से उपलब्ध कराने और बिक्री बाद सेवा भी उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख शहरों में 16 आदित्य सौर दुकानें खोली गई हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर तथा द्वीप समूह क्षेत्रों के पिछड़े इलाकों के काफी सारे गांव सौर युक्तियों की स्थापना से लाभ उठा रहे हैं। संसार की सबसे बड़ी सौर कुकिंग प्रणाली राजस्थान में माउंट आबू के पास तलेटी में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में राजस्थान में जोधपुर के पास मथानिया में 140 मे.वा. की एक एकीकृत सौर संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना को अनुमोदित किया है।

(ख) और (ग) विशिष्ट प्रकार के एक 900 वाट सौर पीवी पंप, एक सौर लालटेन और एक सौर घरेलू रोशनी प्रणाली का औसतन मूल्य लगभग क्रमश: 2,50,000 रु., 4,000 रु. और 12,000 रु. है। 1999-2000 के दौरान सरकार सौर पंपों के साथ इनके लगाने के लिए प्रयुक्त किए गए पीवी ऐरे के रूपये 125/ वाट की दर पर आर्थिक राज सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, पंपिंग प्रणाली की शेष लागत के 90% तक 5% ब्याज दर पर उदार ऋण दिया जा रहा है। सरकार सौर लालटेन के लिए 1500/- रु. और सौर घरेलू रोशनी प्रणाली की स्थापना के लिए 6,000/- रु. या पूर्व-कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो, की निर्धारित आर्थिक राज सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

1999-2000 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार, 36,401 सौर लालटेन, 14,923 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, 2,834 सड़क रोशनी प्रणालियां, 273 सौर प्रकाशवोल्टीय पंप, विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए 90 कि.वा. पावर की क्षमता के प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र और 200 कि.वा. पावर क्षमता की ग्रिड इंटरएक्टिव प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

वर्तमान में सौर पंपों और रोशनी प्रणालियों पर आर्थिक राज सहायता बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की प्रारंभिक उच्च लागत को देखते हुए, सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की कार्यक्षमता के सुधार के लिए भी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रायोजित करके सौर मॉड्यूलों की लागत को कम करने के प्रयासों में सहायता कर रही है। ऐसी आशा है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ इन प्रणालियों की लागत में कमी आएगी। हाल ही में विनिर्माण करने वाली परियोजनाओं को उदार ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य प्रकाशवोल्टीय युक्तियों की लागत में कमी करना है।

औरंगाबाद के लिए आरक्षण-कोटा

3355. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनमाड जंक्शन से होकर जाने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस, रेलगाड़ियों में औरंगाबाद स्टेशन के लिए सभी श्रेणियों का कितना आरक्षण कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) क्या औरंगाबाद के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा यात्रियों की अपेक्षाओं को पूरा करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) औरंगाबाद में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है जहां से सभी गाड़ियों में तथा मनमाड जंक्शन से गुजरने वाली उन गाड़ियों में भी आरक्षण कराया जा सकता है जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और सिकंदराबाद में स्थापित पांच यात्री आरक्षण प्रणालियों से जुड़ी हैं। इसके दृष्टिगत उस स्टेशन पर अलग से कोटे की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. द्वारा घटिया स्तर के पानी की बिक्री

3356. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 दिसम्बर, 1999 के "इंडियन एक्सप्रेस" (न्यूज लाईन) में प्रकाशित समाचार शीर्षक "मिनरल वायर यू आर फूलड एट आई.टी.डी.सी." की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य और विवरण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त मिनरल वाटर का कभी परीक्षण किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी हां।

(ख) से (च) भारत पर्यटन विकास निगम के सतर्कता प्रभाग ने एक जांच संचालित की और यह पाया कि एजेंसी द्वारा सप्लाई किया गया मिनरल वाटर अपेक्षित स्तर का नहीं था। उक्त एजेंसी द्वारा की जाने वाली मिनरल वाटर की आपूर्ति को रोक दिया गया था।

"कापार्ट" द्वारा स्वीकृत निधियां

3357. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से 1999 के दौरान असम में "कापार्ट" द्वारा कितनी योजनाएं वित्तपोषित की गई हैं;

(ख) बारपेटा, नलबाड़ी और बोंगाई गांव जिलों में "कापार्ट" द्वारा वित्त पोषित कितनी योजनाएं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई है और उनमें योजना-वार कितनी धनराशि लगी है;

(ग) उक्त जिलों में "कापार्ट" द्वारा स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) वर्ष 1995-96 से 1998-99 के दौरान लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने असम में निम्नलिखित योजनाओं को वित्त पोषित किया है:-

1. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
2. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
3. ग्रामीण महिला एवं बाल विकास
4. जवाहर रोजगार योजना
5. लाभार्थी संगठन
6. पंचायती राज
7. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
8. ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन
9. जवाहर रोजगार योजना (हाउसिंग)

(ख) इन वर्षों के दौरान असम राज्य के बाड़पेटा, नलबाड़ी और बोंगाई गांव जिलों के गैर-सरकारी संगठनों को कापार्ट द्वारा स्वीकृत योजनावार धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त जिलों से प्राप्त पांच परियोजना प्रस्ताव कापार्ट की क्षेत्रीय समिति, गुवाहाटी के पास लम्बित हैं जिन पर डेस्क मूल्यांकन तथा परियोजना के वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन की आवश्यक औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद विचार किया जाएगा।

विवरण

जिला बाड़पेटा

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि रुपये में
1	2	3	4
1.	ए.टी.ए. भावकमारी सोसाइटी डेवलपमेंट एसोसिएशन, ग्रा. ए.टी.ए. भावकमारी, बाड़पेटा	पी.सी.	7,98,275

1	2	3	4
2.	एकार्ड, ग्रा. हारबुरचोक, पो. पथशाला बाड़पेटा	ओ.बी.	26,500
		पंचायती राज	52,000
3.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद, ग्रा. व पो.	पी.सी.	5,46,530
	जनिया, बाड़पेटा	पंचायती राज	75,120
4.	बाजाली प्रगति संघ, पो. पथशाला, बाड़पेटा	सी.आर.एस.पी.	1,27,006
5.	बाजाली ग्राम उन्नयन समिति, ग्रा. भाट्टी उलुवा, बाजाली डेवलपमेंट ब्लॉक, बाड़पेटा	सी.आर.एस.पी.	2,57,400
6.	डायनमिक रूरल वेलफेयर एसोसिएशन, मुख्यालय उत्तर कलिहार, पो. सुकमनाह, हावली, बाड़पेटा	ओ.बी.	48,800
7.	देश भक्त रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ग्रा. भक्तियार देवा बाजार, नलगांव, बाड़पेटा	सी.आर.एस.पी.	3,96,000 8,57,040
8.	नाव जगरान संस्था आई.आई.ओ., बंगली पारा, पो. जनिया बाड़पेटा	ओ.बी.	27,500
9.	पहुमारा आंचलिक रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन कर्मा बाजार, भवानीपुर डेवलपमेंट बाड़पेटा	सी.आर.एस.पी.	1,51,800
	कुल		33,63,971
	जिला नलबाडी		
1.	बरनार्डी ग्राम्य उन्नयन समिति, बरनार्डी, नलबाड़ी	सी.आर.एस.पी.	4,31,735
2.	बरखेत्री उन्नयन समिति, मुकुलमुआ, बारखेत्री नलबाडी	सी.आरएस.पी. डवाकरा	2,88,800 1,39,700
3.	बिरबाड़ी जूगाकू अफत, अदला, ग्रा. बारअदला, पो. आगनपारा, धमदमा, नलबाडी	सी.आर.एस.पी.	1,10,000
4.	बरनीवाड़ी युवक संघ, पो. बरनीवाड़ी नलबाड़ी	सी.आर.एस.पी.	2,29,425
5.	ग्राम लोक सेवा संघ, धमधमा, नलबाड़ी	सी.आर.एस.पी. डवाकरा ओ.बी.	3,31,305 2,42,900 1,44,400
6.	गांव उन्नयन संघ, दक्षिण बेजारा, पो. जानीगाग नलबाड़ी	सी.आर.एस.पी.	1,10,000

1	2	3	4
7.	मानव शक्ति जागरण, गोपाल बाजार	सी.आर.एस.पी.	2,06,240
		सी.आर.एस.पी.	2,94,800
		ओ.बी.	33,000
		जे.आर.वाई.	7,57,500
8.	टोटल रूरल डेवलपमेंट प्रोजैक्ट, देवाचारा	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	4,60,431
	बरामा डेवलपमेंट ब्लॉक, नलबाड़ी	पी.सी.	6,60,000
	कुल		44,35,236
	जिला बोंगाईगांव		
	शून्य	शून्य	शून्य

विमान के जाम पहिए

3358. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मोहन रावले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-दिल्ली इंडियन एअरलाइंस के विमान के यात्री 19 जनवरी, 2000 को जहाज के उतरते समय बाल-बाल बचे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं के बार-बार होने से बचने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। हैदराबाद-दिल्ली उड़ान संख्या आईसी-839 का प्रचालन कर रही इंडियन एयरलाइंस की एयरबस ए-300 विमान, मुख्य अवतरण गियर पहियों में एक में ब्रेक बंधक के कारण दिल्ली के टैक्सीपथ पर रूक गया।

(ग) और (घ) घटना की जांच की गयी थी और इसका कारण यांत्रिकी फेल हो जाने से ब्रेकों का जाम हो जाना था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) विमान में किसी भी प्रकार की बार-बार आ रही खराबियों के मामले में तात्कालिक कार्यवाही की जाती है। ब्रेकों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए, इंडियन एयरलाइंस ने अनुरक्षण के समय, ब्रेक तापमान की सूक्ष्मता से निगरानी और नये परिवर्धित ब्रेक के पुर्जों का प्रयोग करके जिसकी उच्चतर सुदृढ़ विशेषताएं हैं अतिरिक्त सुरक्षा जांच आरंभ की है।

सिविल निर्माण कार्यों के लिए सैन्य बलों की तैनाती

3359. **श्री आर.एल. भाटिया :**
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य बलों को सिविल निर्माण कार्यों के लिए अक्सर नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य-वार आज तक ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नीतिगत समीक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क), (ग) और (घ) बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करने के अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं को विशिष्ट अनुरोध पर सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए बुलाया जाता है। इस संबंध में दिशानिर्देशक सिद्धांत यह रहा है कि जब सिविल प्राधिकारी अपने संसाधनों के भीतर हालात से निबटने की स्थिति में नहीं होते तभी उन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा सहायता दी जाती है। इस सिद्धांत में किसी तरह का परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान रक्षा सेनाओं द्वारा सिविल प्राधिकारियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

सेना

क्र.सं.	राज्य	दिनांक	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	बिहार	6 मार्च, 1999	अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान तोड़फोड़-रोधी जांच पड़ताल में सहायता
2.	दिल्ली	30 अगस्त, 1999 21 नवंबर, 1999 3-7 नवंबर, 1999	-वही-
3.	कर्नाटक	17 मई, 1999 3-4 फरवरी, 2000 4 मार्च, 2000	-वही-
4.	मेघालय	21-22 जनवरी, 2000	-वही-
5.	पंजाब	9 जनवरी, 1999 20-21 फरवरी, 1999 8 अप्रैल, 1999 12 मई, 1999 19 अगस्त, 1999 6 फरवरी, 2000	-वही-
6.	तमिलनाडु	1-2 जनवरी, 1999 20-21 मार्च, 1999 25 मई, 1999 27-29 दिसंबर, 1999	-वही-
7.	उत्तर प्रदेश	10-11 जनवरी, 1999 10 जून, 1999 26 दिसंबर, 1999	-वही-

1	2	3	4
8.	पश्चिम बंगाल	27-28 जनवरी, 1999 12 फरवरी, 1999 20-21 मई, 1999 27-29 सितंबर, 1999 20 जनवरी, 2000 26-27 फरवरी, 2000	अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान तोड़फोड़-रोधी जांच पड़ताल में सहायता
9.	उत्तर प्रदेश	29-30 मार्च, 1999 15 से 26 जनवरी, 2000	भूकंप के दौरान बचाव और राहत कार्य। उ.प्र. में विद्युत हड़ताल के दौरान अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखना
10.	उड़ीसा	27 अक्तूबर से 10 दिसंबर, 1999	उड़ीसा में चक्रवात के बाद बचाव और राहत कार्य

वर्ष 1999-2000 के दौरान सुरक्षा सेनाओं द्वारा असैनिक प्राधिकारियों को मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा

वायु सेना

क्रम सं.	राज्य	कुल उड़ान	उद्देश्य
1.	उड़ीसा	409	प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य
2.	उत्तर प्रदेश	162	-वही-
3.	गुजरात	13	-वही-
4.	मध्य प्रदेश	82	-वही-
5.	जम्मू-कश्मीर	16	-वही-
6.	अरूणाचल प्रदेश	104	-वही-
7.	राजस्थान	7	-वही-
8.	मिजोरम	4	-वही-
9.	हिमाचल प्रदेश	2	-वही-

वर्ष 1999-2000 के दौरान सैन्य बलों द्वारा सिविल प्राधिकारियों को मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा

नौसेना

क्रम सं.	राज्य	दिनांक	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	उड़ीसा	29 अक्तूबर से 13 नवंबर, 1999	उड़ीसा के चक्रवात के पश्चात् बचाव और राहत कार्य

1	2	3	4
2.	केरल	विभिन्न जिलों में 15 बार	गोताखोरी सहायता
3.	मध्य प्रदेश	10 अगस्त, 1999	-वही-
4.	गजुरात (कांडला/ वादीनार)	17/18 जनवरी से 22 जनवरी, 2000 तक	बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के दौरान अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखना
5.	गोवा (मारमगोवा)	-वही-	-वही-
6.	महाराष्ट्र (मुंबई/ जे.एन.पी.टी.)	-वही-	-वही-
7.	कर्नाटक (न्यू मंगलौर)	-वही-	-वही-
8.	केरल (कोच्चि)	-वही-	-वही-
9.	तमिलनाडु (तूतीकोरिन/चेन्नई)	-वही-	-वही-
10.	आंध्र प्रदेश (विज़ाग)	-वही-	-वही-
11.	उड़ीसा (पारादीप)	-वही-	-वही-
12.	पश्चिम बंगाल (हल्दिया/डायमंड हार्बर)	-वही-	-वही-

धनराशि का दुरुपयोग

3360. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित की गई धनराशि के दुरूपयोग और अन्यत्र उपयोग के संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या जिला परिषदें और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ग्राम प्रधान अथवा सरपंचों की गतिविधियों पर निगरानी नहीं रख रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्य की निगरानी करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) अनियमितताओं की जानकारी मिलते ही शिकायतों को तत्काल संबंधित राज्य सरकार के पास जांच तथा उपयुक्त सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग तथा अन्यत्र उपयोग के संबंध में इस मंत्रालय को प्राप्त राज्य-वार शिकायतें इस प्रकार हैं:-

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या
1997-98	बिहार	1
1998-99	बिहार	6
	राजस्थान	1
	मध्य प्रदेश	1
	उड़ीसा	2
	उत्तर प्रदेश	1
1999-2000	उड़ीसा	1
	बिहार	1

(ग) केन्द्र को इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। जवाहर रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम की लगातार निगरानी की जाती रही थी। राज्य मुख्यालयों, जिला, सब-डिवीजन तथा ब्लाक स्तर के अधिकारी द्वारा कार्य स्थलों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम के सभी पहलुओं की गहनता से निगरानी की गई। ग्रामीण विकास की राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने प्रत्येक राज्य में जवाहर रोजगार योजना सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की तथा उसकी समीक्षा की। राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर पर निगरानी तथा सतर्कता समितियां गठित की गई थी जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

(घ) और (ङ) 1.4.1999 से जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित किया गया तथा सुप्रवाही बनाया गया है तथा इसका नया नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रखा गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता पर आधारित ढांचागत सुविधा का निर्माण करना है। नए कार्यक्रम के अंतर्गत भी जिला, सब-डिवीजन तथा ब्लाक स्तर के अधिकारियों से दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यस्थल के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की अपेक्षा की जाती है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की निधियों के दुर्विनियोजन/दुरूपयोग की स्थिति में जिला प्राधिकारियों को यह प्राधिकार दिया गया है कि वे ग्राम पंचायतों के खातों को तब तक जब्त रखें जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती है।

उत्पादन इकाइयों का निजीकरण

3361. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का अपनी छः उत्पादन इकाइयों का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे मजदूर यूनियन और अन्य श्रमिक संघों ने प्रस्तावित निजीकरण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल रेल उत्पादन इकाइयों की पुनः संरचना के विषय पर एशियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, एक गैर-रेलवे संगठन, द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। निजीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसा निर्णय करते समय इन विचारों पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

आर.पी.एफ. के रिक्त पद

3362. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2000 तक रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के विभिन्न श्रेणियों तथा रेलवे में समूह ''ग'' तथा ''घ'' के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्तियों को भरने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भर दिए जाने की संभावना हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेल सुरक्षा बल में ग्रुप ''ग'' और ''घ'' में कुल रिक्तियों क्रमशः 8624 और 112 हैं। ये रिक्तियां पिछले कुछ वर्षों से खाली पड़ी है। केवल पूर्व रेलवे में सिपाहियों की रिक्तियाँ जो

विभिन्न उच्च न्यायालयों में अदालती मामलों के कारण 1995 से लंबित पड़ी हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर रे.सु.ब. में सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत में अनुचित मूल्य पर गेहूं की बिक्री

3363. डा. संजय पासवान : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 दिसम्बर, 1999 के "द इकॉनामिक्स टाइम्स" में "एफ.सी.आई. सेलिंग व्हीट इन साउथ एट अनफेयर प्राइस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा दक्षिण राज्यों को गेहूं की बिक्री ऐसी दर पर क्यों की जा रही है जिसमें परिवहन लागत शामिल नहीं है;

(ग) क्या उत्तरी राज्यों के व्यापारियों और मिल मालिकों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई गई इस नीति के विरोध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के मूल्यों में अंतर के कारण कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पूल में रखे गेहूं के अधिशेष स्टाक का निपटान करने और इनकी रख-रखाव लागत में कमी करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन गेहूं की दरों में 3.12.1999 को कमी की गई थी। सभी जोनों में प्रत्येक जोन की अधिग्रहण लागत में केवल 25 प्रतिशत भाड़ा दरें जोड़ी गई थीं।

(ग) से (ङ) जी, हां। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की रोलर फ्लोर मिलर्स से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस स्कीम के अधीन मूल्यों में कमी करने के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक लगभग 22.73 लाख टन गेहूं का निपटान हो सका है जिससे इस मात्रा पर रख-रखाव लागत में कमी आई है। अत: भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गई हानियां नाममात्र हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था शुरू करना

3364. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्यों विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक वरदान के बजाय एक अभिशाप साबित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस स्थिति से राज्य प्रभावित होंगे और राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन कम हो जाएगा जिससे शहरों में रहने वाले बहुत से गरीब लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आकलन के मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) पूर्णरूपेण लक्षित और उपयुक्त रूप से कार्य करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसाकि यह जून, 1997 से पहले थी, की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं पूरी न करने, शहरों पर अधिक केन्द्रित होने, अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में नाममात्र की कवरेज तथा सुपुर्दगी की पारदर्शी तथा उत्तरदायी व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यापक आलोचना हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या पर केन्द्रित और उच्च राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकारों के साथ विस्तृत और गहन विचार-विमर्श करने के बाद जून, 1997 में शुरू की गई थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए पिछले 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान के आधार पर आवंटन निर्धारित कर समता और कुशलता के विचार को संतुलित करने का प्रयास किया गया। गरीबी रेखा से नीचे की अधिक जनसंख्या रखने वाले राज्य अधिक आवंटन प्राप्त करते हैं। विगत के आवंटन का वास्तविक उठान से कोई सार्थक संबंध नहीं होता था।

माइक्रो स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने से पूर्व भारत सरकार ने इन परिवारों की पहचान करने और उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे। राज्यों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित सुनिश्चित आवंटन प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह की क्रियाविधि अपनाकर योजना आयोग द्वारा प्राप्त किए गए अनुमानों पर आधारित है।

हाल ही में आंचलिक आधार पर परामर्शदात्री परिषद की बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें राज्य सरकारों में जनता के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारियों ने गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के अनुमानों और उन्हें खाद्यान्नों का आवंटन करने के मामलों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2000-2001 के लिए संसद में प्रस्तुत किए गए बजट में गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन को 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह करने की घोषणा की है। गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लिए आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और आर्थिक लागत, जिसमें कोई राजसहायता नहीं होगी, की शर्त के अध्यधीन जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें

3365. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में अब तक रेल भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में हुये भ्रष्टाचार के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच होनी प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) इस अवधि के दौरान हस्ताक्षरयुक्त 21 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 12 शिकायतें, वर्ष 1998-99 से पूर्व किए गए चयनों से संबंधित थी। जांच-पड़ताल करने पर 8 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। 6 अन्य शिकायतों की विभाग में जांच की जा रही है। एक मामले में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है। शेष 6 मामले जांच-पड़ताल हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास हैं।

(ग) 1998-99 से पूर्व की गई भर्ती के संबंध में रेलवे के 2 दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी कर्मचारियों सहित 6 मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। बहरहाल, ये सभी मामले 1998-99 से पूर्व में किए गए चयनों से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हेतु निधि

3366. श्री समर चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटन में भारी कमी की गई है जिसके कारण ग्रामीण निर्धन व्यक्ति प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों को आबंटन योजना आयोग द्वारा किए गए योजना आबंटन तथा अलग-अलग योजनाओं के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1997-98 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन योजनाओं में आबंटन निम्न प्रकार है:-

वर्ष	धनराशि (रुपये लाख में)
1997-98	40702.60
1998-99	65125.07
1999-2000	55488.52
2000-2001	97600.00 (अनंतिम)

कोलकाता मैट्रो-रेल प्रणाली

3367. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेट्रो-रेल परिवहन, कोलकाता का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है और इसके प्रभावी अनुरक्षण, प्रबंधन हेतु और कार्यगति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सजगता की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मुम्बई और चेन्नई में मेट्रो-रेल परिवहन प्रणाली को चालू करने के लिए किसी संभावना का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) मेट्रो रेल, कलकत्ता का प्रबंध प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इसके रखरखाव और कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक निगरानी रखी जा रही है।

(ग) और (घ) रेलवे ने चेन्नै में भूमिगत मेट्रो रेल प्रणाली के लिए किसी संभावना का पता नहीं लगाया है। बहरहाल, 1975 में महानगर परिवहन परियोजना (रेलें)/मुंबई ने मुंबई में कोलाबा से कुर्ला हवाई अड्डे तक स्पेयर सहित, "सातवां गलियारा" नामक 27.41 कि.मी. लंबी मेट्रो रेल प्रणाली की पहचान की थी। इस प्रणाली में 19.01 कि.मी. का भूमिगत खंड शामिल है। 1974-75 के मूल्य पर परियोजना की अनुमानित लागत 448.43 करोड़ रुपए थी। संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

रेल सुधार आयोग

3368. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेल सुधार आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग को कब तक गठित कर लिया जाएगा;

(घ) श्री पी.डी. पांडेय और श्री एच.सी. सरीन की अध्यक्षता में पूर्व आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) 25.10.1999 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को अपने संबोधन भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की गई थी कि "संसाधन जुटाने की नई नीति तैयार करने, टैरिफ युक्ति संगत बनाने, परियोजना सूची की प्राथमिकता निर्धारण तथा रेलवे संरक्षा की अपूरित आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए एक रेलवे सुधार आयोग का गठन किया जाएगा।" इस प्रस्तावित आयोग की संरचना तथा विस्तृत विचारार्थ विषय विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) श्री बी.डी. पांडे और तत्पश्चात् श्री एच.सी. सरीन की अध्यक्षता वाली रेलवे सुधार समितियों ने अपनी रिपोर्टें 26 भागों में प्रस्तुत कर दी हैं जिसमें रेलवे कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 2258 सिफारिशें शामिल हैं। मुख्य सिफारिशें रेलवे संगठन, पुनर्गठन, चल स्टॉक, परिवहन, वित्त, सुरक्षा, अनुसंधान एवं विकास, रेलपथ और सिगनल प्रणाली से संबंधित है। इनमें से 1926 सिफारिशों को स्वीकृत और कार्यान्वित कर दिया गया है।

नांदयाल-येरगुंटला रेल-मार्ग का निर्माण

3369. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के अन्तर्गत नांदयाल-येरगुंटला नए ब्रॉडगेज रेल-मार्ग का काफी समय पहले सर्वेक्षण किया गया था और उसे मंजूर करने के पूर्व अद्यतन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार नई पटरियां बिछाने के लिए वास्तविक कार्य के लिए धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उस मार्ग का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) नांदयाल-येरागुंटला नई लाइन जो 1996-97 के बजट में शामिल

की गई थी, का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण 1997 के दौरान पूरा हो गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) यह एक अनुमोदित कार्य है जिसे अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 46 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। 2000-2001 के बजट में इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम की समीक्षा

3370. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा कार्यक्रम हेतु कितना वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सौर ऊर्जा का प्रचुर उपयोग करने तथा उन्नयनकारी उचित प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु तैयार की गई नई कार्य नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(च) सौर ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संबंध में किये गये और किये जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में परियोजनाओं हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किसी संयुक्त उद्यम/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अंतिम रूप दिया गया है/दिया जाना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार द्वारा विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की हर वर्ष और पंचवर्षीय योजनाओं को बनाते समय भी, समीक्षा की जाती है। समीक्षा और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाते हैं और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित किए जाते हैं। देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए मुख्य परिवर्तन और विकसित की गई नई रणनीतियां इस प्रकार हैं।

(1) सौर जल तापकों, सौर कुकरों और अन्य सौर तापीय युक्तियों पर आर्थिक राज सहायता को बंद कर दिया गया था। इन युक्तियों के वित्त पोषण के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी और छह बैंकों के माध्यम से उदार ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं।

(2) सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। ग्रिड संबद्ध विद्युत संयंत्रों से संबंधित एक नई स्कीम शुरू की गई है।

(3) गुणवत्ता में सुधार और मानकीकरण पर बल दिया गया है। सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय उत्पादों, दोनों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

(4) शहरी क्षेत्रों में सौर जल तापन प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भवन निर्माण उप-नियमों में एक आदर्श संशोधन तैयार किया गया है और इसे सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। इस आदर्श नियम में कई प्रकार के भवनों में इस प्रकार की प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य बनाए जाने पर विचार किया गया है।

(5) अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है। सौर कुकरों, कुकिंग प्रणालियों और प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के अनेक नए डिजाइन विकसित किए गए हैं और ये प्रदर्शन और मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों में राजस्थान में माउंट आबू के पास तलेटी में संसार की सबसे बड़ी सौर कुकिंग प्रणाली की स्थापना करना है।

(6) विनिर्माण करने वाली परियोजनाओं के लिए उदार ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसका उद्देश्य सौर प्रकाशवोल्टीय उत्पादों की लागत में कमी करना है।

(घ) 29 फरवरी, 2000 तक नवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए 6.81 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की गई है। अब तक वर्षवार किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित है:

व्यय (लाखों रु. में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
(1) सौर तापीय	13.40	29.00	27.71
(2) सौर प्रकाशवोल्टीय	61.50	352.00	198.68

वर्ष 2000-2001 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय में 3.00 करोड़ रु. और सौर तापीय अनुसंधान एवं विकास में 50 लाख रु. निवेश किए जाने का प्रस्ताव है।

(छ) और (ज) विभिन्न राज्यों में विभिन्न संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या निधियन को शामिल करते हुए कई परियोजनाएं व उद्यम शुरू किए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई या कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में, भारत में सौर परियोजनाओं की सहायता के लिए विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक और के.एफ.डब्ल्यू, जर्मन से ऋण साख, पश्चिम बंगाल में कुछ गांवों में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की स्थापना के लिए एक भारत-संयुक्त राष्ट्र परियोजना, विश्व पर्यावरण निधि (जी.ई.एफ.) द्वारा वित्त पोषित फोटोवोल्टिक मार्किट ट्रांसफोर्मेशन इनीसिएटिव के तहत वित्त पोषित निजी क्षेत्र की [illegible] योजनाएं और हरियाणा, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में सौर विनिर्माण एवं बाजार उद्यम शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रौद्योगिकी पर आधारित नासिक, महाराष्ट्र में, एक प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूल विनिर्माण करने वाली यूनिट स्थापित की गई है। सरकार ने हाल ही में जी.ई.एफ. और के.एफ.डब्ल्यू. के आंशिक वित्त पोषण के साथ राजस्थान में जोधपुर के पास मथानिया गांव में एक 140 मे.वा. के एकीकृत सौर संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक परियोजना का अनुमोदन किया है।

विवरण-I

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियां

क्रम सं.	प्रणाली	1997-98		1998-99		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सौर जल तापक (वर्गमी.)	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000
2.	सौर कुकर (सं.)	35,000	24,000	25,000	20,000	25,000	5,000
3.	सौर लालटेन (सं.)	60,000	46,808	60,000	43,573	60,000	49,376
4.	घरेलू रोशनी प्रणाली (सं.)	25,000	17,614	25,000	21,315	30,000	24,521
5.	विद्युत संयंत्र व अन्य प्रणालियां (कि.वा.)	100	123	100	206	425	340
6.	एसपीवी जल पंपन (सं.)	1000	528	शून्य	377	500	308
7.	सौर विद्युत संयंत्र (ग्रिड संबद्ध कि.वा.)	300	300	200	200	200	100

*29.2.2000 तक

विवरण-II

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय आवंटन (संशोधित अनुमान) और प्राप्त की गई उपलब्धियां

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	कार्यक्रम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि*
1.	सौप तापीय	3.50	3.31	2.50	1.38	2.50	2.28
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय	5.77	15.28	33.00	37.00	41.00	31.84
3.	एसपीवी जल पंपन	0.40	0.05	7.50	0.05	7.00	6.62
4.	सौर विद्युत (ग्रिड संबद्ध)	1.90	1.90	2.10	2.65	5.25	3.26

*29.2.2000 तक

रूस से सुपरसोनिक मिसाइलों की खरीद

3371. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौसेना के लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी विमान टुपोलेव टी यू-142 एम को सुसज्जित करने हेतु रूसी सुपरसोनिक के एच-31 ए पोत-रोधी मिसाइल और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए जमीन से हवा मार करने वाली कुछ अन्य मिसाइलें खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सेना कितनी मजबूत होगी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं के निर्यात पर राजसहायता

3372. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं के निर्यात पर राजसहायता देने का है ताकि इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त राजसहायता कितनी दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या मुक्त बाजार से गेहूं के आयात पर रोक लगा दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सरकार बफर मानदंडों की तुलना में गेहूं का अधिक स्टाक रख रही है। गेहूं की सामान्य फसल की दृष्टि में अधिक स्टाक का निपटान करना आवश्यक हो गया है। गेहूं का निर्यात स्टाक निपटान करने का एक तरीका हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में भारत में गेहूं के चल रहे मूल्य अधिक हैं और जब तक इसे सब्सिडी नहीं दी जाती है तब तक निर्यात की संभावना बहुत ही कम है तथा सब्सिडी की मात्रा बाजार स्थितियों पर निर्भर करते हुए कारोबार दर कारोबार भिन्न-भिन्न होगी।

(ग) और (घ) गेहूं के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू करने के फलस्वरूप गेहूं के खुले बाजार आयात को नियंत्रित किया गया है।

[हिन्दी]

पॉम ऑयल का वितरण

3373. श्री किरीट सोमैया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के गोदामों से पॉम ऑयल उठाने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार को वर्ष 1998-99 के दौरान इस कारण कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी प्रतिकूल स्थिति के बावजूद पॉम ऑयल का आयात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में निरंतर अधोगामी प्रवृत्ति के कारण और देश में खुले बाजार में सस्ते खाद्य तेलों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप विगत महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयात किए गए आर.बी.डी. पामोलीन की आवंटित मात्राओं का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान कम रहा है। भारतीय राज्य व्यापार निगम, जो सरकारी आयात के लिए एकमात्र सरणीबद्ध एजेंसी है, को 1998-99 के दौरान सरकारी खाते पर हुए इसके व्यापार प्रचालनों में हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए 105 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

(घ) और (ङ) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए (1) खाद्य तेलों की मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच लगातार अंतर, और (2) उपभोक्ताओं तक उचित दरों पर खाद्य तेल उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता, को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों का आयात कर रही है।

[अनुवाद]

शूटिंग के लिए अनुमति

3374. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा (विभिन्न मंडलों में) धारावाहिक निर्माताओं/फिल्म निर्माताओं को फिल्म की शूटिंग करने के लिए अनुमति देने और रेलवे की सम्पत्ति का इस्तेमाल करने अथवा स्टेशनों पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए निर्धारित समय देने आदि से कितनी आय हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): फिल्मों और धारावाहिक निर्माताओं को शूटिंग की अनुमति देने से क्षेत्रीय रेलों को वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान 53,63,082 रु. की राशि प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

नवनिर्मित अस्पताल में डाक्टर उपलब्ध कराना

3375. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत बरियारपुर स्टेशन पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद एक अस्पताल का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार डाक्टरों और कर्मचारियों दोनों को वर्षों से वहां उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बरियारपुर में डाक्टरों तथा कर्मचारियों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बरियारपुर में स्वास्थ्य इकाई बंद है। सप्ताह में एक बार जमालपुर से एक डाक्टर बंद स्वास्थ्य इकाई बरियारपुर का दौरा करता है।

[अनुवाद]

सीमा सड़क संगठन में अनुकंपा आधार पर रोजगार

3376. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित अनुकंपा आधार पर रोजगार पाने के हकदार हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कर्मचारियों की पत्नियों को इस आधार पर रोजगार देने के लिए इंकार कर दिया कि सीमा सड़क संगठन महिलाओं को रोजगार नहीं देता है;

(ग) यदि हां, तो सीमा सड़क संगठन के पास आज की तारीख तक ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतल परिवहन और रक्षा मंत्रालय दोनों ने इन विधवाओं को रोजगार देने से इंकार कर दिया है;

(ङ) क्या सीमा सड़क संगठन ने कुछ समय पहले इन विधवाओं को रोजगार देने के बदले में सेना के अनुरोध पर इतनी ही संख्या में पुरुष सदस्यों को रोजगार देने के बारे में सेना को पेशकश की थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) सीमा सड़क संगठन को अपने मुख्यालय अथवा "पीस स्टेशनों" में इन विधवाओं को रोजगार न देने के बारे में अनुमति प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) सीमा सड़क संगठन के दिवंगत अथवा डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किए गए कर्मचारियों के दयनीय स्थिति वाले आश्रित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। ये नियुक्तियां समूह "ग" और "घ" के पदों में सीधी भर्ती के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5% तक ही की जा सकती हैं।

(ख) सीमा सड़क संगठन का जनरल रिजर्व इंजीनियर बल का ढांचा सेना के अनुरूप बनाया गया है जिसे सशस्त्र सेनाओं का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। इसलिए इस संगठन में महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है।

(ग) अद्यतन स्थिति के अनुसार मृत कार्मिकों की पत्नियां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं।

(घ) ये महिलाएं भूतल परिवहन तथा रक्षा मंत्रालय में नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

(ङ) और (च) ऐसे आश्रितों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सेना मुख्यालय और सीमा सड़क संगठन के बीच एक पारस्परिक व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य कार्मिकों के दो पुरुष आश्रितों को सीमा सड़क संगठन में रोजगार देने के बदले सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों की एक महिला आश्रित को सेना की निम्न विरचना में नियुक्त किया जाएगा। सेना मुख्यालय ने सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों की महिला आश्रितों की नियुक्ति से इनकार नहीं किया है परंतु वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां सीमित होने के कारण सितंबर, 1996 से कोई रिक्ति मुहैया नहीं करा पाया है।

(छ) सीमा सड़क संगठन में महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है।

आंध्र प्रदेश में ज्वारीय ऊर्जा परियोजना

3377. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कच्छ की खाड़ी में "ज्वारीय ऊर्जा परियोजना" की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस ऊर्जा परियोजना के साथ जुड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्वी तट पर विशेषकर आंध्र प्रदेश में कोई अन्य स्थानों का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) जी हां। 900 मे.वा. कच्छ स्तरीय विद्युत परियोजना पर परियोजना की वर्तमान लागत का अनुमान लगाने के लिए श्री डी.वी. खेरा, सदस्य हाइड्रो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से इस प्रकार की परियोजना स्थापित करने की व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए "योग्यता के लिए अनुरोध" और "प्रस्ताव के लिए अनुरोध" पर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आधारित पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से 3 मे.वा. की दुर्गाद्वानी लघु ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब तक, आंध्र प्रदेश में किसी व्यवहार्य स्थल का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

एलाइन्स एयर के पुराने बोइंग को हटाना

3378. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'एलाइन्स एयर' से दिल्ली-औरंगाबाद वायु मार्ग पर बोइंग जहाजों के स्थान पर जम्बो जहाज शुरू करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में जगुआर विमानों का निर्माण

3379. श्री जी.एस. बसवराज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने दुश्मन की सीमा में गहरी मार करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. को 17 जगुआर विमानों के निर्माण का क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ये विमान कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे;

(ग) प्रत्येक विमान की अनुमानत: कितनी कीमत होगी और इसकी विशिष्टताएं क्या हैं;

(घ) क्या ऐसे विमान के मॉडल का परीक्षण पहले ही हो चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय वायु सेना द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 67.89 करोड़ रु. प्रति वायुयान की अनुमानित लागत पर दो सीटों वाले 17 जगुआर वायुयानों की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इन वायुयानों की सुपुर्दगी को 2001-2002 से 2004-2005 के बीच किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) भारतीय वायु सेना में यह एक प्रामाणिक वायुयान है तथा इसके मॉडल परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

रियायती पासों का दुरूपयोग

3380. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामशकल :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में जारी किए गए पासों का भारी दुरूपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा रियायती पासों की समीक्षा करने के लिए एक कृतिक बल गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा त्रुटिहीन प्रणाली बनाने के लिए की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलों पर रियायती पासों की कोई संकल्पना नहीं की गयी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पुराने विमान का बदला जाना

3381. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता और दिल्ली से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कम्पनी-वार कितने विमान उड़ान भर रहे हैं;

(ख) क्या उनमें से किसी ने भी सामान्य आयु अवधि सीमा पूरी कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पुराने विमानों को नए विमानों से बदलने के लिए क्या उपाय किए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) किसी मार्ग के लिए समर्पित विमान नहीं रखने की एयरलाइंस की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में विमान (56 विमान), जेट एयरवेज (25 विमान), सहारा एयरलाइंस (9 विमान) को अंत:परिवर्तनीय आधार पर भी उत्तर पूर्व में प्रचालन के लिए लगाया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उपर्युक्त में से किसी भी किस्म के विमानों के विनिर्माता अथवा विनियामक प्राधिकारियों द्वारा कोई नियत सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है किन्तु विनिर्माताओं तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विहित चेक/प्रक्रियाओं के अनुसार इन विमानों का उड़नयोग्य स्थिति में रख-रखाव किया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा वायु-मार्गों का वर्गीकरण

3382. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :
श्री हरीभाई चौधरी :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने वायु-मार्गों का वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस, निजी आपरेटरों और टैक्सी-आपरेटरों के बीच मार्ग-वितरण के संबंध में कोई मार्गदर्शी-सिद्धांत बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी-आपरेटर्स और टैक्सी-आपरेटर्स भारी लाभ कमा रहे हैं जबकि इंडियन एयरलाइंस को दिन-पर-दिन घाटा हो रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार द्वारा सवारी-वहन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के कोई उत्साहजनक परिणाम निकले हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस निजी एयरलाइनों और एअर टैक्सी प्रचालकों के बीच मार्ग संवितरण संबंधी ऐसा कोई पृथक मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तथापि, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर नियमन के उद्देश्य से तथा देश में विभिन्न प्रदेशों के विमान परिवहन सेवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा उल्लेख है कि सभी अनुसूचित प्रचालक उत्तर-पूर्व, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप समूह और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह (श्रेणी-II मार्गों) पर, ट्रंक मार्गों (श्रेणी-I मार्गों) पर लगाई गई क्षमता का न्यूनतम 10 प्रतिशत लगाएगा और श्रेणी-I मार्गों पर दी गई क्षमता का 50 प्रतिशत श्रेणी-I और श्रेणी-II मार्गों के अलावा (श्रेणी-III मार्गों) पर तैनात की जानी है।

(ङ) और (च) जबकि निजी एयरलाइनों का लाभ/हानि उपलब्ध नहीं है, वर्ष 1989-90 से घाटा उठाने के पश्चात् अब 1997-98 से इंडियन एयरलाइंस को मुनाफा हो रहा है।

(छ) और (ज) घरेलू सैक्टर पर वाहित यात्रियों की संख्या में वर्ष 1997 से वृद्धि हो रही है और इनकी संख्या वर्ष 1997 के 116.43 लाख से बढ़कर वर्ष 1999 में 122.30 लाख हो गई है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में "इरकान" के विरुद्ध मामले

3383. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक भारतीय रेल निर्माण कंपनी (इरकान) के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) इस पर कितनी राशि व्यय हुई है;

(ग) क्या सरकार के पास इन खर्चों को रोकने के लिये कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अदालती मामलों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। मुकदमेबाजी से बचने/इसे कम करने के लिए जहां कहीं संभव है आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं कर्मचारियों की शिकायतों पर, कर्मचारी परामर्श मंच की नियमित तिमाही की बैठकों के जरिए ध्यान दिया जाता है। ठेके संबंधी विवादों को कुल मिलाकर मध्यस्थता के जरिए निपटाया जाता है।

विवरण

(क) और (ख) न्यायालयों में लंबित मुकदमों की वर्ष-वार स्थिति तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन पर हुआ खर्च निम्नानुसार है:-

वर्ष	1997	1998	1999	2000
लंबित मामलों की संख्या (1 जनवरी की स्थिति के अनुसार)	134	130	138	146
खर्च (लाख रुपयों में)	11.32	11.27	12.35	3.55*

*10.3.2000 तक के आंकड़े।

[अनुवाद]

हाशिम समिति की सिफारिशें

3384. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग द्वारा गठित हाशिम समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां। हाशिम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस मंत्रालय के कई कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया है। तत्कालीन स्वरोजगार तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति तथा गंगा कल्याण योजना के साथ-साथ दस लाख कुओं की योजना के स्थान पर 1 अप्रैल, 1999 से एक नया कार्यक्रम अर्थात् स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। तत्कालीन जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित किया गया है और इसके स्थान पर 1 अप्रैल, 1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसी प्रकार, सुनिश्चित रोजगार योजना को भी 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित किया गया है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

3385. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लखनऊ-शाहगंज-मऊ और लखनऊ-जौनपुर-वाराणसी रेल मार्गों का अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मार्गों का कब तक विद्युतीकरण कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों की प्राथमिकता तथा संसाधनों की तंगी।

(ग) जाफराबाद-वाराणसी खंड का विद्युतीकरण रेलवे बजट 1999-2000 में शामिल कर लिया गया है बशर्ते कि अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हों। निकट भविष्य में इन मार्गों पर अन्य खंडों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों का आवंटन

3386. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या राज्यों की मांग की पूर्ति हेतु आवंटित तेल की मात्रा अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य तेलों के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आपूर्ति करने के लिए आयातित खाद्य तेलों के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) जी नहीं। अप्रैल-जून, 2000 की तिमाही के संबंध में आवंटन करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक जो अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उनमें या तो पिछले अनुरोधों में की गई मांग के बराबर अथवा उससे कम खाद्य तेलों की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

खाद्य तेलों का आवंटन

(आंकड़े टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	49000	28000	56000	56700
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	1000	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	700	300	800	शून्य
5.	गोवा	3200	3500	2000	2430
6.	गुजरात	40000	20000	2800	25400
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	400	200
8.	हिमाचल प्रदेश	1400	1400	1300	2060
9.	जम्मू और कश्मीर	700	400	616	1262
10.	कर्नाटक	10000	10000	8000	13600
11.	केरल	2000	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	34000	30000	40231	41800
14.	मणिपुर	2100	800	1600	5215
15.	मेघालय	700	शून्य	400	580
16.	मिजोरम	1400	800	270	306
17.	नागालैंड	2800	1600	2400	3740
18.	उड़ीसा	7000	7300	9000	10000
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	350	शून्य	2000	शून्य
21.	सिक्किम	770	880	1000	1720
22.	तमिलनाडु	7000	4000	5000	3950
23.	त्रिपुरा	700	शून्य	200	660
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	1700	5000	5000

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	18500	20000	14000	28000
26.	अंडमान और निकोबार	200	100	275	177
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादर और नागर हवेली	560	320	500	808
29.	दमन और दीव	875	500	790	1561
30.	दिल्ली	3600	2104	6398	4950
31.	लक्षद्वीप	280	400	300	334
32.	पांडिचेरी	4000	2000	4000	6800
	जोड़	192835	136104	190480	217233

100 सीटों वाले परिवहन विमान का विकास

3387. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिकों, सैन्य और असैनिक उपयोग के लिए 100 सीटों वाले परिवहन विमान को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए ठोस प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के इंजीनियरों के एक संयुक्त दल ने 100 सीटों वाले परिवहन विमान को विकसित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया है। इस अध्ययन पर आगे विचार-विमर्श चल रहा है।

(ख) और (ग) इस व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कार्य शुरू होने की संभावना है।

बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद की धावनपट्टी का विस्तार

3388. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेगमपेट हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डे की धावनपट्टी का विस्तार छावनी क्षेत्र की ओर किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने मकान मालिकों को मकान खाली करने हेतु नोटिस भेज दिये हैं;

(ग) धावनपट्टी को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहुंच मार्ग के पूर्वी भाग में अभिज्ञात किए गए अवरोधों को दूर करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है ताकि धावनपथ की प्रभावी लंबाई को 7760 फीट से बढ़ाकर 9080 फीट किया जा सके। अवरोधों को हटाने के पश्चात् ही धावनपथ का विस्तार किया जा सकता है।

पीपावाव पोर्ट तक बड़ी रेल लाइन

3389. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड के साथ बन्दरगाह को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने मैसर्स गुजरात पिपवाव पोर्ट लिमिटेड के साथ सुरेन्द्रनगर-पिपवाव/पिपवाव पोर्ट तक नई लाइन का विस्तार, के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विशेष प्रयोजन वाहन, सुरेन्द्रनगर तथा पिपवाव पोर्ट के बीच बड़ी लाइन संपर्क स्थापित करने की प्रस्तावित परियोजना को शुरू करेगा। इस परियोजना की अनंतिम लागत 270 करोड़ रुपए (दो सौ सत्तर करोड़ रुपए) है। 270 करोड़ रु. लागत की इस परियोजना में किसी भी प्रकार की अन्य वृद्धि एस.पी.वी. के खाते में जाएगी।

इस परियोजना के वित्तपोषण का पैटर्न निम्नानुसार होगा:-

परियोजना की 66.67% लागत इक्विटी के जरिए वित्तपोषित की जाएगी।

परियोजना की 33.33% लागत ऋण के जरिए वित्तपोषित की जाएगी।

इक्विटी रखने का पैटर्न

(1) रेल मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 50%

(2) गुजरात-पिपवाव पोर्ट लिमिटेड तथा अन्य 50%

बड़ी लाइन के प्रस्तावित संपर्क पर भारतीय रेल द्वारा खर्च की जा चुकी राशि रेल मंत्रालय के इक्विटी अंशदान के रूप में मानी जाएगी।

"गुड्स लाईन" को यात्री-यातायात के लिये शुरू करना

3390. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यात्री-यातायात के लिये भी कुर्ला और माहुल के बीच विद्यमान "गुड्स लाईन" के उपयोग करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कुर्ला से माहुल तक यात्री सेवाएं शुरू करने के लिए चेम्बुर यात्री एसोसिएशन से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। कुर्ला-ट्राम्बे एकल लाइन द्वारा सेवित क्षेत्र 7 मिनट से कम आवृत्ति वाली बेस्ट बस सेवाओं से भली प्रकार से सेवित है। इस क्षेत्र में बसें न केवल कुर्ला को अपितु घाटकोपर जैसे स्थानों को भी जोड़ती हैं। अत: रेलवे द्वारा कुर्ला-माहुल गुड्स लाइन का यात्री सेवाओं के उपयोग के लिए फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

रेलगाड़ियों में खानपान सुविधाएं

3391. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर खानपान सुविधाओं के सुधार करने हेतु कोई नई योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इनका मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर अधिक दुकानें, चाय के स्टाल, एस.टी.डी. बूथ, खोखे इत्यादि खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंडलवार कितने स्टेशनों पर उक्त यात्री सुविधाएं लीज (पट्टा) पर अब तक दे दी गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। यात्रियों को खानपान की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलों ने महत्वपूर्ण/प्रमुख स्टेशनों पर मौजूदा तथा नए स्रोतों के जरिए बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया है। अन्य सुविधाओं में, प्रस्तुतीकरण और सेवा में सुधार लाने के लिए मॉड्यूलर स्टॉलों की व्यवस्था, गाड़ियों में भोजन की पैकिंग तथा इसे परोसने के ढंग में सुधार लाना और भोजन तथा पेय पदार्थों की सेवा के लिए प्रदूषण मुक्त वायोडिग्रेबल पैकिंग सामग्री का उत्तरोत्तर उपयोग करना शामिल है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेले समय-समय पर आवश्यकताओं की समीक्षा करती है और यात्री यातायात के स्तर पर विचार करते हुए जहां कहीं औचित्यपूर्ण होता है अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करती है।

(ङ) भारतीय रेलों के लगभग 3050 स्टेशनों और 124 जोड़ी गाड़ियों में खानपान सेवाओं का प्रबंधन पूर्णत: निजी लाइसेंसधारकों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, लगभग 30 स्टेशनों पर खानपान यूनिटों का प्रबंधन विभागीय तथा निजी लाइसेंसधारकों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में मंडलवार सूचना नहीं रखी जाती है।

चीनी-नियंत्रण आदेश में संशोधन

3392. श्री सुबोध मोहिते : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातित चीनी और देश में उत्पादित चीनी में समरूपता लाने के लिए चीनी-नियंत्रण आदेश को संशोधित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 14.6.1999 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 436 (ई) द्वारा चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया है ताकि आयातित चीनी को उपर्युक्त आदेश के दायरे में लाया जा सके। उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3,
उप-खण्ड (1) में प्रकाशित
भारत सरकार
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय
चीनी और खाद्य तेल विभाग
आदेश

नई दिल्ली, दिनांक : 14 जून, 1999

सा.का.नि. 436(अ)/आ.व./चीनी, केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी, (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1999 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), खंड 2 में उपखंड (ककक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ककक) 'आयातकर्त्ता' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत से भिन्न किसी देश से चीनी का क्रय करने और उसे भारत में विक्रय करने के कारबार में लगा हुआ है।"

3. उक्त आदेश के खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4, उत्पादक या आयातकर्त्ता द्वारा चीनी के विक्रय आदि को निर्बन्धित करने की शक्ति, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उत्पादक या आयातकर्त्ता, उस कारखाने के परिबद्ध गोदाम से, जिसमें इसका उत्पादन हुआ है या आयातकर्त्ता के भांडागारों से, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निर्देश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी किस्म की चीनी का विक्रय या विक्रय के लिए करार या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा या परिदान या परिदान करने का करार नहीं करेगा या किसी किस्म की चीनी को नहीं हटाएगा।"

परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ड) के यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककार कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्समान नए बैंक के हक में किसी उत्पादक या आयातकर्त्ता द्वारा ऐसी चीनी को गिरवी रखने पर इस खंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा बैंक, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए किसी निदेश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, गिरवी रखी गई चीनी का विक्रय नहीं करेगा।"

4. उक्त आदेश के खंड 5, 5क, 10, खंड 11 के उपखंड (क), (ख) और (ग) और खंड 14 में "उत्पादक" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां भी वह आता है "उत्पादक या आयातकर्त्ता" शब्द रखे जाएंगे।

हस्ता०/-
(आर.एन दास)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फा.सं. 1-17/98-एस.पी.वाई.-डी-II

टिप्पण : मूल आदेश संख्या 912/आ.व./चीनी, तारीख 10 जून, 1966 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित के अधीन किया गया.....

1. सा.का.नि. 1193/आ.व./चीनी तारीख 1.8.1996
2. सा.का.नि. 1747/आ.व./चीनी तारीख 16.11.1967
3. सा.का.नि. 1915/आ.व./चीनी तारीख 6.8.1969
4. सा.का.नि. 621/आ.व./चीनी तारीख 8.4.1970
5. सा.का.नि. 1266/आ.व./चीनी तारीख 7.9.1971
6. सा.का.नि. 1380/आ.व./चीनी तारीख 17.9.1971
7. सा.का.नि. 100/आ.व./चीनो तारीख 27.12.1971
8. सा.का.नि. 387(अ)/आ.व./चीनी तारीख 22.8.1972
9. सा.का.नि. 25(अ)/आ.व./चीनी तारीख 31.1.1974
10. सा.का.नि. 596/आ.व./चीनी तारीख 30.8.1977

पाम ऑयल हेतु वृक्षारोपण पर राजसहायता

3393. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजसहायता देकर पाम ऑयल हेतु वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में राजसहायता दी गई है और राजसहायता योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितने क्षेत्र में पाम ऑयल हेतु वृक्षारोपण किया गया है;

(घ) क्या और अधिक क्षेत्र में पाम ऑयल हेतु वृक्षारोपण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में और अधिक क्षेत्र में पाम ऑयल हेतु वृक्षारोपण किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) तेल पाम की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् तेल पाम विकास कार्यक्रम के अधीन चुनिंदा राज्यों को सहायता दे रही है।

(ख) तेल पाम विकास कार्यक्रम के अधीन जिन घटकों के लिए सहायता दी जाती है, वे घटक और उनमें लागू सहायता की दर निम्नलिखित है:

(1) रोपण सामग्री के लिए सहायता: किसान की पूरी जोत के लिए 5400/- रुपये प्रति हैक्टेयर की सीमा के साथ लागत का 75 प्रतिशत।

(2) खेती की लागत के लिए सहायता: किसान विशेष के लिए 6 हेक्टेयर तक अनुमेय 15,500/- रुपये प्रति हैक्टेयर की सीमा के साथ फसल तैयार होने की 4 वर्ष की अवधि के दौरान लागत का 50 प्रतिशत।

(3) ट्रप्स (ड्रिप) सिंचाई के लिए सहायता: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसानों और महिला किसानों, जो छोटे और सीमान्त किसान हैं, के लिए कुल लागत का 90 प्रतिशत, लेकिन अधिक सीमा 25,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। अन्य किसानों के लिए कुल लागत का 70 प्रतिशत लेकिन अधिकतम सीमा 25,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है।

(4) प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार तथा स्थापना एवं स्टाफ आवश्यकतानुसार मुहैया किया जाता है।

8.2.2000 से तेल पाम विकास कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित नए घटक भी शामिल किए गए हैं:-

(1) प्रदर्शन : उन ब्लाकों में, जहां किसानों के खेतों में 500 हैक्टेयर या अधिक क्षेत्र में नए तेल पाम रोपण किए जा रहे हैं, किसानों को खेती और प्रबंध प्रथाओं, पौध संरक्षण उपायों और तेल पाम की पैदावार की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए 20-25 हैक्टेयर का एक प्रदर्शन किया जाएगा।

(2) डीजल पम्पसैटों के लिए सहायता: कम से कम उन किसानों को, जो 5 हैक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र में तेल पाम का रोपण करते हैं, डीजल पम्पसेट लगाने के लिए 50 प्रतिशत लागत की सहायता; लेकिन यह सहायता अधिकतम 8000/- रुपये है।

(3) बंजर भूमि का विकास: किसानों की अपनी भूमि अथवा सरकार द्वारा किसानों को आवंटित भूमि, जो बंजर हो

या कम उत्पादन वाली हो, को तेल पाम के अधीन लाने के उद्देश्य वाली विशेष परियोजनाएं आरंभ करने के लिए तेल पाम विकास कार्यक्रम के अधीन 15 प्रतिशत निधि निर्धारित की जानी है। तेल पाम विकास कार्यक्रम के अधीन प्रमुख सहायता रोपण सामग्री, खेती और ट्रप्स सिंचाई के लिए दी जाएगी।

ट्रप्स सिंचाई के घटक को छोड़कर तेल पाम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लागत केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 आधार पर बांटी जाएगी। ट्रप्स सिंचाई घटक के अन्तर्गत लागत भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 90:10 के आधार पर बांटी जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे घटकों, जैसे प्रशिक्षण, जीनप्ररूपों आदि के लिए समूची धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा मुहैया की जाएगी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल पाम विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए 137.99 करोड़ रुपये के केन्द्रीय सरकार के हिस्से सहित कुल 179.65 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है।

(ग) अब तक 54,296 हैक्टेयर क्षेत्र तेल पाम के अधीन लाया गया है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में 80,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को तेल पाम के अधीन लाने के लिए नौवीं योजना के दौरान तेल पाम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

हल्के विमानों का टैक्सी के रूप में उपयोग

3394. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए औरंगाबाद के लिए हल्के विमानों को टैक्सी सेवा के रूप में उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) छोटे शहरों को प्रचालन से जोड़ने के लिए छोटे विमान (टर्बो-प्रॉप) को प्रोत्साहन देने हेतु, इस प्रकार के विमानों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर विमानन टरबाईन ईंधन मुहैया कराने और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन विमानन टरबाईन ईंधन को "घोषित माल" के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्यधीन प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेक पर किसी भी विशेष शहर के लिए प्रचालन करने का निर्णय लेता है।

[अनुवाद]

तीन राष्ट्रों के साथ विमानन समझौतों पर पुन: वार्ता

3395. श्री जी.एस. बसवराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रिया, उजबेकिस्तान और रोमानिया के साथ अपनी विमानन द्विपक्षीय वार्तायें पुन: शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वियाना, आस्ट्रिया में 26 और 27 जनवरी, 2000 को भारतीय शिष्टमंडल ने वैमानिक अधिकारियों (एरानॉटिकल एथरिटिज) से मुलाकात की है; और

(घ) यदि हां, तो तीन राष्ट्रों के साथ कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये तथा इनकी क्या विशेषताएं हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) उजबेकिस्तान, रोमानिया तथा आस्ट्रिया सरकारों के साथ क्रमश: दिनांक 20-21 जनवरी और 26-27 जनवरी, 2000 को विमान सेवा मामलों पर द्विपक्षीय चर्चा की गई। उजबेकिस्तान की नामित विमानकंपनी को इंडियन एयरलाइंस के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली तक प्रचालन के लिए प्रति सप्ताह 850 सीटों तक भारतीय वाहकों की अप्रयुक्त पात्रता का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें दो नए स्टेशन अर्थात् अमृतसर और त्रिवेन्द्रम तक सेवाएं प्रचालित करने की भी अनुमति दी गई है। नामित भारतीय वाहकों के परस्पर रूप से, समरकंद और बुखारा अतिरिक्त अवतरण स्थल के रूप में दिए गए हैं। शुरू में इन स्टेशनों तक प्रचालन 420 सीट प्रति सप्ताह से अधिक नहीं होगा। परस्पर रूप से, भारतीय वाहक उजबेकिस्तान में किसी भी नामित अवतरण स्थल तक समान संख्या में सीटों को प्रचालित करने के हकदार भी होंगे। रोमानिया के साथ हुए करार में एक पक्षीय प्रचालनों के लिए देय रॉयल्टी में कटौती का भी प्रावधान है और

रोमानिया की नामित विमान कंपनी को उक्त आधार पर अथवा कलकत्ता के साथ मिलकर, अपने विकल्प से दिल्ली तक प्रचालित करने की अनुमति है। ऑस्ट्रिया के साथ हुए करार में दोनों पक्षों के लिए विमान यातायात अधिकारों को बढ़ाने का प्रावधान है ताकि वे 690 सीट प्रति सप्ताह से बढ़ाकर शीत 2000-2001 तक 265 सीटर विमान से 5 सेवाएं प्रति सप्ताह तक प्रचालित कर सकें।

रेल दुर्घटनाएं

3396. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को अधिकतम प्राथमिकता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में बड़ी और छोटी कितनी रेल दुर्घटनाओं की सूचना है;

(ग) उनमें से कितनी मानवीय भूल के कारण हुई और कितनी तकनीकी खराबी के कारण हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे में और अधिक कुशल कर्मचारियों की नियुक्तियां करने और नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का स्तर बढ़ाने का है;

(ङ) यति हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन अथवा चार वर्षों के दौरान रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती, नियमों एवं अर्हताओं में ढील देकर की गयी; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो इस तरीके से नियुक्त किए जाने को हतोत्साहित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) प्रौद्योगिकीय विकासों को ध्यान में रखकर पदों को भरने का तरीका भर्ती योग्यताएं आदि की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कारीगरों की कोटि संबंधी भर्ती जो अभी तक क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जाती थी, अब रेल भर्ती बोर्डों द्वारा की जाएगी।

(च) और (छ) की गई नियुक्तियों में निर्धारित योग्यताओं में छूट देने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

(ख) और (ग) छोटी अथवा बड़ी दुर्घटनाओं के रूप में दुर्घटना के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, उनमें से मानवीय चूक के कारण तथा तकनीकी विफलता के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार थी:-

वर्ष	परिणाम दुर्घटनाओं की संख्या	परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या		तकनीकी विफलता के कारण परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या
		रेल कर्मी के कारण	रेल कर्मी से इतर व्यक्ति के कारण	
1996-97	381	252	65	37
1997-98	396	262	67	38
1998-99	397	268	63	33

भारत और इण्डोनेशिया के बीच सहयोग

3397. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इण्डोनेशिया की सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में पर्यटन के और अधिक विकास के लिए नए रास्ते ढूंढने में इस समझौते के कहां तक सहायक होने की संभावना है;

(घ) क्या कोई ठोस परियोजना तैयार की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। भारत गणतंत्र की सरकार तथा इंडोनेशिया गणतंत्र की सरकार के बीच, नई दिल्ली में दिनांक 8.2.2000 को पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) समझौता-ज्ञापन के उद्देश्य निम्न हैं:-

(1) भारत गणतंत्र के माध्यम से और/या इंडोनेशिया गणतंत्र के माध्यम से विश्व पर्यटक जनन बाजार से दोनों देशों में पर्यटक आगमन बढ़ाना;

(2) प्रत्येक देश में विभिन्न पर्यटक गन्तव्यों तथा आकर्षणों में यात्रियों के अधिकाधिक आवागमनों को प्रोत्साहन देना;

(3) प्रत्येक देश में, राष्ट्रिकों तथा निवासियों, दोनों के आगमनों को प्रोत्साहन देना;

(4) दोनों देशों में पर्यटन उद्योग की लाभप्रद वृद्धि को प्रोत्साहन देना।

(ग) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, एक विशेष बाजार से विपणन तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु एक तंत्र के रूप में सहायता करता है। ये व्यापकता आधारित समझौता ज्ञापन, विपणन कार्यकलाप प्रारंभ करने, यात्रा व्यापार प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान, प्रचार/संवर्धनात्मक सामग्री के निर्यात-आयात, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञापन, जानकारी के आदान-प्रदान करने, निवेशकों को सुविधा प्रदान करने, मानव संसाधन विकास तथा संकाय आदि का आदान-प्रदान करने, विशेष संवर्धनात्मक कार्यक्रमों, सड़क प्रदर्शनियों का आयोजन करने, पर्यटन के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ हेतु आंकड़े तथा सहयोग के विभिन्न अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न तरीकों से संवर्धनात्मक कार्यकलापों को सुगम बनाएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने तथा गहरी सूझबूझ प्रोत्साहित करने में भी सहायता करते हैं। पर्यटन हमेशा मैत्री वाले देशों में फलता-फूलता है, क्योंकि पर्यटक उन देशों की यात्रा करना चाहेगा जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन का संवर्धन करने में सहायता कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु, दोनों देशों के बीच एक कार्यदल (वर्किंग ग्रुप) स्थापित करने का प्रावधान है।

बिना वीजा यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों पर जुर्माना

3398. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना वीजा अमरीका के हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले भारतीय विमान यात्री एअर इंडिया पर बोझ बन जाते हैं जब उसे उन यात्रियों को वापिस भारत लाने की जिम्मेदारी उठाने के अलावा 50,000 (पचास हजार) अमरीकी डालर का जुर्माना भी भरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनका कानून क्या है;

(ग) क्या भारत में भी ऐसे कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। ऐसे मामले में जहां यात्री बिना वीजा के बे-रोकटोक यात्रा करते हैं, आने वाली/परिवहन करने वाले वाहक (एयरलाइन) पर 3000 अमेरिकी डॉलर दण्ड शुल्क लगाया जाता है और परिवहन करने वाले वाहक द्वारा यात्रा आरंभ करने वाले देश में भेज दिया जाता है। वर्ष 1998-99 में 4 यात्री और वर्ष 1999-2000 में 11 यात्री बिना वीजा के पाए गए थे और एअर इंडिया को प्रति यात्री 3000 अमेरिकी डॉलर की दर से 45,000 अमरीकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा।

(ख) से (घ) बिना वैध दस्तावेजों के यात्रियों को भारत लाने वाले किसी भी वाहक के मालिक के ऊपर प्रति यात्री 1 लाख रुपए मौद्रिक दण्ड लगाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रतिपादित किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

3399. श्री महबूब जहेदी : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, की प्रभावी अवधि जून, 1998 में समाप्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रभावी अवधि के समाप्त होने के परिणामस्वरूप क्या समस्यायें उत्पन्न हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विधेयक को अधिनियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पामोलीन, मूंगफली तथा सूरजमुखी तेलों के मूल्य

3400. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पामोलीन, मूंगफली तथा सूरजमुखी के तेलों की कीमतें न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूंगफली और सूरजमुखी तेलों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण इनके सम्बद्ध फार्म उत्पादों के बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(घ) इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की सहज उपलब्धता और कम मूल्य होने के कारण पामोलीन और सूरजमुखी के तेल के मूल्य मन्दे रहे हैं। मूंगफली के तेल के लिए यह लागू नहीं है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पामोलीन के मूल्य मंदे हैं। यह स्थिति घरेलू बाजार में अन्य तेलों के मूल्यों पर भी प्रतिबिम्बित होती है।

सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए किए गए शोधक उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) 30.11.1999 से रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) कच्चे तेल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक प्रयोक्ता शर्त की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने वाले आयातकर्त्ताओं को 38.5 प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमा शुल्क अदा करना होगा।

(3) वास्तविक प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य द्वारा रिफाइंड तेल के आयात और कच्चे तेल के आयात पर 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया है।

(4) मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड गठित किया गया है। यह बोर्ड खाद्य तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों को साप्ताहिक आधार पर मानीटर करता है और उपयुक्त शोधक कार्रवाई करता है।

समूह "क" के पदों पर कार्यरत समूह "ख" के अधिकारी

3401. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में समूह "ख" के कई अधिकारी समूह "क" के पद पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या समूह "क" के पद में समूह "ख" के अधिकारियों की संख्या इसकी निर्धारित संख्या से अत्यधिक कम है;

(ग) क्या तदर्थ आधार पर समूह "क" वर्ग में समूह "ख" के कार्यरत अधिकारी समूह "क" में नियुक्त किए जाने हेतु समूह "ख" में तीन वर्ष की नियमित सेवा करके अन्यथा अर्हता प्राप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पदों पर समूह "ख" के अधिकारियों को नियमित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सेवा की आवश्यकता को देखते हुए रेलों के ग्रुप "बी" अधिकारियों को तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर कार्य करने के लिए रखा जाता है।

(ख) से (घ) ग्रुप "बी" अधिकारियों के ग्रुप "ए" कनिष्ठ वेतनमान में प्रवेश करने/नियमित होने के विचार हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा ग्रुप "बी" में उनकी 3 वर्ष की नियमित सेवा है। बहरहाल,

ग्रुप "बी" अधिकारियों जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कनिष्ठ वेतनमान में नियमित/रखा जाता है, उनकी वास्तविक संख्या भर्ती नियमों के तहत इस प्रकार के प्रवेश/ नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होने वाले स्लॉटों की संख्या पर निर्भर करता है।

राज्य की राजधानी को एकल/दोहरी रेल लाइन से जोड़ना

3402. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक आन्ध्र प्रदेश के कौन-कौन से जिले, विशेषकर इसके पिछड़े क्षेत्रों को एकल/दोहरी रेल लाइन के द्वारा राज्य की राजधानी से जोड़ा गया है;

(ख) अभी तक कौन-कौन से जिलों को रेल लाइन द्वारा राज्य की राजधानी से नहीं जोड़ा गया है;

(ग) क्या इन जिलों को राज्य की राजधानी से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार आश्वासन योजना

3403. श्री समर चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण बेरोजगारों के लिए वर्ष 1999-2000 में लागू की गई रोजगार की मजदूरी दर क्या है और काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत निर्धारित राशि में केन्द्र की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) इससे राज्यवार कितने बेरोजगार लाभान्वित हुए हैं और जनवरी 2000 तक कितने कार्य दिवस रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 और वर्ष 1998-99 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार का कार्य निष्पादन कैसा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) सुनिश्चित रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत अनाज के वितरण पर विचार नहीं किया जाता है।

(ख) जनवरी, 2000 तक राज्यवार सृजित श्रम दिनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	सृजित लक्ष्य मजदूरी रोजगार	श्रमदिन सृजित					
				कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	महिलाएं	भूमिहीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12	301.60	122.38	47.33	23.86	51.19	39.49	38.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	7.47	20.33	0.00	20.33	0.00	6.76	0.00
3.	असम	12	135.37	96.77	19.61	27.74	49.42	6.95	24.70
4.	बिहार	12	645.23	259.97	112.82	37.61	109.54	73.61	161.29
5.	गोवा	1	0.49	0.97	0.00	0.00	0.97	0.42	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	1	59.97	36.36	5.63	19.03	11.70	11.81	14.29
7.	हरियाणा	12	32.84	6.76	3.69	0.00	3.07	1.57	6.71
8.	हिमाचल प्रदेश	12	16.47	16.48	6.73	2.34	7.41	0.78	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	12	25.79	14.28	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10.	कर्नाटक	1	194.58	123.34	32.26	14.43	76.65	35.37	47.05
11.	केरल	1	67.35	30.77	9.28	1.03	20.46	10.39	2.00
12.	मध्य प्रदेश	12	418.69	145.26	36.31	56.68	52.27	50.96	47.28
13.	महाराष्ट्र	1	571.53	129.98	33.62	29.72	66.54	46.93	45.36
14.	मणिपुर	8	7.86	4.45	0.05	3.86	0.54	2.25	1.11
15.	मेघालय	11	9.79	6.10	0.00	6.10	0.00	3.12	1.06
16.	मिजोरम	1	1.73	3.60	0.00	3.60	0.00	1.19	0.00
17.	नागालैंड	एन.आर.	9.21	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
18.	उड़ीसा	1	335.48	154.51	51.70	47.95	54.86	40.06	34.93
19.	पंजाब	1	14.49	12.58	7.96	0.00	4.62	0.31	7.55
20.	राजस्थान	11	177.51	59.84	20.68	15.96	23.20	19.51	9.37
21.	सिक्किम	10	2.15	1.69	0.50	0.61	0.58	0.50	0.13
22.	तमिलनाडु	12	227.29	83.68	35.97	2.98	44.74	28.71	80.32
23.	त्रिपुरा	1	16.90	12.88	2.85	6.41	3.62	3.86	6.10
24.	उत्तर प्रदेश	11	593.38	167.66	84.50	0.82	82.34	21.67	25.90
25.	पश्चिम बंगाल	11	214.88	64.32	23.85	9.59	30.88	12.87	40.82
26.	अंडमान निकोबार	1	1.41	0.19	0.00	0.01	0.18	0.03	0.07
27.	दादर व नगर हवेली	एन.आर.	1.04	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
28.	दमन व द्वीव	12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	11	0.09	0.40	0.00	0.40	0.00	0.10	0.00
30.	पांडिचेरी	1	1.00	0.27	0.18	0.00	0.09	0.11	0.03
	अखिल भारत		4091.63	1575.72	535.51	331.05	694.87	419.32	594.92

एन.आर. - उपलब्ध नहीं

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97 व्यय	1997-98 व्यय	1998-99 व्यय	1996-97 सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	1997-98 सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	1998-99 सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	25509.86	29448.56	25245.32	437.35	488.26	370.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	2054.94	2586.93	2327.96	39.05	43.66	38.29
3.	असम	8790.06	12756.22	8348.99	162.38	207.76	147.40
4.	बिहार	20868.18	29085.62	28469.20	324.49	420.45	400.89
5.	गोवा	0.00	246.90	239.94	0.00	2.92	2.66
6.	गुजरात	7570.86	6608.27	6613.24	122.98	92.71	63.07
7.	हरियाणा	2447.56	2906.18	2704.38	24.10	20.18	18.02
8.	हिमाचल प्रदेश	1161.23	2871.59	3048.81	13.44	35.65	35.45
9.	जम्मू व कश्मीर	5318.68	9266.22	5163.92	91.64	132.17	69.37
10.	कर्नाटक	14307.22	16628.38	13482.60	314.18	349.41	292.41
11.	केरल	2063.44	4371.43	5425.26	28.76	47.26	55.75
12.	मध्य प्रदेश	24229.95	32326.96	32960.40	379.22	447.46	429.43
13.	महाराष्ट्र	11876.27	14935.95	10961.56	309.72	363.24	205.62
14.	मणिपुर	1131.87	1047.01	1340.12	16.72	15.38	16.97
15.	मेघालय	368.40	447.58	582.43	5.90	7.72	10.34
16.	मिजोरम	1509.46	901.24	1161.29	32.26	17.88	19.56
17.	नागालैंड	3159.48	4516.95	2123.65	72.65	104.54	51.59
18.	उड़ीसा	19778.34	18865.57	17341.91	439.36	382.14	340.14
19.	पंजाब	एन.आर.	1055.11	2969.16	एन.आर.	4.55	19.74
20.	राजस्थान	12609.31	14485.71	15277.09	212.65	250.06	209.61
21.	सिक्किम	322.40	552.96	580.43	4.45	7.41	8.20
22.	तमिलनाडु	17014.19	29363.46	24449.66	468.42	558.28	457.09

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	1995.08	2904.92	2181.08	44.73	54.46	40.86
24.	उत्तर प्रदेश	19833.03	40665.55	58816.72	319.94	522.76	754.31
25.	पश्चिम बंगाल	11943.84	11467.13	10011.61	162.76	138.6	105.26
26.	अंडमान निकोबार	25.23	13.64	32.77	0.32	0.14	0.45
27.	दादर व नगर हवेली	51.05	62.52	9.47	0.47	0.72	0.13
28.	दमन व द्वीव	0.98	21.64	1.14	0.02	0.37	0.03
29.	लक्षद्वीप	100.36	78.98	82.33	2.06	1.46	1.62
30.	पांडिचेरी	एन.आर.	7.71	24.14	एन.आर.	0.14	0.38
	कुल	216041.266	290496.89	281976.58	4030.022	4717.74	4165.31

एन.आर. - उपलब्ध नहीं

केरल में पारिस्थितिकीय पर्यटन

3404. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) केरल सरकार ने पथिरामनाल में पारिस्थितिकी के अनुकूल फ्लोटिंग रिजार्ट के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 100.00 लाख रुपये लागत की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

रेलगाड़ियों में समाज विरोधी गतिविधियां

3405. डा. सी. कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आग और विनाश संबंधी गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए समाज विरोधी गतिविधियां अथवा ज्वलनशील वस्तुएं/हथियार ले जाने की घटनाओं को रोकने के लिए रेलगाड़ियों में यात्री और सामान दोनों की सुरक्षा जांच किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चलती गाड़ियों सहित रेलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का सांविधिक दायित्व है। ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए राज्य प्राधिकारी यथा अपेक्षित ऐसी जांच कर सकते है। बहरहाल, रेलों ने ज्वलनशील वस्तुएं लाने-ले जाने की रोकथाम करने के लिए निम्न उपाय किए है:-

1. ज्वलनशील पदार्थों का लाना-ले जाना निषिद्ध तथा रेलवे अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत अपराध है।

2. ज्वलनशील वस्तुओं को लाने-ले-जाने के विरुद्ध सवारी डिब्बों में सूचना पटल लगाए गए हैं।

3. ऐसी वस्तुओं लाने-ले-जाने की रोकथाम करने के लिए रेल कार्मिकों को अवसर जांच करने के अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

क्यूल और दानापुर खण्डों के बीच "हाल्ट" का निर्माण

3406. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार करोटा और देदगांव के यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूल-दानापुर खण्ड के मध्य हाल्ट स्टेशनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन हाल्ट स्टेशनों का निर्माण कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) दानापुर-किऊल खंड पर कुसुंभा और काशीचक स्टेशनों के बीच देरहगांव में हाल्ट स्टेशन अनुमोदित कर दिया है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

हज यात्रियों के लिये टेण्डर

3407. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1999 को 'नवभारत टाइम्स' में "उद्यान अधिकारी करोड़ों रुपये के अपहरण की तैयारी में" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हज चार्टर प्रचालन-2000 के लिए, प्रचालकों का चयन विश्वस्तरीय निविदाओं की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करके किया गया है। बोलियों में छानबीन हज निविदा समिति द्वारा की गई थी। यह समिति केन्द्रीय हज समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य तथा विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय और एअर इंडिया के प्रतिनिधि से मिलकर बनी है। नागर विमानन महानिदेशालय और एअर इंडिया के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा चुनी गई पार्टी के विमान का तकनीकी मूल्यांकन किया गया था और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित अपेक्षित उड़ानयोग्यता मानकों पर खरे उतरने पर उनकी हज प्रचालनों के लिए सिफारिश की गई थी।

[अनुवाद]

बजबज-फाल्टा रेल-मार्ग हेतु सर्वेक्षण

3408. श्री समीक लाहिड़ी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजबज-फाल्टा रेलमार्ग का सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तानूर-गुरुवायूर रेल-मार्ग का निर्माण

3409. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तानूर-गुरुवायूर रेल-मार्ग (दक्षिण रेलवे) के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस लंबे समय से विलंबित परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) मंगलौर-शोरूवण्णूर लाइन के तनूर-शोरूवण्मूर खंड के

दोहरीकरण के बदले में इस कार्य को दोहरीकरण परियोजना के रूप में स्वीकृति दी गई थी। अब तनूर-शोरूवण्णूर को शामिल करने के लिए दोहरीकरण की गुंजाइश बढ़ गई है। जिसके परिणामस्वरूप यह परियोजना अब एक नई लाइन के रूप में तब्दील हो गई है जिसके लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां जरूरी है। तदनुसार सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पश्चात् आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

गोदामों का निर्माण

3410. श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बिहार के शेखपुरा, लक्खीसराय, बेगूसराय और जमुई जिलों में गोदामों के निर्माण के लिए जमीन अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोदामों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हाम्पी का "हैरिटेज" केन्द्र के रूप में विकास

3411. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता से हाम्पी का विश्व "हैरिटेज" केन्द्र के रूप में विकास करने हेतु कोई विशेष योजना क्रियान्वित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशी सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) इन देशों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यूनेस्को की सलाह पर राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हम्पी के सन्तुलित विकास के लिए उसकी पर्यटन संभावना को ध्यान में रखकर एक व्यापक योजना बनाएं। इस संबंध में आगे कार्रवाई पूर्णत: राज्य सरकार पर निर्भर है।

[हिन्दी]

धान की खरीद

3412. श्री कुंवर अखिलेश सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान खुले बाजार में कितनी धान की खरीद और बिक्री हुई;

(ख) क्या इस सौदे में भारतीय खाद्य निगम और खाद्य विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुल धान का 2 प्रतिशत व्यापारियों को निशुल्क ही दे दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में भारतीय खाद्य निगम को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या दंडात्मक कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) 1994-95 में कुल 81.74 लाख टन धान खरीदी गई थी इसमें से 22.63 लाख टन मात्रा खुले बाजार में बेची गई थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। खुले बाजार में बेचा गया धान का स्टाक वास्तविक तौल के आधार पर प्राइवेट व्यापारियों को जारी किया गया था। धान के इस स्टाक का भंडारण संयुक्त रखवाली (कस्टडी) में चावल मिलों के परिसर में किया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने दुर्विनियोजन के कारण धान में हुई हानि के लिए 431 मिलों के खिलाफ 242.98 करोड़ रुपये के दावे के लिए माध्यस्थम मामले दर्ज किए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के संलिप्त पाए जाने पर श्रेणी-I के एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया है और श्रेणी-II और श्रेणी-III के 13 अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े/हल्के दंड दिए थे। कुछ और मामले जांच/कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा 1994-95 में धान की बिक्री के संबंध में हुए कथित कदाचार की प्रारम्भिक जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू की गई है।

घाटा उठाने वाले विमानपत्तन

3413. श्री रामशकल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घाटा उठाने वाले विमानपत्तनों को राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विमानपत्तनों को राज्य सरकारों और निजी कंपनियां को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 1998-99 के दौरान हानि में चल रहे विमानपत्तनों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

अण्डमान और निकोबार	–	पोर्ट ब्लेयर;
आंध्र प्रदेश	–	राजामुन्दरी, कुड्डापाह, दोनाकोण्डा, हैदराबाद, विरूपति;
विजयवाड़ा	–	विशाखापत्तनम;
अरूणाचल प्रदेश	–	पासीघाट, तेजू, जेरो;
आसाम	–	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, रूपसी, सिलचर, तेजपुर;
बिहार	–	गया, जमशेदपुर, पटना, रांची
चण्डीगढ़	–	चण्डीगढ़;
दिल्ली	–	सफदरजंग;
गुजरात	–	अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, काण्डला, केशोद, पोरबन्दर, राजकोट, वडोदरा;
हिमाचल प्रदेश	–	कांगड़ा, कुल्लु, शिमला;
जम्मू और कश्मीर	–	जम्मू, लेह, श्रीनगर;
कर्नाटक	–	बेलगांम, हुबली, मंगलौर;
केरल	–	कालीकट, त्रिवेन्द्रम;
लक्षद्वीप	–	अगाती;
मध्य प्रदेश	–	भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खजुराहो, रायपुर;
महाराष्ट्र	–	औरंगाबाद, नागपुर;
मणिपुर	–	इम्फाल;
मेघालय	–	शिलांग;
मिजोरम	–	लेंगपुई (एजवाल);
नागालैण्ड	–	दीमापुर;
उड़ीसा	–	भुवनेश्वर;
पाण्डिचेरी	–	पाण्डिचेरी;
पंजाब	–	अमृतसर;
राजस्थान	–	जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, नाल (बीकानेर) उदयपुर;
तमिलनाडू	–	कोयम्बतूर, मदुरै, सलेम, त्रिची, तूतीकोरिन, वेल्लौर;
त्रिपुरा	–	अगरतला, कैलाशहर, कमालपुर, खोवाई;
उत्तर प्रदेश	–	आगरा, देहरादून, गोरखपुर, कानपुर, कानपुर (चकेरी), लखनऊ, पन्तनगर, वाराणसी;
पश्चिम बंगाल	–	बागडोगरा, बेलुरघाट, बेहाला, मालदा और कूच बिहार

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से केवल गैर-प्रचालनात्मक विमानपत्तनों को विकसित किये जाने और इन्हें विमानपत्तन संबंधी कार्यकलापों के लिए इन्हें प्रचालनात्मक बनाने के लिए इन्हें अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दुर्घटना-रोधी उपकरण

3414. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दुर्घटना रोकने हेतु देश के सभी मुख्य मार्गों पर उपग्रह नियंत्रित "दुर्घटना-रोधी उपकरण" लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रथम चरण के दौरान किन-किन मार्गों पर दुर्घटना-रोधी उपकरण लगाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी हां। भारतीय रेलों ने एक पायलट परियोजना के माध्यम से हाल ही में कोंकण रेल निगम द्वारा विकसित "टक्कर रोधी उपकरण" (ए.सी.डी.) का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। पहले इस पायलट परियोजना को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर शुरू करने का प्रस्ताव है और इस परियोजना के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर इस उपकरण का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

सेना मुख्यालय में सी.एस.बी.ओ. का ड्यूटी रोस्टर

3415. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सेना मुख्यालय के टेलीफोन एक्सचेंज में कितनी सी.एस.बी.ओ. कार्यरत हैं;

(ख) क्या प्रत्येक सी.एस.बी.ओ. को प्रात:काल/अपराह्न/दिन/रात की स्थायी ड्यूटी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से चल रही है;

(घ) क्या इस व्यवस्था को समाप्त करने और सी.एस.बी.ओ. को दैनिक आधार पर बारी-बारी से ड्यूटी पर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है; और

(च) बारी-बारी से ड्यूटी देने की व्यवस्था को तुरंत रोकने/सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) सेना मुख्यालय टेलीफोन एक्सचेंज में फिलहाल 94 सी.एस.बी.ओ. कार्यरत हैं। प्रत्येक सी.एस.बी.ओ. को प्रात:/अपराह्न/दिन/रात की स्थायी ड्यूटी दी गई है। मौजूदा व्यवस्था लगभग दो दशकों से चली आ रही है। तथापि सिगनल महानिदेशालय इस व्यवस्था को समाप्त करने और प्रत्येक सी.एस.बी.ओ. को दैनिक आधार पर बारी-बारी से ड्यूटी पर लगाने पर विचार कर रहा है।

2. इसके कारण और औचित्य इस प्रकार हैं:-

(क) 1997 में सैन्य स्थायी स्थापना समिति की समीक्षा के बाद फौजी एक्सचेंज आपरेटरों को कम कर दिए जाने के कारण मौजूदा व्यवस्था अब व्यवहार्य नहीं रही है।

(ख) शाम और रात वाली पालियों तथा छुट्टियों के दौरान अनुपस्थित रहने वालों की संख्या काफी रहती है। इसके अतिरिक्त, सैन्य स्थायी स्थापना समिति की सिफारिशों के अनुसार सी.एस.बी.ओ. प्रति पाली नीचे दिए अनुसार प्राधिकृत किए जाते हैं:-

(1) पर्यवेक्षी पद सहित तैनाती वाले कुल स्थानों की संख्या	42
(2) प्रति पाली अपेक्षित सी.एस. बी.ओ. की संख्या	26
(3) प्रति पाली फौजियों की संख्या	16
(4) सी.एस.बी.ओ. की औसत उपलब्धता:	
(कक) दिन के समय में मौजूदा औसत उपलब्धता	20
(कख) दोपहर बाद मौजूदा औसत उपलब्धता	23
(कग) रात में मौजूदा औसत उपलब्धता	10
(कघ) शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दौरान औसत उपलब्धता	7

बारी-बारी से ड्यूटी पर लगाने की प्रणाली से सी.एस.बी.ओ. की प्रति पाली उपलब्धता (प्रति पाली 24/25) बढ़ जाएगी जिससे ई.पी.ए.बी.एक्स. बेहतर ढंग से काम करेगा।

(ग) इष्टतम संचार सहायता सुनिश्चित करना एक संचालनात्मक मामला है।

3. तथापि, सेना मुख्यालय को बारी-बारी से ड्यूटी लगाने की प्रस्तावित प्रणाली को सी.एस.बी.ओ. के साथ आगे विचार-विमर्श करने के उपरांत ही लागू करना है।

आयातित चीनी को लेवी मानदंड के अंतर्गत लाना

3416. श्री कृष्णमराजू : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 2000 के 'द पायनियर' में "इम्पोर्टेड शुगर पुट अंडर लेवी नार्म्स" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) लेवी चीनी की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी से किसानों, चीनी मिलों तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 17.2.2000 को आदेश जारी किए हैं जिससे वह चीनी के आयातकर्ताओं पर 30 प्रतिशत लेवी की बाध्यता लगाने में सक्षम हो गई है।

(ग) और (घ) चीनी के आयातकर्त्ताओं से लेवी अधिग्रहण संबंधी आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

शिकायत-निवारण प्रकोष्ठ

3417. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल-यात्रियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जोनल मुख्यालयों के साथ मंत्रालय में भी शिकायत-निवारण प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रकोष्ठों ने 1999-2000 के दौरान रेल-यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। क्षेत्रीय रेलों और रेल मंत्रालय स्तर पर एक सुस्थापित जन शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।

रेलों पर जन शिकायत निवारण तंत्र त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात् रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे तथा मंडल स्तर पर कार्य करता है:

(1) रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्यपालक निदेशक, जन शिकायत, रेलों पर उपलब्ध जन शिकायत निवारण तंत्र का समग्र प्रभारी होता है। इस संबंध में वह अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय भी बनाता है।

(2) क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर अपर महाप्रबंधक निदेशक जन शिकायत के रूप में कार्य करते हैं तथा जन शिकायतों के निवारण के कार्य का समन्वय करते हैं।

(3) मंडलीय स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक जन शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो मंडल शाखा अधिकारियों तथा स्टेशन प्रबंधकों के साथ आवधिक बैठक करते हैं।

इसके अलावा, स्टेशन मास्टरों को जन शिकायतों का मौके पर निवारण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बना दिया गया है। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जन शिकायत बूथ/क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। बूथ काम कर रहे हैं। रेल उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों/उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए स्टेशन प्रबंधकों, गाड़ियों के गार्डों, रसोई यान के प्रबंधकों तथा अल्पाहार गृहों में शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी हां। इन कोष्ठों में जन शिकायतों का निष्पक्ष, न्याय संगत तथा सहानुभूतिपूर्ण तरीके से न्यूनतम संभव समय में निवारण करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए है और जन शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के चालक दल के सदस्यों का होटल में ठहरना

3418. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित सेंटॉर होटल का संचालन होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है और एयर इंडिया की सहायक कम्पनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि एअर इंडिया की उड़ानों के चालक दल के सदस्य इस होटल में नहीं ठहरते और इन्टरकॉन्टिनेन्टल होटल और अशोक होटल में ठहरना पसन्द करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया ने इन्टरकॉन्टिनेन्टल होटल और अशोक होटल में कुछ कमरे स्थायी रूप से बुक करा रखे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एअर इंडिया ने ऐसे प्रत्येक होटल को प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान किया;

(च) क्या रद्द की गई और विलम्ब से चलने वाली उड़ानों के यात्रियों को सेंटॉर होटल में ठहराया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि एअर इंडिया के चालक दल के सदस्य सेंटॉर होटल में ही ठहरें?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993 में एअर इंडिया के बोइंग-747 का कर्मीदल खराब स्थिति के कारण सेंटॉर होटल से किसी दूसरे जगह चला गया था। एयरबस के सेट वहीं ठहरे हुए हैं। इस समय एयरबस 310 कर्मीदल का एक सेट क्रू ले-ओवर के पैटर्न के आधार पर सप्ताह में चार दिन ठहर रहा है।

(घ) और (ङ) 747 उड़ानों को प्रचालित करने वाले केबिन कर्मीदल को ठहरने की सुविधा देने के लिए एअर इंडिया अशोक होटल में प्रतिदिन लगभग 60 कमरे लेती है। प्रचालन में लगे कर्मीदल हेतु 15 कमरों के गारंटी शुदा बुकिंग के लिए एअर इंडिया ने इन्टरकॉन्टिनेन्टल होटल के साथ एक वर्ष, अर्थात् 1 दिसम्बर, 1999 से 30 नवम्बर, 2000 तक की अवधि के लिए एक संविदा पर भी हस्ताक्षर किया है। प्रचालन के पैटर्न के अनुसार बुक किए गए कमरों की संख्या अलग-अलग होती है। एअर इंडिया द्वारा इन होटलों को प्रतिमाह दी जाने वाली रकम के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

प्रचालन में लगी कर्मीदल हेतु होटल इन्टरनेशनल	23 लाख रुपए
केबिन क्रू के लिए होटल अशोक	90 लाख रुपए

(च) और (छ) जी, हां। चूंकि भारतीय होटल निगम एअर इंडिया का अनुषंगी है, निरस्त किए गए अथवा विलम्ब से जाने वाली उड़ानों के यात्रियों को प्रथम प्राथमिकता के रूप में सेंटॉर होटल में ठहराया जाता है। आधारित संरचना तथा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाने की शुरूआत से जिसमें सेंटॉर होटल दिल्ली में 100 कमरे का नवीकरण भी शामिल है, भारतीय होटल निगम कर्मीदल को पुन: सेंटॉर होटल में शिफ्ट करने के लिए एअर इंडिया से बातचीत कर रहा है।

स्वयंसेवी संगठनों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन

3419. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विज्ञान भवन में 1 व 2 नवम्बर, 1999 को स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किस प्रमुख कार्यसूची पर चर्चा हुई;

(ग) क्या इस सम्मेलन में की गई सारी सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी हां। उपभोक्ता समन्वय परिषद, नई दिल्ली ने 1 व 2 नवम्बर, 1999 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) सम्मेलन में "उपभोक्तता आन्दोलन नई सहस्त्राब्दी की ओर" से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) मोटे तौर पर निम्नलिखित विषयों पर संकल्प पारित किए गए:

1. आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव।
2. अच्छा शासन और सिटीजन चार्टर।
3. उपभोक्ता नीति, उपभोक्ता कानून तथा प्रतितोष तंत्र।
4. सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन।
5. तम्बाकू के विज्ञापन वाले सभी प्रकार के प्रायोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग।

संकल्पों में ऐसे विषयों की चर्चा की गई है जिनका क्षेत्र व्यापक है और जिनके बारे में विभिन्न एजेंसियां कार्य कर रही हैं। इनकी जांच की जा रही है।

लंबित रेल परियोजनाएं

3420. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे की कई रेल परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आबंटन में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, और उन पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) दक्षिण मध्य रेलवे में वे रेल परियोजनाएं जिन्हें बजट में शामिल किया गया है, किन्तु उन पर वास्तविक रूप से काम अभी शुरू नहीं हुआ है:-

1. काकीनाडा-कोटापल्ली नई लाईन की बहाली परियोजना
2. काकीनाडा-पीठापुरम नई लाईन परियोजना
3. धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन परियोजना

इन परियोजनाओं पर कार्य आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकता है, जिसके लिए कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

बहरहाल, इन परियोजनाओं के लिए आबंटन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	परियोजना	1999-2000 के लिए आबंटन	2000-2001 के लिए प्रस्तावित आबंटन
1.	काकीनाडा-कोटापल्ली नई लाइन	10,000 रु.	1,00,00,000 रु.
2.	काकीनाडा-पीठापुरम नई लाइन	10,000 रु.	10,00,000 रु.
3.	धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन	1,000 रु.	10,00,000 रु.

(ङ) और (च) दक्षिण मध्य रेलवे में अनुमानित लागत, परियोजना-वार, मार्च, 2000 तक किया गया खर्च, 2000-2001 के लिए प्रस्तावित परिव्यय सहित चालू परियोजनाओं के ब्यौरे और उनकी मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। लक्ष्यों का निर्धारित संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार वार्षिक आधार पर तय किया जाता है। प्रत्येक परियोजना, जो तय हो चुकी है, के सामने अनंतिम लक्ष्य दर्शाया गया है, भावी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर ये परियोजनाएं पूरी की जाएगी।

विवरण

दक्षिण मध्य रेलवे में चालू परियोजनाएं

(लागत करोड़ रु. में)

परियोजना	लागत	31.3.2000 तक खर्च	बजट परिव्यय	टिप्पणी
1	2	3	4	5
ए-नई लाइन				
1. कोटापल्ली-नरसापुर	330	0.00	1.00	बजट में शामिल नया कार्य अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
2. गड़वाल-रायचूर	100.41	4.22	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5
3. गुलबर्गा-बिदर	242.42	1.70	2.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
4. हुबली-अंकोला	991.91	6.42	6.00	152 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य को जून, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा। 86 कि.मी. की लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
5. काकीनाड़ा-कोटापल्ली	50.89	0.00	1.00	आवश्यक स्वीकृतियां अभी प्राप्त की जानी हैं। राज्य सरकार द्वारा उखाड़ी लई लाइन वाली भूमि के स्थान पर नि:शुल्क भूमि सौंपी जानी है, जिस पर उनके द्वारा इमारतें खड़ी कर दी गई हैं।
6. काकीनाड़ा-पीठापुरम	41.66	0.00	0.10	1999-2000 के बजट में शामिल नई परियोजना। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
7. मचेरला-नलगोंडा	125.09	1.70	0.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
8. मुनीराबाद-मेहबूबनगर	438.96	4.36	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 26 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
9. नांदयाल-येरागुंतला	164.36	2.87	2.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और पहले 23. कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार कर लिए गए हैं और राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। पेन्नार पुल (38×18.3 मीटर) की मिट्टी संबंधी जांच पूरी कर ली गई है और पुल के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
10. पेट्टापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	264.14	39.24	20.00	इस कार्य को दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में पेद्दापल्ली से करीमनगर तक का कार्य शुरू किया गया हैं। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य

1	2	3	4	5
				प्रगति पर है। पहले चरण का कार्य भलीभांति प्रगति कर रहा है और इसे 1999-2000 तक पूरा कर लिया जाएगा। करीमनगर और निजामाबाद के बीच दूसरे चरण के कार्य के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
	बी-आमान परिवर्तन			
1.	अकोला-पूर्णा	228	0.00	10.00	बजट में शामिल नया कार्य।
2.	धर्मावरम-पकाला	251.22	0.00	0.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	गुंटूर-गुंतकल और गुंतकल-कलूरू	460.97	438.28	10.50	गुंटूर से गुंतकल पूरा हो गया है। गुंतकल से कल्लूरू अभी शुरू किया जाना है। जब धर्मावरम से पकाला तक के अनुमोदन सहित, जिसकी आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, गुंतकण-पकाला का आमान परिवर्तन एक चरण में किया जाएगा। कार्य भली-भांति प्रगति कर रहा है।
4.	हासपेट-हुबली-गोवा	569.46	528.44	1.00	कार्य पूरा हो चुका है।
5.	कोटपाडि-पकाला-तिरुपति	173.5	25.14	12.00	19 बड़े पुलों में से 15 पूरे हो गए हैं और 4 प्रगति पर हैं। संपूर्ण खंड में भूमि संबंधी और मिट्टी आपूर्ति का कार्य प्रगति पर हैं। कार्य भलीभांति चल रहा है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
6.	मुदखेड़-आदिलाबाद	117.96	7.75	2.00	बोल्ट योजना के तहत कार्य प्रगति पर है। ठेके की शर्तों में अपेक्षित रियायतें प्रदान कर दी गई हैं और निधियां जुटाई जा रही हैं। कार्य 2000-01 में पूरा होने की संभावना है।
7.	सिंकदराबाद-द्रोणाचलम	343.73	332.59	5.00	आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं।
8.	सिंकदराबाद-मुदखेड़ और जंबमपेट-बोधन	287.83	17.52	20.00	मुदखेड़-निजामाबाद (96 कि.मी.) के पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि संबंधी, मिट्टी का प्रापण तथा छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। यह चरण संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।

1	2	3	4	5
9. सोलापुर-गदग	265.77	120.09	10.00	कार्य चरणों में पूरा किया जा रहा है। सोलापुर-होतगी तथा होतगी से बीजापुर का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंडों पर कार्य प्रगति पर है जो संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।
सी-दोहरीकरण				
1. गूटी-रेणिगुंटा खंड बेलापाले-पल्लमपेट खंड का दोहरीकरण	48	0.00	1.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।
2. गुडूर-रेणिगुंटा	142.55	15.60	17.00	4 ब्लाक खंडों के लिए मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों के लिए, 2 गुडूर से और 2 रेणिगुंटा के छोर से, के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। 2000-01 में 25 कि.मी. तक पूरा किए जाने की संभावना है।
3. हासपेट-गुंतकल (आमान परिवर्तन)	154.14	17.58	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और अनुमानत स्वीकृत हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों और मिट्टी के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
4. विजयवाड़ा-कृष्णा कैनाल तोसरी लाइन	44.31	17.43	14.00	अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। कृष्णा नदी पर उप संरचना पर द्वितीय रेलपथ की व्यवस्था करके कृष्णा कैनल और विजयवाड़ा के बीच तीसरी लाइन का प्रस्ताव है जिसके लिए सुपर संरचना के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मिट्टी संबंधी तथा अन्य बड़े पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5. विकाराबाद-तंदूर (वाडी-सिकंदराबाद खंड)	90.56	82.18	1.00	कार्य पूरा हो गया है तथा खंड चालू कर दिया गया है।
डी-रेल विद्युतीकरण				
1. रेणिगुंटा-गुंतकल-हासपेट	291.9	4.26	20.34	पूर्ववर्ती रूका हुआ कार्य नवंबर, 1993 में पुन: चालू कर दिया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लक्ष्य तिथि मार्च, 2004 ।

भारतीय होटल निगम के सी.एम.डी. की बर्खास्तगी

3421. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय होटल निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) को दो वर्ष पहले सेवा से बर्खास्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया था और क्या आदेश के विरूद्ध उन्होंने अपील की और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अब उन्हें बहाल कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर बहाल किया गया?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय होटल निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 2.9.1999 से सेवा से हटा दिया गया था तथा ऐसा उनके द्वारा सितम्बर, 1997 के दौरान अपनी सरकारी ओहदे का दुरुपयोग लगाने के आरोप में किया गया था जो उनके द्वारा नि:शुल्क टिकट प्रदान करके और सैन्टोर होटल जुहू बीच मुम्बई में नि:शुल्क होटल और आवास की सुविधा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के एक अधिकारी को प्रदान करने से संबंधित थी, यह अधिकारी भारतीय होटल निगम लिमिटेड के मामलों की देख-रेख कर रहा था तथा ऐसा अधिकारी द्वारा अपने सरकारी ओहदे से उन्हें प्रभावित करने को ध्यान में रखकर किया गया था। भूतपूर्व प्रबंध निदेशक ने मुम्बई के उच्च न्यायालय में हटाये जाने के आदेश को चुनौती दी जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1999 में तत्कालीन प्रबंध निदेशक से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की गयी और उन्होंने यह आदेश दिया कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक को दिया गया दण्ड उसके दुव्यर्वहार की तुलना में असंगत था, न्यायिक यह होगा कि उनके वेतन को निम्न स्तर पर घटाकर उनके ऊपर इस प्रकार का बृहद दण्ड लगाया जाये। तदनुसार, 2.2.2000 को उनको सेवा से हटाये जाने के पूर्व आदेशों में संशोधन करते हुए, 10000-400-12000 रुपए के वेतनमान में उनके मूल्य वेतन को प्रति माह घटाकर 10,000 रुपए करने का दण्ड लगाया गया था।

खुली चाय में मिलावट

3422. श्री मोहन रावले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता शिकायत समिति ने यह पाया है कि खुली चाय की बिक्री के बहुत सारे मामलों में अत्यधिक मिलावट की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली खुली चाय प्राप्त हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) दि कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने बाजार में बेची जा रही खुली चाय के बारे में एक छोटा सर्वेक्षण किया था। उनके अनुसार खुली चाय के परीक्षित 25 नमूनों में से 17 नमूने अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य में बाजार में बेची जा रही चाय की गुणवत्ता पर नजर रखें।

सरकार/चाय बोर्ड द्वारा चाय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों को चाय सहित खाद्य पदार्थों में मिलावट की गतिविधियों का पता लगाने और ऐसी मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(2) चाय बोर्ड समय पर उत्पादकों की एसोसिएशनों से अनुरोध करता है कि वे अपने सदस्य बागानों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि उनका उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों में चाय के लिए निर्धारित विशिष्टियों के बिल्कुल अनुरूप हों।

(3) चाय बोर्ड ने भारत में विभिन्न नीलामी केन्द्रों से जुड़े चाय दलालों को भी यह सुनिश्चित करने के अनुदेश

जारी किए हैं कि नीलामी में बेची जाने वाली पूरी तरह से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों में चाय के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हो।

(4) चाय बोर्ड, चाय के अपशिष्ट की चाय के रूप में बिक्री को रोकने के लिए टी वेस्ट (कंट्रोल) आर्डर, 1959 के विभिन्न उपबंधों की कारगर ढंग से निगरानी कर रहा है।

[हिन्दी]

सहकारी चीनी मिल के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

3423. श्री राजनारायण पासी : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने दिसम्बर, 1999 में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ की 40वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा और चीनी मिल प्राधिकारियों से प्राप्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और बैठक में उन्होंने क्या-क्या आश्वासन दिए;

(ग) क्या आश्वासनों को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नेशनल फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की 25.12.1999 को हुई 40वीं वार्षिक आम सभा में श्री शिवाजीराव जी. पाटील ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के आयात पर आयात शुल्क में वृद्धि करने, चीनी के आयातकों पर लेवी बाध्यता लागू करने, नए चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए दूरी संबंधी वर्तमान मानदंड को समाप्त न करने, स्टाक के यथा अनुपात आधार पर खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति करने, और महाजन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने, आदि के लिए अनुरोध किया था। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि चीनी के आयातों पर आयात शुल्क में वृद्धि करने और चीनी के आयातकों पर लेवी बाध्यता लागू करने विषयक उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार महाजन समिति की सिफारिशों पर समयबद्ध आधार पर निर्णय लेगी।

2. जहां तक उपर्युक्त आश्वासनों को पूरा करने का संबंध है, सरकार ने 9.2.2000 से आयात शुल्क बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है और दिनांक 27.2.2000 को आदेश जारी किए हैं जिससे सरकार चीनी के आयातकों पर 30 प्रतिशत लेवी बाध्यता लागू कर सकेगी। नए चीनी यूनिटों की स्थापना के लिए 15 किलोमीटर की दूरी के वर्तमान मानदंड को समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक महाजन समिति की सिफारिशों का संबंध है, सरकार ने कई सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है और अन्य सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

निगरानी प्रकोष्ठ का बन्द किया जाना

3424. श्री जवाहर लाल जाधवसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997 में रेल मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया विशेष निगरानी प्रकोष्ठ स्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रकोष्ठ की मौजूदगी के दौरान जनता से प्राप्त शिकायतों/सुझाव की संख्या कितनी थीं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। वास्तव में इन कक्षों में आधुनिक इनपुट यथा कम्प्यूटर और ई मेल की सुविधा की व्यवस्था करके और सुदृढ़ किया गया है।

(ग) और (घ) अब तक प्राप्त शिकायतों/सुझावों की संख्या लगभग 3000 है। इनकी जांच की गई है और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है निवारक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों का बिछाना

3425. श्री मोइनुल हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रेल पटरियों के बिछाने का कार्य शुरू करने हेतु औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी पटरियों की लंबाई कितनी है और सरकार तथा निजी सहभागियों दोनों के द्वारा पटरियों के बिछाने हेतु कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए निम्नलिखित दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(1) मैसर्स गुजरात पिपवाव पोर्ट लिमिटेड के साथ सुरेन्द्रनगर-पिपवाव/पिपवाव पोर्ट तक नई लाइन का विस्तार, के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य निष्पादन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए समझौता ज्ञापन। बड़ी लाइन के इस संपर्क की कुल लंबाई, रजुला सिटि से 14 कि.मी. लंबी नई लाइन बिछाने सहित, लगभग 265 कि.मी. है। परियोजना की अनंतिम लागत 270 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़ रुपए) रुपए है। रेल मंत्रालय और गुजरात पिपवाव प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात 1:2 है जिसमें प्रत्येक के पास 50% इक्विटी होगी।

(2) दल्लीराजहरा-जगदलपुर के बीच नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साथ अप्रैल, 1998 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस नई लाइन की कुल लंबाई लगभग 235 कि.मी. है। परियोजना की लागत अनुमानत: 369 करोड़ रुपए (तीन सौ उन्नहत्तर करोड़ रुपए) है।

लागत में भागीदारी निम्नानुसार होगी:

रेल मंत्रालय	133 करोड़ रुपए लगभग
भारतीय इस्पात प्राधिकरण	184 करोड़ रुपए लगभग
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25 करोड़ रुपए लगभग
मध्य प्रदेश सरकार	27 करोड़ रुपए लगभग

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

3426. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों ने निगम के कार्यकरण में सुधार हेतु अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) सेवा संबंधी मामलों आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में समय-समय पर व्यक्तिगत/सामूहिक अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों में सुधार करने के प्रयास प्रबंध और कर्मचारियों के बीच निरन्तर किया जाने वाला एक सहयोगात्मक कार्य है।

[अनुवाद]

रेलवे फाटकों पर सुरक्षा

3427. डा. रमेश चंद तोमर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में फरवरी 2000 में "रेलवे फाटकों पर सुरक्षा" संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर करीब पचास प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं चौकीदार की लापरवाही के कारण हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु चौकीदारों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। 21/2/2000 को नई दिल्ली में समपारों की संरक्षा पर उत्तर रेल द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) समपारों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जन साधारण में व्यापक प्रचार शुरू करने के संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों ने समपारों के अनुरक्षण/उन्हें पार करने में रेल और सड़क उपयोगकर्त्ताओं दोनों के सामने आने वाली समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए और समपारों पर रेल/सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के तरीके भी सुझाए।

(ग) जी हां। रेल और सड़क यातायात के बढ़ती हुई मात्रा के कारण गेटमैन सड़क उपयोगकर्त्ताओं की ओर से दबाव की वजह से समय रहते गेट को बन्द नहीं कर पाते हैं।

(घ) गेटमैनों की जानकारी को अद्यतन रखने के लिए उन्हें आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिए केवल शिक्षित व्यक्ति ही भर्ती किए जाते हैं।

एयरलाइंस और विमानपत्तनों के लिए अनुकूलन प्रतिस्पर्धात्मक विनियामक ढांचा

3428. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री आर.एस. पाटिल :
श्री शिवाजी माने :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी एयरलाइनों और विमानपत्तनों के प्रवेश और हिस्सेदार को प्रोत्साहित करने हेतु "अनुकूलन प्रतिस्पर्धात्मक विनियामक ढांचा" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नागर विमानन नियामक की योजना के संबंध में अन्य क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) तैयार की जा रही नागर विमानन नीति में सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए नीति ढांचे को स्थापित करना है। इसे अंतिम रूप दिये जाने से पहले प्रारूप को विचारों/टिप्पणियों के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2000-2001 के लिए पर्यटन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1575/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1576/2000]

(ख) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1577/2000]

(4) वर्ष 2000-2001 के लिए संस्कृति विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी: 1578/2000]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी की ओर से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2000, जो 29 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1579/2000]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, श्री राम विलास पासवान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) डाक और दूर-संचार विभागों के 'आपरेटिव आफिसर्स' के कार्य करने के घंटों को कम करने के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् संबंधी योजना के अंतर्गत माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा किये गये अधिनिर्णय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) डाक और दूर-संचार विभागों के 'आपरेटिव आफिसर्स' के कार्य करने के घंटों को कम करने के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् के अंतर्गत माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1580/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1581/2000]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (भवनों और वृक्षों, आदि द्वारा हो रही बाधाओं को हटाना) संशोधन नियम, 1999, जो 18 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1582/2000]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री एन.टी. षणमुगम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1583/2000]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 के लिए हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1584/2000]

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं डी.डी.ए. फ्लैटों में मूलभूत सुविधाओं के बारे में 14 दिसम्बर, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2228 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1585/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1586/2000]

(2) संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत ग्यारहवें वित्तीय आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1587/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1588/2000]

(3) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1589/2000]

(5) (एक) ओवरसीज कन्सट्रक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कन्सट्रक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1590/2000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रधान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (स्वास्थ्य परीक्षा) नियम, 2000, जो 19 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1591/2000]

(2) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1592/2000]

(4) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1593/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) दि आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1594/2000]

(3) (एक) नैशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1595/2000]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1596/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री बची सिंह रावत 'बचदा' की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1597/2000]

(3) (एक) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1598/2000]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 1599/2000]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मंत्री जी को आपको समय पर सूचित करना चाहिए था। इसे इन दिनों बहुत ही मामूली समझा गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने यह लिखित में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, ऐसा हर रोज हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसकी अनुमति विगत में कभी नहीं दी गई थी। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सेवा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मार्च, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 मार्च, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मार्च, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 मार्च 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2000-2001) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में उन्नीसवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रथम प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में बीसवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में इक्कीसवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'तेल और गैस की खोज, उत्पादन, वितरण और संरक्षण' के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में बारहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

(2) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में चौदहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

(3) 'पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण' के संबंध में नौवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

(4) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की मांगों' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में छठे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

(5) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में छठे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

(6) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की मांगों' संबंधी नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

(7) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगों' संबंधी चौथे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सातवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण।

अपराह्न 12.04½ बजे

शहरी और ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी पहले प्रतिवेदन से आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों के आवंटन/उपयोग पर समिति (ग्यारहवीं लोक सभा)

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

के सातवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रथम प्रतिवेदन।

(2) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में समिति (बारहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी) योजना पर समिति (बारहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (1999-2000) के संबंध में समिति (बारहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(5) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में समिति (बारहवीं लोक सभा) के तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(6) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में समिति (बारहवीं लोक सभा) के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(7) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में समिति (बारहवीं लोक सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(8) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में समिति (बारहवीं लोक सभा) के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

11 मार्च, 2000 को कर्नाटक के कोलार जिले में जातीय हिंसा की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक के जिला कोलार में पुलिस स्टेशन केनचरालाहाल्ली के गांव कम्बलापल्ली में रेड्डी समुदाय और अनुसूचित जाति के सदस्यों के बीच हिंसा और प्रतिहिंसा की 2 घटनाएं हुई। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप कृष्णा रेड्डी को चाकू लगा और उनकी मृत्यु हो गई तथा अनुसूचित जाति समुदाय के सात सदस्यों को जीवित जला दिया गया।

घटनाक्रम से यह पता चलता है कि 11 मार्च को लगभग 1930 बजे अनुसूचित जाति समुदाय के 15-20 व्यक्तियों का एक ग्रुप, जिसमें अंजनप्पा और श्रीरामप्पा नामक दो व्यक्ति शामिल थे, ने कृष्णा रेड्डी को चाकू मारा जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके प्रतिशोध में रेड्डी समुदाय के 150-200 व्यक्तियों के एक ग्रुप ने लगभग 2100 बजे, गांव की उस कालोनी पर हमला बोला जहां अनुसूचित जाति समुदाय के लोग बसे हुए थे और श्रीरामप्पा के मकान और बगल के एक अन्य मकान में आग लगा दी। 6 व्यक्ति (4 पुरुष और 2 महिलाएं) दम घुटने और जलने से जख्मी होने के कारण घटनास्थल पर ही मर गए तथा एक महिला ने बाद में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

राज्य पुलिस ने इस हिंसा के संबंध में 15 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया है। गांव में तथा चिंतामणी में स्पेशल डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में तथा जिला मुख्यालय, कोलार में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। दिनांक 13.3.2000 से चिंतामणी और कम्बलापल्ली क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जांच-पड़ताल चल रही है तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच-पड़ताल का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कोलार जिले के पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री तथा अन्य नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया है तथा शेष अनुसूचित जाति के परिवारों को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है तथा राहत अभियानों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक के लिए, 1 लाख रुपये की अनुग्रही मुआवजा राशि, मारे गए व्यक्ति के निकटतम संबंधी को उचित रोजगार,

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। [देखिए संख्या एल.टी. 1600/200]

पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की घोषणा की है तथा जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

स्थिति इस समय तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रणाधीन बताई गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' में चर्चा करेंगे।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): यह एक गंभीर मामला है इसलिए इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया था कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र बी.आई.एफ.आर. को सौंपा गया था *...(व्यवधान)* मैं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को यह वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद देता हूं। परन्तु महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि .....

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, जब भी कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो नियमों के अनुसार, आप उसके बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते। अब मैं प्रो प्रेमाजम को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अगर किसी राज्य में किसी प्रकार की हिंसा होती है तो गृह मंत्री को वक्तव्य द्वारा सभा को सूचित करना चाहिए। यह एक परम्परा बन जानी चाहिए ऐसे मामले में विशेष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैं आभारी हूं कि सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। परन्तु ऐसा अन्य राज्यों में होता है तो मैंने देखा है कि तब सभा में ऐसे वक्तव्य नहीं दिए जाते। इसलिए, सभा में ऐसी नियमित परम्परा होनी चाहिए। अगर भारत के किसी भाग में अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को तंग किया जाता है तब गृह मंत्री जी को सभा में वक्तव्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. प्रेमाजम का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के बारे में एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। आप भी आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और आप जानते हैं कि इस संयंत्र के लिए 30 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ऐसा पता लगा है कि इसे औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने के बाद नियमानुसार किसी को भी स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्हें कुछ कहना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अगर इसी तरह से माइनोरिटीज और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर किसी भी राज्य में अत्याचार होते रहे, तो जैसे आज होम मिनिस्टर ने बयान दिया है, भविष्य में इंटरविन करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यदि उड़ीसा या गुजरात में कुछ होता है तो उचित यही है कि गृह मंत्री को उन मामलों के बारे में भी वक्तव्य देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज बजट सत्र के पहले भाग का अंतिम दिन होने के कारण मुझे सदस्यों से 26 सूचनाएं मिली हैं और मैं उन सभी सदस्यों को शून्य काल के दौरान बोलने की अनुमति देना चाहता हूं। इसलिए कृपया, अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर): यह जातिवाद का प्रत्यक्ष परिणाम है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैंने अभी एक टिप्पणी सुनी है कि यह एक चयनात्मक वक्तव्य है। मैं बताना चाहता हूं कि सभा में इसकी मांग की गई थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं उससे सहमत हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्योंकि सभा में यह मांग की गई थी और मुझे बताया गया था अत: स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सूचना मांगेगी.....

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप ठीक कहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुल मिलाकर राज्य सरकार ने जो सूचना उपलब्ध कराई थी, वह सभा को दे दी गई है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह ठीक है *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, इस मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री येननायडू को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने केवल यह कहा है कि जब ऐसे मामले ध्यान में लाए जाते हैं और जब उनमें सरकार की ओर से उत्तर अपेक्षित हो *...(व्यवधान)* यह चयनात्मक ढंग से दिया जाता है, कभी दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है *...(व्यवधान)* यह एक परम्परा बननी चाहिए कि यदि भारत के किसी भाग में अल्पसंख्यकों के साथ उन्हें प्रदत्त सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन कर चुका होता है तो गृह मंत्री को ऐसा ही वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो श्री येरननायडू बोल रहे हैं उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. येरननायडू : महोदय, देश का पहला तटीय सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जिसकी क्षमता तीन मिलियन टन है और जो अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है, औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया है। इसे 1992 में चालू किया गया था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में लगभग 18000 कामगार कार्यरत हैं।

महोदय, इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने श्री ए.पी. कार्णे को नियुक्त किया था। श्री कोर्णे पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। यह रिपोर्ट भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी है। रिपोर्ट में सुझाए गए 'पूरी तरह परिवर्तन के पैकेज' को भारत सरकार को स्वीकार कर लेनी चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि यह इस्पात संयंत्र *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आप मांग रखिए।

श्री के. येरननायडू : हां, हम इसकी मांग कर रहे हैं।

महोदय, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक अन्य समिति गठित की गई थी। उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है भारत सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार लिया है और वह 3000 करोड़ रुपए के पैकेज के लिए सहमत हो गई है। किंतु विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए सुझाया गया पैकेज नहीं स्वीकार किया गया है। इस संयंत्र के लिए 32 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी।

महोदय, आप आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र थे और आप जानते हैं कि वहां पर एक नारा है 'विशाखा उक्कू, आंध्रुला लक्कू'। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि न केवल आंध्र प्रदेश के लिए अपितु देश हित में इस पहले तटीय, अत्याधुनिक इस्पात संयंत्र *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, इस विषय पर सोमनाथ बाबू भी बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, सरकार की ओर से उत्तर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर सोमनाथ बाबू भी बोलना चाहते हैं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह 'शून्य काल' है और सभा में कुछ मंत्री भी उपस्थित हैं *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है। हाल ही में हमने सलेम इस्पात संयंत्र के मुद्दे पर चर्चा की और उस पक्ष के कुछ अति निष्ठावान सदस्यों के सिवाय पूरी सभा ने सलेम इस्पात संयंत्र को समुचित ढंग से चलाने, इसके प्रशासन को चुस्त बनाने और इस संयंत्र के पुनरुज्जीवन की मांग का समर्थन किया। इस संयंत्र पर एक और इस्पात संयंत्र एलॉय इस्पात संयंत्र निर्भर करता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, यह भी एक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। यह इस्पात संयंत्र आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है और इसमें लगभग 18,000 कामगार कार्यरत हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह देश में पहला तटीय इस्पात संयंत्र है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे अब श्री येरननायडू, तेलुगू देशम पार्टी संसदीय दल के नेता जो सरकार का समर्थन कर रही है, ने याद दिलाया है कि.....

श्री वैको (शिवकाशी): वे ठीक कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह आप बाद में देखेंगे। महोदय, यह भारत में विशिष्ट श्रेणी का इस्पात संयंत्र है। अत: यह रोजमर्रा का मामला नहीं है। इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि यह सरकारी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है और अब श्री खुराना की मदद से आप इसे बेच रहे हैं ...*(व्यवधान)* इस संयंत्र के कामगार सड़कों पर उतर आए हैं...*(व्यवधान)* क्या इस देश में ''आत्मनिर्भरता'' शब्द अब प्रासंगिक रह गया है? क्या इस्पात ऐसी वस्तु है जिसके बारे में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की चलेगी और हमें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्या इस्पात कारखाने ऐसे विषय हैं जिसकी यह देश उपेक्षा कर सकता है और क्या हम केवल आयात पर निर्भर करेंगे?

यह कोई दलगत मामला नहीं है। कुछ दिनों पूर्व भी मैंने अनुरोध किया था कि ऐसे मामलों को दलगत मामले या विपक्ष और सरकार के बीच वाद-विवाद के मामले नहीं जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। मुझे खुशी है कि श्री येरननायडू ने एक और राष्ट्रीय मुद्दा उठाया है। हालांकि वे फिलहाल उस पक्ष का समर्थन कर गलती कर रहे हैं किंतु इस मुद्दे पर मैं उनका समर्थन करता हूं। यह बताता है कि सही मुद्दों पर उन्हें विपक्ष का समर्थन मिलेगा जो इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, विभिन्न विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सा विभाग अगले सप्ताह देश में आने वाले विदेशी आगन्तुक को खुश कर सकता है। दिल्ली के सौंदर्यीकरण के अलावा इस देश के सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पूर्ण विनिवेश किया जा रहा है। राजग सरकार में भागीदार कुछ दल भी इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने न दें। यह एक ऐसा संयंत्र है जिसके बारे में हम श्री येरननायडू द्वारा उठाए गए मुद्दे का पूर्ण समर्थन करते हैं। हम इस संबंध में मांग करते हैं कि सरकार तुरंत उत्तर दे और यह सुनिश्चित करे कि यह सर्वोत्तम उपक्रम ऐसे साधारण लोगों की दया दृष्टि पर न छोड़ा जाए जो उसे लूटना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति को बोलने की अनुमति देता हूं। वे इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, देश में अनेक इस्पात संयंत्र हैं। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र अद्यतन और अत्याधुनिक है। इसका निर्माण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से किया गया है। इस आकार के किसी भी संयंत्र में विभिन्न कारणों से आरंभिक अवस्था में कठिनाइयां होती ही हैं। यह सभी जानते हैं कि इतने भारी निवेश से स्थापित और बड़े क्षमता वाले संयंत्र को स्थिरता प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। इस संयंत्र ने यह समय ले लिया है। इस्पात मंत्रालय ने इस संयंत्र के बारे में एक विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगी है। श्री ए.टी. कर्णी को इस मुद्दे पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए भी एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के बारे में उक्त समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मेरी मांग है कि कर्णी रिपोर्ट को भी सरकार स्वीकार करे। यदि यह रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तो इस संयंत्र के लिए धन मिलेगा और यह संयंत्र चल सकता है। हम नहीं चाहते कि इस संयंत्र का निजीकरण किया जाए। यह भारत में अत्याधुनिक संयंत्र है। सरकार को इस संयंत्र को सरकारी क्षेत्र में रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वे इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को शीघ्र लागू किया जाए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, हम जानते हैं कि आप से अधिक कोई भी व्यक्ति विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए चिंतित नहीं हैं और आप इस मामले को पूरी तरह से जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग इस्पात संयंत्र की रक्षा करने हेतु करें जिसके लिए कई लोगों ने यह नारे लगाते हुए 'विशाखा उक्कू, आंध्रूला इक्कू' अपनी जानें दी जिसका अर्थ है 'विशाखा स्टील, आंध्र के लोगों का हक है।' यह अब सिर्फ 'आंध्रूला इक्कू' नहीं रहा। संपूर्ण देश अब इस कारखाने के लिए चिंतित है। मैं, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस्पात मंत्री कहां हैं? एक के बाद एक इस्पात संयंत्र बंद होते जा रहे हैं परन्तु हमारे इस्पात मंत्री नहीं हैं...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : वे उड़ीसा में हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें यहां आना चाहिए। उन्हें यहां बुलाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मंत्री जी को यहां आकर इसके संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। इस मामले को सभा में सभी पक्षों ने कल और परसों दोनों दिन उठाया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इस संबंध में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात का आश्वासन दें कि वे हमारी भावनाओं को माननीय प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा देंगे ताकि इस संबंध में कुछ किया जाए। माननीय मंत्री जी को आश्वासन देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री एस. बंगरप्पा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, परसों भी, इस मामले को सभा में सभी पक्षों द्वारा उठाया गया। परन्तु अब मंत्री जी कहां हैं? उन्हें यहां आकर वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप इस्पात संयंत्र के संबंध में पूछ रहे हैं या मंत्री जी के संबंध में?

...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पुन: उसी मामले का उल्लेख करूंगा जो कर्नाटक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड से संबंधित है। पहले, हमारी राज्य सरकार के पास इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सौ प्रतिशत शेयर थे। तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप किया क्योंकि यह लगातार घाटे में चल रही थी ...*(व्यवधान)* जब मैं मुख्य मंत्री था मैंने बहुत कुछ किया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप इस्पात संयंत्र के प्रति गंभीर हैं अथवा मंत्री जी के प्रति गंभीर हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इस्पात संयंत्र के पुनरुद्धार के प्रति गंभीर हूं। मैं इस्पात संयंत्र के बेचे जाने के विरुद्ध हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री एस. बंगरप्पा को बुलाया है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और श्री प्रमोद महाजन से निवेदन करना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* तब, 60 प्रतिशत शेयर सेल के माध्यम से सरकार के पास होते थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. बंगरप्पा, अब भाषण समाप्त कीजिए। अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, स्टील अथारिटी आफ इंडिया के पास विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र भद्रावती, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है के 60 प्रतिशत शेयर थे। यह प्रख्यात उपक्रम है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नहीं बनाया गया। यह उससे बहुत पहले का स्थापित है। ...*(व्यवधान)* इस संयंत्र में प्रशासक हुआ करते थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा रखे 40 प्रतिशत शेयर भी 'सेल' को दे दिए गए ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का मौका दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय क्या आप इसी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : जी हां, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैंने अभी भाषण समाप्त नहीं किया है। यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं यह कह रहा था कि राज्य सरकार के 40 प्रतिशत शेयर भी सेल के पास थे ...*(व्यवधान)* ये विख्यात सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मैंने सरकार द्वारा हाल

ही में घोषित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश संबंधी नीति को पढ़ा है। अब, हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राज्य सरकार और सभी कर्मचारी यही कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सभी शेयरों का पूर्ण विलय के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अब, कंपनियां अपने सभी शेयरों को जिनमें सेल भी शामिल है बेचने वाली है। उन्होंने शेयरों इत्यादि को खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, इस विख्यात उपक्रम में ...*(व्यवधान)* परन्तु कर्नाटक के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले पर चर्चा की जाए और यदि आवश्यक हो तो, इस पर वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपने पहले ही मुद्दा उठा दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कल, इस मुद्दे को सभा में सभी पक्षों द्वारा उठाया गया। केवल विजाग ही नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आप पहले स्टडी करके आइए, फिर बात कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, उन्हें बोलने की अनुमति मत दीजिए। वे कैसे बोल सकते हैं? उनके नेता पहले ही बोल चुके हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सभी इस्पात संयंत्रों को बेचा जा रहा है ...*(व्यवधान)*

सरकार इन सभी इस्पात संयंत्रों को पुनरुज्जीवित करने के बजाय इनको बेचने पर तुली है। हम इस पर इस्पात मंत्री जी से स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय इस्पात मंत्री जी को सभा में आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि सभा में सभी पक्षों द्वारा यह मामला उठाया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, संपूर्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां और विशेषकर इस्पात संयंत्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला केवल विजाग संयंत्र से संबंधित नहीं है।

हम श्री येरननायडू से पूर्णत: सहमत हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण को आई.आई.एस.सी.ओ. और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का प्रयास करना चाहिए। वे सभी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। हमने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में, यह पाया है कि महत्वपूर्ण भागीदार के नाम पर कई लोग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का स्वामित्व ले लेंगे, जो हमारे देश की संपत्ति है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। कौन ये महत्वपूर्ण भागीदार हैं? वे कितनी इक्विटी की मांग कर रहे हैं? कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

विजाग इस्पात संयंत्र को पूर्ण सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसे बचाने की आवश्यकता है। इस्को, अलॉय स्टील और संपूर्ण इस्पात इकाईयों के आधुनिकीकरण को वरीयता दी जाने की आवश्यकता है। इसमें सलेम इस्पात संयंत्र भी शामिल है। सरकार को यह देखना चाहिए कि इसका पुनरुद्धार ठीक से हो ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं श्री येरननायडू और श्री सोमनाथ चटर्जी के विचारों से पूर्णत: सहमत हूं।

जहां तक हमारे दल का संबंध है। हम संघवाद की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले कई वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां संघवाद की संकल्पना को विरुद्ध रही है। हमें केंद्र सरकार को राज्य के अधिकार क्षेत्र और अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने सलेम इस्पात संयंत्र पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने श्री एन. चन्द्राबाबू नायडू के नेतृत्व में भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया समझिए कि आज आखरी दिन है और हमें कई महत्वपूर्ण कार्यों को करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको : श्री जर्नादन रेड्डी जी ने कहा है कि उनके राज्य को विजाग इस्पात संयंत्र लंबे संघर्ष और बहुत बलिदान करने पर मिला ...*(व्यवधान)* कार्णे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करके उसे लागू करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को विजाग इस्पात संयंत्र

[श्री वैको]

को बचाने और संरक्षण देने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। सलेम इस्पात संयंत्र या विजाग इस्पात संयंत्र को निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए ...*(व्यवधान)* यह कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसने उदारीकरण के नाम पर निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले ...*(व्यवधान)* मैं सलेम इस्पात संयंत्र या विजाग इस्पात संयंत्र के निजीकरण संबंधी ऐसे किसी भी प्रस्ताव का भरपूर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी को भी अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मिलनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अभी उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए। माननीय मंत्री जी अभी उत्तर देंगे। क्या आप उसे सुनेंगे या नहीं? अन्यथा, मैं दूसरे विषय को लेता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, ए.आई.ए.डी.एम.के. ने भी ज्ञापन दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। यदि आप सुनने को तैयार नहीं हैं, तो मैं अन्य विषयों को लूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : ए.आई.ए.डी.एम.के. को अनुमति देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह क्या तरीका है सभा को चलाने का?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : सलेम इस्पात संयंत्र का निजीकरण हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। क्या आप सभा में यही आचरण अपनाना चाहते हैं? आप प्रश्न पूछ रहे हैं और आप उत्तर सुनना नहीं चाहते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया समझिए कि आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, पहले अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी चिंतित हैं और संपूर्ण सभा को इस मामले पर चिंता है। अब, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : हमने सुना कि परसों, उन्होंने संयंत्र को बेचने का निर्णय लिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं परंतु आप सरकार का उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं। यह क्या है? यह व्यवहार ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब, मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : संसदीय कार्य मंत्री केवल संसदीय मामलों पर ही बोल सकते हैं भारी उद्योगों पर नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप अपने स्थान पर बैठे-बैठे जो चाहे वह नहीं बोल सकते। प्रथमतः आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): यदि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम आपकी बात सुनना चाहते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : बहुत धन्यवाद। सार्वजनिक उद्योग हिन्दुस्तान की अर्थ नीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस बात को मानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : दुर्भाग्य से सार्वजनिक उद्योगों में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो बीमार हैं ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं अधिकांश बीमार हैं।

श्री प्रमोद महाजन : जैसे अभी विजाग स्टील प्लांट के बारे में माननीय सदस्य येरननायडू जी ने कहा कि वह बी.आई.एफ.आर. को रैफर किया गया। उसकी समस्याएं हैं। हम सरकार में दो साल से हैं। आखिर विजाग स्टील प्लांट किस के कारण बीमार पड़ा? यदि वह अच्छा स्टील प्लांट था तो किस का पाप है जिसके कारण वह बीमार होकर बी.आई.एफ.आर. में चला गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। पहले वह समाप्त कर लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए। यह क्या है? उन्हें पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मुझे बात पूरी करने दो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : किसी समय, 'सेल' इस देश का गौरव हुआ करता था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रमोद जी, आज आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन : मैं इन्हें सुनाने के लिए जोर से बोल रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। नवरत्न में सेल ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वह आपके समय हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह रनिंग कमैंट्री नहीं चलेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, सेल भी 'नवरत्न' का हिस्सा था दुर्भाग्यपूर्ण, किसी की गलती के कारण, सेल भी रुग्ण हो गई ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : यह दो साल में हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : दो सालों में नहीं। यह दो सालों में नहीं हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह ठीक नहीं है। यह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप सब बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप सब बात बोलेंगे, मैं सुन सकता हूं लेकिन आप मुझसे एक सैन्टेंस नहीं सुनेंगे।

[अनुवाद]

इस सरकार ने सेल के लिए 8,000 करोड़ रुपये का एक पैकेज लाया है। यह इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है *...(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का उत्तर देना चाहूंगा। कुछ ने कहा कि देश को बेचा जा रहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, भारत इतना शक्तिशाली देश है कि इसे बेचने की ताकत किसी में नहीं है और इसे कोई बेचने नहीं देगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हों तो व्यवधान करना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि 'शून्य काल' में सदस्यों का यही रवैया रहेगा तो, कोई 'शून्य काल' नहीं होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि यही आपका 'शून्य काल' के दौरान आपका व्यवहार होगा तो, कोई 'शून्य काल' नहीं होगा। ये आपके लिए काफी कठिन होगा। आप सरकार द्वारा दिए गए उत्तर को नहीं सुन रहे हैं। पहले, मंत्री जी के उत्तर को सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, विज़ाग स्टील प्लांट का महत्व मैं समझ रहा हूं। और इसीलिये श्री येरननायडू को याद होगा कि हमारी सरकार ने विज़ाग स्टील प्लांट के लिये 1300 करोड़ रुपये के लोन को वेव ऑफ किया था और यह कहना कि मैं विज़ाग स्टील प्लांट के महत्व को नहीं समझ रहा हूं, उचित नहीं है। आज उन्होंने जो मुद्दा विज़ाग स्टील प्लांट के बारे में बताया, मैं यह माननीय प्रधानमंत्री जी और स्टील मंत्री जी की ओर ले जाऊंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर अब कोई निवेदन नहीं होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, कल महाराष्ट्र विधान सभा में बी.जे.पी. और शिवसेना के विधायकों के साथ मारपीट की गई *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विधायकों को रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई। यहां तक कि उनके कपड़े फाड़े गये *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.39 बजे

(इस समय, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस ने कुछ गुंडों के साथ आकर पुलिस के साथ मिलकर भाजपा और शिवसेना के विधायकों के साथ मारपीट की। विपक्ष के नेता नारायण राणे को रोका गया, उनको धक्के मारे गये और समाजवादी पार्टी के श्री अबु आजमी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये और दोषियों को सजा मिलनी चाहिये।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम विरोध में सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.41 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमैया, आप राज्य विधानसभा का मामला सभा में कैसे उठा सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान गोरखपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, गोरखपुर में 1984 में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हुई थी और उसके लिए 84 लाख रुपये की लागत से रातीनगर में जमीन क्रय की गई थी। 1 जुलाई, 1998 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक्वी ने गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्र के स्टूडियो की स्थापना के लिए शिलान्यास किया था। वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्र को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। वहां पर स्टूडियो निर्माण के लिए आवश्यक धन भी एलोकेट किया गया और इसके लिए तीन करोड़ रुपये स्वीकृत भी हुए थे। लेकिन आज कुछ समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है कि गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र को वहां से स्थानांतरित करने की साजिश हो रही है। वहां मैट्रो चैनल जो तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने स्वीकार किया था, उसको भी अन्यत्र स्थानांतरित करने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्र के स्टूडियो भवन के शिलान्यास के अवसर पर जो आश्वासन दिया गया था चाहे मेट्रो चैनल अपलिंकिंग की व्यवस्था हो चाहे दूरदर्शन केन्द्र में बीटाकैप कैमरा उपलब्ध कराने का आश्वासन हो, उसको शीघ्र पूरा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। आप 'शून्य काल' में भाषण नहीं दे सकते।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन : हम विरोध में सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.43 बजे

(इस समय, श्री पी.एच. पांडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं इस सभा का ध्यान 'द हिंदू', के दिनांक 14.3.2000 में 'जे.एन.यू. के विद्यार्थी पर पुलिस द्वारा दमन का आरोप' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाना चाहती हूं और इस भयानक और चौंकाने वाली घटना का उल्लेख करने की अनुमति चाहती हूं।

कई विद्यार्थी जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया वे जे.एन.यू. में छात्रावास और अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की मांग कर रहे थे उन्हें पुलिस दमन का सामना करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, 'शून्य काल' में आप संपूर्ण वक्तव्य नहीं पढ़ सकते आप केवल महत्वपूर्ण मुद्दे का ही उल्लेख कर सकते हैं। यह चर्चा नहीं है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : जी हां, महोदय, मैं यह कह रही हूं कि यह घटना सितम्बर, 1999 की है, परन्तु छः महीने पश्चात् भी, जिन विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया, को पुलिस द्वारा और धमकाया जा रहा है जैसे किसी पुलिस राज में किया जाता है। मैं कई उदाहरण दे सकती हूं। एक उदाहरण, ज्योतिर्मयी का है, जो अर्थशास्त्र की स्नातकोत्तर प्रवेश में प्रथम आई थी, को प्रतिष्ठित पड़ोसियों से पांच प्रमाण-पत्र लाने के लिए कहा गया। एक अन्य बिहार के विद्यार्थी से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

आचरण का प्रमाण-पत्र लाने के लिए कहा गया। पुलिस शादी के मण्डप में घुस गई और विद्यार्थियों को परेशान किया।

महोदय, केरल के एक अन्य विद्यार्थी अरुण के माता-पिता से पुलिस एजेन्सियों ने पूछ-ताछ की। क्या यहां पुलिस राज है? इसलिए, मेरा सरकार से विशेषकर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी से यह निवेदन है कि इस मामले पर गौर करें और जांच के आदेश दें।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं ए.बी.बी.एल. दुर्गापुर के संबंध में महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं, जिसे दिसम्बर, 1999 से एम/एस एल्सथॉम पावर जो विश्व की प्रख्यात विद्युत कंपनी है, द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के विद्युत विभाग के इस कंपनी में 15 प्रतिशत शेयर हैं। इस कंपनी को इसके बावजूद कि कुछ परियोजनाओं में वह प्रतिस्पर्द्धक थी पिछले पांच सालों से एन.टी.पी.सी. द्वारा कोई बड़ा आर्डर नहीं मिला। कंपनी का कुल कारोबार इस वित्त वर्ष के अंत में शून्य है। इसी कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसे बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द किया जाए। महोदय, कंपनी बहुत अच्छे प्रकार के बॉइलर बनाती है। इसमें 1122 कर्मचारी हैं। इस कंपनी के कर्मचारी संघ के सदस्य और दो संसद सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य और श्री विकास चौधरी माननीय विद्युत मंत्री कुमारमंगलम से 14 दिसम्बर, 1999 को मिले और इस मामले पर विस्तार से चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें यह आश्वासन दिया कि कंपनी को कुछ काम दिया जाएगा जिससे कंपनी बंद नहीं होगी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु ने पहले ही विद्युत मंत्री को इस मामले पर गौर करने के संबंध में लिखा था। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि अभी तक कंपनी को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। यही नहीं, इस कंपनी का प्रबंधन कार्यालय को कलकत्ता से बड़ोदरा ले जाना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यालय को कलकत्ता से बडोदरा न ले जाएं। मैं इसका पूर्णत: विरोध करता हूं। कृपया आप सभा को यह आश्वासन दें कि ए.बी.बी.एल., दुर्गापुर इकाई का पुनरुद्धार किया जाएगा जिससे इकाई और 1122 कर्मचारियों को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम दर्जनों परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के लिए आधार कार्य पूरा कर लिया है। यह जानकारी कल के अखबारों में विस्तार से छपी है और फैडरेशन ऑफ अमेरीकन सांइटिस्ट्स ने पाकिस्तान के परमाणु प्रक्षेपास्त्र ठिकानों के उपग्रह चित्रों के आधार पर यह जानकारी दी है। मैं मानता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह सरकार पूरी तरह गंभीर है। लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से चिंतित हैं और हमने अपने देश की रक्षा की पूरी व्यवस्था की है, सरकार को यह आश्वासन देश को देना चाहिए। ऐसे समय जब अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन भारत की यात्रा करने वाले हैं, हमें उन पर यह दबाव डालना चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों के माध्यम से भार को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की दिशा में वह कदम उठायें। अमरीकी विदेश नीति के विशेषज्ञों ने श्री क्लिंटन से यह साफ-साफ कहा है कि इस बारे में पाकिस्तान को साफ-साफ बता दें। इसलिए भारत सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से, मैं पिछले कुछ महीनों से जो निरंतर स्थिति बनी हुई है उस पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं जिसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्वीकार किया है। मामला यह है कि सभी महानगर और कुछ महत्वपूर्ण शहरों में 500 रुपये और 100 रुपये के नकली नोटों का रैकेट चल रहा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ब्रिटिश दूतावास जो चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, में है वहां बाहर बोर्ड पर लिखा है कि '500 रुपये का नोट न लाएं।' यह बोर्ड अभी भी वहां है। मुझे नहीं पता कि सरकार को यह बात पता है कि नहीं। हम इस मामले का राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहते। हमारा दल यह महसूस करता है कि हमारी समूची अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने और देश को तबाही के रास्ते पर लाने के लिए यह बाहरी ताकतों की जानबूझकर तैयार की गई और षडयंत्रकारी योजना है। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। चाहे वह आई.एस.आई. हो अथवा कुछ अन्य आतंकवादी ताकतें, नई सहस्राब्दि में यह एक खतरनाक कोशिश है जबकि देश एक नई दिशा और ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है।

इस समय उनके द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र को देखिए। यह थाईलैंड में नहीं है, यह बंगलादेश में नहीं है, यह पाकिस्तान अथवा मलेशिया में नहीं है। पूरे उप महाद्वीप का एक ही लक्ष्य है, भारत। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहूंगा कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। सरकार जो भी कड़े कदम उठाएगी पूरी सभा उससे सहमत होगी। कृपया इन ताकतों के साथ कोई ढील न बरती जाए और ना ही कोई समझौता किया जाए। अब इनकी संख्या प्रचुर हो गई है।

पिछले सप्ताह जब मैं उत्तरी बंगाल गया तो मैंने देखा, यहां तक कि पैट्रोल पम्पों ने भी 100 रु. और 500 रु. के नोट लेने से मना कर दिया। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। वह कहते हैं कि जिस तरह से दूरदर्शन में दिखाया गया है, केवल कुछ ही पेट्रोल पम्पों के पास नोटों को जांचने की वह मशीन है। अब यह आतंक बढ़ गया है। ब्रिटिश दूतावास में इस तरह का नोटिस बोर्ड लगा हुआ है इससे हमारे देश की छवि खराब होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए कहता हूं। समझौता एक्सप्रैस में पाकिस्तान से आए किसी व्यक्ति के पास नोट पाए गए थे। वह पकड़ा गया और उस बूढ़े मुस्लिम व्यक्ति ने कहा था कि कुछ लाभ कमाने के लिए कुछ महीनों से वह आदमी यह सौदा कर रहा था। यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था।

हमारे देश की सीमाओं पर भी चौकसी रखने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन सा मुख्य दल है। लेकिन यह सच है कि कुछ ताकतों द्वारा जानबूझकर भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने और भारत को गलत खांचे में डालने की कोशिश की गई है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, माननीय डा. मुरली मनोहर जोशी यहां उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि उनकी चिन्ता का विषय भी वही है जो हमारा है। इस मामले में केंद्र को कड़ा कदम उठाना चाहिए। कृपया यह नहीं सोचिए कि यह केवल एक नकली नोट है। कुछ ताकतों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए रचा गया यह एक षड्यंत्र है।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): मैं दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से पूर्णत: सहमत हूं। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार नकली नोटों का आना रोकने के लिए सभी कदम उठाएगी। हम सबको मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार इस संबंध में पूर्णत: जानरूक है, उसने इस विषय की पूरी जानकारी ले ली है और वह सभी कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं। वह प्रश्न दूध का नहीं है और वह केवल एक समस्या नहीं है बल्कि प्रमुख समस्या है और वह पेयजल की उपलब्धता है, जिसकी ओर पूरे सदन का और सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। देश के कई भागों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड रीजन में बान्दा और चित्रकूट जिलों में पीने के पानी का भीषण अभाव हो गया है और सरकार ने जितने हैंडपम्प और पेयजल योजनाएं हैं, उनको लगाना बन्द कर दिया है। जिला प्रशासन कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। इसलिए पेयजल समस्या गर्मी आने पर और भी विकराल रूप धारण कर लेगी और जब हम यहां केन्द्र सरकार का बजट देखते हैं तो पाते हैं कि बजट में भी जो पेयजल की व्यवस्था करने के लिए धनराशि है, उसमें इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में कम धन की व्यवस्था की गई है। जब अभी से पेयजल की वहां यह हालत है और भीषण स्थिति है, तो गर्मियों में तो स्थिति भीषणतम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, वहां पथरीला इलाका है। कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं। नदी-नालों में पानी सूख चुका है। हैंडपम्प भी सूख चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड रीजन के बान्दा और चित्रकूट जिलों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाए और उसे हल किया जाए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम सजीवन की भावनाओं के साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि संपूर्ण बुन्देलखंड में पेयजल की भयंकर समस्या है। उसका निदान तुरन्त किया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। एक डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. नामक विश्व संस्था है जिसने पिछले दो वर्षों से भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र चला रखा है। उन्होंने विश्व का एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसमें अरूणाचल प्रदेश को भारत और चीन के विवाद का क्षेत्र प्रदर्शित किया है। जम्मू-कश्मीर के लगभग आधे से अधिक हिस्से को विवादास्पद क्षेत्र के रूप में उस नक्शे में दिखाया गया है। जो गंभीर बात है वह यह है कि उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने जून 1999 में एक डी.ओ. लैटर लिखा था जिसके आधार पर डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. ने एक आश्वासन दिया था कि हम इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते फिर से विश्व का एक मानचित्र जारी किया गया जिसमें जम्मू-कश्मीर के पूरे क्षेत्र को विवादास्पद क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अरूणाचल प्रदेश को हमारी राजकीय सीमा से बाहर बताया गया है। मैं सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया जो हमारा एक ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टियों ने भी उसका विरोध किया है। एक ट्रस्टी ने इस बात को लेकर अपना इस्तीफा दिया। वहां का जो प्रमुख है, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उसके बावजूद भी वह नक्शा डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया के द्वारा सारे देश में वितरित किये जाने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास चल रहा है। जबकि हिन्दुस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई गलत नक्शा प्रकाशित करता है तो उसको

[श्री प्रहलाद सिंद पटेल]

सजा होनी चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय तत्काल इस पर कार्रवाई करें और डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया की कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, मैं इस गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति मांग रही थी। जब हम विनम्रता से बैठते हैं और अपने हाथ उठाते हैं तो हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। लेकिन जब कभी कोई चिल्लाता है तो उसे बोलने का अवसर मिल जाता है। मैं वास्तव में उपेक्षित और वंचित महसूस कर रही हूं ...*(व्यवधान)* मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही हूं। हर समय जब दो या तीन सदस्य जब तक खड़े होकर बोलने लगते हैं तो उनकी निन्दा कोई नहीं करता है।

श्री वैको : पहले आप अपने साथियों की चिन्ता करिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं अपने साथियों को संभाल लूंगी। मुझे यह चिन्ता है कि आपको कैसे संभालूं।

महोदय, मुझे अपनी बात कहने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं संसद के अनुशासन में रहकर आपसे पूछ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यत: हम केवल उन सदस्यों के नाम पुकारते हैं जो पूर्वाह्न 10 बजे से पहले सूचना कार्यालय में अपने नोटिस भेज देते हैं। कभी-कभी यदि नेता कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं तो अध्यक्षपीठ उन्हें वह मुद्दा उठाने की अनुमति देते हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं इसकी सराहना करती हूं। लेकिन मुझे उस मुद्दे के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): मैडम का जो दुख है, वह मेरा भी दुख है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं पिछले सप्ताह से यह अवसर प्राप्त करने की कोशिष कर रहा था लेकिन आज मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा विषय बहुत गंभीर है। मैं पहली बार चुनकर आया हूं लेकिन यह समस्या मैं बचपन से अपनी आंखों के सामने देखता हूं। 35 साल की उम्र में यह समस्या मुझे पार्लियामैंट में रखने का मौका मिला है, मैं समझता हूं कि यह एक सुनहरी मौका है। जिस एरिया से मैं चुनकर आया हूं, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से कभी श्री नरसिंह राव जी भी रहे थे। जहां पर मेरा घर है उसके बाजू में एक कोयले की खदान है। वैसे मेरे घर के चारों तरफ कोयले की खदानें हैं। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देखता आया हूं कि ट्रक जा रहे हैं और उन ट्रक्स से कोयला गिर रहा है। मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ी हेराफेरी है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। जिस चीज का कोई सबूत न हो, अगर वह चीज बोली जाये तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं। आज जो बात मैं यहां पर करने वाला हूं वह बड़ी दिलचस्प बात है। आज खनिज सम्पत्तियों की जो हेराफेरी हो रही है, वह एक अलग चैप्टर है और जो हेराफेरी हो गई है, वह एक दूसरा चैप्टर है। इतिहास में हो गई और हो रही है दोनों अलग-अलग चैप्टर हैं। अभी मैं डाकूमैंट के साथ पर्याप्त सबूतों के साथ मैं यह अनुरोध कर रहा हूं। एक तारीख को रात आठ बजे दस ट्रक दो खादानों गोंडेगांव और कामठी से निकले। लेकिन गैर-सरकारी पार्टियों को 7 बजे के बाद कोयला ले जाने का अधिकार नहीं है। आठ बजे वह ट्रक निकले और ट्रक निकलने के बाद पुलिस ने उन ट्रकों को पकड़ा। पकड़ने के बाद वह पुलिस स्टेशन में ले जाये गये। उसके दस मिनट बाद वे ट्रक्स वहां से निकल गये। मैं बचपन से यह सब देखता रहा हूं। इसका बहुत बड़ी खबर वहां के लीडिंग पेपर में छापी गयी है।

[अनुवाद]

यह वैस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में है। लेकिन कोयला विभाग और पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे विचार में डब्ल्यू.सी.एल., कोल इण्डिया लिमिटेड और पुलिस विभाग के बीच कोई घोटाला है।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

मेरे पास प्रूफ है। मैं दो दिन पहले की घटना बताऊंगा। मेरे पास दो डौक्यूमैंट हैं जिसमें रेलवे डिपार्टमैंट ने ऐक्सैस लोडिंग के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई है। इसलिए वहां के लोगों की यह रिक्वैस्ट है कि पूरे मामले की जांच सी.बी.आई. की तरफ से होनी चाहिए। इससे श्री रूडी और पूरा सदन सहमत है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कानपुर की अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जिस तरह आंध्र के माननीय सदस्यों ने आंध्र की एक समस्या के बारे में बात उठाई थी, उसी तरह कानपुर की यह प्रौबल्म है कि बी.आई.सी. और एन.टी.सी. की मिलें लगभग बंद हो चुकी हैं। मैंने पहले भी इस मामले में कई नोटिस दिए थे, माननीय कपड़ा मंत्री जी से भी मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले जब अपना कैम्पेन शुरू किया था तो कानपुर की पब्लिक मीटिंग में यह घोषणा की थी कि यदि मैं प्रधानमंत्री

बन जाऊंगा तो कानपुर की बी.आई.सी. और एन.टी.सी. की कपड़ा मिलें चालू हो जाएंगी। लेकिन आज तक सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैंने कपड़ा मंत्री जी से भी अनुरोध किया था। आज स्थिति यह है कि बी.आई.सी. और एन.टी.सी. के दस हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। जब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ तो कानपुर के तमाम लोगों ने मिलकर सरकार से एक और अनुरोध किया कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं है जिससे वह बी.आई.सी. और एन.टी.सी. की सारी मिलों को चालू कर सके तो हमने सजैशन दिया था कि बी.आई.सी. और एन.टी.सी. की एक-एक यूनिट को छोड़कर बाकी सारी यूनिटों की जमीनों को बेच दिया जाए। उससे सरकार को खरबों रुपये मिलेंगे क्योंकि वे यूनिटें बीच शहर में स्थित हैं। आज उन जमीनों की कीमत पहले से सौ गुना ज्यादा बढ़ गई है। अगर सारी यूनिटों को बेचकर एक यूनिट बी.आई.सी. और एक यूनिट एन.टी.सी. की चला दी जाए तो आज जो दस-बारह हजार मजदूर बेकार पड़े हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा, शासन को उन यूनिटों को चलाने के अलावा भी काफी पैसा बचेगा जिसे शासन अपने दूसरे कार्यों में प्रयोग में ला सकता है। मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री और भारत सरकार, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था, कि उन यूनिटों की सारी जमीनों को बेचकर एक यूनिट बी.आई.सी. और एक यूनिट एन.टी.सी. की चला कर मजदूरों को रोजगार दिया जाए। यदि इस तरह सारी सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को बंद करने का इरादा है तो इस नीयत को किसी भी तरीके से हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। आप उस संबंध में उल्लेख कर सकते हैं। मेरे विचार में श्री रूडी के भी यही विचार हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, मैं बी.आई.सी. के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि बी.आई.सी. ग्रुप की उनके नियंत्रणाधीन लगभग दस चीनी की मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह बी.आई.सी. मुद्दे से संबंधित मामले पर विचार करेंगे। मैं इन चीनी मिलों को खोलने के लिए बी.आई.सी. मुद्दे से सहमत हूं जो कि बी.आई.सी. ग्रुप का एक भाग हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : केवल कानपुर की यूनिटों को बेचकर कानपुर की यूनिटें चलाई जा सकती हैं।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): महोदय, वनांचल क्षेत्र में पटना से रांची, पटना से पलामू, पटना से जमशेदपुर जितनी भी रेलगाड़ियां चलती हैं, वे सब दस दिनों से बंद हैं। आप समझ सकते हैं कि हजारों आदमी इसकी सुविधा से वंचित हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो, रेल सुविधा पुन: चालू की जाए।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक, शिक्षा, न्यायिक, रक्षा से संबंधित प्रतिष्ठानों में आरक्षण के बारे में आदिम जाति और जनजाति के लोगों का जो कमीशन है, उसने भारत सरकार से सिफारिश की थी लेकिन भारत सरकार ने उसे ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, नियम 355 की अवमानना की है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आदिम जाति और जनजाति के लोगों को इन सेवाओं में शामिल कर दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब बारी है श्री राधाकृष्णन् की। यह वकीलों की हड़ताल के बारे में है। वकीलों के मुद्दे को माननीय सदस्यों द्वारा सभा में एक अथवा दो बार पहले उठाया जा चुका है। आपने फिर नोटिस दिया है। यह मुद्दा पहले उठाया जा चुका है। इसलिए मैं आपका नाम नहीं पुकार रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वकीलों के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। कल मेरठ में पुलिस ने वकीलों के साथ मार-पीट की। दिल्ली में पहले से ही आन्दोलन चल रहा है। अनेक क्षेत्रों से मध्यस्थता के बावजूद भी इस संबंध में कोई समझौता नहीं हो पाया है। मेरठ में भी वकील शायद एक अन्य हड़ताल पर जायें। मैं समझता हूं कि पुलिस बल और वकीलों के बीच कुछ झगड़ा है। यह मुद्दा समूचे भारत का है। पुलिस वकीलों के साथ मार-पीट कर रही है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे वकीलों और पुलिस कर्मचारियों का एक सम्मेलन बुलाकर मामले की मध्यस्थता करें।

केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए और वकीलों के समुदाय के बीच शान्ति लानी चाहिए। केन्द्र सरकार को उनकी शिकायतें सुननी चाहिये और उनके मुद्दे सुलझाने चाहिएं। मैं भी एक वकील था। मैं इस मुद्दे को उठाने और इसे सरकार के ध्यान में लाने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में अन्य वकील भी हैं।

श्री बरकला राधाकृष्णन : मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की मध्यस्थता करें और एक सम्मेलन बुलायें, जैसा कि मैंने अनुरोध किया है। यह इन्सानियत का मामला भी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि वे पहल करें और इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटायें। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। सभा का सत्र चल रहा है। आज सत्र समाप्त हो जाएगा। मुझे अभी पता चला है और मेरे पास विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि सभा को मामले की जानकारी है कि राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भूमि को गंगावरम् बन्दरगाह के विकास के लिए हस्तांतरित करने को कहा है। पहले, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा था कि वे इसे गौण बन्दरगाह के रूप में विकसित करेंगे। मुख्य मंत्री जी ने उनको इस तरह के अधिकार देने से इंकार कर दिया है। जबकि अब वे बात पलट रहे हैं और जबकि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इस भूमि का हस्तांतरण हो गया है और उन्होंने इसके आदेश दे दिए हैं।

मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है जिसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की भूमि को एक गैर-सरकारी संगठन को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मैं जानना चाहती हूं कि हमें क्या संरक्षण प्राप्त है। हम किन मंचों से यह मुद्दा उठा सकते हैं? *...(व्यवधान)* यह वास्तविकता है *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आन्ध्र प्रदेश सरकार स्वयं गंगावरम् पत्तन को विकसित करना चाहती है। सरकार स्वयं भूमि के बारे में पूछ रही है। वे केन्द्र सरकार को उस भूमि के बदले इस्पात संयंत्र के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, वह भी दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह विरूपित बात है। महोदय, यह सही बात नहीं कही जा रही है *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : सरकार पत्तन को विकसित कर रही है *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : माननीय सदस्य संसद को गुमराह कर रहे हैं *...(व्यवधान)* उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। वह गुमराह कर रहे हैं *...(व्यवधान)* हमारे पास रिकार्ड है जिसमें स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि केन्द्र सरकार *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आन्ध्र प्रदेश सरकार पत्तन विकसित कर रही है। इसमें क्या गलत है? *...(व्यवधान)* यह सरकार और सरकार के बीच*...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : राज्य सरकार ने इसे क्यों स्वीकार किया जबकि जल-भूतल परिवहन मंत्री *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, बात यह नहीं है *...(व्यवधान)* गंगावरम् एक छोटा सा पत्तन है। यह पत्तन आन्ध्र प्रदेश सरकार का है *...(व्यवधान)* मैं तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* वह कुछ कहना चाहती थी और उन्होंने कुछ कहा। अब, आपको मुझे कुछ कहने की अनुमति देनी होगी *...(व्यवधान)* वह हस्तक्षेप क्यों कर रही है? *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं विशाखापत्तनम निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखता हूं। मुझे ठीक रिकार्ड देना होता है और ठीक-ठीक रिकार्ड देना मेरा कर्त्तव्य है *...(व्यवधान)* गंगावरम् पत्तन आन्ध्र प्रदेश सरकार का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आन्ध्र प्रदेश सरकार गंगावरम् पत्तन को विकसित करना चाहती है। *...(व्यवधान)* महोदय, वे कुछ कहना चाहती थी और उन्होंने पहले ही अपनी बात कह दी है। अब, वे मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकती हैं। सभी ने बात को गलत ढंग से पेश किया है। प्रत्येक व्यक्ति इस मामले में शामिल होना चाहता है जैसे कि वे संरक्षक हों। प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है जैसे कि वह इस देश का संरक्षक हो और इस सरकार का संरक्षक हो। वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं? *...(व्यवधान)*

महोदय, गंगावरम् पत्तन आन्ध्र प्रदेश सरकार का है और वे गंगावरम् पत्तन को विकसित करना चाहते हैं। छोटे-छोटे पत्तनों को विकसित करना आन्ध्र प्रदेश सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है। यह एक मुख्य पत्तन नहीं है। गंगावरम् पत्तन एक गौण पत्तन है जो कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में है। पहले विशाखापत्तनम् इस्पात संयंत्र द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अत: आन्ध्र प्रदेश सरकार उन्हें अनुरोध कर रही है कि वह भूमि आन्ध्र प्रदेश सरकार को सौंप दी जानी चाहिए। यदि भूमि किसी गैर-सरकारी पार्टी को सौंपी जा रही होती तो मैंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया होता। आन्ध्र प्रदेश सरकार को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से भूमि लेने का पूरा अधिकार है जो कि उपयोग नहीं की जा रही है। इसके बदले इस्पात संयंत्र को पर्याप्त भूमि दी जा रही है *...(व्यवधान)* अत: उन्होंने यह एक आधारहीन आरोप लगाया है। मैं उन्हें यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि इस्पात संयंत्र की भूमि किसी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा ली गई है *...(व्यवधान)* आन्ध्र प्रदेश सरकार उस भूमि का अधिग्रहण गंगावरम पत्तन के विकास के लिए कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार को पूरा हक

है कि वह केन्द्र से पत्तन विकास हेतु वह भूमि देने के लिए कहे। यह आंध्र प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का आपसी मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, ठीक है, आप कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से उन्हें भूमि दिये जाने का निवेदन कर रही है। कोई निजी पार्टी सामने कैसे आ सकती है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति जी, कृपया बैठ जाइए। श्री रामदास आठवले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर देश का संविधान लिखने वालों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने देश के गरीबों, दलितों की भलाई के लिए बहुत बड़ा काम किया है।* वे संविधान लिखने वालों में प्रमुख थे।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, वह उन मंत्री महोदय के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते जो कि इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। सभा का नियम किसी को यह अनुमति नहीं देता कि जो मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध कोई मुद्दा उठाया जाए।

श्री रामदास आठवले : .....**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डा. सेनगुप्ता, आपने एक नोटिस दिया है। ऐसे मामले सभा में नहीं उठाए जा सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. नितिश सेनगुप्ता की बात के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, वास्तव में विजाग संयंत्र मूल रूप से एक निर्यातोन्मुखी संयंत्र था।

अध्यक्ष महोदय : डा. सेनगुप्ता, वह मामला समाप्त हो चुका है। आप यह मामला फिर उठा रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला कितनी बार उठाना चाहते हैं। यह सही तरीका नहीं है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)* मैं तथ्य जानता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री गेपाल चन्द्र दास (करीमगंज): अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च 2000 को असम के करीमगंज जिले में भयंकर चक्रवात आया था जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ था। यह चक्रवात इतना भयंकर था कि इससे पेड़ उखड़ गए, घरों को नुकसान पहुंचा और खड़ी फसलें बुरी तरह नष्ट हो गई। चक्रवात की भीषणता से हजारों लोग बेघर हो गए।

हजारों लोग बेघर हो गए, उन्हें अपने पुनर्वास के लिए तुरंत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। वे राज्य सरकार की दया और अनुकम्पा पर निर्भर हैं परन्तु राज्य सरकार की खराब वित्तीय स्थिति और प्रभावित लोगों के प्रति उनके लापरवाही भरे रवैये ने आग में घी का काम किया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नेपाल चन्द्र दास]

मेरी यह मांग है कि केन्द्र सरकार को तुरंत आगे आना चाहिए और प्रभावित लोगों को उनके पुनर्वास के लिए यथासंभव तुरंत वित्तीय सहायता और जरूरी सामग्री प्रदान करनी चाहिए। मुझे भय है कि अगर केन्द्र सरकार द्वारा इन लोगों को तुरंत सहायता नहीं दी गई तो इन प्रभावित लोगों की पीड़ा, दुख दुगुना हो जाएगा।

अपराह्न 1.18 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, देश भर में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें पहले की अपेक्षा अब काफी विषमताएं हो गयी हैं। मतदाता की दृष्टि से कोई संसदीय क्षेत्र अत्यधिक बड़ा है तो कोई संसदीय क्षेत्र काफी छोटा है। इसलिए सरकार को तुरन्त सभी संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की कार्यवाही आरंभ कर देनी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा संसदीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो सांसद निधि दी जाती है, वह संसदीय क्षेत्रों की असमानताओं के कारण कहीं पर तो ठीक रहती है लेकिन जिन संसदीय क्षेत्रों में 20-20, 25-25 लाख मतदाता हैं वहां पर काफी कम रहती हैं। इससे मतदाताओं में भी रोष व्याप्त है और एक सांसद के लिए यह भी काफी कठिन काम है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के 20, 25 लाख मतदाताओं को संभाल सकें।

इसलिए यह आवश्यक है कि गृह मंत्रालय संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए तुरन्त सदन में विधेयक पेश करे तथा उसको पारित कराकर यह कार्य आरम्भ किया जाये। इसके लिए जनसंख्या गणना का इंतजार नहीं करना चाहिए। पिछले आधार पर ही परिसीमन का कार्य आरम्भ करना चाहिए, जब नई जनसंख्या गणना आये तब इसको अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(दो) मुम्बई के उपनगरीय यात्रियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मुम्बई की उप नगरीय गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 59 लाख हो गई है। पिछले दस वर्षों में यात्रियों की संख्या में लगभग 20 लाख की वृद्धि हुई है। परन्तु गाड़ियों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रेल प्राधिकरण ने कोचों और गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की थी परन्तु कुछ भी हुआ नहीं लगता है। सभी नौ डब्बों वाली गाड़ियों को बारह डिब्बों वाली गाड़ियों में बदलने के वायदे को पूरा नहीं किया गया है। सभी नौ डिब्बों वाली गाड़ियों को बारह डिब्बों वाली गाड़ियों में बदलने की तुरंत आवश्यकता है। परिवर्तन के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करनी चाहिए।

(तीन) जयपुर में पेयजल की विकट समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, राजस्थान में अकाल की स्थिति गम्भीर है। अकाल राहत कार्य खोले नहीं गए हैं। गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है, कुओं में पानी का स्तर नीचे चला गया है, हैंड पम्प खराब हो गए हैं। गांवों के बांध और तालाब सूख गए हैं और उनकी दशा जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उनमें पानी नहीं है और उनकी दशा ठीक नहीं होने के कारण उनमें पानी भरना भी मुश्किल है। बांध और तालाबों की मरम्मत वर्षा से पूर्व होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कुंओं में पानी का जल स्तर ऊंचा हो सके। जयपुर शहर में रामगढ़ बांध में पानी नहीं रहा है और जबपुर शहर में पानी एक समय में मिलना कठिन हो गया है। जयपुर में जल सप्लाई को ठीक करने के लिए बनास नदी से ही पानी लाना आवश्यक है। इस योजना पर 150 करोड़ की धनराशि व्यय होगी। राज्य सरकार समर्थ नहीं है। केन्द्र सरकार से मांग है कि राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई जाए।

(चार) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित "पशुपति मंदिर" को एक पर्यटक स्थल घोषित करने और इसके विकास के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, भारत में बढ़ते हुए पर्यटन आकर्षण व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा भारत की पुरातत्वीय, ऐतिहासिक व प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थानों के लिए जनसामान्य उनके प्रति आकर्षण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण स्थान ऐसे हैं, जो पर्यटन के मानचित्र पर नहीं हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित मंदसौर का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, भारत में प्रसिद्ध भादवा माता मंदिर, सांधवी का कीर्ति स्तम्भ, हींगलाजगढ़ व धर्म राजेश्वर आदि स्थान हैं। मंदसौर जो दशपुर के नाम से विख्यात है, शैव व जैन संस्कृति की प्राचीन धरोहर को संजोए हुए हैं।

मेरा पर्यटन मंत्री से निवेदन है कि मंदसौर को पर्यटन की दृष्टि से सूचीबद्ध किया जाए तथा मंदसौर के परशुपतिनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे कि एक प्राचीनतम, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थित उक्त स्थान को उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार स्थान मिल सके।

(पांच) वायनाड जिले में सुल्तान बथेरी वन्य जीवन प्रभाग में और इसके आस-पास पट्टे की वन भूमि पर रह रहे किसानों के पुनर्वास के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, मैं आपका ध्यान केरल के वायनाड जिले में सुल्तान बथेरी वन्य जीवन प्रभाग में और उसके आस-पास रहने वाले गरीब किसानों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। ये लोग जंगलों में रहते हैं उनके पास खेती योग्य वन-भूमि के छोटो-छोटे भूखंड हैं जो उनके पास काफी वर्षों से हैं। उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया है और वास्तव में ऐसा तब से है जब उन्हें तत्कालीन सरकारों ने अधिक अन्न उगाओ योजना के अंतर्गत जंगल की उपजाऊ भूमि में बसाया था। वायनाड में विभिन्न भागों में 500 हेक्टेयर वन भूमि पर लगभग 800 छोटे-छोटे भूखंडों पर कब्जा किया गया है। इन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है और न ही यह अधिकार प्राप्त है कि वे रहने के लिए अच्छे घर बना सकें या अपनी खेती बेहतर बनाने के लिए ऋण ही ले सकें। न तो वे जंगली जानवरों के हमले से अपनी रक्षा ही कर सकते हैं और न ही उन्हें सम्पत्ति नष्ट होने या जीवन से हाथ धो बैठने की स्थिति में क्षतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार ही है। इस संबंध में, हाल ही में केरल सरकार ने किसानों को जंगल से दूर भूमि देने या उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि देने संबंधी एक योजना तैयार की है। अगर केन्द्र सरकार इस योजना को स्वीकृति दे देती है तभी इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन सभी अभागे लोगों के बचाव के लिए आगे आए।

(छह) आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी के कुडप्पा केन्द्र में 10 किलोवाट का एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सभा में यह आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा आकाशवाणी केन्द्र में 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाया जाएगा तथा आंध्र प्रदेश के कुड्प्पा जिले में प्रोदातुर में एक दूरदर्शन रिले स्टेशन के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। इस समय टी.वी. रिले स्टेशन किराए के भवन में चलाया जा रहा है इसलिए भवन की स्वीकृति किए जाने से जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना संभव होगा। कुडप्पा आकाशवाणी केन्द्र में दस कि.वा. के एफ.एम. ट्रांसमीटर होने से लोग आकाशवाणी के कार्यक्रम स्पष्ट सुन सकेंगे।

लोग काफी समय से इन दो बातों की मांग कर रहे हैं परन्तु इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं कि आकाशवाणी के कुडप्पा स्टेशन में 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना की जाए तथा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में टी.वी. रिले स्टेशन के लिए भवन का निर्माण करवाया जाए।

(सात) विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों, विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम कर रहे केरलवासियों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): खाड़ी देशों में दुखी भारतीयों की भारत में वापसी की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। उनमें से अधिकांश जो छोटे-मोटे मामलों में फंसे होते हैं या श्रमिक विवादों में घिरे होते हैं वे भारत वापस आने का किराया न होने की वजह से उनके विरुद्ध चल रहे मामले या सजा की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद लम्बे समय तक जेल में रहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय मजदूर को अप्रवासियों के संरक्षक के पास अप्रवास की स्वीकृति लेते समय एक तरफ के हवाई टिकट के बराबर राशि जमा करनी पड़ती है। यह राशि गरीबी की दशा में मजदूरों को भारत वापस भेजने के लिए जमा रखी जाती है।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जिसके अनुसार जिन भारतीय नागरिकों की विदेश में ही मृत्यु हो जाती है उनके शवों को भारत लाने का खर्च भारत सरकार उठायेगी। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश भी विदेशों में मरने वाले देशवासियों के शवों को अपने देश सरकारी खर्च पर ही ले जाते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई खाड़ी देशों में कुछ समुदायों के लोगों के शवों को दफनाने या अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए, यह बहुत जरूरी हो गया है कि अंतिम संस्कार के लिए शवों को भारत लाया जाए।

इसके अलावा, खाड़ी देशों में अधिकांश भारतीय मिशनों के पास कार्य की अधिकता को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं जिससे उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा भरसक प्रयास किए जाने के

[श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी]

बावजूद अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। यह सच है कि खाड़ी के देशों में रह रहे कुल भारतीयों का लगभग 60 प्रतिशत केरल के हैं तथा उनमें से अधिकांश लोग मलयालम के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते। अगर आप इतनी संख्या में वहां रह रहे लोगों की सही देखरेख करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि मिशनों में तैनात अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी केरल के हों।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

श्री चारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

(आठ) तमिलनाडु में तिरूचेन्दूर में टिकट आरक्षण कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की आवश्यकता

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर): महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, दक्षिण भारत में तिरूचेंदूर एक बड़ा पर्यटन स्थल है। यह भगवान कार्तिक अथवा भगवान मुरूक के छः मंदिरों में से एक है। भगवान कार्तिक के दर्शन के लिए हर रोज हजारों लोग इस शहर में आते हैं। चूंकि वे अलग-अलग जगहों से आते हैं इसलिए वे अपने रेल टिकट बुक नहीं करवा सकते क्योंकि चिरूचेंदूर में आरक्षण कार्यालय का अभी तक कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है। आमतौर पर, कन्याकुमारी और अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने के बाद लोग भगवान के दर्शन के लिए तिरूचेंदूर जाते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि तिरुचेंदूर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोला जाए ताकि उनको रेल आरक्षण तीव्रता से व अन्य स्थानों से भी किया जा सके।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि तिरूचेंदूर स्थित आरक्षण कार्यालय का तुरंत कम्प्यूटरीकरण किया जाए।

(नौ) प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज की खेती सबसे अधिक होती है। उन्हें निर्यात करने हेतु पाबंदी लगा दी है जिसके कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि प्याज पर से पाबंदी पूरी तरह उठा ली जाये तथा आधा घाटा सरकार भी सहन करे।

(दस) बिहार में दानापुर मंडल में सिरारी रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के दानापुर मंडल के सिरारी रेलवे स्टेशन विगत 20 वर्षों से यात्रियों के लिये कार्य कर रहा है। इतने लम्बे अंतराल के बावजूद भी इस स्टेशन पर बिजली व्यवस्था आज तक सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं करायी गई है। संध्या होते ही रेलवे कर्मचारी कार्य करना बंद कर देते हैं और यात्री लोग रेलवे परिसर में असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिये यात्रियों की समुचित सुरक्षा एवं सुविधा के लिये इस स्टेशन परिसर को तत्काल बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु रेल मंत्रालय को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आज हमारे पास काफी लम्बी और महत्वपूर्ण कार्यों की सूची है। इसलिए यदि सभा सहमत होती है तो हम आज भोजनावकाश नहीं करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब अगले मद में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करना है। श्री बालासाहिब विखे पाटील।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं।

आज अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा। उसे बाद में लिया जा सकता है। आज हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी कर लें। यह सदन की सुविधा के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : आज अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी है।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, इसे अपराह्न 3.30 बजे की बजाए थोड़ा बाद में लिया जा सकता है। पहले हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी कर लें। यह सदन के लिए सुविधाजनक होगा परन्तु इसे पूर्वोदाहरण के रूप में न लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आज हम केवल चर्चा शुरू कर रहे हैं। आज केवल प्रस्तावक और अनुमोदक ही बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, जैसा हम कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमत हुए हैं, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद केवल आरंभ किया जाए। फिर इसे सत्र के दूसरे भाग में लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : दलों के नेताओं की बैठक में हमने यही निर्णय किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि अपेक्षित हो तो सभा की राय जानिए। फिर हम उस क्रम में आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब श्री बालासाहिब विखे पाटील बोलेंगे।

अपराह्न 1.33 बजे

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1999 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र:

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"पचासवें" के स्थान पर "इक्यावनवें" प्रतिस्थपित किया जाए।

खंड 1:

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 3:

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 25,-

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1999 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र:

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"पचासवें" के स्थान पर "इक्यावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1:

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 3:

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 25,-

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर एक-एक कर विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र-

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"पचासवें" के स्थान पर "इक्यावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

खंड 1:

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3,–

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

खंड 3:

3. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 25,–

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,

"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सभा राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सभा राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.35 बजे

मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं–

"कि मिजोरम राज्य में अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मिजोरम राज्य में अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमारे सम्माननीय सहयोगी श्री पी.आर. किन्डिया आज सभा में अपना संशोधन पेश करने इत्यादि के लिए बहुत उत्सुक थे किंतु वे इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है वे पहले से कहीं और व्यस्त हैं। किंतु कल तक वे इस बारे में बहुत उत्सुक थे।

मैं इस विधेयक के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। महोदय, आपके माध्यम से मैं इस पक्ष से अपनी पार्टी की भावना माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। मिजोरम विश्वविद्यालय अपने आप में न केवल उस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने अपितु हमारे देश की उभरती पीढ़ी, जिनकी इस देश के भविष्य के लिए अनेक आकांक्षाएं हैं को हमारे राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक भी है।

मैं याद दिलाता हूं और माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश के इस छोटे से क्षेत्र मिजोरम को अतीत में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उपद्रव के उन दिनों में अनेक बार निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी लालडेंगा से वार्ता शुरू की थी और बाद में लालडेंगा ने भारत के संघीय ढांचा की अवधारणा और भारत के संविधान को स्वीकार किया था। उन दिनों लोगों को मुख्यधारा की प्रक्रिया में लाने का उदाहरण देने के लिए हमने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री श्री लाल थनहवला को त्यागपत्र देने और उन्हें समायोजित करने के लिए कहा था। उसके बाद उस क्षेत्र के युवाओं की देश के सभी कार्यकलापों में भाग लेने की उच्च आकांक्षाएं रहीं। मैं इस बात का आभारी हूं कि किसी पार्टी द्वारा कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त किए बिना संपूर्ण राष्ट्र में सभी अवसरों पर संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का ध्यान रखा और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार भी इस

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

क्षेत्र के लोगों के हितों को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और उन ताकतों से वार्ता आरंभ करने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी भी मानती है कि उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में वापस नहीं आना चाहिए।

कल ही माननीय गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों से बन्दूक छोड़ने और हिंसा त्यागने तथा वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। नि:संदेह हमारी ओर से महान पहल है। इस अवसर पर यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिजोरम विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के युवाओं को संदेश देगा कि केवल मिजोरम तक सीमित न रहो अपितु संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचो। चाहे कश्मीर में हो, गुजरात में या पूर्वोत्तर क्षेत्र में, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं, भारत की एकता इस प्रकार प्रतिबिम्बित होनी चाहिए कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक गौरव, जातीय आकांक्षाओं, भाषाई व्यवस्था उनके पाठ्यक्रमों में सुस्पष्ट प्रदर्शित हो ताकि वे यह महसूस करें कि उस क्षेत्र का अंग होने के बावजूद वे संपूर्ण देश में समान भागीदार हैं।

जब हम कभी सार्वजनिक मंच पर जाते हैं हम अक्सर आर्यों और अनार्यों या द्रविड़ और आर्यों की बात करते हैं। किंतु हमें इस पूरी अवधारणा को पुनर्परिभाषित करना चाहिए। आर्यों, अनार्यों और मंगोलियन के रूप में हमें भारतीय संस्कृति की मुख्यधारा में सम्मवेत होने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, काफी समय पूर्व जब एक दिन तत्कालीन मुख्य मंत्री लालथन्हवला से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था, "आप सभी नेता बैठकों में जाते हैं और बैठकों को आर्यों और अनार्यों के नाम पर संबोधित करते हैं।" परन्तु आपने कभी भी यह बात नहीं कही कि मंगोलों ने भी भारतीय संस्कृति की मूल मुख्य धारा को स्वीकार करने और उससे समझौता और अपनाने का प्रयास किया था।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में मिजोरम विश्वविद्यालय इन व्यवस्थाओं को पूरा करेगा और राष्ट्र की बागडोर संभालने वाले नवयुवकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मिजोरम से ही देश की विशेष जिम्मेदारियों का निवर्हन करने के लिए युवा प्रतिभाएं उभरेंगी।

अन्त में, मैं आज माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर-पूर्व में एक साहसी नवयुवक था - जब असम—मिजोरम, नागालैण्ड और मेघालय में विभाजित असम नहीं था। उस साहसी नौजवान, श्री टी. आओ ने भारतीय ओलम्पिक फुटबाल टीम के कप्तान के रूप में ओलम्पिक खेलों के मैदान में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था। उनका देहान्त एक वर्ष पूर्व हुआ है। पिछले एक वर्ष में, इस एक वर्ष के दौरान मेरी गतिविधियों के माध्यम से, वे एक बात की मांग कर रहे हैं। महोदय पूरे उत्तर-पूर्व में फुटबाल अत्यंत लोकप्रिय खेल है। उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे बातचीत की।

आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और अन्य व्यक्तियों के नाम पर स्टेडियम बनाते हैं जोकि इस देश के बहादुर नागरिक थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे। हम उन्हें प्रणाम करते हैं।

परन्तु क्या आप इस महान नवयुवक की याद को जीवित नहीं रख सकते हैं, जोकि उत्तर-पूर्व का है, जिसने उन दिनों ओलम्पिक स्टेडियम में भारतीय राष्ट्र ध्वज को उठाया और फहराया था। क्या आप उसकी याद में एक स्टेडियम नहीं बना सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है।

अपराह्न 1.42 बजे

[श्री पी.एच. पाण्डियन *पीठासीन हुए।*]

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय का आभारी हूं। उन्होंने मुझसे परियोजना तैयार करने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर-पूर्व के युवकों तक संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खेलकूद विभाग के अंतर्गत आता है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री को बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उत्तर-पूर्व के नवयुवकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले इस निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी। तब उन्होंने मुझसे पूरी परियोजना को तैयार कर उनसे मिलने को कहा।

पिछले सप्ताह ही, पूर्वोत्तर से कुछ लोग यहां आए थे। मैं उन्हें माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री के पास ले गया। मैंने माननीय गृह मंत्री से कहा कि यदि उग्रवाद की चुनौती और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गृह मंत्री द्वारा जो धनराशि खर्च की जाती है उसे स्वर्गीय श्री टी. आओ की स्मृति में एक उपयुक्त स्टेडियम के लिए समर्पित की जाती है तो मिजोरम विश्वविद्यालय के नवयुवक और नागालैण्ड और मेघालय के नौजवान भी वहां जाकर अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने हमारा राष्ट्र ध्वज फहराया था और ओलम्पिक क्षेत्र में पूरे विश्व में एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था। वे गौरवान्वित भी महसूस करेंगे।

महोदय, मैं यह प्रस्ताव शीघ्र ही माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय को भी भेज रहा हूं। उस क्षेत्र के लोग आए थे और माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री से मिले थे। मैंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय की स्थिति का पक्ष लिया था कि उनका बजट बहुत ही कम है और मैंने माननीय

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया कि माननीय गृह मंत्री इसे विशेष वर्ग में रखें और इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं पूर्वोत्तर की उभरती पीढ़ी और नवयुवकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मैं आशा करता हूं और महसूस करता हूं कि भविष्य में यह मिजोरम विश्वविद्यालय ऐसी विलक्षण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निर्माण करेंगी जो एक मिजो, एक पूर्वोत्तर के निवासी होने पर गर्व करेंगे और अन्ततः एक महान भारतीय सिद्ध होंगे।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): सभापति महोदय, मैं मिजोरम विश्वविद्यालय का गठन करने वाले इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्षपीठ के प्रति आभार व्यक्त करती हूं जोकि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा पुरःस्थापित किया गया है।

महोदय, मैं कुछ शर्तों के साथ विधेयक का समर्थन करती हूं। जैसाकि माननीय सदस्य श्री दासमुंशी ने पहले ही उल्लेख किया कि यह राज्य की समग्र भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय के लिए मिजोरम के लोगों की काफी समय से इच्छा रखते हैं। 1986 के मिजो समझौते के परिणामस्वरूप यह राज्य अस्तित्व में आया था यह बात हम सभी जानते हैं। इस राज्य के गठन के बाद से ही देश के इस भाग के लोग एक विशेष विश्वविद्यालय की अभिलाषा कर रहे थे और स्वप्न देख रहे थे।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए यह सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। जैसाकि हम सब इस बात से अवगत हैं कि वहां पर अभी भी उग्रवाद की समस्या है। मैं समझती हूं - मैं यह नहीं कहती हूं कि केवल यही एक कारण है - पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही उग्रवाद की समस्या का, अन्य बातों के साथ-साथ, एक कारण कुछ हद तक यह भी है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। मैं किसी पर भी दोषारोपण नहीं करती हूं और मैं किसी पर उंगली नहीं उठाती हूं। इसीलिए, अपनी पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

मैं इस संबंध में केवल कुछ ही बातों का उल्लेख करना चाहूंगी। इस समय पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय इस समय मिजोरम राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस विधेयक के पृष्ठ 13 पर, खण्ड 33 में यह उपबंध है "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस तारीख को मिजोरम राज्य के भीतर आता है, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में कोई पद या अधिकारपद धारण कर रहा है या उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो यह समझा जाएगा कि उसे मिजोरम विश्वविद्यालय की सेवाओं में उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर अंतरित कर दिया गया है....."

महोदय, ऐसा किया जाना उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय में सेवारत हैं यदि उन्हें विहित समय सीमा के भीतर उसी विश्वविद्यालय में सेवारत रहने का विकल्प दिया जाता है। यह उन चन्द लोगों के लिए मददगार सिद्ध होगा जो उसी, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय में सेवारत रहने की इच्छा रखते हैं।

अन्य बात जिसे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं इस विश्वविद्यालय की कोर्ट, कार्यकारी परिषद् तथा विद्या परिषद् एवं अध्ययन बोर्ड वास्तव में महत्वपूर्ण निकाय है और समय-समय पर पारित किए जाने वाले अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करें। परन्तु इसमें छात्र प्रतिनिधियों और अध्यापक वर्ग के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि यदि विभिन्न निकायों, जोकि वास्तव में विश्वविद्यालय के भविष्य के कार्यकलाप का निर्णय और निर्धारण करते हैं, को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।

महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहती हूं। यह विधान निश्चित रूप से मिजोरम राज्य के नवयुवकों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाने में सहायता प्रदान करेगा। मेरी शुभकामना है कि यह विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से कार्य करेगा और शैक्षणिक जगत में अपना अलग स्थान बनाएगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, मिजोरम विश्वविद्यालय का गठन एक स्वागतयोग्य कदम है। काफी लम्बे समय से मिजोरम के लोगों की यह चाहत थी। अभी तक वे उच्च अध्ययन के लिए अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मिजोरम में साक्षरता की दर बहुत ज्यादा है। इस प्रकार मिजोरम में ही विश्वविद्यालय होने से राज्य के निवासियों में डाक्टरेट और अन्य उपाधियों को प्राप्त करने की इच्छा में और बढ़ोत्तरी होगी। इससे उन्हें अपनी मिजो भाषा के विकास का भी अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना का उपहार देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यह इस पश्च प्रदेश और देश दोनों के लिए लाभदायक होगा।

यह राष्ट्रीय एकता का भी कार्य है। हमें किसी भी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय एकता का कार्य मानना चाहिए। एक विश्वविद्यालय सभी को शिक्षा प्रदान करता है। एक बार मिजोरम में विश्वविद्यालय स्थापित कर देते हैं तो दूसरी जगहों से भी लोग मिजोरम को जाएंगे। इस विश्वविद्यालय को आरम्भ करने से राष्ट्रीय एकता भी बढ़ेगी। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वागत करता हूं।

श्री चनलाल जावमा (मिजोरम): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मिजोरम से अकेला सदस्य हूं, इस कारण, मैं मिजोरम के लोगों की ओर से बोलना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी को मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे मिजोरम राज्य में अलग विश्वविद्यालय की स्थापना की लोगों की बहुत समय की अभिलाषा और मांग पूरी होगी। मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिजोरम के लोगों की महत्वाकांक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि मिजोरम राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल केवल 21,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी दो-तिहाई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है—पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और म्यनमार है; इसकी केवल एक-तिहाई सीमा ही असम, मणिपुर और त्रिपुरा से लगी हुई है।

मिजोरम 19वीं सदी के अंतिम दशक में ही ब्रिटिश शासन के अधीन आया। अंग्रेजों के आने के साथ ही, ईसाई मिशनरी भी आए और उन्होंने 20वीं सदी के पहले दशक में मिजोरम में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। सौभाग्य की बात है कि, मिजो के लोगों को शिक्षा प्रिय है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया, भारत में हमारे राज्य का शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक है। शिक्षित लोगों का प्रतिशत 95 है, जिनमें से 94 प्रतिशत महिलाएं हैं और 96 प्रतिशत पुरुष हैं। हमें गर्व है कि भारत में हमारे राज्य के शिक्षित जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है।

हमारे राज्य में कोई अलग विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे कालेज पूर्वोत्तर-हिल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं; जिसका मुख्यालय शिलांग में है, जो मिजोरम की राजधानी आयजोल, से 400 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। विश्वविद्यालय के मुख्यालय शिलांग, पहुंचने के लिए हमें असम या मेघालय जाना पड़ता है।

मिजोरम के लोगों को खुशी है कि इस सम्माननीय सभा ने इस विधेयक को पारित किया। माननीय मंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि 23 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा ने यह विधेयक पारित कर दिया। मुझे आशा है कि हम इस विधेयक को पारित कर लेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 1986 में, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शांति समझौते के अनुसार, मिजो नेशनल फ्रंट ने, शांति समझौते की सभी शर्तों और अनुबंधों को जो उसे पूर्ण करनी थी पूरी की, परंतु सरकार ने दो शर्तों को पूरा नहीं किया है उनमें से एक है मिजोरम में अलग विश्वविद्यालय की स्थापना।

उच्च न्यायालय की स्थापना की शर्त को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तथापि, आज, उनमें से एक वचन अर्थात् केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, को पूरा किया जा रहा है। हमें आशा है कि मिजोरम में उच्च न्यायालय की स्थापना का वचन भी शीघ्र पूरा होगा। यह बात उल्लेखनीय है कि भारत के सर्वाधिक शांतिपूर्ण राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है और साथ ही यह आशा करते हैं कि भविष्य में उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जाएगी।

महोदय, मैंने विधेयक को पढ़ा है और उस पर कहने लायक अधिक कुछ नहीं है। परन्तु मैं एक मुद्दे का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। एक सदस्य पहले ही इस बारे में बोल चुके हैं। यह मुद्दा इस विधेयक के पृष्ठ 11 के पैरा 33 में मिजोरम राज्य में एन.ई.एच.यू. के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को दिए गए तबादले के लिए विकल्प के संबंध में है। यह उन कर्मचारियों के बारे में है जो अभी भी एन.ई.एच.यू. में कार्यरत हैं।

मैं इस पैरे को उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

> "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस तारीख को मिजोरम राज्य के भीतर आता है, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के संबंध में कोई पद या अधिकार पद धारण कर रहा है या उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, यह समझा जाएगा कि उसे मिजोरम विश्वविद्यालय की सेवाओं में उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर अंतरित कर दिया गया है जो उसे पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन प्राप्त होते।"

[श्री वनलाल जावमा]

महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री पी.आर. किन्डिया, जो मिजोरम के भूतपूर्व राज्यपाल थे, ने इस धारा में संशोधन के लिए ज्ञापन दिया है। मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और साथ ही मैं, मिजोरम के लोगों की ओर से, भारत के आदरणीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सभी संसद सदस्यों, जो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, को धन्यवाद देता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मुझे मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पर बोलने का अवसर दिए जाने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं भारत के प्रधान मंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और डा. मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री जी का मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी इस महत्वपूर्ण और सार्थक विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, साथ ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि, हालांकि मैं तहेदिल से इस विश्वविद्यालय विधेयक का स्वागत करता हूं, फिर भी मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोडोलैंड के लोगों के लिए भी इस प्रकार की केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की उत्कृष्ट योजना को हाथ में लेकर बोडोलैंड के लोगों को भी इस प्रकार का और समान न्याय प्रदान करें। इसका कारण यह है कि हमारे साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो या क्षेत्रीय हो भेदभाव किया गया है।

महोदय, अपने बात के समर्थन में मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सात राज्य हैं। निःसंदेह, इस प्रस्तावित मिजोरम विश्वविद्यालय को जोड़कर सात राज्यों के लिए दस विश्वविद्यालय हैं। भारत सरकार ने शिलांग में नार्थ-ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय के नाम पर पहले ही एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

अपराह्न 2.00 बजे

दूसरा विश्वविद्यालय सिल्चर, असम में असम केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तीसरा विश्वविद्यालय, तेजपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना था। यह भी असम के बोडोलैण्ड क्षेत्र के बाहर स्थित है। एक अन्य विश्वविद्यालय नागालैंड विश्वविद्यालय है वह भी बोडोलैण्ड क्षेत्र से बाहर है। एक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, उसका नाम शायद, मणिपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय है वह भी बोडोलैण्ड क्षेत्र से बाहर स्थित है। मिजोरम विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला छठा विश्वविद्यालय है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार 'राज्य विश्वविद्यालय' हैं। एक है गुवाहाटी विश्वविद्यालय जो बोडोलैण्ड क्षेत्र से बाहर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। दूसरा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय है और वह भी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अरूणाचल प्रदेश राज्य का अपना अलग विश्वविद्यालय हैं। त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य में भी अलग विश्वविद्यालय है। परन्तु जनजातीय बोडो लोगों के लिए, जिसकी जनसंख्या प्रस्तावित बोडोलैण्ड राज्य में 35 लाख से कम नहीं है और समूचे भारत में भी लगभग 70 लाख बोडो रहते हैं, केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में भेदभाव किए जा रहे हैं।

मैं भारत सरकार से, विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी जी से जो यहां बैठे हुए हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोडोलैण्ड क्षेत्र में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत सकारात्मक और व्यावहारिक नीतिगत निर्णय लें। अन्यथा, सरकार का हमें देश के अन्य भागों के समकक्ष लाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास की बात कर रही है। हाल ही में, उसने इस क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। परन्तु हमारे लिए, बोडोलैंड के लिए, सरकार ने केवल 30 करोड़ रुपये की घोषणा की है और वह भी केवल तीन सालों के लिए। तीन साल के लिए ही घोषणा क्यों की गई?

[हिन्दी]

बड़े ताज्जुब की बात है, दिल तोड़ने की बात है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बोडोलैंड एरिया के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमको भी इक्वल जस्टिल मिलना चाहिए और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बहुत शीघ्र ही हमारे बोडोलैंड एरिया के लिए भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। हिन्दुस्तान के लीडर्स बोला करते हैं कि हिन्दुस्तान के कोष में रुपये की कमी नहीं है,

[अनुवाद]

यदि यही स्थिति है, तो भारत सरकार कुछ करोड़ रुपये खर्च करके बोडोलैण्ड क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं करती? यदि सरकार हम लोगों के प्रति इतनी ही उदार है तो, उन्हें इस अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन

है कि जब तक सरकार बोडोलैण्ड के लोगों की इस वास्तविक मांग को स्वीकार नहीं करती, हम कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह स्वागत योग्य कदम है। मैं पुन: निवेदन करता हूं कि सरकार को बोडो क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए, ऐसा नीतिगत निर्णय लेना चाहिए जो बोडोलैण्ड के लोगों के हित में भी हो।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सम्माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल हमारे सामने राज्य सभा से पारित होकर मिजोरम केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पूर्वांचल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय काफी दिनों के बाद स्थापित किया जा रहा है, उसके लिए मैं श्री मुरली मनोहर जोशी जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे कई साथियों ने सदन में अपनी-अपनी बात रखी है। खासकर मिजोरम इलाके के नौजवानों को दूसरा रास्ता न अपनाना पड़े, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। हिन्दुस्तान में कई ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनकी स्थिति खराब बनी हुई है। उनको देखने से ऐसा पता चलता है कि भारत सरकार को, खासकर मानव संसाधन विकास मंत्री जी को इस पर मुस्तैदी से विचार करना होगा। यह विधेयक कुछ ही घंटों में संसद से स्वीकृत होकर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और एक्ट के रूप में ले लेगा। इसमें लगभग 47 खण्ड हैं। उनमें बताया गया है कि एकेडेमिक कौंसिल होगी, सीनेट होगी और सिंडीकेट होगी। लेकिन आज हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों की जो हालत है उसमें सीनेट और सिंडीकेट नहीं बन पाती हैं।

अपराह्न 2.06 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

वाइस-चांसलर अपने मन से जिस तरह से यूनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं और चलाते भी हैं। चाहे वह बनारस की हिन्दू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह, माननीय प्रधान मंत्री जी अब उनकी हाल ही में की गई मॉरिशस यात्रा के संबंध में वक्तव्य देंगे। आप उनके वक्तव्य के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी, कृपया आप बोलिए।

अपराह्न 2.07 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): महोदय, जैसा कि सदन को विदित ही है, मॉरीशस और भारत के बीच घनिष्ठ और पारस्परिक संबंध हैं। यह संबंध समय-समय पर उच्च-स्तर पर हुए दौरों से मजबूत होता रहा है। मुझे मॉरीशस के प्रधान मंत्री डा. नवीन चन्द्र रामगुलाम द्वारा नई सहस्राब्दि में अपने देश के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह इस बात का प्रतीक है कि मॉरीशस के नेताओं और लोगों ने महात्मा गांधी जी के डाँडी नमक मार्च की याद में 12 मार्च का दिन अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना। यह महात्मा गांधी के मूल्यों और भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिनाँक 10-12 मार्च को मेरी यात्रा से मॉरीशस के साथ उच्च-स्तर पर संपर्कों को नई दिशा प्रदान करने तथा हमारे उन विशेष मैत्रीपूर्ण संबंधों को जारी रखने का अवसर मिला है जो हमारे धर्म, भाषा, संस्कृति, हमारी साझी सभ्यता और विरासत की ठोस बुनियाद पर आधारित है।

मॉरीशस में अपने प्रवास के दौरान मैं वहां के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति तथा असेम्बली के अध्यक्ष एवं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिला। उनके साथ हुई बातचीत से द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी गहरी समझ और हमारा समान दृष्टिकोण और प्रगाढ़ हुआ है जो कि हमारे संबंधों की विशेषता है। हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को मॉरीशस की सरकार और जनता के साथ बाँटें। मेरी यात्रा के दौरान व्यापार और वाणिज्य, और सूचना-प्रौद्योगिकी तथा 9 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के समुद्री तटों की निगरानी करने वाले उपकरणों की आपूर्ति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के तीन समझौतों पर तथा समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे आपसी सहयोगपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे।

यात्रा के दौरान यह भी घोषणा की गई कि पोर्ट लुई और चेन्नै के बीच सीधा हवाई मार्ग स्थापित किया जाएगा। इस घोषणा की मॉरीशस के लोगों ने काफी सराहना की।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यात्रा के दौरान मुझे मॉरीशस में इन्दिरा गांधी भारतीय संस्कृति केन्द्र, जिसकी हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की सहायता से स्थापना की गई है, का उद्घाटन करने का भी अवसर मिला। इस नए कॉम्प्लैक्स से हमारा द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अधिक सुदृढ़ होगा। आशा है कि यह केन्द्र सांस्कृतिक कार्यकलापों के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरेगा जिससे इस क्षेत्र का भारतीय समुदाय लाभान्वित होगा।

प्रधान मंत्री श्री रामगुलाम के साथ मुझे मॉरीशस के उत्तरी भाग में ईलोट गाँव में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के नाम पर एक शैक्षिक व सांस्कृतिक संस्थान की आधारशिला रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान देगी। इस अवसर पर मेरे सम्मान में एक नागरिक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं को कायम रखते हुए मैंने मॉरीशस के लोगों को यह आश्वासन दिया कि उनकी जरूरत के समय भारत, मॉरीशस के लोगों का सदा साथ देगा।

इस दौरे से हमारे द्विपक्षीय सबंधों, जो निस्संदेह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और परस्पर गहरी समझ का एक शानदार उदाहरण है, को सुदृढ़ करने में और अधिक सहायक सिद्ध होंगे। सरकार की यह नीति होगी कि इस संबंध को भविष्य में भी निरन्तर बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुंद): हम तो आपके हिन्दी के भाषण सुनने के लिए तरसते रहते हैं। कभी-कभी अंग्रेजी के बाद हिन्दी में भी बोल दिया करिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन भी भारत यात्रा पर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इससे कैसे संबंधित है?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : हम इस यात्रा के सफल संपन्न होने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हम सब इस यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है कि यह एक यादगार अवसर होगा और भारत-अमरीका संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी।

अपराह्न 2.12 बजे

मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक—*जारी*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पर अपनी बात सदन के सामने रख रहा था। मैंने कहा कि यह कुछ ही क्षणों में एक्ट का रूप ले लेगा। लेकिन मुझे भय है कि आज सारे हिन्दुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज की स्थिति है, चाहे वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, वे राजनैतिक अखाड़ा बनते जा रहे हैं। मैं आदरणीय जोशी जी से निवेदन करूंगा कि जिस पर्पज से वहां के लोगों की मांग थी, काफी दिनों के बाद आपने उसका सही रूप में पालन करने का प्रयास किया है। आप इस पर निगरानी रखेंगे, इसका डैमोक्रेटिक रूप रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा न हो कि अहैया खां की तरह एक हाथ में यह संस्था चली जाये और वह संस्था सद्गुण देने के बदले दुर्गुण देने का काम करें। मैं पुन: आपको बधाई देता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि सदन को यह जानने का हक होगा कि यदि यह एक्ट का रूप ले और जब आपने इसका विधिवत् उद्घाटन किया तो सही रूप ले और वहां सीनियर सिंडिकेट एकेडैमिक काउंसिल ये सारी संस्थाएं वहां फंक्शन करें। यह अच्छी यूनिवर्सिटी का रूप ले। जो पूर्वांचल के लोग रास्ते से भटक गये हैं, वे सही रास्ते पर आ सकें और भारत सरकार को अपनी नयी दिशा दे सकें, यह हमारी शुभकामना है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह - अनुपस्थित। चूंकि और किसी सदस्य का नाम बोलने वालों की सूची में नहीं है अत: मैं अब माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि इस विधेयक का सभी ने सर्वसम्मति से समर्थन किया है। 1986 में एक त्रिपक्षीय समझौता भारत सरकार, मिजो नेशनल फ्रंट और मिजोरम की सरकार के बीच में हुआ था जिसके अनुसार वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी। यह बात 1986 में तय हुई थी लेकिन अनेक कारणों से मिजो एकॉर्ड के इस पक्ष का क्रियान्वयन नहीं किया गया। मौजूदा सरकार ने उत्तर पूर्वांचल के लिए शिक्षा के

क्षेत्र में भी और सामान्य तौर पर वहां की आर्थिक उन्नति के लिए भी बहुत ध्यान दिया था।

अभी श्री बैसीमुथियारी ने बताया कि पूरे उत्तर-पूर्वांचल के विकास के लिए दस करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार उत्तर-पूर्वांचल के विकास की तरफ ध्यान दे रही है। उनकी शिक्षा के विकास के लिए भी पूरी तौर पर प्रतिबद्ध है। यह भी बताया कि ग्यारह विश्वविद्यालय इस उत्तर पूर्वांचल में काम कर रहे हैं, जिनमें छह केन्द्रीय सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। साथ ही वहां गोवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, जो उस क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है। हमारा अनुमान है कि पूरे प्रयत्नों को मिलाकर हम उत्तर पूर्वांचल की शिक्षा, चाहे सामान्य शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, उसको पूरा करेंगे।

अपराह्न 2.16 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*)

महोदय, मिजोरम में निसन्देह पिछले वर्षों में.....

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोवराझार): बोडोलैंड के बारे में क्या कहना है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह मिजोरम से संबंधित बिल है। मिजोरम में शिक्षा के मामले में आशातीत प्रगति हुई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं, केरल हमारे देश का सबसे अधिक शिक्षित राज्य था, इस राज्य को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब मिजोरम में 95 प्रतिशत लोग शिक्षित है। यह राज्य अब इस देश का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। इसलिए जब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, तो उन्हें कुछ-न-कुछ लाभांश मिलना ही चाहिए था और इसीलिए हमने सोचा कि वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद मिजोरम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करेगा। वहां के विद्यालयों और महाविद्यालयों को संबंधित करेगा, उसकी स्थापना हो जाएगी। अभी यह कहा गया कि इस विधेयक में इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि अध्यापक या अन्य कर्मचारी, जो अभी तक पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, उन्हें इसके बाद कहां रखेंगे - पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय में ही रखना चाहेंगे या इस नए विश्वविद्यालय के साथ संबंधित होना चाहेंगे? इस संबंध में किसी ने प्रस्ताव पेश नहीं किया है, कोई संशोधन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन माननीय सदस्य ने यह बात कही है, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यही सवाल नागालैंड के समय में भी आया था तो कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। पहली कठिनाई तो यह होगी, जो मिजोरम के संबंध में आएगी, कि यदि ये अध्यापक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे और पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय में रहना चाहेंगे, तो वहां उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। नागालैंड विश्वविद्यालय में संख्या अभी अधिक है, क्योंकि पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित संख्या ही स्वीकृत है। इनकी संख्या सरप्लस हो जाने से कठिनाइयां पैदा होंगी। दूसरी बात, इनके लिए पैंशन और अन्य सेवी की शर्तें हैं, उनकी व्यवस्था कर दी है। वही सेवायें जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मिलनी थीं, वहीं इनको भी मिलेगी। इनके तमाम भविष्य की सुरक्षा का हमने ख्याल रखा है। मैं बता दूं, 1994 में, जिस समय नागालैंड विश्वविद्यालय बना था, उस समय पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय में जो लोग रह गए थे, वे आज तक सरप्लस बने हुए हैं। उनको कहां रखा जाए या किस जगह पर लगाया जाए, यह निश्चित नहीं हो सका है। हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, सरकार को उम्मीद है और मैं समझता हूं कि यह ठीक है तथा अध्यापकों के हित में भी है कि मिजोराम सैन्ट्रल विश्वविद्यालय के अंगीभूत बने रहें। उसी में कर्मचारियों और अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि ये संस्थायें कैसे काम करेंगी? डैमोक्रेटिक होनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे संस्थायें डैमोक्रेटिकली काम करें। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सभी संस्थायें काम कर रही है और इसी को ध्यान में रख कर यह बिल बनाया गया है। इसमें कोई फर्क नहीं किया गया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं, कभी कोई एकाध घटना की चर्चा उपकुलपति के बारे में आई हो, तो आई हो, लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सामान्य तौर पर सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थायें विधिवत् काम कर रही हैं।

उनमें हमने यह कभी नहीं सुना कि बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग नहीं हुई या एकैडमिक कौंसिल की या एग्जिक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग नहीं हुई। वह बराबर काम कर रही हैं। जहां यह सवाल उठाया गया कि उनमें छात्रों का या अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस पर विश्वविद्यालय को अपने परि-नियम बनाने की स्वतंत्रता है। अगर कोई अनुभवी आयोग और विश्वविद्यालय की तरफ से कोई प्रस्ताव होगा तो अवश्य सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। हमारा इस बात से कोई विरोध नहीं है। फिलहाल वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और बेहतर यह होगा कि ऐसी वहां व्यवस्था की जाये जिससे

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

विश्वविद्यालय ठीक तरह से चल सके। जिन परिस्थितियों में यह विश्वविद्यालय बना है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी व्यवस्था को किया है। यह विश्वविद्यालय एक तरह से कंफिलिक्ट रैजोल्यूशन की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है। देश में जहां कहीं भी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक या अन्य किसी तरह का तनाव है, उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और हम दूर करने में सफल भी हुए हैं।

हमारे मित्र ने बोडोलैंड के बारे में एक सवाल उठाया कि बोडोलैंड में भी एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय तो एक समझौते के तहत बना है और मैं समझता हूं कि इसमें बोडोलैंड का प्रश्न नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बोडोलैंड के बारे में सदन विचार करेगा। वहां के लोगों से, मित्रों से चर्चा होती रहती है और हम चाहेंगे कि वहां पर भी तनाव जल्दी से जल्दी दूर हो और उत्तर-पूर्वांचल में पूरी तरह से शांति-स्थापित हो जाये और वह सारा का सारा क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रगति में बराबर का भागीदार बने।

एक सवाल यह उठाया गया कि मंगोलाइट ओरिजन के जो लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने जैसा पहले बताया हमारी सरकार तमाम तबकों के लिए जो इस देश में रहते हैं और देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए सतत् प्रयास करेगी। हमारे वैज्ञानिक लोग इन क्षेत्रों के लिए विज्ञान के पैकेज बना रहे हैं जिससे वैज्ञानिक उपलब्धियां उन तक पहुंचाई जायें और उनका जीवन आधुनिक विज्ञान की सहायता से अधिक उन्नत हो सके। किसी क्षेत्र को हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा इरादा भारत के प्रत्येक समूह को भारत की मुख्य धारा से जोड़कर 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करने का है। इस दृष्टि से भी आप देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो यह चाहता था कि यह विधेयक हम 1999 के अंत में जब सदन समाप्त हो रहा था तभी पारित करके मिजोरम की जनता को उपहार स्वरूप प्रदान करते। लेकिन राज्य सभा में पारित हो जाने के बाद इसे इस सदन में प्रस्तुत किया गया, परन्तु उस समय यह किसी कारणवश पास नहीं हो सका। अब भी मेरी इच्छा यह थी कि जिस दिन यह सदन शुरू हुआ, पहले ही दिन हम इसे विधेयक के रूप में रखें और पास करें और मिजोरम की जनता को एक नया उपहार दें। लेकिन फिर आज जब सत्र का आखिरी दिन है सदन ने उचित समझा कि इस पर बहस की जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप इसको पारित करेंगे और राज्य सभा में जो थोड़ा संशोधन है, इसको वहां ले जाने के बाद यथाशीघ्र हम इसे देंगे और नये वर्ष तथा नयी शताब्दी का उपहार हम मिजोरम के लोगों को दे सकेंगे।

मेरा सुझाव होगा कि सदन इस महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहूंगा। इस विधेयक का तो हम सभी सर्वसम्मति से समर्थन कर ही रहे हैं। माननीय जोशी जी को मैंने एक पत्र लिखा था कि खजुराहों में जिस तरह से यह आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो पाषाण शिल्प की हमारे देश में एक परम्परा रही है और अनेक वर्षों में इसमें अनेक परिवर्तन भी आये हैं और विकास भी हुआ है। लेकिन उस परम्परा का ह्रास भी हुआ है। मैंने अनुरोध किया था कि वहां पाषाण शिल्प को संरक्षित करने के लिए और उसको और अधिक विकसित करने के लिए एक अकादमी की स्थापना आप करें। तो इस देश के कल्चर के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह आपसे एक निवेदन है। आप इस पर विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपने जो बात कही, वह मैं संस्कृति मंत्री तक पहुंचा दूंगा क्योंकि मेरे पास संस्कृति विभाग नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अपने उत्तर में मंत्री जी ने बोडोलैंड का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

श्री सानजुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): हमने बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के मुद्दे को इसके साथ मिक्स अप नहीं किया था। भारत सरकार से मांग की है कि इसके लिये एक यूनिवर्सिटी हेतु बिल पारित करे। यह आज, नहीं तो कल या परसों अतिशीघ्र बोडोलैंड ऐरिया के लिये एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिये बिल पारित करने के लिये आग्रह कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपने अभी डिबेट में भाग लिया है, भाषण भी किया है। अभी इस बिल को खत्म होने दे, यह बात आगे के लिये रखें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि मिजोरम राज्य में अध्यापन और संबंद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 8 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री ए.डी.के. जयशीलन - अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री पी.आर. किंडिया - अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 47 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : खंड 1 में एक सरकारी संशोधन है।

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"1999" के *स्थान* पर "2000" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(डा. मुरली मनोहर जोशी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अधिनियमन सूत्र में एक सरकारी संशोधन है।

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"पचासवें" के *स्थान* पर "इक्यावनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(डा. मुरली मनोहर जोशी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.31 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर पर्चियों पर उन संशोधनों का क्रमांक लिखकर सभापटल तक पर्चियां पहुचाएं जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा। उसके कुछ समय बाद उन संशोधनों के क्रमांकों की सूची सूचना पट पर लगा दी जाएगी। जिन्हें प्रस्तुत किया माना जाएगा। यदि कोई सदस्य इस सूची में कोई त्रुटि पाता है तो वह तुरंत पटल कार्यालय के ध्यान में लाएं।

अपराह्न 2.32 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-
>
> 'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 23 फरवरी, 2000 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।' ''

सभापति महोदया, हमारे संविधान में लिखा है कि प्रतिवर्ष बजट अधिवेशन के प्रथम दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है जिस पर संसद चर्चा करके देश के हालात का लेखा-जोखा करके विचार करती है। देश की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा होती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी देश के लिए दिशा-निर्देश देते हैं। संसदीय प्रणाली की यही एक विशेषता है। परंतु इस बार राष्ट्रपति जी का अभिभाषण 23 फरवरी को हुआ। 25 फरवरी से यह प्रस्ताव पेश करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं और आज तीन सप्ताह के बाद जबकि इस सत्र का प्रथम चरण खत्म हो रहा है, आज उसके अंतिम दिन मैं उसको पेश कर रहा हूं।

सभापति महोदया, आज प्रात: जिस समय स्टील के बारे में चर्चा हो रही थी, यह प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जैसे सरकार ही जिम्मेदार है। उस समय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यह किसके पाप हैं। यह आज ही नहीं हुआ है। जब अटल जी मार्च 1998 में प्रधान मंत्री बने तो प्रधान मंत्री की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद ही सत्र हुआ, अभिभाषण हुआ, बहस शुरू हुई तो उधर से सभी पार्टियों की तरफ से आवाज आई की वाजपेयी के नेतृत्व में देश बरबाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, कुछ नहीं है, गरीबी बढ़ रही है। आज भी वही हुआ। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। वह कहानी इस प्रकार थी - एक बाबू जी दफ्तर से घर वापस आये, थके-मांदे थे, इसलिए बैठ गये। उनकी पत्नी चाय बनाने के लिए रसोई में गई। जब आदमी खाली बैठता है तो टेबल पर जो भी कागज होता है, उसे पढ़ना शुरू कर देता है। वह बाबू जी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कुछ कागज पड़े हैं, उनमें स्कूल की रिपोर्ट बुक भी थी। उन्होंने उसमें देखा कि अंग्रेजी विषय में सौ में से जीरो नम्बर, हिन्दी में सौ में से आठ नम्बर, अर्थमैटिक में सौ में से 10 नम्बर, सभी सब्जैक्ट में फेल, उस पर लाल स्याही से लाल निशान लगा हुआ था वैरी पूअर परफार्मेन्स। उनका बेटा गली में खेल रहा था। उसने सुना पिता जी आये हैं तो भागकर पिता जी के पास आया और आकर उनकी गोद में बैठ गया। बाबू जी ने तीन-चार चांटे लगाये और बोले बड़ा बदमाश है, नालायक है, गधा है, पढ़ता नहीं है, सारा दिन खेलता रहता है। बेटा हक्का-बक्का हो गया। सोचा कि मैं तो प्यार प्राप्त करने आया हूं और पिता जी ने आते ही तीन-चार चांटे लगा दिये हैं, बेचारा रोने लगा। जब पत्नी ने रसोईघर में आवाज सुनी तो वह भागकर आई और पति से पूछा कि यह तो आपका प्यार प्राप्त करने के लिए आया था, आपने आते ही इसे चांटे मार दिये, इसका कसूर क्या था। पति बोले कसूर पूछती हो, देखती नहीं हो, सब सब्जैक्ट में फेल हैं। किसी में जीरो, आठ, दस 12 नम्बर हैं। जब पति महोदय बोल रहे थे तो पत्नी मुस्करा रही थी, जब वह बोल चुके तो पत्नी ने कहा - हुजूर इसे ध्यान से पढ़िये, आज जब मैं ट्रंक साफ कर रही थी तो मुझे यह पुरानी स्कूल रिपोर्ट बुक मिली और इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। यह आपकी रिपोर्ट है। इसलिए हम अपने मित्रों से कहते हैं कि आज जो देश की हालत है, जिसका मैं अभी वर्णन करूंगा, यह किसकी रिपोर्ट है।

सभापति महोदय, हमें 1947 में आजादी मिली और सैकिंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म हुआ। उस लड़ाई में जापान, जर्मनी, इटली हार गये। जापान बिल्कुल तबाह हो गया, बरबाद हो गया।

जापान पर एटम बम गिराये गये तथा दूसरे तरह के इतने अधिक बम गिराये गये कि जापान की एक एकड़ भूमि भी समतल नहीं रही। वह बिल्कुल बरबाद हो गया, पार्लियामेंट, इंडस्ट्रीज आदि सब खत्म हो गये। मेरा कहना यह है कि जापान ने अपनी उन्नति की यात्रा 1945 में जीरो से शुरू की। 1947 में हम आजाद हुए। लेकिन हमने अपनी यात्रा जीरो से शुरू नहीं की। हमारे देश के बारे में यह कहा जाता है - भारत एक समृद्ध देश है किंतु यहां के लोग गरीब हैं। भारत एक धनी देश है पर इसके रहने वाले गरीब हैं। यह सवाल हम इकोनोमिक्स में सोल्व किया करते थे। *...(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल : जापान को अमरीका ने कितनी ज्यादा मदद दी थी, जिसके कारण वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ।

सभापति महोदय : अभी उन्हें बोलने दीजिए, आप बाद में इसका रिप्लाई कीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : आपने चार लाख करोड़ रुपये की सहायता ली है। सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि जापान ने जीरो से शुरू किया था और आज आर्थिक दृष्टि से वह दुनिया में तीसरे नम्बर पर है और हमारा देश जिसमें प्राकृतिक साधन आदि सब कुछ थे। हमारे पास भूमि बड़ी उपजाऊ थी। हमारे पास नदियों का एक जाल बिछा हुआ था, पहाड़ थे, हमारे पास लोहा, कोयला आदि की सब तरह की खानें थीं। लेकिन आज हम दुनिया में 136वें नम्बर पर हैं। जापान के लोगों ने राष्ट्रीयता के साथ काम किया। इस देश को मैंने बनाना है, यह भावना लोगों में भरी गई, वह है कारण। कर्जा कारण नहीं है। जितना कर्जा हमने लिया है, उतना कर्जा उसने नहीं लिया होगा।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : हम दो सौ वर्ष तक गुलाम थे, लेकिन जापान कभी गुलाम नहीं था।

श्री मदन लाल खुराना : आप बाद में बोलियेगा। क्या आप इसे ठीक मानते हैं कि हिंदुस्तान में ठीक प्रोग्रेस हुई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं।

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए, उन्हें क्यों एड्रेस करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं किंतु आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): पश्चिम बंगाल में भी यही किया जा रहा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें। उन्हें प्रस्ताव पेश करने दो। आपको भी मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदया, इस देश की यह हालत हो गई है कि जब इस देश में गर्मी पड़ती है, तो हमको सुनाई देता है कि लोग गर्मी की वजह से मर गए। जब सर्दी पड़ती है, तो हमें अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलता है कि लोग सर्दी से मर गए। जब बरसात होती है, तो हमें सुनाई पड़ता है कि लोग वर्षा या बाढ़ से मर गए। यह अजीब देश है जहां लोग, गर्मी, सर्दी और वर्षा से मर जाते हैं। देश की स्थिति यह है कि यहां जो 34 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनको पहने के लिए हम कपड़ा नहीं दे पाए, सिर ढकने के लिए झोंपड़ी नहीं दे पाए। जो पानी हमारे नदी नालों में बहता है, उनका मुंह हम अपने खेतों की तरफ नहीं मोड़ पाए और जिससे खेतों की सिंचाई हो पाती। आज उनका पानी समुद्र में जाकर बेकार हो रहा है।

सभापति महोदया, इस देश में पिछले सालों में जो अन्य दलों की सरकारें रहीं, उनमें मुख्य रूप से कांग्रेस की ही सरकार ज्यादा रही। मैं ज्यादा नहीं सिर्फ दो उदाहरण दूंगा - एक तो हमारा किसान कितनी मेहनत करके अनाज पैदा करता है और उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते। आज बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां कालाहांडी जैसे क्षेत्र में एक बोरी अनाज के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। यह तस्वीर हमारे सामने आई है। देश के अनाज को एफ.सी.आई. हैंडल करती है, खरीद-फरोख्त करती है और पूरे देश में पहुंचाने का काम करती है उसके बारे में सी.ए.जी. ने 1997 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एफ.सी.आई. ने कागजों में जितना अनाज दिखाया है वास्तव में उतना अनाज गोदामों में नहीं है। इसकी जरा जांच करा लीजिए। सरकार ने कहा कि आप जांच करें, तो सी.ए.जी. ने कहा कि हम इसकी जांच नहीं कर सकते। भारत सरकार ने विदेशी एजेंसी को भारत के अंदर कार्यरत संस्था भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की जांच करने का कार्य सौंपा जिसका नाम एस.जी.एस. है। उससे जांच कराई और इस कार्य के लिए उस एजेंसी को 11 करोड़ रुपए दिए गए। यानी एक विदेशी कंपनी को कहा कि आप हमारे देश में आइए और हमारे एफ.सी.आई. गोदामों के अंदर कितना अनाज कम है उसकी जांच करके बताइए। मुझे मालूम पड़ा है उस कंपनी ने भी अपनी जांच में 4.7 लाख टन अनाज कम पाया। यदि आठ रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कीमत लगाएं तो 375 करोड़ रुपए का अनाज कम पाया गया।

[श्री मदन लाल खुराना]

सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज कहां चला गया, एफ.सी.आई. का कहना है कि जांच कैसे हुई। अभी हमारे खाद्य मंत्री ने दिल्ली के निकट गोदामों पर छापे मारे और पाया कि 21 हजार टन चावल बदबूदार और खराब पाया गया। वह खाने लायक नहीं है। यह सब महोदया मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसान जिस अनाज को इतनी मेहनत से पैदा करता है, उस अनाज का रख-रखाव ठीक प्रकार से न हो पाने और ठीक प्रकार से उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाने के कारण नष्ट होता है और उपभोक्ता भूख से मर रहा है। यह देश की अवस्था पिछले 50 सालों के कांग्रेस कुशासन के कारण चली आ रही है।

अपराह्न 2.44 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, देश के एफ.सी.आई. की कितनी दुरावस्था है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1994 में 400 करोड़ रुपए का धान लगभग 400-500 मिलों को दिया कि उसने चावल निकाल कर प्रौसेस करिए, लेकिन आज तक उन मिलों ने एक किलो पैडी भी चावल बनाकर एफ.सी.आई. को वापस नहीं किया है। महोदय, मेरी आपके माध्यम से डिमांड है कि इसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाए।

सभापति महोदय, यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस अनाज को किसान इतनी मेहनत से पैदा करता है, जिसे उपभोक्ता के पास जाना चाहिए, जो गरीब के पास पहुंचना चाहिए, रख-रखाव के अभाव में या चोरी चले जाने के कारण उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच पाता है, यह स्थिति कांग्रेस के कुशासन के कारण हो गई है। अभी शुक्ल जी कह रहे थे कि बहुत लोन मिला है। मैं बताना चाहता हू कि इस देश ने पिछले 50 साल में 4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी लोन लिया है और देशी लोन अलग है। भारत विदेशों से लिये गये कर्ज पर जो ब्याज देता है, वह 90 हजार करोड़ रुपये है। पिछले ऋण की किश्तों की वापसी हर साल 1 लाख सात हजार करोड़ रुपये है अर्थात् प्रतिवर्ष ऋण और किश्तों को मिलाकर 1 लाख 97 हजार करोड़ रुपये दिया जाता है। यह रुपया हर साल किश्तों के रूप में दिया जाता है। देश की कुल आय जो हम टैक्सों से वसूल करते हैं, वह 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपये है और जो हम ब्याज देते हैं, किश्तें देते हैं, वह 1 लाख 97 हजार करोड़ रुपये है। आज हमारे जो नॉन परफोर्मिंग ऐसेट्स हैं, मार्च 1997 में बैंक के बट्टे-खाते में जो राशि दिखाई गई है, वह 91 हजार करोड़ रुपये है तथा अन्य दूसरी वित्तीय संस्थाओं में 27 हजार करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर 78 हजार करोड़ रुपये हम बट्टे-खाते में डाल चुके हैं जिसकी वापिसी नहीं होनी है। यह आज देश की स्थिति है। 1991-92 में नॉन प्लान एक्सपेंडीचर 80 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख 6 हजार 882 करोड़ रुपये हो गया। मैं आपको बता रहा था कि यह देश की तस्वीर है। पिछले 50 सालों के शासन के दुष्परिणामों को हमको आज भुगतना पड़ रहा है। जैसे मूलभूत प्राथमिकताओं की उपेक्षा हुई। उदाहरणार्थ लोगों की गरीबी बढ़ी और सभी नागरिकों के लिए पेयजल, बुनियादी शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पाई। अनिवार्य परिहार्य गलतियां की गई। 50 वर्ष पुरानी कश्मीर समस्या, उत्तर पूर्व में तथा देश के अन्य भागों में उग्रवाद की समस्या गंभीर बन गई है। अर्थव्यवस्था में कुप्रबंध छाया रहा। बाह्य और आंतरिक ऋण का अम्बार रहा जिसके कारण केन्द्र के संसाधनों पर बुरी तरह से दबाव पड़ा। इससे भी बढ़कर विभिन्न स्तरों में कुशासन चलता रहा जिसके कारण नीतियों, कार्यक्रम के निर्माण और उसे लागू करने में बार-बार समस्यायें उत्पन्न हुईं। भ्रष्टाचार और नौकरशाही के कारण ये समस्यायें उत्पन्न होती रहीं और लोगों का भ्रम टूट गया।

स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी देश की आधी जनसंख्या विकास के लाभों से वंचित रह गई, यह दुख की बात है। आज जब भारत नई सदी में प्रवेश कर रहा है तब 35 फीसदी से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, लगभग 50 फीसदी लोग अनपढ़ हैं, 40 फीसदी लोगों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। 70 फीसदी लोगों को स्वच्छता की सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। बुनियादी ढांचे के विकास ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): खुराना जी, क्या आप कोटेशन पढ़ रहे हैं?

श्री मदन लाल खुराना : मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं। जहां हमारे मेहनती किसानों के रिकार्ड बने, जैसा मैंने अभी कहा कि रिकार्ड तोड़ उत्पादन किया, वहीं खेती, सिंचाई, कृषि, उद्योगों, कारीगर और शिल्पकारों के प्रति असीम उपेक्षा के कारण आज ग्रामीण भारत पिछड़ेपन की गर्त में चला गया। आज सामाजिक और बुनियादी ढांचा, कृषि तथा सिंचाई के विकास के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भारत की कम उपलब्धियां और भी प्रकट रूप से दिखाई पड़ती हैं। हमारी राजनीतिक संस्कृति पिछले 50 वर्षों के अंदर प्रदूषित हुई है। 1947 से पहले राजनीति त्याग और तपस्या का चिह्न होती थी। जो लोग आजादी चाहते थे, उनके घर नीलाम होते थे, जो लोग फांसी के फंदे को चूमते थे, जेलों में जाते थे, वे अपना सब घरबार तबाह करते थे। अगर मैं यह कहूं कि आजादी से पहले उन दीवानों ने जो कहा था:-

कबीरा खड़ा बाजार में, लकुटी थामे हाथ
जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ।

यह नारा होता था क्योंकि उस समय आजादी लेना लक्ष्य होता था। आजादी की लड़ाई में शामिल होना, राजनीति में आना एक तपस्या मानी जाती थी, त्याग माना जाता था। 1947 तक यह रहा। 1947 के बाद सत्ता के दलाल, सत्ता के गलियारे में आये। उसके बाद सत्ता और राजनीति का व्यापारीकरण शुरू हो गया। उसके बाद अपराधीकरण शुरू हो गया। बाद में उन अपराधियों ने सोचा कि नेता लोग हमारे कंधों पर आते हैं तो हम ही नेता क्यों न बन जाएं। अब जेलों में रहने वाले अपराधियों को टिकट मिलने शुरू हो गए। इस तरह से इस देश में राजनीति को प्रदूषित किया गया। इसका परिणाम यह है कि 1947 से पहले जो राजनीति पवित्र मानी जाती थी, आज राजनीति में हम शामिल हैं, यह कहते हुए हमें लज्जा आती है क्योंकि आज राजनीति समाज की दृष्टि से इतनी प्रदूषित हो गई है। प्रशासन की इस दुखद गाथा का सीधा प्रभाव यह पड़ा है कि राजनैतिक आचरण का स्तर धीरे-धीरे गिरता चला गया। हमें अपने देश के संविधान पर गर्व है। हमें इस बात का गर्व है कि हम लोकतंत्र को ऐसे समय में हर तरफ से बचाने में सफल रहे हैं। आज अनेक राजनेताओं के लिए राजनीति राष्ट्र की सेवा का माध्यम नहीं रह गया है। उनके लिए शासन लोगों की सेवा की जिम्मेदारी नहीं है। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, गुटबंदी, कलह और राजनैतिक पार्टियों के बीच असहयोग जैसी बुराइयों के फलस्वरूप पूरा राजनैतिक वातावरण दूषित हो चला है। यह आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले लोग बहुत अच्छे हों। जिस प्रकार के उत्तरदायित्व का उन्हें निर्वाह करना होता है, उसी के अनुरूप उनमें नैतिकता का उंचा स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसलिए राजनीति और राजनीतिज्ञों में लोगों का विश्वास गिरता जा रहा है। भारत जैसे लोकतंत्रीय देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है।

हमारी सरकार जिसे मैं 13 या 15 महीने की भी उपलब्धियां मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एन.डी.ए. की सरकार की अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। जहां मई 1998 में भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए साहसपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लेने से भारतीयों में आत्मविश्वास की नई भावना पैदा हुई, वहां जून, जुलाई में कारगिल में पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर प्राप्त विजय ने देश में जबरदस्त देश प्रेम की भावना को जगाया है। हमारे खिलाफ किए गए हर प्रकार के दूषित प्रचारों को नकारते हुए हमारी सरकार ने साम्प्रदायिक शांति का रिकार्ड तैयार किया। केन्द्र-राज्य संबंधों में फिर से सामन्जस्य बहाल किया गया। हमारी सरकार ने अनेक साहसिक और सुगम व्यापक प्रबंध करके अर्थव्यवस्था में पुनः प्राण फूंके। विशेष उल्लेखनीय है सत्ता में रहते हुए, मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार के 19 महीने के शासन में हिन्दुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो सफेद चादर पर सुई के बराबर भी काला दाग बता सके। घोटालामुक्त यह सरकार पिछले 19 महीनों से चल रही है। विदेश नीति में यह सरकार पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार लाने में सफल हुई। पिछले दशकों में कभी ऐसा नहीं रहा जब भारत को विश्व में इतना अधिक सम्मान मिला हो जितना उसे आज मिला। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, श्री मदनलाल खुराना इस सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य है। मैं ससम्मान उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपना भाषण पढ़ रहे हैं जो कि परम्परा नहीं हैं। उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण से उद्धृत करने का अधिकार है किंतु वे अपना भाषण पढ़ नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय : वे अपनी याद ताजा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मुझे मालूम है। मैं कुछ कोट कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* आप अपने लीडर से पूछिए। आपकी लीडर कैसे बोलती हैं, जरा मुझे बताइए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जैसे बोलना चाहिए, वैसे बोलती हैं।

श्री मदन लाल खुराना : वे लिखकर बोलती हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हां, यह जायज है कि लिखकर बोलती हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं तो बोल रहा हूं लेकिन वे लिखकर पढ़ती हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, श्री मदन लाल खुराना हमारे मित्र श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी से अधिक समय से संसद सदस्य हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं वह जानता हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें अपना भाषण पढ़ना नहीं चाहिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : महोदय वे ऐसे व्यक्ति को नियम सिखा रहे हैं जो उन्हें अच्छी तरह जानता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : मैं कह रहा था कि पिछले 8-9 महीनों के अंदर मुद्रास्फीति की दर 2 प्रतिशत के आस-पास रही है जिसमें कारगिल की लड़ाई भी शामिल है। आम तौर से जब लड़ाई होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन इस सरकार ने कारगिल की लड़ाई के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर 2 प्रतिशत के आस-पास रखी है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। शेयर मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मिरर होता है। देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट हो रही है या नीचे जा रही है, उससे इसका पता चलता है। जब हम सत्ता में आये थे, यह सरकार आई थी मुम्बई का सेंसेक्स 3000 के आसपास था। आज वह 5000 से ऊपर है। कुछ दिन पहले यह 6000 के आसपास पहुंच गया था। यह दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था और देश का भविष्य कितना उज्ज्वल है। अब आप कहेंगे कि मैं इसको भी पढ़ रहा हूं। अब हमारे देश का विदेशी मुद्रा का भंडार 32 बिलियन डालर से अधिक हो गया है, जो एक रिकार्ड है।

मैं दो योजनाओं का जिक्र करूंगा, योजनाएं तो बहुत सी हैं। ये बड़े किसानों की बातें करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस स्कीम लागू की गई है। बाकी सब चीजों का इन्श्योरेंस तो हुआ करता था, किसी दुकान में आग लग जाये, किसी फैक्टरी में चोरी हो जाये, कुछ हो जाये तो उसको इन्श्योरेंस मिलता था, लेकिन किसान को बाढ़ से, सूखे से बर्बादी होती थी तो उसको इन्श्योरेंस नहीं मिलता था। पहली बार इस सरकार ने सारे देश में नेशनल एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस स्कीम *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपको फसल बीमा बुझाता है क्या? सरकार ही कह रही है कि अभी यह लागू नहीं हुई है। *...(व्यवधान)* फसल बीमा योजना पहले से लागू है। व्यापक फसल बीमा योजना लागू करनी थी। इसमें सरकार ही कबूल कर रही है कि अभी यह लागू नहीं हुई है।

श्री मदन लाल खुराना : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। दूसरी योजना किसान क्रेडिट कार्ड की है। हम जानते हैं कि आज देश का इण्डस्ट्रियलिस्ट कहीं जाता है, कोई परचेजिंग करता है तो उसके पास क्रेडिट कार्ड होता है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, हम लोग पढ़ा करते थे कि इस देश का किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही जिंदा रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। प्राइवेट साहूकार उससे ज्यादा इंटरैस्ट लेते हैं, इसलिए वह सारी उम्र कर्ज ही देता रहता है। बैंकों में कर्जा लेने जाये तो वे रिश्वत मांगते हैं। पहली बार यह स्कीम इस देश में लागू की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसान की जितनी जमीन होगी, उसके अनुसार उसको दे दिया जायेगा।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): अब सारे ठेकेदार सरकार के साथ हो गये न।

श्री मदन लाल खुराना : आप उनको ठेकेदार कहें तो ठीक है। आप पहले दलाल थे, अब ठेकेदार हो गये। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : खुराना जी, उसकी जमीन पर बहुत सारा कर्जा हो, तब भी क्या आप

श्री मदन लाल खुराना : यह डिटेल की बात है। अभी यह स्कीम शुरू हुई है। जब इस पर बहस होगी, तब आप प्रश्न करिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 50 लाख से अधिक कार्ड तथा कार्ड पासबुक जारी हो चुके हैं और हमारा विश्वास है कि 31 मार्च, 2000 तक 75 लाख कार्ड इश्यू हो जाएंगे। हमने यह एक अच्छी योजना प्रारम्भ की है, जो 50 सालों में शुरू नहीं हुई। मैं और भी चीजें बताऊंगा। इनको तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कहना है:

> जिसको खुदा ने दी हैं आंखें, वे तो पत्थर में भी खुदा देखते हैं,
> जिनकी आंखें ही पत्थर की हैं, वे क्या खाक देखते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि पिछले 50 सालों का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : आप तो चाहते हैं मगर सरकार नहीं चाहती है। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैंने बता दिया कि पिछले 50 सालों में आपने क्या किया है।

मैं दो-तीन इश्यू उठाना चाहता हूं। जैसा आप कह रहे हैं कि कांस्टीट्यूशन रिव्यू कमीशन की बड़ी चर्चा हो रही है। यह सरकार बहुत खराब कर रही है, बुरा कर रही है, भगवाकरण करेगी, यह करेगी। मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधान मंत्री जी बार-बार कह चुके हैं कि यह जो कांस्टीट्यूशन का रिव्यू होगा, इसमें बेसिक चेंजिज नहीं होंगे। हम बार-बार कह चुके हैं कि इसकी समीक्षा में बेसिक चेंजिज नहीं होंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आपने स्वयं 1975 के अंदर एक रिव्यू कमेटी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में

बनाई थी। हमने तो संविधान आयोग के अध्यक्ष पूर्व चीफ जस्टिस को बनाया है। उसमें किसी राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। आपने रिव्यू करते समय सिर्फ कांग्रेस के सांसदों, विधायकों और प्रधानों से पूछकर रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट आने के बाद संविधान में परिवर्तन हुआ, न अपील, न दलील और न वकील। यह काम आपने उस समय इमर्जेंसी में किया था। जबकि हमारा कहना है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सब कुछ आम राय से होगा। हम जानते हैं संसद की रचना क्या है। बिना कांग्रेस और विरोधी दलों के सहयोग से हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारे पास दो तिहाई बहुमत नहीं है। संविधान में परिवर्तन के लिए आपकी राय ली जाएगी, आपकी सहमति से होगा, फिर हल्ला करने की और हौवा खड़ा करने की जरूरत क्या है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जब संविधान में परिवर्तन करने का प्रोविजन है तो उसके लिए आयोग बनाने की जरूरत क्या है, आप यहां लाएं।

श्री मदन लाल खुराना : आपने 1975 में क्यों बनाया था। आप बनाएं तो ठीक है और हम बनाएं तो गलत है। आपने तो उसका अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह जी को बनाया था। लेकिन हम उसमें विशेषज्ञों को ले रहे हैं। पिछले 50 सालों से जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे उस पर विचार करेंगे। कुछ पाइंट तो आपके चुनाव घोषणा पत्र में भी थे कि समाज की संरचना क्या होगी। केन्द्र और राज्यों के बीच क्या सम्बन्ध होने चाहिए, उसके बारे में चर्चा हो या न हो, रिव्यू हो या न हो, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग जिस तरह से किया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाए या नहीं .....

श्री हन्नान मोल्लाह (ऊलूबेरिया): यह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में है।

श्री मदन लाल खुराना : मालूम है। दल-बदल कानून पर पुनर्विचार करना आवश्यक है या नहीं, नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन के बारे में विचार करना आवश्यक है या नहीं, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना है या नहीं। इन सब चीजों पर संविधान समीक्षा आयोग में विचार किया जाना है। हम इन मुद्दों पर जनता की राय लेना चाहते हैं। हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि एकदम से इन चीजों पर सब कुछ निर्णय हो जाए। लेकिन यह सब आपकी सहमति के बिना नहीं होगा। इसलिए जनता के सामने हल्ला करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।

मैं कुछ बातें कारगिल युद्ध के बारे में कहना चाहता हूं। उस समय कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, उन्होंने सोचा था कि चुनावों में हमें इसका फायदा मिल जाएगा, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। इसके पहले भी युद्ध हुए हैं। 1947 में पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ, उसने हमारे देश पर हमला किया। जब हमारी फौजें आगे बढ़ रही थीं, उस समय प्रथम प्रधान मंत्री जी ने सीजफायर करके हमारी आगे बढ़ती हुई सेना के पैरों में जंजीर डाल दी। उसका नतीजा यह हुआ कि आज भी हमारे देश के कश्मीर भाग का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास है। अगर सीजफायर नहीं हुआ होता तो वह हिस्सा हमारे कश्मीर का हिस्सा होकर हमारे पास होता, यह उस समय के सेना के अधिकारियों का कथन है। दूसरी लड़ाई चीन के साथ 1961 में हुई। उस वक्त से आज तक हमारे देश का 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के पास है। उसको आप इतने सालों तक शासन में रहते हुए भी वापस नहीं ले पाए। 1965 के अंदर तीसरा युद्ध हुआ। हमने कश्मीर की चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। हमारे स्वयं के प्रधान मंत्री श्री शास्त्री ने ताशकंद जाकर एक गलत समझौता किया। वहीं पर उनका स्वर्गवास हो गया। 1971 की लड़ाई हुई। जनरल अरोड़ा के नेतृत्व में 95000 पाकिस्तानी फौजियों को गिरफ्तार किया गया। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : वह कांग्रेस ने किया। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपकी सेना ने किया, मैं यही कह रहा हूं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम मृत व्यक्तियों के बारे में नहीं कह सकते है। श्री लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया में नहीं है। वे उत्तर नहीं दे सकेंगे। किसी स्व. प्रधानमंत्री के बारे में कोई उल्लेख न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : कारगिल की लड़ाई में जवान मारे गये। एक लाख पाकिस्तानी सैनिकों को कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार किया था। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा यही कहना है। 1971 की लड़ाई में भारत ने 95,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदी गिरफ्तार किए। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई लेकिन शिमला में जाकर जिन 95000 पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, उनके बदले में हम कश्मीर का फैसला कर सकते थे लेकिन वह फैसला नहीं किया। सेना ने जब-जब लड़ाई युद्ध में जीती, हमारे राजनेता समझौते की टेबल पर उस लड़ाई को हार गये। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अगर शिमला समझौते से आपकी अभी तक कोई नाराजगी हो और यदि हिम्मत है तो सदन में कह दीजिए कि हम शिमला समझौते के विरुद्ध है। मैं आपको सलाम करूंगा लेकिन लाहौर में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा कि आपके साथ हमारी बातचीत का जो फॉर्मेट होगा, वह शिमला समझौते के तहत होगा, उसको जरा याद रखें।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने यह कहा है कि शिमला समझौते में अगर यह शर्त रखी जाती कि उन 95 हजार पाकिस्तानी सैनिकों के बदले में एक तिहाई कश्मीर को लिया जा सकता था। मैं शिमला समझौता की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम 95000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर रहे थे तो एक तिहाई कश्मीर से पहले समझौता करो, यह कह सकते थे। जब जब सेना ने युद्ध के मैदान में लड़ाई जीती, हमारे राजनेता उस लड़ाई को समझौते में, टेबल पर हार गये ...*(व्यवधान)* डैमोक्रेसी के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने उस लड़ाई को जीता। ...*(व्यवधान)* यह पहला मौका है, मैं यह कह रहा हूं। सभी देशों ने उस लड़ाई में हमारा साथ दिया, हमारा समर्थन किया, हमारी निंदा नहीं की।

जिस बस यात्रा की यह बात कर रहे हैं, दुनिया ने देखा कि शांति का संदेश लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गये लेकिन पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंपा। दुनिया की दृष्टि में यह आया कि हिन्दुस्तान तो शांति चाहता है और पाकिस्तान जो है ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : जिस समय घुसपैठिये आ रहे थे, सरकार को तो जानकारी भी नहीं थी और वह वहां जाकर नवाज शरीफ से गले मिल रहे थे और वे सारे घुसपैठिए अंदर आ गये। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपको चुनाव में इसका परिणाम भुगतान पड़ा है। जिस समय यहां युद्ध हो रहा था ...*(व्यवधान)* उस समय आपने मांग की थी कि यह यहां कैसे आए हैं, इसकी जांच करवाई जाए। तो उस समय हम सेना को लड़ने के लिए कहते या कहते कि आप रुकिये पहले हम कांग्रेस के कहने पर जांच करवा लें कि घुसपैठिए यहां कैसे आए? ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : उस समय नहीं कहा था जांच करवाने के लिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : तुम्हारे इन्हीं बयानों से तुम हारे हो और जनता ने तुम्हें वोट नहीं दिये हैं। अपने नेता के कहने पर मुकर रहे हैं। उस समय आपकी मांग यही थी कि ये घुसपैठिए यहां कैसे आए हैं, इस बात की जांच करवाइएं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इस पर बहस होनी चाहिए। हमने बहस की मांग की थी।

श्री मदन लाल खुराना : चित भी मेरी और पट भी मेरी।

अध्यक्ष महोदय, डिप्लोमेसी की दृष्टि से हमें जो विजय प्राप्त हुई, उसमें बस-यात्रा एक बहुत बड़ा कारण बनी। दुनिया यह समझी कि भारत मित्रता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छूरा घोंप रहा है। मैं एक बात शहीदों के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे युद्ध तो सन् 1947, 1962, 1965 और 1971 में हुए और जहां हमको जरूरत नहीं थी, वहां हमने अपनी सेनायें भेजी। श्रीलंका में अपनी सेनाओं को भेजकर अपने देश के लोगों को मरवाया। मैं मरवाया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यह इसलिए कि युद्ध अपने देश की भूमि पर नहीं हुआ और जो शहीद होते थे, उनकी अस्थियों का पुलिंदा बनाकर, कपड़ों के साथ उनके परिवार के लोगों को दे दिया जाता था। लेकिन इस बार हमारे जवानों ने अपनी जानें जोखिम में डालकर फील्ड में जाकर शहीदों की लाश को लेकर आए, उनके परिवार वालों को दीं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार किया गया। यह पहली बार हुआ है। इसके साथ ही अगस्त 1993 तक शहीद के परिवार वालों को एक पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके बाद एक लाख रुपया एक्स-ग्रेशिया के रूप में राशि दी जाने लगी। इसके पहले कुछ भी नहीं दिया जाता था। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फरूखाबाद): क्या आपको यह मालूम है, उस समय कौन डिफैंस मिनिस्टर थे? उन्होंने कहा कि दस लाख दिया जाये और लाश वहां भेजी जाए। क्या इस बात की जानकारी आपको है? उस समय कौन से डिफैंस मिनिस्टर ने यह संशोधन करवाया था?

श्री मदन लाल खुराना : क्या आप थे?

श्री चन्द्रभूषण सिंह : उस समय मुलायम सिंह जी थे।

श्री मदन लाल खुराना : उस समय फिर यह राशि दी क्यों नहीं गई?

श्री चन्द्रभूषण सिंह : लड़ाई तो आपने की। पिछली सारी लड़ाइयों में लोग इतने नहीं मरे, जितने कि इस लड़ाई में मरे।

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार): मुलायम सिंह जी ने तो दो सौ करोड़ रुपए देने की बात कही थी।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : आप मित्रता करने जा रहे थे, 200 करोड़ रुपए दे देते, तो उसमें क्या हर्ज था।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों को यह सब देकर हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके मनोबल को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। नागालैंड की हमारी एक बहन जिसके पति को परमवीर प्राप्त है, वह बर्तन मांझ कर अपने घर का गुजारा कर रही थी, यह सब टीवी पर दिखाया गया। जब कोई जवान शहीद हो, तो उसको लगे कि उसके बाद देशवासी उसके परिवार की चिन्ता करने के लिए हैं। यह इसके पीछे उद्देश्य था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कारगिल विजय की ये सब उपलब्धियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगलादेश की विजय पर इंदिरा गांधी को भारतरत्न दिया गया ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वाजपेयी जी ने ही उनको दुर्गा कहा था।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, उनका बड़प्पन देखिए। उस समय जब यह बात कही गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में देश का एक नेता होता है और वह होता है, प्रधानमंत्री और आप हमारी सब की नेता हैं। इसलिए उन्होंने तारीफ की, लेकिन आपका क्या रोल था, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। जब अटल जी के समय में लड़ाई हो रही थी, तो कहा गया - लड़ाई से पहले यह बतायें कि वे घुसपैठिए आए कैसे, इसकी जांच करें। उस समय राष्ट्र के हित में आपके नेताओं ने ये ब्यान दिए, मैसेज दिए, जिसका यह परिणाम हुआ।

[अनुवाद]

श्री श्यामाचरण शुक्ल : आप कारगिल संघर्ष की तुलना उन बड़े युद्धों से नहीं कर सकते हैं जो दो या तीन बार पाकिस्तान के साथ लड़े गए थे। दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इसका विस्तार एक बहुत सीमित क्षेत्र में था। दोनों की तुलना मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, आप किसी भी क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां देखें तो हमारी सरकार पूरी तरह से उस कसौटी पर खरी उतरी है। मैं पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में कहना चाहता हूं। रसोई गैस के मार्च 2000 तक 75 लाख कनैक्शन देने का हमने निर्णय किया है। हमने 31 जनवरी, 2000 तक 65 लाख कनैक्शन दे दिये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों ने इन तीन महीनों में 25 लाख गैस कनैक्शन दिये हैं।

इस समय देश में 70 प्रतिशत पेट्रोलियम की मांग आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस देश के अंदर से पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जाये। इसके लिए पहली बार हुआ कि 25 अन्वेषण कार्यों के लिए स्वीकृति दी गयी है। इनमें से 7 डीप वाटर ऑफ शैड ब्लॉक, 16 सैल्फ वाटर ऑफ शैड ब्लॉक तथा दो अनलैंड ब्लॉक- इस तरह से ये कार्य दिये गये हैं। प्रदूषण को कम करने के उपाय किये गये हैं।

अध्यक्ष जी, पिछले बीस सालों में पंजाब, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं। जब हम अपोजीशन में थे तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि इस समस्या को हमसे पहले केवल लॉ एंड आर्डर की समस्या के रूप में देखा गया। जम्मू-कश्मीर की समस्या के बारे में हमने पहले भी कहा था कि यह लॉ एंड आर्डर की समस्या नहीं है। यह तो इन्सर्जेंसी है, देश के विभाजन की चाल है, यह एक प्रॉक्सी वार है। इस दृष्टि से इसको देखकर इस समस्या से निपटने की तैयारी कीजिए। हम कहते थे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की समस्या हो सकती है लेकिन यह तो प्रॉक्सी वार है। लेकिन पहले इस दृष्टि से किसी ने इसे देखा नहीं। इसलिए कश्मीर में 1980 से लेकर 1997 तक वहां क्या हुआ? मेरा अपना एक दृष्टिकोण शांति के बारे में यह है कि वहां कितने पर्यटक जाते हैं। आपको पता होगा कि 1990 से पहले 10 लाख के करीब पर्यटक कश्मीर में आते थे। लेकिन 1990 से 1997 तक केवल तीन अंकों में पर्यटक वहां आये। अब इस साल वहां दो लाख से अधिक पर्यटक गये हैं। उम्मीद है कि डेढ़ लाख इन गर्मियों में आयेंगे। वहां नये होटल अब खुल रहे हैं, लोग वहां शूटिंग करने जा रहे हैं। जो कश्मीर पिछले 10 सालों में वीरान था आज वहां सामान्य परिस्थिति हो रही है, शांति आ रही है। सन 1995 में वहां केवल 322 पर्यटक आये थे लेकिन इस साल 21 अगस्त 1999 तक एक लाख बहत्तर हजार आये हैं। हमने 1998 में कश्मीर के आतंकवाद पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए तीन साल तक के लिए एक एक्शन प्लॉन बनाया। उसके लिए 192.53 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। दिसम्बर 1998 के अंदर दो आईआर बटालियनें स्थापित की गयीं। जिनके लिए 25 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर की सरकार देगी। जम्मू-कश्मीर पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए पांच करोड़ रुपया दिया गया। इसके अलावा स्पेशल पुलिस आफिसर्स 1.11.99 से जम्मू कश्मीर में गठन किया गया। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों

[श्री मदन लाल खुराना]

में रक्षा समितियों के गठन के लिये प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपया दिया ताकि उसमें लोगों की भागीदारी हो और उन समितियों को हथियार दिया जायें। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जब्त किये गये 6500 एस.एल.आर., 3500 ए.के. 47 जम्मू कश्मीर पुलिस को दिये गये। इसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के लिये किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क के बिना यातायात नहीं हो सकता। इसके लिये रेल मार्ग भी चाहिये। अभी रेल बजट में इस बात का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सड़क विकास के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा की और इस परियोजना की अनुमानित धनराशि 54 हजार करोड़ रुपये है जो पिछले बजट में पैट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर में उपकर लगाकर पूरा किये जाने की घोषणा की गई थी। इसका एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिये खर्च किया गया।

सभापति महोदय, मैं अंत में कांग्रेस के मित्रों को एक राय देना चाहता हूं कि वे यह मन में तय कर लें कि जैसा जनता ने कहा है कि पांच साल तक वहां रहिये और बीच में गड़बड़ मत करिये क्योंकि जैसे पिछली बार आपने किया और यह सही भी है कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही कांग्रेसी लोग बिना शासन के नहीं रह सकते। अगर कहीं बीच में गड़बड़ की तो 141 से 112 रह गये और फिर डबल डिजिट पर आ जायेंगे। आप अपोजीशन के नाते रचनात्मक सहयोग दीजिये। सरकार के कामों में कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उन्हें बताइये.....

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): आप चेयर को संबोधित करें। आप सरकार की बड़ाई करें लेकिन हमें शिक्षा मत दीजिये। आप सरकार के काम में चार चांद लगाईये।

श्री मदन लाल खुराना: मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं। अभी हाल ही में सम्पन्न हुये चुनावों में नेशनल डैमोक्रेटिक अलाइंस को मिली भारी विजय ने सिद्ध कर दिया है कि श्री वाजपेजी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार ठीक से काम कर रही है क्योंकि सरकार की नीयत ठीक है और नीतियां सही हैं और इच्छा शक्ति भी है। 21वीं शताब्दी में भारत को ले जायें, यही हमारा सपना है। उचित होगा कि भारत 21वीं शताब्दी में ऐसे वर्ष में प्रवेश करे जिसमें अपनी प्रतिज्ञा को नये संकल्प के साथ वास्तविक रूप में परिणित करें। इसके लिए एक ही मूल मंत्र है जो यर्थाथ में साकार हो सकता है, वह विकास का मंत्र है, तेजी से विकास का मंत्र, सम्यक् विकास, जीवन के हर पहलू का विकास। इसके लिये सरकार और लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि सरकार राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिकों के बीच में नये प्रकार की सहकारी भागीदारी स्थापित हो ताकि भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जाये। सरकार इस प्रयास में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करने के लिये वचनबद्ध है। यह शताब्दी भारत की शताब्दी बने, इसके लिये हम सब मिलकर दृढ़-विश्वास के साथ आगे बढ़े, यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई): सभापति महोदय, मैं मेरे सहयोगी श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। एक बढ़िया अभिभाषण के लिए मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं जिसमें हमारे देश में पिछली आधी शताब्दी में उत्पन्न सभी रोगों की चिकित्सा बताई गई है और इसमें यह भी दर्शाया गया है कि सुचारू व्यवस्था के लिए क्या किया जाना चाहिए। यह अभिभाषण भविष्य का उत्कृष्ट चित्रण करता है और मैं पूर्ण रूप से श्री खुराना के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने पिछले सत्र में किए गए रिकार्ड विधायी कार्य पर टिप्पणी की थी। हमें विशेष रूप से यह सिद्ध करने के लिए कि यह कार्य सिद्ध करने वाली सरकार है, इस बात को नोट करना चाहिए। हमें इसका श्रेय मुख्य विपक्षी दल को भी देना चाहिए क्योंकि व्यापक राष्ट्रीय हित में उसने संकीर्ण पार्टी हितों को छोड़ दिया था। यह एक तरह से उनके लिए सांत्वना पुरस्कार भी है। परन्तु यह बात पिछले दस दिनों में उनके द्वारा एक छोटे, तुच्छ विषय पर दर्शाये गए व्यवहार के एकदम विपरीत है, जिस विषय को कहीं और भी सुलझाया जा सकता है जिसे कभी भी सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए था।

मैं इस समय ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। अभी केवल दो या तो मिनट मुश्किल से बचे हैं। इसीलिए मैं अपनी बात अगली बार जारी रखूंगा। परन्तु मूल रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हमें अपनी मनःस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

हमने इस नई सहस्राब्दि में सर्वाधिक अशिक्षितों, सर्वाधिक गरीब लोगों, सर्वाधिक ऐसे गांवों जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रवेश किया है और यह सब हमारे राजनीतिकों, हममें से अधिकांश, अन्य क्षेत्रों को महत्व देने का प्रयास करते हैं जोकि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है परन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

मेरे विचार से, पिछले दो या तीन दशकों का हमारा आर्थिक इतिहास असंगतियों से भरा पड़ा है। हम 11,500 रु. प्रति ग्राम की लागत से सोने का उत्पादन कर रहे हैं जिसे हम अमीर लोगों को 4,500 रुपये प्रति ग्राम बेच रहे हैं। जबकि हम इसी पैसे से हमारे ग्रामवासियों को साक्षर बनाने में सक्षम नहीं है जोकि इन सार्वजनिक

क्षेत्र की इकाइयों या अक्षम उद्यमों को दिया जाता है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच कोई विकल्प नहीं है। वास्तविक विकल्प सक्षम उद्योग और अक्षम उद्योग के बीच है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी सक्षम औद्योगिक इकाइयों के उदाहरण उतने ही है जितने कि निजी क्षेत्र में अक्षम औद्योगिक इकाइयां है।

मैं इसीलिए प्रस्ताव करता हूं कि हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने वित्तीय घाटे के बारे में कई बातें कहीं। वित्तीय घाटा बार-बार क्यों होता है? मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध करना हमारा परिवार की अर्थव्यवस्था को चलाने से अलग नहीं है। हमारे परिवार के बजट में हम उपलब्ध आमदनी में खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जब एक राष्ट्र ऐसा नहीं करता है तो दीर्घावधि में ऐसा संकट उत्पन्न हो सकता है जैसाकि 1990 में हुआ था और जैसाकि उत्पन्न होने वाला था परन्तु आज हमारी अर्थव्यवस्था में स्वयं ही गति आई है जिसके द्वारा यह सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों द्वारा बनाई नीति से स्वतंत्र आगे बढ़ने में सक्षम हो पायी है। इसी कारण 70 के दशक में हम एक प्रतिशत या दो प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि की दर को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे, परन्तु 80 के दशक में उदारीकरण का प्रयास किए जाने के कारण यह पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान यह 5.6 प्रतिशत या 5.5 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इस तथ्य के बावजूद भी कि उस समय बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी अर्थव्यवस्था में त्वरित गति से वृद्धि हुई थी।

महोदय, इसीलिए, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नियमन, विनियमन इत्यादि के बारे में बात न करें। यह सब बातें उन्नीसवीं शताब्दी की बातें हैं जोकि बीसवीं शताब्दी की वास्तविकता के उपयुक्त नहीं बैठते हैं। बीसवीं शताब्दी में हमें मन:स्थिति को बदलने के अभ्यस्त होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण के अनुशासन के अंतर्गत लाना चाहिए।

महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस समय अपराह्न 3.30 बजे हो रहा है। आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : मैं अगली बार अपनी बात जारी रखूंगा।

अपराह्न 3.29 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को प्रस्ताव के प्रस्तावक और प्रस्ताव के समर्थक के भाषणों के समाप्त होने के बाद पेश किया जाता है। जैसाकि अभी समर्थक का भाषण समाप्त नहीं हुआ है, सदस्यों को अपने संशोधनों को पेश करने की अनुमति, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो, सत्र के अगले भाग में समर्थक के भाषण की समाप्ति के बाद भी दी जाएगी।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहले से तीसरे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहले से तीसरे प्रतिवेदन जो क्रमश: 1, 8 और 15 मार्च, 2000 को सभा में प्रस्तुत किये गये थे, से इस संशोधन के अध्यधीन सहमत है कि संकल्प के लिए समय के आबंटन से संबंधित पहले प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के भाग (ii) का लोप किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहले से तीसरे प्रतिवेदन जो क्रमश: 1, 8 और 15 मार्च, 2000 को सभा में प्रस्तुत किये गये थे, से इस संशोधन के अध्यधीन सहमत है कि संकल्प के लिए समय के आबंटन से संबंधित पहले प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के भाग (ii) का लोप किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प - *विचाराधीन*

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड गठित करना - जारी

सभापति महोदय : अब सभा श्री महेश्वर सिंह द्वारा 10 दिसम्बर, 1999 को पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार अनुपस्थित

श्री वी. राधाकृष्णन अनुपस्थित

कर्नल धनी राम शांडिल्य

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य (शिमला): सभापति महोदय, मैं श्री महेश्वर सिंह द्वारा 10 दिसम्बर, 1999 को पहाड़ी राज्यों और देश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमालय प्रदेशों के विकास के लिए बोर्ड के गठन के संबंध में पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं जिससे कि इन क्षेत्रों को देश के मैदानी विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाया जा सके।

महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और उनकी संस्कृति जिसे वह बचाना चाहते हैं के परिणामस्वरूप कुछ विशेष समस्याएं हैं।

सभापति महोदय, हम संख्या में कम हो सकते हैं, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों और पूर्वोत्तर भारत से और इस सम्मानित सभा में जनसंख्या प्रतिनिधित्व को तय करने का मानदण्ड है। मेरा निवेदन यह है कि हम उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो भी तथ्य यहां पर उठाते हैं वह केवल इस सम्मानित सभा में ही सीमित होकर नहीं रहना चाहिए परन्तु उनका कार्यान्वयन और निष्पादन होना चाहिए।

हमें इस विकास के लक्षणों को समझना होगा। व्यापक परिदृश्य में यह भौगोलिक स्थिति, जलवायु और पायी गई जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बोर्ड, जिसका हमने विचार किया है, को गठित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे बोर्ड में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन मुख्यत: पहाड़ी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

सभापति महोदय, इन क्षेत्रों द्वारा झेली जा रही समस्याएं और उनके समक्ष चुनौतियां समान हो सकती है। मैं समझता हूं जम्मू और कश्मीर में जो समस्याएं हो वह पूरी तरह हिमाचल प्रदेश की समस्याओं के समान नहीं हो सकती हैं। परन्तु उनमें समानता हो सकती है और वहां पर एक समान समस्याएं हो सकती हैं। इन लोगों द्वारा झेली जा रही सबसे पहली और व्यापक समस्या संचार व्यवस्था की है। रेलवे को सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि बजट आबंटन को समुचित ढंग से खर्च किया जाय और अनुमोदित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है तो इन क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद मिलेगी। एक अन्य पहलू नई योजनाओं को तैयार करने के बारे में है। मैं विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश पर ध्यान दूंगा। हमारे पास दो छोटी लाइनें हैं, एक है कालका-शिमला और दूसरी है पठानकोट-जोगिन्दर नगर। कालका-शिमला रेल लाइन ऐतिहासिक रेल लाइन है। इस लाइन का उद्घाटन लार्ड कर्जन, अपने समय के सर्वाधिक विवादग्रस्त वायसराय, द्वारा किया गया था। यह छोटा-मोटा काम नहीं था। इसमें 103 सुरंगें है और यह अपने समय का इंजीनियरिंग का करिश्मा है। फिर भी हमने इस सदी के आरम्भ में जो वहां पर देखा आज भी वही स्थिति विद्यमान है। हमें इन क्षेत्रों में नई सुविधाओं को सृजित करने के बारे में सोचना चाहिए।

यदि हम घनोली और नालागढ़ को बड़ी लाइन से जोड़ देते हैं तो इससे इस क्षेत्र के नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस क्षेत्र में हमारे पास विनियमित बाजार होंगे। इसी प्रकार, यदि हम जोगिन्दर नगर के आगे मण्डी तक एक और बड़ी लाइन बिलासपुर होकर किरतपुर में जुड़ने वाली खोलेंगे तो इससे इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। इस क्षेत्र को अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जब हम इन क्षेत्रों के बारे में सोचते है तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यहां पर किसी भी प्रकार के बड़े उद्योग नहीं है; वहां पर किसी भी प्रकार की अवसंरचनात्मक ढांचा नहीं है, किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। हमें यह देखना होगा कि इन क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों पर किस प्रकार ध्यान दिया जा सकता है और उनके लिए रोजगार के अवसर किस प्रकार सृजित किए जा सकते हैं। रेलवे से पर्यटन के अवसर सृजित होंगे। यह विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश पर लागू होता है। इन क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन और सभी प्रकार के पर्यटन को अत्यधिक प्रभावी ढंग से नियोजित और कार्यान्वित किया जा सकता है। दूसरा विकल्प देहरादून से नाहन के बीच है। यदि इस सुविधा को नाहन क्षेत्र तक बढ़ाया जाता है तो इससे पूरे पूर्वी प्रदेश को फायदा पहुंचेगा। हम सभी कृषि उत्पादों, विशेषकर सब्जियों और फलों, के विपणन की बात कर रहे हैं। आजकल पुष्पकृषि जोरों पर है। इन क्षेत्रों में इन सभी उत्पादों के विपणन की योजना तभी बनायी जा सकती है जब हमारा बाजार नियंत्रित हो और रेल लाईन से जुड़ा हुआ हो। इससे कृषि क्षेत्र, और बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या दूर करना संभव होगा।

अपराह्न 3.39 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

रेलों के अलावा इन क्षेत्रों में सड़कों का अच्छा जाल बिछा हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि हमें सड़क मार्ग क्षेत्र में आर्थिक सहायता देनी चाहिए। वास्तव में, देश का सारा पहाड़ी क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है चाहे यह जम्मू-कश्मीर हो, हिमाचल या पूर्वोत्तर हो। हम देखते हैं कि विकास को तभी योजनाबद्ध किया जा सकता है जब हमारे पास सड़क मार्ग का अच्छा जाल हो। सड़क मार्ग न केवल पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक है बल्कि वे इन क्षेत्रों के भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को भी जोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, मैं रोहतांग सुरंग की बात करूंगा। हमने हाल ही में हुई कारगिल की कार्रवाई देखी है।

यदि रोहतांग सुरंग बन चुकी होती तो इससे 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इसलिए, अगर ऐसा किया जाता है तो हम इसे सदाबहार सड़क बनाएंगे जिससे विशेषरूप से हमारी रक्षा सेवा की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही, इससे हम अपनी आपूर्ति को अग्रिम रूप से पूरा कर सकते हैं, इससे कारगिल या हिमालयी पट्टी जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्र के निकट आपूर्ति की जा सकती है। इससे हम अधिक प्रभावी रूप से उनकी रक्षा कर सकेंगे। अधिक विकसित और वर्द्धित सड़क और रेल लाईन से हम अपनी समस्याओं पर सामरिक रूप से विजय पा सकेंगे। इसलिए, हमें यातायात के क्षेत्र में आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में, हमें सड़कों के बड़े जाल बिछाने की आवश्यकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर यह बोर्ड ध्यान दे सकता है वह है पर्यटन, जिसमें विशेष रूप से सांस्कृतिक-धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन शामिल है। इसके लिए हमारे पास काफी संभावनाएं हैं। विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी पट्टी से लेकर, धौलाधार की श्रृंखलाओं से शुरू करके शिमला के पूरी पट्टी वाले क्षेत्र तक आप स्कीइंग के लिए मिट्टी वाली ढलानें पाएंगे। वहां हमारे लिए साहसिक पर्यटन के विकास के लिए हर प्रकार के स्थान हैं। स्कीइंग या गोल्फ या किसी अन्य प्रकार की साहसिक गतिविधि के लिए वहां पूरा क्षेत्र उपलब्ध है। इसीलिए मेरा यह सुझाव है कि वहां सड़कों का एक बड़ा जाल बिछाया जा सकता है।

इसी प्रकार हम सांस्कृतिक-धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने मध्य इंग्लैंड देखा था, जहां प्रकृति के महान कवि विलियम वर्डस्वर्थ का जन्म हुआ था। वहां मैंने देखा कि लोगों ने पर्यटकों के लिए कितनी अच्छी योजनाएं बनाई है। वहां उन्होंने प्रत्येक स्थान के लिए 15 पाउंड का शुल्क लगाया है। उन्होंने उन स्थलों का बहुत अच्छे तरीके से रखरखाव किया है। इस प्रकार उन्होंने युवाओं को छोटे-छोटे पैकेजों में, चाहे यह छोटे चर्च या गिरजाघर में हो, सहायता देकर उन्हें रोजगार देकर उनके दुखों को दूर किया है। वहां इसका बहुत अच्छी तरह रखरखाव किया गया है। इसके लिए वे वहां भ्रमण के लिए 15 पाउंड का शुल्क लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी अच्छी सुव्यवस्था की है।

इसी प्रकार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब हमारे पास ऐसा करने के लिए काफी गुंजाइश है, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में जहां हर पांच मिनट की दूरी पर कोई न कोई धार्मिक स्थल है? इसलिए, हमें अपने पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों को अधिक व्यवस्थित बनाना चाहिए जिसमे अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। य बोर्ड बहुत अच्छी तरह इस प्रकार के काम कर सकता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो इसकी बहुत अधिक संभावनाएं है। ऐसा करके हम केवल अपने बेरोजगार युवकों की समस्याएं ही दूर कर सकेंगे बल्कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे जो एक धार्मिक परंपरा वाला देश है और जहां विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है और जहां के लोग इसे इसके असली रूप में देखना चाहते हैं।

महोदय हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक हम पर्यटको को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं करते, जब तक उनके देखने के लिए रोचक चीजें नहीं होंगी, तब तक हम पर्यटकों को, विशेषकर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सकते। पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का अर्थ है कि उनके पास सूचना की पर्याप्त जानकारी हो, उनके पास मार्गदर्शन उपलब्ध हों, उनके पास पर्याप्त नागरिक सुविधाएं हों। यहां यह भी देखा गया है कि पर्यटकों के लिए शौचालय की ठीक सुविधा भी उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वे अपना पर्यटन कार्यक्रम छोटा कर देते है और वापस चले जाते हैं। पर्यटक, विशेषकर विकसित देशों से आने. वाले पर्यटक चाहते हैं कि उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जाएं। वे जानते हैं कि हमारा देश एक सुन्दर देश है। लेकिन अगर स्थान के साथ-साथ सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं तो पर्यटक निर्धारित तारीख से पहले ही स्थान छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है अगर हम इस प्रकार का वातावरण तैयार करें कि हमारी पर्यटन संस्कृति पूरे विश्व के अनुसरण के लिए एक आदर्श बन जाए। हमारे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। हमारे पास दिखाने के लिए व्यापक संस्कृति है, व्यापक सभ्यता है। इसका कोई अंत नहीं है।

पर्यटन की समस्याओं को जानने के बाद मैं एक अन्य बात पर चर्चा करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में एच.एम.टी. जैसे उद्योग हैं हमें इस प्रकार के पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को पहाड़ी क्षेत्रों

[कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य]

में इस प्रकार से लगाना चाहिए कि उससे हिमालय का नाजुक वातावरण खराब नहीं, जंगल बरबाद न हों और उससे पर्यावरण नष्ट न हो।

इलैक्ट्रोनिक उद्योग जैसे पर्यावरणीय अनुकूल उद्योगों को इस क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए। यह इस पहाड़ी बोर्ड के कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र में, चाहे पठानकोट, कालका या नाहान हो, स्वास्थ्यवर्द्धक जलवायु ही पाएंगे। आप पाएंगे कि ये क्षेत्र ऐसे उद्योगों के लिए सही है।

मैं श्री शांता कुमार के साथ चर्चा कर रहा था जो मुझसे कह रहे थे कि हमारे युवा टमाटर प्यूरी इत्यादि बनाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू कर सकते हैं। हमारे यहां आलू और मटर काफी मात्रा में होते हैं इनकी विश्व भर में सराहना की जाती है। हमारे देश में फलों और ऐसी ही अन्य चीजों की भरमार है परन्तु उनका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसके लिए निवेश अधिक नहीं होगा। यह कुटीर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत होगा और हम बेरोजगार युवकों को लाभदायी रोजगार प्रदान कर सकेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए सिरमौर जैसे क्षेत्र में अदरक काफी मात्रा में होता है। ऊपरी शिमला में सेब काफी मात्रा में होते हैं। सोलन और नालागढ़ क्षेत्र में मटर और टमाटर काफी मात्रा में होते हैं। इन सभी का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हो सकता है जिसकी अच्छे उत्पादों के रूप में पूरे विश्व में सराहना हो सकती है। अगर हमारे यहां अच्छा बाजार हो जो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ हो तो इन उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हो सकती है। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब बोर्ड का गठन किया जाए। अगर बोर्ड संभावनाओं का पता लगाएगा और कोई योजना तैयार करेगा तो हम अपने उन युवाओं के दुखों को दूर कर सकेंगे। जो अब बेरोजगार हैं, लक्ष्यहीन घूम रहे हैं और इस बात से चिंतित हैं कि क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकेगी ताकि वे अपने परिवार में कह सकें कि वे रोजगार में लगे हुए हैं।

हमारे युवाओं के खेलने के लिए छोटे-छोटे स्टेडियम भी होने चाहिए। यद्यपि यह काम ब्लाक स्तर पर सोचा जा सकता है फिर भी जिला स्तर पर भी बोर्ड इन स्टेडियमों के बारे में विचार कर सकता है। हमारे युवा शारीरिक रूप से मजबूत हैं। वे अपनी ऊर्जा को अच्छे खेलों में लगा सकेंगे। सही प्रशिक्षण द्वारा वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक भी पहुंच सकते हैं। बोर्ड इस क्षेत्र पर भी विचार कर सकता है जिसके गठन के बारे हम विचार कर रहे हैं।

ऐसी असंख्य बातें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पास इतनी अधिक ऊर्जा है कि वह अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है और देश के अन्य भागों में बिजली की आपूर्ति भी कर सकता है। यह एक आदर्श राज्य बन सकता है। हमारे राज्य में उपलब्ध जल और विद्युत को समेकित किए जाने की आवश्यकता है और केन्द्र को हमारी सहायता करनी चाहिए। अगर केन्द्र हमारी मदद करता है और हमें ऐसे लोग समझता है जिनके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है तो हम नई सुबह देख सकते हैं। हमें केंद्र से वित्त और सब्सिडी के रूप में केवल थोड़ी सी सहायता चाहिए। अगर केन्द्रीय दिशा निर्देश के अंतर्गत बोर्ड का गठन किया जाता है और इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को आदर्श राज्य बना सकते हैं।

मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): सभापति महोदय, इस एवान में जो हमारे एक मुअज्जिज दोस्त ने रेजोल्यूशन पेश किया है कि हिमालयाई रियासतों और पहाड़ी इलाकों के डवलपमेंट के लिए एक कौंसिल या बोर्ड को तस्कीन दी जानी चाहिए, मैं इस रेजोल्यूशन के हक में पूरी ताईद करता हूं।

मैं इस मुअज्जिज एवान में यह अर्जदास पेश करना चाहता हूं कि हम पहाड़ी इलाकों के रहने वाले खुशनसीब लोग बहुत सारी मुश्किलात में गिरफ्तार हुई हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मेहरबान हमारी बात बहुत देर से सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मरकजी हुकूमत में वक्तन-फवक्तन हमारी बहुत सारी मेहरबानों ने, बहुत सारे प्रोग्राम तशकील दिये और उनके अमलावर करने के लिए कानूनी मंजूरी भी दी। बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, जिनसे हम यह तवक्को कर सकते थे कि पहाड़ी इलाकों की मुश्किलात कम हो जाएंगी और मुल्क के दीगर तरक्कीयाफ्ता इलाकों के साथ उनका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे इदारे बनने के बावजूद भी मुश्किल यह रही कि उसमें हमारे इलाकों की तरफ से मोनेटरिंग नहीं हो सकी। मिसाल के तौर पर बोर्डर डवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में इदारा मौजूद है। वेस्टर्न घाट डवलपमेंट प्रोग्राम है, नोर्थ ईस्टर्न डवलपमेंट कौंसिल है, बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम है, जो लद्दाख और दूसरे इलाकों के लिए बनाया गया था और मुनासिब है। लेकिन इतने सारे इदारे मौजूद होने के बावजूद हिमालयाई रियासतों की जो मुश्किलात दरपेश आईं, उनमें बहुत कम कमी होती रही और बहुत ज्यादा वक्त निकल गया। इस

मुल्क में तीन वेवज ऑफ सिविलाइजेशन हैं, जो इस वक्त कारफर्मा हैं। फर्स्ट वेव ऑफ सिविलाइजेशन के लोग जो हमारे इलाकों में 11-11 पहाड़ी सिलसिलों के पीछे रहते हैं और दूसरे इलाकों के साथ मिलने के लिए उनको महीनों लगते हैं। जिस वक्त हम गुरेज और बगदौर के इलाके में जाते हैं, अगर हैलीकॉप्टर में जायें तो गिनकर पूरे 11 पहाड़ी सिलसिलों के पीछे एक खूबसूरत वादी में कुछ खुशनसीब लोग बसते हैं, जो पोल्यूशन से आजाद इलाके में रहते हैं। जहां साफे-शफाक नदी बहती है, जहां जंगलात हैं, लेकिन उनकी बदनसीबी का यह हाल है कि जब आप उनके करीब जाएंगे तो पता चलेगा कि 2-2 महीनों तक वे नहा नहीं सकते। वहां इतनी सर्दी है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में वे सात से ज्यादा महीने गुजारते हैं। उनकी जिंदगी का जराया क्या है। अगर उस इलाके में मिलिट्री का चलन न हो और उनके कैम्प्स न हों तो शायद वे लोग दाने-दाने के लिए तरसकर मर जायें। यही हाल मक्खिल इलाके का है। जब हम ढंगडार से निकलकर हैलीकॉप्टर से मक्खिल पहुंच जाते हैं, अगर बाई रोड जाना चाहें तो आपके पास दो दिनों का वक्फा होना चाहिए। उसके दौरान जो भी सड़कें हैं, वे इतनी नाकारा हैं कि अल्लाह की पनाह है। जब हम इस एवान में या किसी सरकारी दफ्तर में अपने मोहतरम हजरात से यह दरख्वास्त करते हैं कि इन इलाकों की तरक्की की तरफ देखा जाये तो बहुत प्यार से वे हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हमारे पीछे यही कहते हैं कि ये इलाके हमारे लिए दर्दे सिर बने हुए हैं, इनकी बात हमेशा सुनते रहो और टालते रहो।

मैं इस वक्त यह नहीं कहूंगा कि जम्मू-कश्मीर के जो हालात इस वक्त हैं, उन मखसूस हालात के जेरे-नजर वहां क्या किया जाना चाहिए। मैंने जनाब प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाया है और हमारी सरकार ने भी बार-बार इस बात को दोहराया है कि वहां जो फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए, वह बहुत जल्दी वहां वा गुजार होना चाहिए, वरना वहां के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को एक तरफ रखकर हिमाचल प्रदेश और नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हालात को देखकर मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द एक बोर्ड या एक कौंसिल तश्कील दी जानी चाहिए, जिसके पास कानूनी अख्तियारात हों। ताकि उन इलाकों के नुमाइन्दे खुद बैठकर अपने मसायल का हल सोचें और मरकजी सरकार की इमदाद के अलावा दूसरे जराया को जेरेकार लाकर खुद कफालट (सेल्फ रिलायन्स) हासिल करे और मरकजी इमदादी रकम भी आसानी से वापस कर सके। हम बार-बार जब अपने मिसाइल उठाते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाती है, यह सुनकर कि हम हमेशा मरकजी सरकार की इमदाद के दर पर रहते हैं। जनाबेवाला, अगर यह अमल हो, इसमें नीयत दुरुस्त हो, इन इलाकों के जिम्मेदार लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि से हिमालयाई रियासतों में मुश्किलात की जांच करके इलाज तजवीज करें तो इन इलाकों में बेहतरी आ सकती है। हमारे अलग-अलग हालात हैं। मिसाल के तौर पर जवाहर रोजगार योजना में हमसे यह तवक्को की जाती है कि 12,000 रुपए में आप पहाड़ में एक ऐसा मकान बनाएं जो मजबूत हो। आप अंदाजा कर सकते हैं हमारे दूर-दराज इलाकों में कुछ पत्थरों को पहुंचाने में ही 12,000 रुपए लग जाते हैं। इस किस्म के प्रोग्राम वहां जाया हो जाते हैं, उनसे कोई फायदा बरामद नहीं होता है। हमारे यहां मछील और टंगदार में अगर एक किलोमीटर सड़क बनाएं तो उस पर छः-सात लाख रुपए खर्चा आता है। उसके एवज यह समझें कि किसी मैदानी इलाके में अगर एक किलोमीटर सड़क बनानी है तो कुल 50-60000 रुपए में वह तैयार हो जाती है। जो दिल्ली के हजरात हैं, वह समझेंगे कि ये किस इलाके से आए हैं, पता नहीं, वहां क्या लूट मच रही है। यही बातें यहां दिल्ली के एवानों में और जर्नलिस्ट हजरातों की मजलिसों में गश्त करते रहते हैं कि साहब दिल्ली से माली इमदाद की नहरें बहती हैं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नार्थ-ईस्टर्न के राज्यों के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों को अंदाजा है कि वहां पर कैसे हालात हैं। ये इलाके मुल्क की जान हैं। ये हमारे मुल्क के हिफाजतदार हैं। हमारे पहाड़, हमारे जंगलात, हमारे लोग अब सिपाही हैं। इस मुल्क की हिफाजत के लिए इन सिपाहियों के मामलात को तहेदिल से सुनना चाहिए और उन पर फौरी अमल किया जाना चाहिए।

मैं इन अल्फाज के साथ यह दरख्वास्त करूंगा कि जो रिजोलुशन हमारे दोस्त ने यहां रखा है, वह बहुत ही अहम् है। हमारे यहां जितने दूसरे हजरात इस एवान में तशरीफ फरमा रहे हैं वे सब इसकी हिमायत करें और इसे कामयाब करें।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, हमारे माननीय मित्र श्री महेश्वर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। इस संकल्प में उठाई गई बात बिल्कुल ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी है। हमें बोर्ड के गठन और इसके कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। भारत एक बहुत सुन्दर देश है। यहां पहाड़ियां, नदियां और जंगल हैं। हमें पहाड़ियों और पहाड़ों की विस्तृतता के कारण उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दुर्भाग्यवश, मानव प्रकृति के प्रति निष्ठुर है। हम नदियों के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं। इसके कारण जंगल क्षेत्र कम हो रहा है। हम पहाड़ों को प्रदूषित कर रहे है। हम जंगल में रहने वाले लोगों को तंग करते हैं। इसका कारण है कि विकासात्मक कार्यों के कारण, पहाड़ियां लुप्त हो रही हैं। बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा पत्थर काटने का काम काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण हमारी

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

पहाड़ियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। जंगलों के उत्पादों को अन्य लोग ले जाते हैं इसलिए वहां रहने वाले इसका लाभ नहीं उठा सकते। इससे हमारे लिए निश्चय ही समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

अपराह्न 4.00 बजे

पहले माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री प्रभु के पास पर्यावरण मंत्रालय था। एक दिन वे हमें बता रहे थे कि उनका मंत्रालय उद्योग से संबंधित सभी नई परियोजनाओं का विरोध कर रहा था। वे कुछ किस्म के उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि इसकी विकासात्मक गतिविधियां पर्यावरण को दूषित कर रही थी। इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है कि पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए। जंगल या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है। उनका अन्य लोगों द्वारा पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। जो उत्पाद उन्हें जंगल से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें उनका पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिल रहा है। वे गरीबी में रह रहे हैं। उनके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बाजार तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। बाजार तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जंगलों और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। यातायात का कोई साधन नहीं है। अभी भी, लोगों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ ही इन जंगलों में काम करने वाले गरीब लोगों का शोषण करते हैं।

इन क्षेत्रों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। इनमें से कुछ हैं, सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाना या यातायात के अन्य साधन उपलब्ध करना। परन्तु यह काफी नहीं है। इसलिए, उचित योजनाएं बनानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं अलग हो सकती है। उस क्षेत्र की आवश्यकतानुसार, वहां वैसी ही योजना होनी चाहिए। हिमालय में रहने वाले लोगों की समस्याएं और पश्चिमी घाट में रहने वाले लोगों की समस्याएं एक नहीं हो सकती। उस क्षेत्र के आवश्यकतानुसार, उचित योजना बनानी चाहिए। दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों के लिए कोई योजनाएं नहीं है।

मैं केरल में ग्रामीण विकास मंत्री था। हमने जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ आवासों का निर्माण किया। वे उन घरों में रहने के अनिच्छुक थे। हमारे बनाए गए आवासों में रहने के लिए ये आदिवासी या इन जंगलों में रहने वाले ये जनजातीय लोग इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वे ऐसे घरों में रहने के आदी नहीं थे। हमारे द्वारा बनाए गए ये आवास अभी भी खाली पड़े हैं। इसलिए हमें उनकी संस्कृति के अनुसार ही घरों का निर्माण करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

उनकी रुचि के अनुसार हमें बनाना चाहिए ताकि वे लोग उधर जाकर रूक सकें। आज हमारे सामने यह समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में जो प्रगति होती हैं, वे हमारी संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए लेकिन इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने यह देखा है कि जहां भी इस तरह की बात होती है, हम भी ध्यान नहीं देते हैं और कोई, एजेंसी इस पर ध्यान नहीं देती है। इसके फलस्वरूप आज गांवों और शहरों में विकास के मामले को लेकर दूरी बढ़ती जा रही है। जो पर्वतीय इलाके हैं और जो विकसित मैदानी क्षेत्र हैं, उनकी दूरी बढ़ रही है। इसके ऊपर जरूरी ध्यान देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनकी बेरोजगारी की समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि पर्वतीय क्षेत्र और जंगल में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में जो कारखाने खोलने की बात है, इको फ्रेंडली की बात है, ऐसे क्षेत्र में हम लोग डैवलपमेंट की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लागू कर सकते हैं। डेयरी डवेलपमेंट के साथ कृषि उद्योग के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़े। हिल बोर्ड बनाने की जो बात कही गई है, उसमें बोर्ड के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में आम लोगों की आमदनी बढ़ाने का काम होना चाहिए।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में मैडिस्नल प्लान्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं।

[अनुवाद]

यहां इन जंगलों और पहाड़ों में औषधीय वनस्पति बहुतायत में है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पौधों की तस्करी की जाती है।

[हिन्दी]

पहाड़ों पर इन पौधों की स्मगलिंग हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हिमालय क्षेत्र में जहां कहीं पर भी मैडिस्नल प्लान्ट पाए जाते हैं, वहां से इनको स्मगल करने की कोशिश होती है।

[अनुवाद]

हमें इसके प्रति गंभीर हो जाना चाहिए। अब, कुछ विकसित देश इन पौधों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं। वे इनका उपयोग करके उत्पाद तैयार करते हैं और विकासशील देशों को बेचते हैं। भारत सरकार को इस पहलू को गंभीरता से लेना चाहिए।

कुछ क्षेत्रों में इन आदिवासी लोगों को अन्य लोग परेशान करते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों और जंगली भागों में रहने वाले आदिवासियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। वहां रहने वाले अधिकतर लोग अशिक्षित है। इसलिए, हमें इन क्षेत्रों पर अपना पूरा ध्यान देना होगा। हमें उनकी शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं देनी होगी। उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने होंगे।

जैसा कि आपको पता है, कुछ क्षेत्रों में गरीबी के कारण मौतें भी हुई हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य में। अब भी कालाहाड़ी क्षेत्र में लोग भूख से मर रहे हैं। कालाहांड़ी, बोलनगीर, कोरापुट क्षेत्र अत्यंत गरीबी से प्रभावित हैं। इस विधेयक की भावना यह है कि हम इन पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्ता प्रदान करे। इसलिए, मैं पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए एक बोर्ड का निर्माण करने के सुझाव का स्वागत करता हूं जिससे विकास का सन्तुलन बनाया जा सके। जिससे समतोल विकास द्वारा इन क्षेत्रों में संपूर्ण सामन्जस्य हो।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति जी, माननीय सदस्य, महेश्वर सिंह जी, ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

महोदय, हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्रों का बहुत हिस्सा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग बहुत सीधे होते हैं और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं और राज्यों को चलाते हैं, उनकी पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति नजर कम होती है। और इनकी सभ्यता बहुत उन्नत और शांतिप्रिय थी, जिसके कारण वहां अपराध नहीं होते थे, गलत उद्देश्य नहीं होता था और वहां एक सभ्य जीवन जीने की भावना थी। लेकिन जब शहरी सभ्यता के सभ्य लोग वहां गये, उनसे मिले तो इनका असर उन लोगों पर पड़ा। जो इन लोगों की सभ्यता की खूबियां हैं उनको हमें बरकरार रखना चाहिए। हमें विकास के साथ-साथ इनकी परम्पराओं को भी जिंदा रखना है। ये लोग प्रकृति के हमसे ज्यादा नजदीक हैं। प्रकृति को हमें बचाना है क्योंकि इनका जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है। देश को चलाने वाले लोग यह समझें कि सभ्य कहलाने वाले लोग पहाड़ को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ और पहाड़ खत्म हो जायेंगे। हम पर्यावरण को नहीं बचा सकेंगे तो जलवायू में बदलाव आ जायेगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। इस तरफ हमारा एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिये।

पिछले 50 सालों में हमने जो योजनाएं बनाई हैं उनसे क्या हुआ है? हमें पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए कि इनका पूर्ण विकास बिना नुकसान के कैसे हो सकता है? क्या योजनाओं का पहाड़ी लोगों के जीवन को उन्नत करने में योगदान रहा है? हमें इनके जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इंसान की सोच प्रकृति के साथ तालमेल रखकर होनी चाहिए जिससे इंसान की उन्नति हो। हमने डाकघर बना लिये और हम एक तरह से उन लोगों के लिए गार्जियन का काम करते हैं लेकिन वे लोग क्या चाहते हैं इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमें उनकी जरूरतों के हिसाब से योजनाएं तैयार करनी चाहिए। हमें उनकी सहमति से योजनाओं का निर्माण करना चाहिए।

हम देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों की उपेक्षा के कारण पहाड़ों पर हर जगह असंतोष है। पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत सीधे हैं। वे लोग सच्चाई के साथ रहने वाले, पर्यावरण को बचाने वाले हैं। लेकिन आज हमारी व्यवस्था के खिलाफ इनमें रोष पैदा हो रहा है। ...*(व्यवधान)* झारखंड में भी असंतोष हैं। जहां भी पहाड़ हैं वहां असंतोष पैदा हो रहा है। जब तक हम सही ढंग से इस दिशा में नहीं सोचेंगे कि क्या कारण हैं कि इनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है तब तक इनके लिए और देश के भविष्य के लिए अच्छा होने वाला नहीं है।

पहाड़ों पर काफी चीजों का विस्तार हुआ है, शिक्षा का विस्तार हुआ है। हम यह नहीं कहते हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमारे विकास का फल कुछ ही लोगों को मिला है, दस-बीस प्रतिशत लोगों को ही मिला है, अस्सी प्रतिशत लोगों के पास नहीं पहुंचा है। हमारे एक प्रधान मंत्री ने बताया भी था कि रुपये में से केवल 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं, गरीब लोगों तक पहुंचते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों तक तो और भी कम विकास का फायदा पहुंचता है। जो लोग विकास के, सभ्यता के दावेदार हैं वे ही लोग विकास का सारा फायदा उठा लेते हैं। जैसा कि हमारे मित्र रमेश जी ने बताया कि मिडिल-मैन इन गरीब लोगों को ठगकर बीच में ही ज्यादा पैसा लेकर अपनी किस्मत बना लेते हैं। हमारे देश की दृष्टि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों पर सही होनी चाहिये। उनमें क्षोभ पैदा होने पर टैरेरिज्म पैदा होता है, हमें उसके पीछे कारण ढूंढ़ना पड़ेगा। एक सहमति बनानी पड़ेगी कि इस दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं। उनको उकसाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कभी-कभी राजनैतिक दल अपने फायदा के लिये उनको उकसाते हैं लेकिन वे यह नहीं समझते कि आज वे सत्ता से बाहर हैं और यदि कल वे सत्ता में आयेंगे तो नुकसान होगा। एक बार यदि गलत रास्ता पकड़ लें तो उनको सही रास्ते पर लाना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है जो पार्टी पावर में है उसको तंग करने के लिये ऐसा किया जाता हो लेकिन जब वह खुद पावर में आयेगी तो सब के लिये मुश्किल हो जायेगी। हमारे देश में पिछले 50 साल से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। यह देखा गया है कि यदि उन लोगों में थोड़ा शिक्षा का विकास हुआ हो तो मध्यम वर्ग के

[श्री हन्नान मोल्लाह]

लोगों में एस्पायरेशन पैदा होती है। वे पहाड़ी क्षेत्र में सड़क चाहते हैं और जब वे जान जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उनकी हिस्सेदारी की इच्छा बढ़ जाती है। वे चाहते हैं कि प्रशासन में उनका हिस्सा मिले। हमें सही ढंग से इसका मूल्यांकन करना चाहिये। उन लोगों को इसमें लाना चाहिये। हमें सोचना चाहिये कि उनकी हिस्सेदारी उनको मिले, इसके लिये सोचना चाहिये। इस बात की भावना पैदा हो जाती है, उसका सम्मान करना चाहिये और उनको हिस्सा देने के लिये सिंसयरली काम करना चाहिये। इसके लिये अटानमी दी जा सकती है। अगर देश के गांव में अलग स्टेट बना देंगे तो हिन्दुस्तान कहां बचेगा। आप रीजनल अटानमी दे सकते हैं जिससे वे व्यापार संभालेंगे। सही ढंग से प्रशासन में हिस्सा दें और उसमें दखलअंदाजी न करें वरना उनकी भावनाओं में क्षोभ पैदा होता है, वह हम रोक सकते हैं। इसलिये हमें रीजनल अटानमी देने के लिये काम करना पड़ेगा। इस बात के लिये हमें आर्थिक रूप से परियोजना बनानी होगी। इसकी परम्परागत योजना है, उनकी मदद धनराशि के रूप में की जा सकती है। उसके साथ हम उसे टैक्नालाजी दे सकते हैं। हमारा टैक्नीकल मिशन है, उसका काम होना चाहिये। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी टैक्नोलाजी होगी, उसका विकास हो सकता है और वे अपने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वे अपनी इकोनमी के लिये काम करेंगे।

सभापति महोदय, पहाड़ी लोग बीमार बहुत होते हैं। वहां आयोडाइज्ड नमक नहीं मिलने के कारण ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं, सरकार उनको ये चीजें उपलब्ध कराकर उन लोगों की मदद कर सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है, वहां हिली डाइहेरिया हो जाता है। जो पानी मिलता है, उसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, उसको शुद्ध करने के लिये परियोजना बनानी होगी जो व्यापक रूप से हो ताकि उन लोगों की मदद दी जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग इलाके में अलग-अलग समस्या हो सकती है, इसके लिये आवश्यक है कि उनके लिये स्थिति के मुताबिक परियोजना बनाने का काम किया जाए। दिल्ली से योजना बनाकर भेजने से काम नहीं चलेगा। उन लोगों की जरूरत के मुताबिक बनाकर उनका विकास किया जा सकता है। इसके अलावा वहां आदिवासी क्षेत्र भी हैं उसके लिये सब प्लान का पैसा होता है। मेरा सरकार से कहना है कि उसके लिये ठीक ढंग से पैसे का इस्तेमाल करना होगा। रीजनल ऑटोनॉमी के जरिये उसमें जनवादी भावना का समावेश करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए उसको मुख्यधारा के साथ जोड़कर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग पहाड़ के ट्राइबल लोगों को अपने से कम समझते हैं। यह जो दादागिरी की मनोवृत्ति है, विकसित क्षेत्रों के लोगों को यह छोड़नी पड़ेगी और बराबरी का हिस्सा देकर उनकी संस्कृति, भाषा, शिक्षा सबको पूरी इज्जत देकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसके लिए कुछ कार्यक्रम बनाएंगे जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म का विकास हो और वहां आर्थिक विकास हो। साथ ही देश के भावनाओं को पहाड़ों तक पहुंचाना चाहिए और पहाड़ के लोगों की भावनाएं अन्य देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए। इससे हम देश में एकता पैदा कर सकते हैं। विचित्रता में एकता की जो परंपरा है, उसको मजबूत करके ही हम हिन्दुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। यह काम सरकार करेगी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने इस संकल्प को लाकर बड़ा ही अच्छा काम किया है और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इसे मान लेना चाहिए। चूंकि पहाड़ और पहाड़ी हिन्दुस्तान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पुराने शास्त्र और ग्रंथ बताते हैं कि भोलानाथ पहाड़ों में रहते थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जितने बड़े तीर्थ हैं, सब पहाड़ों पर हैं। पुराने समय में जब लड़ाई होती थी तो उसमें जो बागी लोग होते थे, वे पहाड़ों पर जाकर छिप जाते थे। वे बहादुर लोग होते थे। वहां रहते-रहते वे वहां ही बस गए। इस तरह से हमें पता लगा कि पहाड़ में भी लोग बसे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनके पुरखे बहादुर लोग थे। वे राजतंत्र से लड़ते-लड़ते पहाड़ों में जाकर बस गए। इतना बड़ा इलाका उत्तर हिमालय का है - जम्मू-कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट में बर्मा की सीमा तक है, सब जगह लोग रह रहे हैं। जहां पर तीर्थ की मान्यता हो गई, वहां जाने का काम कई लोगों ने किया और जब वहां से वापस आए तो इस प्रकार कुछ रास्ते बन गए, लेकिन जो आम आदमी वहां रह रहे हैं, वह उपेक्षित हैं और हर तरह की कठिनाइयां वहां पर है। सरकार की नीति है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष अवसर और विशेष सहूलियतें दी जाएंगी, समाज का कोई हिस्सा पीछे छूट गया हो तो उनको विशेष मौका देकर समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा भूभाग जो पहाड़ या पहाड़ी है, उसमें जो लोग बड़ी आबादी में रह रहे हैं, सब हर दृष्टि से उपेक्षित हैं चूंकि समतल मैदानों की समस्याएं पहाड़ की समस्याओं से अलग हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के विकास बोर्ड का प्रस्ताव बिल्कुल मानने लायक है। अभी तक यह क्यों नहीं हुआ हमें मालूम नहीं है।

एक प्रस्ताव आया था कि उत्तराखंड नाम का अलग राज्य बना दिया जाए लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इस सरकार के रहते हुए वह राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। देवेगौड़ा जी उस समय बहुत घोषणाएं करके आए थे।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अब तो वनांचल भी बना रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप सुन तो लीजिए। इसलिए उत्तराखंड का राज्य जल्दी बने और उसमें हरिद्वार और पंजाबी लोगों वाला इलाका जिसका नाम ऊधमपुर है, शामिल किया जाए। ऊधमपुर में राजनीतिक उठा-पठक क्यों हो रही है। वहां के लोग, वहां का बहुमत कहता है कि हम उत्तराखंड में नहीं उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए। क्यों जबरदस्ती करते हो, एक हिस्से को काटकर क्यों अलग करते हो, जब वे नहीं रहना चाहते तो क्यों जबरदस्ती करना चाहते हो। उत्तराखंड बना दिया जाए। यह एक अलग दिशा है। लेकिन सम्पूर्ण पहाड़ के विकास के लिए विकास बोर्ड बनना चाहिए। माननीय सदस्य जो प्रस्ताव लाये हैं वह बड़ा माकूल और सरकार द्वारा मानने लायक है। चूंकि पहाड़ों पर आवागमन की समस्या होती है, वहां लोग पहाड़ों पर रहते हैं। यहां जब गर्मी पड़ती है तो वहां ठंड पड़ती है। अंग्रेजों ने शिमला को अपने आने-जाने का स्थान बनाया, हिमाचल प्रदेश में रहने का कुछ इंतजाम किया। लेकिन जब अंग्रेज चले गये तो उसके बाद से ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : अब वहां काले अंग्रेज लोग जाते हैं, अंग्रेज तो चले गये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : चूंकि अब पहाड़ों पर अच्छी जगह नहीं हैं, इसलिए यह प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी। पहाड़ में पीने का पानी की समस्या रहती है, रहने के लिए घर, आवागमन, शिक्षा और हर एक क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र आज उपेक्षित हैं। पहाड़ में झरने आदि होते हैं, लेकिन हर जगह का पानी पीने लायक नहीं होता है। वैसे पहाड़ों से पवित्र गंगा, भागीरथी, अलकनंदा आदि नदियां निकलती हैं। लेकिन आज उनमें भी प्रदूषण हो रहा है। सारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, इसलिए पहाड़ की उपेक्षा करके हम लोग नहीं रह सकते हैं। परम्परा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से पहाड़ों का महत्व है। पहाड़ों में जड़ी-बूटियां भी होती हैं। केसर, कस्तूरी आदि भी होता है। लद्दाख का उदाहरण ले लीजिए। लोग जो पश्मीना का गर्म कपड़ा पहनते हैं। वह पश्मीना भेड़ से नहीं बकरी से प्राप्त होता है जो आठ हजार फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में रहती है। उस बकरी का रोआं बड़ा होता है। लेकिन उसकी चमड़ी के ऊपर कोटिंग की तरह मुलायम फर होता है। उसी को कंघी से खींच-खींचकर करीब दो सौ ग्राम पश्मीना एक बकरी से प्राप्त होता है। पहले हम लोग समझते थे कि पश्मीना भेड़ वगैरह से प्राप्त होता है इसलिए मुलायम होता है। लेकिन वह बकरी से प्राप्त होता है। इस प्रकार जिन बकरियों से पश्मीना प्राप्त होता है वे लद्दाख में पाई जाती हैं। कश्मीर में बढ़िया जाति की भेड़ का पालन होता है, जिससे प्राप्त होने वाला मेरीनो क्वालिटी का वूल मुलायम होता है। इसलिए हर दृष्टि से पहाड़ों की उपेक्षा करने से देश का ही नुकसान है। इससे क्षेत्रीय विषमता पैदा होती है। वहां के लोग समझते हैं कि हम हिन्दुस्तान के हिस्से हैं, लेकिन विकास में उनकी उपेक्षा होती है तो वे समझते हैं कि हम इस देश में बेकार ही हैं। इस क्षेत्रीय विषमता के चलते राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा पैदा होता है। इसलिए माननीय सदस्य पहाड़ में विकास बोर्ड का जो संकल्प लाये हैं वह राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करने वाला है। इसलिए इसे सरकार को मान लेना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के हर एक पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र को लगे कि उन्हें मुख्य धारा में लाने की यह सरकार, व्यवस्था और समाज कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए। जब उन्हें यह विश्वास होगा तब राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी। सीमा पर रहने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा होगा, उनमें देशभक्ति की भावना रहेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इसका महत्व है। मुझे नॉर्थ ईस्ट के एरिया और बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्मू-कश्मीर और श्रीनगर जाने का मौका मिला है, मैंने वहां घूमकर देखा है। पहाड़ों पर अनाज पहुंचाने की समस्या है। वहां बर्फ गिर जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। छः महीने सब कुछ बंद हो जाता है। इन महीनों में लोग क्या खायेंगे। वहां अनाज नहीं होता है। कहीं-कहीं इलाका समतल होता है, उससे कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती है। अन्यथा नीचे से ही सब सामान पहुंचाना होता है। छः महीने तक उन्हें नीचे से अनाज ढोकर ले जाना पड़ता है। कहीं-कहीं भेड़ की पीठ पर पांच-दस किलो अनाज लादकर पहाड़ों में पहुंचाना पड़ता है।

सभापति महोदय, फूट सिक्योरिटी हमारी प्राथमिक समस्या है और हमारा संकल्प है कि देश के हर हिस्से में फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में बर्फ के कारण छः महीने तक सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहती हैं इसलिए वहां छः महीने का राशन एडवांस में पहुंचाना पड़ता है। अब राज्य सरकार जब अनाज लेगी तो केन्द्र सरकार कहेगी कि हमें नगद दाम दो, राज्य सरकार बेचारी कहां से दाम देगी। इसलिए उसको उधार पर फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, भोजन, पढ़ाई, कपड़ा, आवास, दवाई यातायात और अन्य मामलों में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा, उपेक्षित और पीड़ित क्षेत्र है, उसे ये सुविधाएं देने और उसके विकास हेतु अलग बोर्ड बनाया जाना चाहिए। जो समस्याएं समतल भागों की हैं, वही समस्याएं उनकी नहीं हैं। उनकी समस्याएं मैदानी भागों से अलग प्रकार की हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड बनाने और उसके माध्यम से पर्याप्त धनराशि भारत सरकार की ओर से आबंटित किए जाने से उन क्षेत्रों का विकास होगा, उनकी समस्याओं का समाधान होगा।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र पूर्वान्चल की बात कर रहे थे, वे अब यहां नहीं हैं, शायद चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि पहाड़ों का विकास हो। पहाड़ों पर जो जंगल कट रहे हैं, उसका प्रभाव मैदानों में हो रहा है। जंगल कटने से बाढ़ें आ रही हैं। पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर प्लेन में नदियों में बहकर आ रही है जिससे मैदानी भागों में बहने वाली नदियां उथली हो रही हैं, उनमें बाढ़ आने से मैदानी भाग तबाह हो रहे हैं। इसलिए पर्यावरण में संतुलन बनाने, पेड़ों को कटने से बचाने, जंगलों को सुरक्षित रखने से ही देश के पहाड़ी और विकसित क्षेत्रों का विकास हो सकता है। पर्यावरण का संतुलन बनाने या फ्रेंडली इकौलौजी होनी चाहिए। अरूणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं हिमालय के तमाम क्षेत्र में 300-400 किलोमीटर अंदर तक उत्तुंग पहाड़ों में लोग बसे हैं। उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। उनके विकास के लिए अलग बोर्ड बनना चाहिए। इसलिए हम माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह द्वारा सदन में प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय, श्री महेश्वर सिंह सत्ता पक्ष के हैं और हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और जब सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोर्ड के बनाने का प्रस्ताव लाए हैं और विपक्ष वाले उसका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर सरकार को उनका संकल्प मानने में क्या कठिनाई है? मेरा आग्रह है कि सरकार को उनका संकल्प मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सदस्य द्वारा निजी प्रस्ताव लाया गया है इसलिए सरकार उसे नहीं माने या सरकार में बैठे मंत्री यह कहें कि हम सदस्य की बात क्यों मानें। जब इस प्रस्ताव पर सभी पक्ष एक हैं और चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए, तो सरकार को उनका प्रस्ताव मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए कि सदस्य की बात सरकार न माने। यदि कोई सांसद वाजिब बात बोले और विपक्ष उनकी बात का समर्थन करे, तो सरकार को अड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनके प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। अब बोर्ड के गठन के बात मानने के बाद, फंड की व्यवस्था कैसे होगी, उसके कार्यालय इत्यादि का इंतजाम कैसे होगा, यह बाद की बातें हैं जिन पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है।

सभापति महोदय, जैसे यहां पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, उसी प्रकार से बिहार में झारखंड अलग राज्य हो, इसकी मांग की जाती रही है। यहां से वनांचल वाले बी.के. देव सांसद महोदय चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही राज्य था, लेकिन 1912 में बंगाल अलग राज्य बना दिया गया और 1937 में उड़ीसा अलग राज्य बना दिया गया। 1912 से 1937 तक बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य था। उस समय तक यानी लगभग 100 वर्ष तक अंग्रेजों ने छानबीन कर के पता किया और देखा कि झारखंड अलग राज्य बनाने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि वह क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। झारखंड की मांग उस समय भी थी, लेकिन अंग्रेजों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उसे अलग राज्य नहीं बनाया। कांस्टीट्यूएंट एसेंबली में भी इस बात पर बहुत बहस हुई क्योंकि उसमें देश भक्त और बड़े-बड़े महान नेता थे, उन्होंने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाया कि बिहार का एक और राज्य झारखंड बनाने के कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि झारखंड क्षेत्र का नुकसान होगा। उसय समय प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और बाद में प्रधान मंत्री के पद पर आने वाली स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस बात पर बहुत गौर किया और पाया कि जो झारखंड राज्य की मांग कर रहे हैं, वह वाजिब नहीं है। इस राज्य की स्थापना देश और बिहार तथा झारखंड के हित में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, वे तो अलग विकास बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, जो न्यायोचित है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विकास बोर्ड बन जाने से उस क्षेत्र के लोग महसूस करेंगे कि वहां के निवासी भी देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। मैं पूर्वांचल राज्यों के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां अलग-अलग राज्य बना देने से उनकी समस्या हल नहीं हुई। वहां सात राज्य बना दिए गए, लेकिन विकास नहीं हुआ, बल्कि वहां ज्यादा खराबी आ गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी (रांची): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान पंजाब की ओर ले जाते हुए कहना चाहता हूं कि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, उसके बाद से हरियाणा ने जो प्रगति की है, वह सराहनीय है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पंजाब तो पहले से ही बहुत तरक्की पर था। हरियाणा भी कम तरक्की पर नहीं था। उसको अलग कर दिया, तो वह और तरक्की कर गया। इसलिए कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप झगड़ा क्यों करते हो। ...*(व्यवधान)* पिछड़े क्षेत्र, आदिवासी, बनवासी, हरिजन, गिरिजन जितने लोग पीछे छूटे हुए हैं, उनको मूल धारा में लाने के लिए विपक्ष पूरा सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन गरीबों के बारे में कुछ सुनते ही उनको गुस्सा चढ़ जाता है। कल ही जनरल बजट पर जो बहस हुई, उसमें हमने देखा। उन्होंने गरीब आदमी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सी.आई.आई. से दोस्ती करने वाले लोग गरीब लोगों की क्या सोचेगा? पहाड़ की क्या सोचेगा? सी.आई.आई. और फिक्की वाले लोग गरीबों के बारे में क्या जाने। 'जाके पांव न फूटे बवाई, वह क्या जाने पीर परायी।' वह क्या जानेंगे कि आदिवासी, हरिजन, गिरिजन, बनवासी लोगों की क्या पीड़ा होती है। जो लोग पीछे छूटे हुए हैं, उनके बारे में ये कभी नहीं सोचते

कि वहां पर रेल लाइन चले, सड़क बने जिससे वह भी बूझे कि हम इस देश का हिस्सा हैं। वहां भी पढ़ाई का प्रबंध हो। *...(व्यवधान)*

डा. रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने जो कहा, वह भी उन्होंने नहीं सुना।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं सुना। वहां पर तो अनाज उधार देना चाहिए। पहाड़ पर तो ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहां आमदनी कहां है? उनका सारा सामान नीचे से ही ऊपर जाता है। जब वह सामान ऊपर जाता है तो उसका दाम ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। गरीब को अनाज देने का कार्यक्रम इन्हीं ने शुरू कराया था। यह उस समय मंत्री थे। उस समय गरीब की तरफ जो धारा गई थी, उसे उन्होंने दाम बढ़ाकर खत्म करने की कोशिश की है। उस समय भी फाइनेंस वाले बड़ी गड़बड़ करते थे। गरीब का फाइनेंस में कौन सुनने वाला है? वे लोग अपना हिसाब जोड़कर कहते हैं कि पांच हजार करोड़ रुपये लग जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए पांच हजार करोड़ रुपये क्या हैं? 98 हजार करोड़ रुपया नॉन परफोर्मिंग ऐसेट्स हो गया और वह डूबंत खाते में चला गया। उसमें सी.आई.आई. का मैम्बर तीस हजार करोड़ रुपये, जो सी.आई.आई. के बड़े लोग हैं, वही इन लोगों का सुधार करते हैं। इकोनोमिक अर्थशास्त्र को बताने वाले, सीखाने वाले यहीं हैं। जैसे राहुल बजाज, सिंघानिया, आदि हैं *...(व्यवधान)* सब बातें बतायेंगे तभी तो यह मंजूर करेंगे नहीं तो रास्ते में ही रह जायेगा। *...(व्यवधान)* इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का विकास वाला, गरीब को छूने वाला प्रस्ताव कोई भी माननीय सदस्य लाये तो उसको मंजूर कर लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कैसे मंजूर करें। पहले यह सुनेंगे फिर बाद में कहेंगे कि आप वापिस कर लीजिए, हम देखेंगे। क्या ऐसा कभी हुआ है? आप विचार कर लीजिए। अच्छा काम करने में सब लोगों से पूछने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ क्षेत्र का विकास बोर्ड बनना चाहिए। मैं महेश्वर सिंह को दुबारा धन्यवाद देते हैं कि वह यह प्रस्ताव लेकर आये। उस पार्टी में कुछ इस तरह के आदमी हैं जो गरीब और उपेक्षित क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। इसलिए सभापति महोदय, जहां-जहां गरीब का सवाल उठेगा वहां-वहां हम कंधा लगाकर उसका समर्थन करेंगे लेकिन जहां-जहां लोग गड़बड़ी करेंगे तहां-तहां हम उनका घोर विरोध करेंगे, प्रतिवाद करेंगे और ऐसे-ऐसे काम करेंगे जो इन लोगों को ठंडा कर दे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति जी, हिमालय हमारे देश का रक्षक रहा है और इसलिए देश का स्तवन जिन गीतों के अंदर होता है, उन गीतों में हिमालय का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

अपराह्न 4.39 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराज है। इस पंक्ति से कौन परिचित नहीं। जिस हिमालय के लिए जय शंकर प्रसाद जैसे कवि ने लिखा कि 'हिमालय के आंगन में, उसे दे प्रथम किरणों का उपहार, उषा ने किया हंस-अभिनंदन पहनाया हीरक हार' इस भारत वर्ष के अंदर पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। हिमालय की चोलियों की बर्फ के ऊपर जब किरणें पड़ती हैं और फिर किरणों का उपहार एक माला बनकर भारत माता के गले के अंदर शोभित होता है, तो ऐसा हिमालय वास्तव में भारत माता का मुकुट है और यह तलवार की तरह ढाल की तरह इस देश की रक्षा करता रहा है।

मान्यवर सभापति महोदय, भारत वर्ष के बारे में कहा जाता है - भारत प्रकृति का पालना है। हिन्दुस्तान प्रकृति का पालना है। कुदरत ने इतनी मेहरबानी की है कि यहां एक तरफ हिमालय के ऊंचे-ऊंचे पर्वत जो संसार में सर्वोच्च शिखर ऐवरैस्ट गौरी शंकर की चोटी, कहीं गंगा, यमुना के पवित्र हरे-भरे लहलहाते हुए मैदान, कहीं राजस्थान का थार मरुस्थल, कहीं समुद्र तटीय मैदान, कहीं पूर्वी घाट, कहीं पश्चिमी घाट, देश में कैसी भौगोलिक विविधता है। इसलिए दिल्ली से केवल हम एक ही लाठी से सबको हांके और सब धान बाइस पंसेरा कर दें तो शायद वह इतना सार्थक या लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए हमें भौगोलिक परिस्थितियों को राष्ट्र के विकास पथ पर ले जाते हुए दृष्टिगत अवश्य रखना पड़ेगा। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि माननीय महेश्वर सिंह जी ने जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि 'देश के पर्वतीय राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बोर्ड गठित किया जाए ताकि उन्हें देश के विकसित मैदानी क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके, मैं उनके इस संकल्प का पुरजोर और प्रबल समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह वास्तव में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर पूरा ध्यान दे ताकि मैदानों के समकक्ष पहाड़ी क्षेत्र के लोग भी खड़े हो सकें, राष्ट्र की मुख्य धारा में आत्मीयता का अनुभव कर सकें और वे भी हमारे राष्ट्र के विकास और पुण्य का लाभ सब प्रकार से अर्जन कर सकें।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

हिमालय में गंगोत्री और यमुनोत्री है हमारे पूर्व वक्ता केदारनाथ, बदरीनाथ आदि तीर्थों के नाम गिना रहे थे। हमारे देश ने तो हर कंकर में शंकर के दर्शन किए हैं। जहां भी पर्वतीय मनोरम दृश्य थे, जहां प्राकृतिक दृश्य थे, वहां हमारे ऋषि-मुनि तपोवन बनाकर और तपस्या करके अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करते थे। जिस हिमालय ने हजारों वर्षों तक देश की उत्तरी सीमाओं की रक्षा की, आज वह हिमालय का पूरा प्रदेश, कश्मीर से लेकर त्रिपुरा, उसमें अरूणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, आसाम का उत्तरी इलाका, अरूणाचल, सिक्किम और साथ में तराई क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है, वह भी आ गया, उत्तराखंड का इलाका आ गया और स्वयं हिमाचल का इलाका आ गया, जम्मू कश्मीर आदि आ गए। आज हिमालय सारे देश से यह मांगता है कि मैंने तुम्हारी हमेशा रक्षा की, ओ करोड़ो देशवासियो, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए देश का कर्त्तव्य है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वास्तव में बोर्ड का गठन होना चाहिए।

हमारे देश के बारे में एक कवि ने कहा–

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को
मिलता एक सहारा।

ऐसा यह अरुण और मधुमय देश भारतवर्ष, इसका ताज हिमालय, अगर उस ताज में रत्न जड़ित नहीं होंगे, अगर ताज समृद्ध नहीं होगा तो भारत माता का मुकुट कोरा वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई चमक-दमक नहीं रहेगी। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेषकर आपने हिमाचल के लिए कहा है, हिमाचल का विकास तो हो लेकिन कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, उन सबके विकास के लिए विशेष बोर्ड गठित होना चाहिए।

मान्यवर, प्रान्तीय सरकारों के पास सीमित साधन हैं जिसके कारण वे उन पर्वतीय इलाकों की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को जितना पूरा करना चाहिए उतना विकास की दृष्टि से नहीं कर पाते। केन्द्र के पास तो अपार साधन हैं, हालांकि केन्द्रीय सरकार ने कहीं हिल एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम, कहीं वैस्टर्न घाट डैवलपमैंट प्रोग्राम, कहीं नार्थ-ईस्ट काऊंसिल, कहीं बार्डर डैवलपमैंट प्रोग्राम, कहीं डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम, कहीं ड्राउट एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम इत्यादि बनाए हैं। लेकिन इन सबके अंदर जो क्राइटेरिया तय किया गया है, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, राजस्थान में अरावली पर्वत की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली के रायसीना रोड, राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर हरियाणा के रिवाड़ी, अहिरवार होकर, अल्वर के पास होकर, अजमेर, मेरवाड़ होकर, आबू और कोटड़ा, उदयपुर और मेवाड़, चित्तौड़, डुंगुरपुर, बंसवाड़ा और गुजरात तक चली गई है। अरावली पहाड़ी का प्रदेश, पहले वनों से आच्छादित था, अब सारे वन कट गए, हालांकि खनिजों का भंडार है। लेकिन खनिजों का जितना विकास होना चाहिए, जितना दोहन होना चाहिए, उतना दोहन नहीं हुआ। दोहन होने के साथ-साथ उन पर आधारित उद्योग लगाकर वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, ऐसे विकास की ओर कम ध्यान गया है। इसलिए देश के किसी भी क्षेत्र में, चाहे विंध्याचल और बिहार में झारखंड में हो, अभी एक चर्चा हुई थी, इसलिए कोई भी पहाड़ी इलाका हो, उनकी तरफ चाहे डाकखाने खोलने का मामला हो, चाहे बैंक खोलने का मामला हो, वहां यदि यह कह दें कि यह इकोनोमिकल नहीं है, वहां पर यह वायबल नहीं है। वहां यदि कह दें कि आमदनी कम है, डाकखाने के लिए इतने लोगों की आबादी नहीं है तो परिणामस्वरूप वहां का विकास सब दृष्टि से रूक जायेगा। जे.आर.वाई., प्रधानमंत्री स्वर्ण जयन्ती, ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयन्ती विकास योजना या अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अन्दर जो क्राइटीरिया रखा गया है कि इतनी जनसंख्या पर इतना अनुदान मिलेगा तो वह क्राइटीरिया पूरा नहीं हो पाता और वहां पर निर्माण और विकास का काम भी पूरा नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पहले यह व्यवस्था थी कि हमारे देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनको दो भागों में बांट रखा था। एक तो स्पेशल केटेगरी स्टेट्स, विशेष श्रेणी वाले राज्य, उनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम आते थे। वहां पहले यह व्यवस्था थी कि 90 प्रतिशत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती थी और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता था। शेष राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र कहकर उनके लिए हिली एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत लाया गया। उनमें 30 प्रतिशत सहायता और 70 प्रतिशत ऋण दिया जाता था। इसमें उत्तरांचल वगैरह के इलाके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाके और उत्तरी क्षेत्र आते थे। लेकिन नवें वित्त आयोग जब से आया, उसने ये सारी सुविधाएं छीन लीं और सबको एक लाठी से हांकना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए वहां केन्द्रीय सरकार से विकास के लिए राशि जानी चाहिए, उसी हिसाब से धन वगैरह जाना चाहिए। इसमें एक और चीज है। अगर असंतुलित विकास किसी क्षेत्र में होगा तो वहां के युवाओं में आक्रोश पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा, उग्रवाद जन्म लेगा, आतंकवाद बढ़ेगा। यही कारण है कि आज उत्तर पूर्वी इलाके के अन्दर आतंकवाद की जड़े जमी हुई दिखाई देती हैं या समय समय पर वहां अलगाववाद की भावना पनपती है। इसके पीछे असंतुलित विकास भी बहुत बड़ा कारण है। कश्मीर के अन्दर भी और दूसरे इलाकों के अन्दर भी यही कारण है। वहां की जो

कठिन भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, आबादी बहुत कम है। आबादी है तो छितरी हुई है। वर्षा के अन्दर बहुत ज्यादा पानी बरसता है, बाढ़ आ जाती है और टूट-फूट होती है। पहाड़ों पर खेती होती है। खेती के लायक जो जमीन होती है, वह सारी टूट जाती है, परिणामस्वरूप किसानों का वहां बहुत नुकसान होता है। सर्दी आती है, बर्फ गिर जाती है, सारे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। वहां लोग पशुपालन करते हैं, पहाड़ों पर उनको दूर तक ले जाना और कई महीनों के बाद वापस लौटकर आना, ये सारी समस्याएं हैं। वहां क्षेत्रफल बहुत लम्बा-चौड़ा होता है, लेकिन जनसंख्या कम होती है। सम्पर्क मार्गों का अभाव रहता है, वहां सड़कें बनाना मुश्किल है। रूरल एरिया में कनेक्टिविटी टूट जाती है, उसके लिए रोड्स वगैरह बनानी बहुत आवश्यक हैं। वहां लोगों की आय के साधन भी सीमित हैं। जैसा अभी कहा गया, पहाड़ के लोग बहुत भोले होते हैं। पहाड़ के लोग अपनी संस्कृति को बचाये हुए हैं। उनमें मानवीय मूल्य अभी जीवित हैं। यदि मानवीय मूल्यों को जीवित रखते हुए, पहाड़ों की संस्कृति और वहां की विशेषताओं को जीवित रखते हुए हम वहां के विकास की ओर ध्यान देंगे और वहां जो वन सम्पदा है, उसके विकास की ओर ध्यान देंगे। वहां के अन्य पशुओं की रक्षा और जलविद्युत योजनाओं की तरफ ध्यान देंगे, जो प्रारम्भ हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत होता है, सेब की खेती को कैसे और बढ़ाया जाये या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में, अरूणाचल प्रदेश में इतनी वन सम्पदा है, वहां झूम खेती होती है, उसमें कौन सी तकनीक अपनाई जाये, जिससे उनके संसाधन बढ़ सकें। फ्लोरीकल्चर या हार्टीकल्चर, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन, ये अगर वहां पर प्रारम्भ किये जायें तो मैं समझता हूं कि वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यातायात के साधन बहुत सीमित हैं। वहां रेल लाइन देखने में कम मिलती है। हिमाचल में शिमला से कालका तक नौरोगेज है, जबकि यूनीगेज सिस्टम के नाम पर देश भर में ब्राडगेज हो गई है। मीटरगेज कहीं-कहीं रह गई है। हिमाचल प्रदेश में नैरोगेज है। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में जम्मू और कटुआ तक ही रेल लाइन है। राष्ट्रीय गठबंधन मोर्चा की सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनी है। हमें उम्मीद है कि यह सरकार हिमालय के क्षेत्रों के अंदर, पूर्वोत्तर तक सर्वांगीण विकास के लिए बोर्ड का गठन करेगी।

राजस्थान के अंदर अरावली विकास बोर्ड बनना चाहिए। जैसे कहीं तेलंगाना विकास बोर्ड है, मेवात विकास बोर्ड बना है और अब झारखंड को विशेष अधिकार देकर वहां भी विकास बोर्ड बनाया गया है। उसी तरह से राजस्थान के अंदर जहां से मैं चुनकर आता हूं अजमेर का इलाका जो है, वहां भी विकास बोर्ड बनाया जाए। अजमेर 1956 तक केन्द्र शासित प्रदेश था। सारा पहाड़ी इलाका है। वहां के हर घर से पांच-छः सदस्य फौज में भर्ती होते हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां खेती बहुत कम होती है। वहां अकाल से, दुर्भिक्ष से, अतिवृष्टि से नुकसान होता रहता है। इसलिए खैरवाड़ा, सलूम्बर का इलाका, चित्तौड़ का इलाका जो पहाड़ी है, पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए मगरा-मेरवाड़ा विकास बोर्ड बनाया जाए और राजस्थान के लिए अरावली विकास बोर्ड का गठन किया जाए। उसके बाद वहां योजनाएं बनाकर विकास के लिए धनराशि दी जाए, जिससे वहां फलदार वृक्ष लगाए जाएं, मजबूत और अच्छी लकड़ी वाले वनों का विकास किया जाए। इससे इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महेश्वर सिंह जी द्वारा यहां प्रस्तुत संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र अलगाव महसूस न करें, तिरस्कार और उपेक्षा की भावना महसूस न करें और पूरे देश में दूध और पानी की तरह समरस हो जाएं। जैसे दूध पानी को अपने में समा लेता है। इसी तरह एक-दूसरे के लिए जीना सीखें, एक-दूसरे की मुसीबतों में हाथ बंटाए। इसलिए राष्ट्र के विकास के लिए पर्वतीय विकास बोर्ड और हिमाचल विकास बोर्ड बनाने की आवश्यकता है।

1983 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तय किया गया था कि नेशनल हिमालयन डवलपमेंट बोर्ड की पालिसी बनाई जाए। उसके बाद योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य एस.जे. कासिम की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसका नाम नार्थ-वैस्टर्न हिमालयन कौंसिल रखा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं है। यहां मंत्री जी विराजमान हैं, शायद उनके पास वह रिपोर्ट है। वे अपने उत्तर में उसका उल्लेख करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसकी अनुशंसाओं के बारे में हमें जानकारी देंगे। मेरा निवेदन है कि नेशनल हिमालयन डवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए। वहां पर जल विद्युत परियोजना और वन विकसित करने की योजनाएं बनाकर उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सहयोगी, श्री महेश्वर सिंह, द्वारा प्रस्तावित यह संकल्प संपूर्ण सभा के समर्थन के योग्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और योजना के परिपेक्ष्य में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत इस शानदार अवधारणा के लिए धन्यवाद देता हूं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

महोदय, जो कोई भी भारत को दर्शनशास्त्र के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में और इसके धार्मिक पहचान के रूप में सोचता है, जानता है कि महान देश के पहाड़ों व पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन साहित्य, इतिहास और भूगोल के पन्नों पर बहुत आया है। चाहे वे वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे कुरान हों, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, भारतीय दर्शनशास्त्र का सभी सर्वोत्तम कार्य, जीवन और सच्चाई और सच्चाई के साथ प्रयोग, ऋषि मुनियों के दिनों से लेकर महात्मा गांधी तक, शास्वत के रूप से पर्वतों और पर्वतों से परे की अवधारणा भी चित्रित हुई हैं।

टैगोर कहा करते थे, "जब भी मैं पर्वतों या पहाड़ों पर जाता हूं, मैं महसूस करता हूं कि मेरा ब्रह्मांड से एकाकार हो गया।" भारतीय दर्शनशास्त्र की संपूर्ण अवधारणा पर्वतों और पहाड़ियों में केन्द्रित है। जो लोग यहां रहते हैं वह न केवल इस देश के नागरिक है, अपितु, हजारों सालों से देश की विरासत को भी संभाले हुए है, जिसकी गणना कोई इतिहास नहीं कर सकता। आप उनकी तुलना इन्द्रप्रस्थ या लखनऊ या कोलकोता के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है और उन्होंने शुरूआती सभ्यता का उदय देखा है। हमारे प्राचीन साहित्य में, ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां ये पर्वत या पहाड़ियां सूरज या चांद के साथ संवाद या भी समुद्र के स्वप्न गीत इत्यादि के मूक साक्षी है। हमारे देश के सीमांत प्रदेश, चाहे वह हिमालय की श्रेणियां हो या हमारे देश का पूर्वी भाग हो या जम्मू और कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश का भाग हो, न केवल बहुमूल्य है, अपितु सुन्दर एवं शांत हैं। हम अब सोचते है कि समय आ गया है कि हम श्री महेश्वर सिंह द्वारा लाए इस संकल्प पर अपना पूर्ण ध्यान केन्द्रित करें और इसके साथ न्याय करें।

मुझे आज याद आता है हमारे देश के महान सपूत का जिन्होंने कहा था, "मैं पहाड़ों से आया हुआ छोटा आदमी हो सकता हूं, मैं गरीब परिवार का सदस्य हूं, मैं शायद सही तौर पर शिक्षित न हूं, मैं वह खिलाड़ी नहीं हूं जिसने एथेंस, मास्को या रोम ओलम्पिक में भाग लिया, परंतु मेरे पास ऐवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की अभिलाषा और संकल्प है। वह थे दार्जिलिंग के तेनजिंग नोर्गे, जिन्होंने सालों साल ऐवरेस्ट पर पहुंचने का प्रयत्न किया और अंततः माऊंट ऐवरेस्ट पर पहुंच कर संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, डा. बी.सी. रॉय, ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बना कर उन्हें विशेष दर्जा दिया। तेनजिंग नोर्गे ने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि पहाड़ के लोग, चाहे वे सभी आवश्यकताओं से वंचित हो, कमाल कर सकते हैं।

अब, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य महान व्यक्ति का नाम लेता हूं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम फहराया था। वे थे नागालैण्ड के तियाओ।

मैंने टैगोर की कुछ किताबों को पढ़ा है। वे कहा करते थे, "जब मुझे स्वयं को केन्द्रित करने की इच्छा होती है या मैं भारत के क्षेत्र या परिधि से परे संपूर्ण ब्रह्मांड को महसूस करना चाहता हूं तो, मेरी इच्छा पहाड़ों या समुद्र किनारे जाने की होती है।" इसलिए, मैं इसका वर्णन इस प्रकार कर रहा हूं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की "भारत एक खोज" पढ़ेंगे तो आपको पहाड़ों की ध्वनि, भाईचारे, मानवता, देवता, प्रेरणा इत्यादि के रूप में सुनाई देती है।

यह महत्वपूर्ण संकल्प है और संपूर्ण सभा को सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको दार्जिलिंग में स्थित 'हिमालयन पर्वतारोही संस्थान' के बारे में पता है। सालों साल, लोग वहां प्रशिक्षण लेने जाते हैं जिससे तेनजिंग नार्गे का सपना पूरा हो। इस संस्थान ने प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियां दिए हैं जिन्होंने नंदा देवी और अन्य श्रेणियों पर चढ़ाई की और यह साबित किया कि वे किसी विशेषज्ञ से कम नहीं हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, इस हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान को उनके विस्तार कार्यक्रम के लिए, समर्थन की आवश्यकता है। विशेषकर सरकार से।

महोदय, कल जब मैं संसद आ रहा था तो मुझे एक और दार्जिलिंग पहाड़ियों के महान सपूत, श्री सुभाष घिसिंग से मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि वे संसद क्यों आए हैं। वे बोले, 'मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और उन्हें बताया कि मैंने अपने हाथों में कोई शस्त्र नहीं उठाया'। मैंने किसी हिंसक कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और मैंने भारत सरकार को संवैधानिक टक्कर नहीं दी। मैं केवल मेरे पहाड़ी लोगों की सीमित महत्वकांक्षा को पूरा करना चाहता हूं।

महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी, तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, ये और मैं उस पार्टी में थे जिन्होंने दार्जिलिंग के हिल कौन्सिल की स्थापना की समझौते को लाने में मदद की थी। उस समय यह सहमति हुई थी कि इस समझौते की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। मैं अपनी समिति की स्थापना कर रहा हूं। परंतु उस समय यह त्रिपक्षीय समिति थी और समझौता भी त्रिपक्षीय वार्ता के आधार पर हुआ था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस और आकर्षित किया और यह बताया कि अब समय आ गया है कि दार्जिलिंग में जो कुछ हो रहा है उस पर विचार किया जाए।

महोदय, जैसा कि सब जानते है, जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी कार्यवाही बढ़ने के कारण, पर्यटकों के पास सीमित चुनाव ही रह गया है या तो पर्यटन के लिए हिमाचल जाए या दार्जिलिंग जाए। दार्जिलिंग में पिछले कुछ सालों में सर्वाधिक पर्यटक आए हैं, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी कार्यवाही के कारण, जो अभी भी जारी है।

महोदय, श्री भिशिंग ने मुझे बताया कि वे आने वाले पर्यटकों की देखभाल करने में असमर्थ हैं, वे उनकी देख-रेख करने में असमर्थ है और सोचने पर मजबूर है कि क्यों पर्यटक यहां आ रहे हैं। भारत के पास अपार प्राकृतिक सौन्दर्य का खजाना है और इससे विश्व के कई देशों को ईर्ष्या होती है। हमारे पास परंपरागत रूप से कई बेहतरीन चीजें हैं। वे क्या हैं? उनमें से एक 'सूर्य प्रणाम' है। दुनिया के लोगों को लगता है कि सूर्योदय देखने का सर्वोत्तम स्थान दार्जिलिंग का कंचनजंगा की चोटी है। दुनिया भर के लोग सूर्योदय को भारत भूमि पर दार्जिलिंग की कंचनजंगा चोटी से देखना चाहते हैं।

महोदय, एक बार एक अमरीकी पर्यटक से पूछा गया, 'इसे आप यूरोप में क्यों नहीं देखते? इसे आप अफ्रीका में क्यों नहीं देखते? आप इसे अपने देश में क्यों नहीं देखते?' उसने कहा – जो भारत के लिए महान उद्‌गार है – कंचनजंगा की चोटी के अलावा सूर्योदय देखना ऐसा होगा जैसे सभ्यता के उदय को कभी न देखना। इस प्रकार का संदेश यह स्थान सालों से दे रहा है। दार्जिलिंग पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है।

महोदय, जब मैं प्रथम बार संसद में पांचवीं लोक सभा के माध्यम से पहुंचा, मैं उस समय के जो लोक लेखा समिति के सभापति थे, प्रो. हीरेन मुखर्जी – जिनका अभी भी मैं न केवल एक राजनीतिज्ञ के रूप में, बल्कि इतिहासकार, और दार्शनिक के रूप में सम्मान करता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, "प्रिया, मेरे साथ चलो, हम रक्षा लेखा के निरक्षण के लिए, नाथुला पहाड़ियों पर जा रहे हैं।" जब हम वहां पहुंचे, कुछ सैनिक आफिसरों ने बताया कि एक निश्चित ऊंचाई के बाद हमें नीचे आना पड़ता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हम बिल पर विचार के लिए समय 5.03 बजे तक का था, जो कि पूरा हो गया है। यदि सभा की सहमति हो, तो 45 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, एक घन्टे का समय बढ़ाया जाए। यह बिल तो पास होना ही चाहिए।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से 45 मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं अपने भाषण को शीघ्र समाप्त करूंगा।

महोदय, जब प्रो. हीरेन मुखर्जी मुझे पहाड़ों पर ले गए – मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को बधाई देना चाहता हूं, जो अब रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं – उन दिनों पांचवीं लोक सभा के समय, मैंने पाया कि अगर मैं गलत न हूं तो, संभवत: रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा बहुत अच्छा निर्माणात्मक और अद्‌भुत कार्य किया गया – जो चीनी आक्रमण के तुरंत बाद हुआ। वे बहुत अच्छा आधारभूत कार्य कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा यदि दार्जिलिंग में भी यही कार्य किया जाए तो, उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नाथुला है उसके बाद वे अन्य जगह का कार्य करेंगे। उस समय मैंने महसूस किया कि रक्षा मंत्रालय अपनी एजेंसियों के माध्यम से देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं का कार्य कर सकता है बल्कि दूर बसे पहाड़ी क्षेत्र जैसे नाथुला, गंगटोक, दार्जिलिंग और हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, जम्मू-कश्मीर और साथ ही, यदि मैं गलती पर न हूं तो, असम के छोटे पहाड़ियों के कुछ भागों के आधारभूत विकास में मदद कर सकता है।

मुझे लगता है, इन समस्याओं के कारण श्री महेश्वर प्रसाद सिंह ने यह संकल्प सभा पटल पर रखा।

सामान्य योजना के अंतर्गत किए गए आवंटन का क्या हुआ? मुझे कृपया गलत मत समझिए। यह न सोचिए कि मैं राजनैतिक लाभ उठा रहा हूं। उन राज्यों को दी जाने वाली योजना राशि जहां पहाड़ी क्षेत्र भी है, मैदानी इलाकों के नेताओं का यह स्वभाव होता है कि योजना राशि का महत्वपूर्ण भाग मैदानी इलाकों के महत्वपूर्ण नेताओं के चुनाव क्षेत्र में चला जाए या निष्पादित हो जाए केवल बचा हुआ भाग ही पहाड़ों तक पहंच पाता है। जब बची हुई आबंटित राशि पहाड़ी क्षेत्रों को जाती है तो वो मैदानी इलाकों को दी जाने वाले राशि के अनुपात में होता है। अंतत: वह अर्थहीन हो जाता है।

जब गोरखालैण्ड आंदोलन चल रहा था तब मैं केन्द्र सरकार में मंत्री था। राजीव जी ने मुझे पहाड़ी क्षेत्रों में आठ-दिवस के दौरे पर पहाड़ों पर रहने वालों के जीवन को और उन क्षेत्रों के मध्य क्या समानता है इसका निरक्षण करने भेजा था। मैंने अपनी रिपोर्ट राजीव जी को सौंपी थी। तब मुझे समझ में आया कि यदि मैं मैदानी इलाकों में भोजन और आवास पर जो राशि खर्च करता हूं,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

उसी कार्य के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में मुझे चार गुणी राशि खर्च करनी पड़ेगी। आप पहाड़ी लोगों की दशा को समझ सकते हो। कालका में और मनाली में एल.पी.जी. पर हुए खर्च में बहुत अंतर है, प्रथमत: पहाड़ी क्षेत्रों में एल.पी.जी. उपलब्ध ही नहीं है। जहां यह उपलब्ध है, वाहन का खर्च जोड़कर, यह मैदानी इलाकों की अपेक्षा महंगी हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जंगलों के संसाधनों को बचाने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वे एल.पी.जी. का इस्तेमाल इसकी ऊंची कीमत के कारण नहीं कर सकते। वे कहा जाएं? इसीलिए, राजीव जी ने योजना विभाग और अन्य विभागों को यह सलाह दी थी कि समानता के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों को अलग से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्र की प्रथम समस्या स्वास्थ्य की है। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में इलाज के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन, पहाड़ी लोग फिर भी यह सोच कर खुश रहते हैं कि वे भगवान के नजदीक है। उन्हें लगता है कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो वे मैदानी भागों के लोगों की अपेक्षा भगवान तक जल्दी पहुंच सकते है। मैदानी भागों में मिलने वाले इलाज की हम पहाड़ी क्षेत्रों में अपेक्षा भी नहीं कर सकते। मैं भूस्खलन के कारण उत्पन्न खतरनाक स्थिति का यहां वर्णन भी नहीं कर सकता। यदि प्रथम समस्या स्वास्थ्य की है तो, दूसरी समस्या पीने के पानी की अनउपलब्धता है। पिछले दो महीनों में, कर्सियोंग और केलिंगपोग में संभवत: सर्वाधिक भयंकर पीने के पानी की अनउपलब्धता के संकट का सामना करना पड़ा। जब आप एक घंटे की यात्रा के बाद नीचे सिल्चर और जलपाईगुडी आते हो, आपको सभी जगह पानी नजर आता है। जबकि लोग सभी जगह पानी का दुरुपयोग करते है, कर्सियोंग और कलिंगपोंग के कुछ क्षेत्र में लोगों को एक ग्लास पीने का पानी भी नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश में मानसून में इस प्रकार के भूस्खलन होते है। श्री शांता कुमार इस राज्य के मुख्य मंत्री रहे हैं। वे लता ठाकुर, हिमाचल युवा कांग्रेस की एक सदस्या को वे जानते होंगे। मैं उस समय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। यह लड़की दुर्घटना का शिकार हुई। मुझे दूसरे दिन यह समाचार मिला कि वे अपनी कार से गिर गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि यह घटनाएं प्रत्येक मानसून में घटती है। वाहनों की मरम्मत मानसून में नहीं हो सकती। ठेकेदारों को समय पर भुगतान न मिलने के कारण, वे कार्य में विलम्ब करते हैं। इस सब का परिणाम आम आदमी को भुगतान पड़ता है। एक बार मैं कुर्सियोंग और जलपाईगुडी के मध्य भूस्खलन के कारण फंसा रहा। मैंने पाया कि पूरा प्रशासन लाचार था क्योंकि पैसे के अभाव में वे ठेकेदारों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर पाए। ठेकेदार प्रशासन के साथ सौदेबाजी करके यह कह रहे थे कि जब तक बची राशि का भुगतान नहीं होता वे अपने मजदूरों को सड़कों को साफ करने नहीं भेज सकते।

यह लगभग दो घंटे चला। सौभाग्य से, उसी समय कुछ सैनिक दल जो वहां आ रहे थे, उन्होंने अपने बल पर, गांव वालों को बचाया और स्थिति को संभाल लिया। जवान आए और उन्होंने सड़कों को साफ किया। परन्तु यह प्रत्येक समय तो नहीं हो सकता कि जवान आकर बचाएंगे। इसलिये, भूस्खलन, यहां के लोगों के सम्मुख एक बड़ी समस्या है।

चाय बगानों के अलावा, हमारे क्षेत्र में सर्वोत्तम फल जैसे संतरो, सेब, नाशपति उगाए जाते हैं। दार्जिलिंग की चाय सर्वोत्तम होती है। माननीय सभापति महोदय, जब मैं वित्त मंत्री था, मैं एक बार भारतीय चाय बेचने जर्मनी गया। मुझसे प्रश्न पूछा गया: "मंत्री महोदय, क्या आप 'दार्जिलिंग चाय' लाए हैं? मैंने गर्वान्वित महसूस किया जब श्रीलंका, अफ्रीका और अन्य देशों के प्रतिनिधि जब मुझसे पूछते थे कि क्या आप 'दार्जिलिंग चाय' लाए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे अपने बाजारों में हमेशा 'दार्जिलिंग चाय' को ढूंढ़ने का प्रयत्न करते हैं। दार्जिलिंग का नाम उसके चाय के कारण विख्यात है। यह पहाड़ी मजदूरों की मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण संभव हुआ है। संसार की सर्वोत्तम चाय, 'दार्जिलिंग चाय' पहाड़ी लोगों का संसार को योगदान है। परन्तु इन चाय बागानों को देखिए। मजदूरों को पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता। पहाड़ी औरतों और आदमियों के पास अन्य कमायी का साधन भी नहीं है। वे मालिकों की दया पर निर्भर है। परन्तु मालिक अपने प्रबंधन को प्रत्येक वर्ष बैंकों को घोटाले या अन्य कारणों से बदलते रहते हैं, भारत की सर्वोत्तम 'दार्जिलिंग चाय' की छवि वर्ष प्रति वर्ष धूमिल हो रही है।

महोदय, भारत की सर्वोत्तम इमारती लकड़ी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से आती है। परन्तु पर्यावरण प्रणाली का नियंत्रण करने, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखने के लिए हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे वन, इमारती बागान, चाय बागान, फल बागान देश के सर्वोत्तम उत्पादों में से हैं। हम इस पर गर्व कर सकते है। दिल्ली के प्रदूषण में दम घुटने के बाद, यदि मैं श्री शांता कुमार के अतिथि गृह में अपना समय व्यतीत करने जाता हूं तो, मुझे न केवल मेहमानवाजी ही मिलती है बल्कि मेरी आयु 10-15 वर्ष और बढ़ जाती है क्योंकि पर्यावरण बहुत साफ है।

श्री महेश्वर सिंह का संकल्प भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने की गारण्टी देगा। अब इसे करने का समय आ गया है। चाहे इसे कांग्रेस नहीं कर पाई या कोई और नहीं कर पाया, इसकी आलोचना हम चुनाव सभा में करें यहां नहीं। परंतु यहां, संसद को प्रतिक्रिया देने दीजिए, सरकार को प्रतिक्रिया देने दीजिए क्योंकि अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय पर्वतीय विकास परिषद् जहां अलग नीतिगत दृष्टिकोण सर्वांगिक विकास के लिए हो स्थापना की जाए।

चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, बंगाल के सर्वोत्तम विद्यार्थी ग्वालियर स्कूल से नहीं आते। बंगाल के मेधावी छात्र दार्जिलिंग के नार्थ पाइंट स्कूल से आते है। वहां, अभिभावक महीनों तक प्रयत्न करते हैं और कहते है "क्या मेरे बच्चे को यहां मौका मिल सकता है?" इस प्रकार का एक सर्वोत्तम दर्जा इन्होंने रखा हुआ है इसके बावजूद कि इनकी क्षमता सीमित है।

इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि मैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री से कम नहीं हूं जिनका अधिकतर समय सैनिकों की देखभाल करते हुए इस क्षेत्र में व्यतीत होता है। उनके पास उनका सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक अनुभव है और वे जानते है कि किस प्रकार पहाड़ों के आम लोगों को समस्याएं आती है, क्योंकि वे उन्हें प्रति दिन, प्रति हफ्ते और प्रत्येक महीने स्वयं देखते है। वे उन पर सरकार की ओर से अधिक रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। माननीय मंत्री श्री शांता कुमार भी यहां उपस्थित है। वे पहाड़ी लोगों की समस्याओं को जानते हैं क्योंकि वे स्वयं पहाड़ी क्षेत्र के हैं।

महोदय, अभी तक मैं राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों पर चर्चा कर रहा था। अब, मैं एक दो मिनट पहाड़ी राज्यों पर बोलूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यदि पंजाब को आबंटित राशि 10 करोड़ रुपये हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए वह राशि पंजाब से तीन गुनी होनी चाहिए। इसका कारण है, आप मैदानों में संसाधनों का संपूर्ण दोहन कर सकते हैं परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में यह संभव नहीं है। आप किसी कार्य के लिए वहां पूर्णत: विवश हो जाते हैं।

अब, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान केवल एक ही मुद्दे पर उठाऊंगा, यदि मैं गलत हूं तो मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा। यदि मैं आपको गुमराह करूं, तो मैं माफी मागूंगा। राजस्थान का रणथन इलाके में बाघ अभ्यारण्य हैं। परन्तु यह पहाड़ी इलाका नहीं है परन्तु यह पर्यावरण और पारिस्थितिकीय वातावरण से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं और भारत उनका निश्चित ही गर्मजोशी से स्वागत करेगा। परन्तु मुझसे कहा गया था कि उनके लिए राजस्थान के रणथन बेस के बाघ आरक्षित वन क्षेत्र में सात हेलीपैड बनाए जाने की योजना है। जिससे बाघों और अन्य वन्य प्राणियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।

यदि यह गलत है तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। यदि यह सही है तो मेरे विचार से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्य जीव प्रतिष्ठानों को नुकसान न पहुंचे, पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय पर्वत विकास परिषद्, यदि यह सरकार द्वारा गठित की जाती है, को पर्वतीय क्षेत्रों की संस्कृति, भाषायी और जातीय पहचान पर इस प्रकार से ध्यान देना होगा कि वहां के लोग यह महसूस करें कि मैदानों और पहाड़ों पर रहने वाले लोग स्वयं को भारत की मुख्यधारा में सम्मिलित मानें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को किस तरह से न्याय मिलता है, यह इस बात को देखने से पता चलता है कि वे आज भी रोटी, कपड़ा और मकान से काफी दूर हैं। यह केन्द्रीय सरकार की, हम सांसदों और इस संसद की जिम्मेदारी है कि उनको 21वीं शताब्दी में सब चीजों के साथ प्रवेश करायें। आज भी उनको पीने के लिये पानी नहीं दे पा रहे हैं तो इतने सालों से डेवलेपमेंट कैसे चल रहा है, इस बात को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हर साल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये पैसे की घोषणा की जाती है लेकिन जितने रुपये की आवश्यकता होती है, उतना दिया नहीं जाता है।

जब तक पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं होंगे, तब तक जंगल की सुरक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो सकती। आज पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि पेड़ों की देखभाल करने के साथ-साथ लोगों की देखभाल करने की भी आवश्यकता है। हम लोगों को जंगल रखने हैं लेकिन जंगलों में रहने वालों के लिये विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप पांच साल के लिये कोई योजना बनाईये। हमारे महाराष्ट्र में सहयाद्रि, सतपुड़ा पर्वत हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उस पहाड़ी क्षेत्र के रहने वालों के लिये योजना बनायी है। लेकिन यह देखा गया है कि जिन लोगों के लिये यह योजना बनाई गई है, उसका फायदा उन लोगों को नहीं मिलता है। आज पहाड़ी क्षेत्रों में पेय जल नहीं मिलता है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिये केन्द्र सरकार को विशेष योजना हाथ में लेनी चाहिये। यह योजना राज्य सरकार का काम है, ऐसा केन्द्र सरकार को नहीं सोचना चाहिये। आज आपको सत्ता मिली है और कहते हैं कि 50 साल तक सत्ता आपके हाथ में नहीं थी लेकिन जब मिल गई है तो गरीब लोगों के लिये काम करना चाहिये। खाली हवा खाने से काम नहीं चलता जीने के लिये रोटी भी चाहिये। उन लोगों के पास साधनों की बहुत कमी है। ये साधन उन लोगों को दिये जाने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि-

जब मिलेगा यह मकान, बंद होगा तेरा यह दुकान,
पहाड़ों से जो टकराता है, उसे तूफान कहते हैं,
जो तूफानों से टकराता है, उसे "मै" कहते हैं।

[श्री रामदास आठवले]

हम तो शब्द के पत्थर फेंक रहे हैं। हमें संसद में पूरा अधिकार है। सरकार की तरफ अगर हम शब्दों के पत्थर नहीं फेंकेंगे और आपका खून बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। अभी भी कुछ नहीं होने के बावजूद यहां जब चर्चा होती है तो इसी तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। आप लोग भी हैं और हम लोग भी हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग पहाड़ों में नहीं रहते हैं, हम लोग संसद में हैं और संसद में अगर हम लोग हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है, गरीबी हटाने की जरूरत है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की गरीबी को दूर करने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई अच्छा प्रोग्राम केन्द्र सरकार बनाए। केन्द्र सरकार के पास पैसा है। कम है तो पैसे का निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे मगर उसके लिए अगर आप महंगाई बढ़ाने का काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हम ही नहीं, आप लोग भी हमारा साथ उसमें देते हैं। चाहे दूध के दामों में वृद्धि हो या अनाज के दामों में वृद्धि हो, अनाज की वृद्धि को कम करने की आवश्यकता है और पहाड़ी इलाकों के लिए जो अलग से राशनिंग है, वह भी ठीक करने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): दूध उत्पादकों, चावल उत्पादकों और कृषकों का क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : जो प्रोडक्शन करते हैं, उन लोगों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की आवश्यकता है। इसलिए जो सब्सिडी भारत सरकार या राज्य सरकारें देती हैं, उसमें उत्पादकों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, उनको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पहाड़ी इलाकों के लिए जो मैंने पहले भी कहा कि विशेष योजना शुरू करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार उस बारे में सोच रही है।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष पहले अमरनाथ यात्रा के लिए दक्षिण से लोग आए। हम उन लोगों को अमरनाथ ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे। जो लोग यात्रा के लिए आए थे, उनके पास सिवाय धोती और कमीज़ के कुछ नहीं था। हम कह रहे थे कि अमरनाथ में बहुत सर्दी होती है और माइनस टैम्प्रेचर होता है। उन्होंने कहा कि एक चादर लाए हैं और समझा इससे सर्दी ढक जाएगी। यह घटना सुनाने का मेरा मकसद यह है कि जो मैदानी इलाके में रहने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको अनुमान नहीं होता है कि माइनस टैम्प्रेचर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा और उनके जीवन की समस्याएं क्या हैं। इसलिए जनरल डैवलपमेंट का काम योजनाएं देने वाले लोगों का है, और यह बड़ी कठिन बात है कि पहाड़ी लोगों के लिए डेवलपमेंट के सार्थक कार्यक्रम दिये जाएं। इसलिए हम समझते हैं कि जहां भारत के बाकी क्षेत्रों का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पहाड़ों का विकास अभी नहीं हुआ है। आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी पहाड़ों में ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों ने गाड़ी नहीं देखी है, बस नहीं देखी है। हालत यह है कि उनको आज चिट्ठी लिखी जाए तो उनके डाकखाने इतनी दूर होते हैं कि उनकी चिट्ठी जाने में ही महीने लग जाते हैं। इतने में वहां परिस्थितियां बदल जाती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अनुमान नहीं हो सकता है कि विकास के लिए हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए। मान लीजिए सड़कें बनानी हैं तो जो सड़क बनाने के खर्चा का अनुमान यहां होता है, वह पहाड़ी इलोकों में पहाड़ खोदकर सड़क बनाने का जो खर्चा होता है वह कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जो अथॉरिटी, काउंसिल या काम करने वाले अधिकारी होंगे, उन्हें अंदाजा लगाना चाहिए कि सड़क बनाने पर पहाड़ी क्षेत्र में कितना खर्चा होगा और विकास की इन योजनाओं में पहाड़ी इलाकों के लिए हमें जो पैसा देना है, उनके लिए जो पैसा मखसूस करना है, वह कितनी मात्रा में, कितना गुना ज्यादा करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर कहीं एक स्कूल मिलता है। बच्चे और बच्चियों के लिए इतना पैदल चलकर उन स्कूलों में पहुंचना और शिक्षा प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। लेकिन अगर उन क्षेत्रों से निरक्षरता को भगाना है तो फिर बड़ी तादाद में और बड़ी मात्रा में स्कूलों को खोलना होगा और वहां अध्यापकों को बड़ी तादाद को तैनात करना होगा। इसलिए निरक्षरता को भगाने के लिए जो बजट आप मैदानी इलाकों में तय करते हैं, वह बजट वहां काम नहीं करता। इसलिए चाहे निरक्षरता हो, चाहे वहां सड़कें मुहैया कराना हो या यातायात की व्यवस्था करनी हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन का मामला हो, वे ऐसे इलाके हैं अगर वहां किसी एक गांव में उग्रवादी आकर बैठ जाता है और गांव के लोग भी उसे पहचानने लगते हैं कि यह उग्रवादी है और वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो अस्पताल या पुलिस स्टेशन तक सूचना पहुंचाने के लिए पैदल चलकर पहाड़ी रास्तों से जाना पड़ता है और सूचना पहुंचाने में उन्हें दो दिन का समय लग जाता है। ऐसे हालात में पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जीवनयापन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों का विकास सार्थक हो और वे लोग अपने आपको भारत का एक अंग मानकर,

भारत की प्रगति के साथ अपने कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें तो हमें उनके लिए अलग से एक योजना आयोग बनाना पड़ेगा और आज डेवलपमैंट के लिए उनकी परिस्थिति के मुताबिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, हम जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर में ऐसे इलाके भी हैं जहां नौ महीने बर्फ रहती है और जब नौ महीने बर्फ रहती है तो जो लोग वहां आबाद हैं, वे बड़ी मुश्किल से तीन महीने अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। नौ महीने उन्हें कमरे में ही बंद रहना पड़ता है और नौ महीने की खुराक उन्हें घर के अंदर रखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वे जीवनयापन करते हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इन परिस्थितियों से जो लोग परिचित हों, जो वहां स्थान-स्थान पर जा सके और परिस्थितियों के मुताबिक वहां की उन्नति के लिए योजनाएं बना सकें, तब कोई लाभ हो सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरह से बाकी के जो पहाड़ी इलाके हैं चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, हिमालय की गोद में जितने भी क्षेत्र हैं, उनकी भी यही हालत है। आज 50 साल बीतने के बाद भी जिन-जिन क्षेत्रों में अलग होने की जो बातें हो रही हैं उसका कारण यह है कि महज एकछत्र रहकर उन्हें तरक्की का मुंह देखने को नहीं मिला।

सभापति महोदय, आजादी का सुख उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। साधारण जीवन जीने के लिए जो उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता है, वह भी उनको नहीं हो पाती है। वहां दूर-दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि कपड़े धोने का साबुन भी नहीं पहुंचता है। जब हम उन्हें ऐसे दूरदराज और उत्तुंग पर्वत श्रृंखलाओं में रहते हुए अपनी आंख से देखते हैं, तो हम आश्चर्य करते हैं कि वे वहां पहुंचे कैसे होंगे और अपने घर तक सामान लेकर कैसे जाते होंगे। ऐसे लोगों के जीवन के बारे में पूरे राष्ट्र को चिन्ता कर के योजना बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, वहां जो उपलब्धता है, उसका सही मूल्य मिले, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिए वहां फल पैदा होते हैं, तो वे सड़क के अभाव में वहीं सड़ जाते हैं उन्हें सड़क तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए वहां कोई खनिज पत्थर हैं, लेकिन रास्तों के अभाव में उन्हें सड़क तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। हमारे यहां नीलम निकलता है और बड़ी मात्रा में नीलम निकलता है और आज से नहीं सदियों से निकलता आ रहा है, लेकिन पर्याप्त आवागमन के साधनों के अभाव में वह सड़क पर नहीं आ पाता है। वहां लोग पैदल जाते हैं, घोड़ों पर जाते हैं, लेकिन वाहन जाने का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार के अनेक पत्थर हैं जो उस क्षेत्र के भिन्न-भिन्न भागों में मिलते हैं, लेकिन किसी का निकास नहीं हो रहा है। अगर वह माल बाजार में, मंडियों में पहुंच सके, तो उन लोगों की दरिद्रता का नाश हो सकता है।

सभापति महोदय, जंगल की लकड़ी की जो हालत हो रही है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि वह सड़क तक नहीं पहुंच पाती है। इन हालात में जहां सारे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं आतंकवादी और उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण उन इलाकों में दहशत भरी है। वे क्षेत्र पाकिस्तान, दुश्मन देश की साजिशों के घेरे में हैं और वहां उनका उत्पात होता रहता है। उन दुर्गम क्षेत्रों में पुलिस की गाड़ी नहीं जा पाती है, इसलिए पुलिस नहीं पहुंच पाती है। जो लोग वहां रहते हैं वे लकड़ी काटते हैं और जलाते भी हैं, लेकिन जो उग्रवादी और आतंकवादी हैं वे लकड़ी के डिपो के डिपो जला देते हैं। इस प्रकार से उन क्षेत्रों में सारी बर्बादी हो रही है। जंगल काट दिए और लकड़ी बर्बाद हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त तक पांच अरब रुपए की लकड़ी उग्रवादियों ने इन क्षेत्रों में जला दी। इन सारे हालात से बचने के लिए यह आवश्यक है कि जराए टैलीकम्युनिकेशन, सड़क, यातायात के साधन, औषधि, शिक्षा और जीवनपयोगी वस्तुओं को उन लोगों तक पहुंचाने और वहां की उपज मंडियों तक आ सके, बाजार तक पहुंच सके, यह सारी व्यवस्था उनकी परिस्थितियों के मुताबिक होनी चाहिए और करनी चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि श्री महेश्वर सिंह, माननीय सदस्य द्वारा जो यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसके माध्यम से प्रार्थना की गई है कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाए और उसके लिए भारत सरकार भरपूर आर्थिक सहायता दे जिससे दूरदराज के इलाकों के जो उपेक्षित लोग हैं, उनको सहूलियतें मुहैय्या हों और वे भी अपने जीवन में ज्यादा सुख प्राप्त कर सकें, आजादी का लुत्फ उठा सकें, हिन्दुस्तान की एकता और सुख-सुविधा, समरसता का अनुभव कर सकें। इसके निमित्त यह बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। इस बारे में इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री महेश्वर सिंह, जोकि पर्वतीय राज्य न केवल पर्वतीय राज्य अपितु बहुत ऊंचे पहाड़ों के राज्य से आते हैं, को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो विषय उठाया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम नई सहस्राब्दि में प्रवेश की खुशी मना रहे हैं और अभी हमने स्वतंत्रता के 50 वर्षों को पूरा किया है। तथ्य यह है कि इस संकल्प को सभा के सभी पक्षों की ओर से, चाहे वह किसी भी दल या वर्ण या जाति के हो, समर्थन मिला है।

[श्री के.पी. सिंह देव]

जब कोई लद्दाख से हिमालयी श्रृंखला तक भारत के नक्शे पर नजर डाले तो उसे बनीहल दर्रा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इत्यादि कुछ स्थान दिखाई देते हैं। जोकि भौगोलिक और भू-राजनीति परिदृश्य में जाने-पहचाने स्थान हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह वे क्षेत्र हैं जहां पर भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक दृष्टि से अशांति रही है। परन्तु ऐसे कई कम जाने-पहचाने क्षेत्र भी हैं।

मुझे खुशी है कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों का भी उल्लेख किया। भूगोल का प्राथमिक छात्र भी आपको बता देगा कि जो भी क्षेत्र 3000 फीट की ऊंचाई से ऊपर है वह पहाड़ है। श्री महेश्वर सिंह जो पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं यह जानते हैं कि चाहे वह हिमालयी क्षेत्र हो या लद्दाख या तथाकथित उत्तराखण्ड अर्थात् कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र और गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र मुख्य रूप से मनीआर्डर अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। यहां पर मनी आर्डर अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहां से असंख्य सेना कर्मियों की भर्ती होती है और असंख्य भूतपूर्व सैनिक यहां पर रहते हैं। परन्तु कई कम जाने-पहचाने ऊंचाई के हिसाब से,—पहाड़ी क्षेत्र हैं जोकि शांत है और जो उग्रवाद या राजनीतिक उथल-पुथल में संलिप्त नहीं होते हैं। वे योजना आयोग और हमारे ध्यान में प्रमुख रूप से नहीं रहते हैं।

महोदय, हिमालयी पर्वत श्रृंखला तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्र भारत की आध्यात्मिकता, इसकी संस्कृति, इसकी जलीय सम्पदा और इसके वन सम्पदा का भण्डार हैं। जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं और अन्य क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बनासवाड़ा, झबुआ, महाराष्ट्र का डुले, पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की खनिज सम्पदा का भण्डार है। इन क्षेत्रों में आदिवासी निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते है जिनके पास न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का सामान भी नहीं है। वहां पर संचार व्यवस्था नहीं है। वहां पर प्रशासन, प्रशासन के अन्य क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िए, की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

महोदय, मेरे माननीय मित्र, श्री रमेश चेन्नितला, कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे थे। महोदय, कोरापुट वह जगह है जिसने भारत को वात्या भट्ठी की अवधारणा से परिचित कराया। जर्मनी, रूसी, स्वीडन या बड़े-बड़े जापानी संयंत्रों द्वारा वात्या भट्ठी बनाने से पहले, कोरापुट के आदिवासियों ने अपने आदिकालीन तरीके से वात्या भट्ठी की अवधारणा दी थी। कोरापुट वह स्थान भी है जिसने चावल का वनस्पति विज्ञान संबंधी नाम 'ओरिजा' संसार को दिया।

महोदय, हम सभा में कोरापुट, बोलनगीर और कालाहाण्डी में भुखमरी, अकाल, अप्रवास, बच्चों की बिक्री और उनके शोषण के बारे में चर्चा करते रहे हैं। बस्तर और कोरापुट के साथ आंध्र प्रदेश के एजेंसी क्षेत्रों—विजयनग्राम, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम में 'पीपुल्स वार ग्रुप' का उदय हुआ है।

इसके कारण सामाजिक उथल-पुथल हुई है। एक सामाजिक आर्थिक समस्या सामाजिक-राजनीतिक समस्या में बदल दी गई है। हम इसका सामना कैसे कर करते हैं? हमारी सशस्त्र सेनाओं और हमारी पुलिस बल की शक्ति से हम इसे एक कानून और व्यवस्था की समस्या मानते हैं। इसीलिए मैं श्री महेश्वर सिंह का अत्यंत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने यह कहकर कि यहां लोगों का एक ऐसा वर्ग है जिसने पिछले पांच हजार वर्षों में विभिन्न प्रकार से भारत के विकास में योगदान दिया है जोकि हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए विकल है। सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। हम हमारा पूरा ध्यान उन पर नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास सामूहिक रूप से मोल-भाव करने की क्षमता नहीं हैं। वे अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। वे सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं। वे सुखी, खुशहाल भाग्यवादी लोग हैं। उन्हें जो कुछ भी मिला हुआ है वे उसी से संतुष्ट व्यक्ति हैं और वे हमारे पास आकर हमसे अभिमानपूर्वक या आक्रामक पूर्ण ढंग से या विनयपूर्वक मांग नहीं करते हैं। न ही वे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।

यही सबसे प्रमुख कारण है कि हमें जन सभा के रूप में, जो कि जनता के प्रति जवाबदेह है, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी है, इन भाग्यहीन भाई-बहनों की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जोकि किसी भी प्रकार के विकास, चाहे वह रेल संबंधित हो, चाहे सीमा सड़कों से या सड़कों या संचार से संबंधित हो, से वंचित क्षेत्रों में निवास करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, संचार क्रांति, दुग्ध, हरित क्रांति मछली-उत्पादन क्रांति के बावजूद भी उन तक कुछ भी नहीं पहुंचा है। वे अभी भी आदिवासी हैं, उनकी जीवन शैली आदिकालीन है उनके घर भी आदिवासी ढंग के हैं वहां पर जल-मल निकास की व्यवस्था नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा नहीं है और उड़ीसा जैसा चक्रवात आता है तो उनका आवास भी बह जाता है। जिसे हम सभ्यता कहते हैं उसकी वहां पर झलक भी नहीं मिलती है क्योंकि वे हमसे बहुत ज्यादा सभ्य है।

इसलिए, योजना आयोग की सभी बड़ी-बड़ी योजनाएं - हमनें इनमें से नौ या दस योजनाएं देखी हैं - और यह सभी फार्मूले जैसे विभिन्न वित्त आयोगों के गाडगिल फार्मूला, संशोधित गाडगिल फार्मूला, भारद्वाज फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला, गैप-फीलिंग फार्मूला - इन क्षेत्रों की आरंभिक अवस्था या मूल सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ रही है। पचास वर्ष पूर्व ये क्षेत्र कैसे थे? विशेष रूप से कालाहांडी पश्चिमी उड़ीसा का अन्न भंडार था जहां पर उतना ही चावल का उत्पादन होता था जितना

कि बालासौर या पुरी और कटक के सिंचित इलाकों में होता था। इसमें सम्भवत: कृष्णा-गोदावरी घाटी में होने वाले उत्पादन के समान उत्पादन होता था। यह भारत के बाक्साइट भंडारों का केन्द्र था। बाक्साइट भंडारों का अधिकांश भाग कोरापुट, कालाहांडी और बस्तर तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र में स्थित है। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, अस्बेस्टास और क्रोमाइट का अधिकांश भाग हमारे क्षेत्र में ही पाया जाता है। मैं ऐसे ही क्षेत्र से आता हूं जहां भारत के क्रोमाइट का 90 प्रतिशत भंडार है। परन्तु वहां पर इससे संबंधित एक पैसे का भी निवेश नहीं हुआ है।

वे सभी आदिवासी हैं। वे गरीब लोग हैं। केवल हिमालय क्षेत्र ही हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि वहां कई प्रकार की उथल-पुथल होती रहती है। अब कारगिल हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह संवेदनशील क्षेत्र हैं। परन्तु ऐसे कम संवेदनशील क्षेत्र भी हैं। उदाहरण के लिए नीलगिरि की पहाड़ियां, वायनाड जंगल, झबुआ क्षेत्र और पंच महल क्षेत्र। इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडोलैण्ड की मांग उठ रही है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड राज्य के गठन की भी मांग उठ रही है। यह सारी मांगें जोकि सभा में, हमारे द्वारा या योजना आयोग द्वारा या तत्कालीन सरकार द्वारा की गई उपेक्षा का परिणाम है। परन्तु मुख्य मुद्दा इन क्षेत्रों में हमारे ध्यान को केन्द्रित करने का है। हमें उन्हें केवल मनी-आर्डर अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं रहने दिया जाना चाहिए और न ही उन्हें अपने स्वयं के प्रयास से जीविकोपार्जन जोकि अत्यधिक कम है, पर ही निर्भर नहीं रहने देना चाहिए।

यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां से चिपको आन्दोलन का जन्म हुआ है जो हमारी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। रोहतांग दर्रा और मनाली के उत्तर स्थित पुधा घाटी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का भण्डार है। हमने अभी उस स्रोत का दोहन नहीं किया है। 100 प्रतिशत आर्य गांव का अवशेष कारगिल के निकट है। हमने कभी भी उन पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है। यह हमारे ध्यान में एक जर्मन पर्यटक, जो 50 दिनों के युद्ध के दौरान कारगिल के निकट रूकी बस को छोड़कर भाग गया था, द्वारा लाया गया। इस प्रकार हमने पाया कि वहां पर कही एक आर्य गांव है जहां के निवासियों की नीली-भूरी आंखें हैं और सुन्दर सुनहरे बाल हैं और वह सभ्यता की अंतिम संस्मृति है। हाल ही में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने पता लगाया है कि एक ऐसी प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। सभी नर बालकों की मृत्यु हो जाती है। हमने इसके लिए कोई समाधान नहीं खोजा है और कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार से कोई भी कितना ही बोल सकता हैं परन्तु तथ्य अपनी जगह रहते हैं। श्री महेश्वर सिंह ने यह उल्लेख किया है कि हमारा ध्यान वहां पर केन्द्रित होना चाहिए। हमारे पास ऐसी कई योजनाएं है जो केवल कागजों पर ही है। हमारे पास जनजातीय क्षेत्रों जैसे जनजातीय विकास निगम जनजातीय विकास ब्लाक जैसी कई स्कीमें हैं। कार्मिक मंत्रालय के असंख्य ज्ञापन इसे प्रशासन का स्वरूप देने का प्रयास दिल्ली और अन्य राज्यों से अच्छे अधिकारियों को भेजकर किया जा रहा है जिससे कि वे उन सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें। परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकला है। मैं सभा से यह अपील करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विषय है कि जो पार्टी और विचारधारा की भिन्नता से परे है। हमें अपने ध्यान को केन्द्रित करना चाहिए। हमें 3000 फीट से ऊंचे इलाकों के लिए ही नहीं अपितु 3000 फीट से नीचे के इलाकों के लिए जोकि पहाड़ी और बहुत ऊंचे पर्वतों का क्षेत्र भी है।

मैं मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): माननीय सभापति जी, श्री महेश्वर सिंह द्वारा रखे गये प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सही मायनों में हिल कौंसिल बनाने का जो प्रस्ताव है, अगर इसकी स्थापना होगी तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो भाई रहते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से सुधार आयेगा। मेरे अपने विचार से पर्वतीय विकास के लिए, वहां की जनता के विकास के लिए तीन-चार बिन्दु हैं, जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिनकी वहां विशेष जरूरत है। सड़क मार्गों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संसाधन, जो रोजगार के लिए चाहिए।

वहां सड़कों की हालत यह है कि वहां 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर लोग अपने घर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, रास्तों का वहां अभाव है। वहां स्कूल नहीं हैं, इसलिए वहां शिक्षा के लिए विशेष योजना तैयार की जाये।

सभापति महोदय : आप एक मिनट रुकिये। इस प्रस्ताव पर एक घंटा और लगेगा तो इसका काम पूरा हो जायेगा, चूंकि तीन माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है, माननीय मंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद मूवर का जवाब होगा, इसलिए यह आज पूरा नहीं हो पायेगा। छ: बजे तक यह प्रस्ताव चलेगा, फिर यह जारी रहेगा, क्योंकि इसमें एक घंटे का समय और चाहिए।

श्री छत्रपाल सिंह: कम से कम एक शिक्षक की व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए, भले ही वहां दस बच्चे पढ़ने वाले हों। इससे यह होगा कि उनको शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। पर्वतीय इलाकों में शिक्षा के लिए हमें अलग से बजट देना चाहिए। इससे वहां रहने वाले लोगों के बच्चों को हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा पाएंगे। अभी हमारे कश्मीर के साथी ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जिक्र किया था। सही मानों में वहां इसकी

[श्री छत्रपाल सिंह]

खराब हालत है। 50-50 किलोमीटर तक डाक्टर का मिलना दूभर हो जाता है। मरीज को अस्पताल ले जाने का साधन नहीं है। अगर गम्भीर मरीज है और ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे मौकों पर उसकी मृत्यु भी सम्भव है। मेरा आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वहां स्वास्थ्य केन्द्र जगह-जगह स्थापित किए जाएं, जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के नजदीक पड़े। इससे वे अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए वहां स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापित करके डाक्टर और दवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हिल कौंसिल कर पाएगी, ऐसा मेरा विचार है।

सुरक्षा के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सिपाही का काम करता है। मुझे तवांग तक जाने का मौका मिला। दिल्ली का आदमी गाड़ी से वहां जाता है तो पता नहीं लगता कि कहां जा रहा है। उस एरिया में रहने वाले व्यक्ति जो चीन की सीमा पर रहते हैं, देश की रखवाली का काम भी कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत अंतर है। अगर वहां के लोग भी यह सोचें कि हमें भी प्लेन एरिया के लोगों के साथ रहना है, पहाड़ों में क्यों रहें तो फिर रखवाली कैसे की जाएगी। हम पूरा पहाड़ी क्षेत्र सेना के जिम्मे नहीं रख सकते। इसलिए वहां के लोगों को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, वे बहुत कम हैं। उनकी जिंदगी में हर चीज का अभाव है। हमारे साथी महेश्वर सिंह जी ने हिली कौंसिल बनाने का संकल्प यहां रखा है, वह बहुत अच्छा सुझाव है।

सभापति महोदय, अब मैं पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैदानी इलाके का व्यक्ति जब पहाड़ पर जाएगा तो वहां अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च करेगा और इससे वहां के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अगर हम विदेशी सैलानियों को वहां न ले जा सकें तो घरेलू ट्यूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे अधिकतर तीर्थस्थल पहाड़ों पर हैं। वहां के लिए अच्छे रास्ते मुहैया कराए जाएं, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, खाने की सही व्यवस्था हो तो मैदानी इलाके के लोग जो तीर्थस्थान देखने के बहाने पहाड़ों पर जाते हैं, ज्यादा संख्या में जाएंगे। इससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की आमदनी बढ़ेगी।

उत्तराखंड क्षेत्र में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देव प्रयाग आदि तीर्थस्थल हैं। वहां लाखों की संख्या में हर साल लोग जाते हैं। परंतु अधिकांश लोग एक या दो दिन रहकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां रहने की व्यवस्था सही नहीं है, संचार की सुविधा नहीं और मनोरंजन के साधन नहीं हैं। इसके अलावा इन लोगों को वहां के वातावरण में रहने की आदत भी नहीं होती है। अगर वहां इन चीजों को मुहैया करा दिया जाए तो फिर यही लोग दो दिन के बजाय एक सप्ताह तक वहां ठहर सकते हैं। इससे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में उपेक्षा का भाव जो अभी महसूस कर रहे हैं, उसमें कमी आएगी।

पर्वतीय क्षेत्र में डेयरी विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वहां अच्छी नस्ल की गाय-भैंसे उपलब्ध कराई जाएं तो उससे भी उस क्षेत्र का विकास होगा। मैदानी इलाकों में विकास के बहुत काम हुए हैं, परन्तु पहाड़ में नहीं हुए हैं। वहां दूध की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। वहां से दूध को 24-48 घंटे में लाया जा सकता है, क्योंकि वहां का वातावरण ठंडा रहता है इसलिए दूध जल्दी खराब नहीं होगा। मैदानी क्षेत्रों में आएगा तो निश्चित रूप से उसको पैसा मिलेगा। सभी पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की उत्पादकता अच्छी है। अच्छे किस्म के फल वहां होते हैं परंतु वहां फूड प्रिजर्वेशन के कोई भी प्लांट नहीं लगाये गये हैं। जो भी फूड प्रिजर्वेशन के प्लांट हैं, वे मैदानी क्षेत्रों में हैं। शिमला के सेब की हालत यह हो जाती है कि जो भाव शिमला में बिका है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। उल्टे-सीधे भाव पर बेचने के लिए किसान मजबूर हो जाता है। हिमाचल और कश्मीर में सबसे अच्छा सेब होता है परंतु वहां के किसान को सही मायनों में दिल्ली के मुकाबले केवल चौथाई दाम मिल पाते हैं। किसान के साथ शोषण का काम हो रहा है। फूड प्रिजर्वेशन के यूनिट लगाकर पहाड़ी क्षेत्रों में इन कमियों को दूर किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध करा दिये जाएं तो फिर हिमाचल और कश्मीर का सेब दिल्ली की मंडी में तथा दूसरे शहरों की मंडी में भी जा सकता है। इससे किसान को अच्छे दाम मिलेंगे यदि उसका फल समय पर बिके। समय पर बिकने के लिए आवश्यक है कि सड़कों का, ट्रांसपोर्टेशन का काम हमें विशेष तौर पर करना होगा। अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम कुछ नहीं उगा पा रहे हैं। वहां के किसानों का अगर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में थोड़ा ज्ञान बढ़ा दिया जाये और उन्हें अच्छे फलों के पौधे उपलब्ध कराए जाएं तथा अच्छी तकनीक दी जाये तो निश्चित रूप से हॉर्टिकल्चर का विकास तो होगा ही साथ ही साथ वहां के किसान का विकास होगा। हम फलों का उत्पादन बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वहां के रहने वाले की जेब में चार पैसे जाएंगे और इससे उसका जीवन-स्तर ऊपर उठेगा। मैं उत्तराखंड में भी गया हूं और नॉर्थ ईस्ट के हिली एरिया में भी गया हूं। वहां बरसात में नदियां भयंकर रूप ले लेती हैं और बरसात के बाद भी नदियां बहती रहती हैं। वहां पुलों का इतना अभाव है कि अगर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना पड़ता है तो पहले दो कि.मी. नीचे उतरो और फिर दो कि.मी. ऊपर चढ़ो। अगर हम पुल बनाने का काम करेंगे तो दूरियां कम होंगी और सम्पर्क के साधन बढ़ेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में भले ही पुल छोटे हों, पुलों का जाल बिछाना चाहिए। जहां भी आबादी है, उनको पुलों के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए।

अपराह्न 5.56 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

जब भी पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों से बात होती है तो एक दिक्कत जगह-जगह बताते हैं कि अगर पौड़ी का आदमी है और उसे दिल्ली आना है तो उसे रेल का रिजर्वेशन कराने के लिए दो दिन पहले स्टेशन पर आना होता है और रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, फिर स्टेशन पर आकर पता करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : अपराह्न 6 बजे हमें सभा को स्थगित करना है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री छत्रपाल सिंह: पहाड़ों में जितने बड़े-बड़े शहर हैं, वहां पहाड़ों के विकास के लिए सभी में रेल रिजर्वेशन की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मैं केवल रेलों के विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहाड़ों के विकास की बात कर रहा हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल रिजर्वेशन के मामले में विशेष तौर पर दिक्कत आती है। अभी कश्मीर में दो साल पहले एक कमेटी के सिलसिले में जाने का मौका मिला था। वहां डल झील घास-फूस से इतनी ज्यादा आच्छादित होती जा रही है और उसमें इतना कीचड़ इकट्ठा होता जा रहा है कि जो डल झील कश्मीर की जान थी, आज उसकी यह दुर्दशा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उसकी दुबारा सफाई कराई जाए तथा उसकी गहराई बढ़ाकर उसको वहीं रूप दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री छत्रपाल सिंह, आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

श्री छत्रपाल सिंह : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। पहाड़ों के विकास के लिए, भेड़-पालन, ऊन का उद्योग और हस्त शिल्प पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शेष अपनी बात मैं आगे कहूंगा। धन्यवाद।

अपराह्न 6.00 बजे

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, ने रणथम्भौर के टाइगर रिजर्व में हैलीपैड बनाने के बारे में कहा है, वहां पर अमरीका के राष्ट्रपति जी को जाना है तथा इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। मैंने इसकी जानकारी हासिल की है कि कोई हैलीपैड नहीं बनाया जा रहा है। टाइगर रिजर्व के तीन किलोमीटर पैरामीटर के अन्दर लम्बे अर्से से हैलीपैड है। पिछले साल जब ब्रिटेन के उपप्रधान मंत्री यहां पर आए थे, तो उस स्थान पर उतरे थे, क्योंकि उनको इस रिजर्व में जाना था। इस बार भी चूंकि अमरीका के राष्ट्रपति के शायद वहां पर जाने की बात है, इसलिए उस हैलीपैड की जो हमेशा मरम्मत की जाती है, वही मरम्मत की जा रही है। कोई नयी चीज वहां पर नहीं बन रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 17 अप्रैल, 2000/28 चैत्र, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/5/17/2000 (एन०)
220

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।